



ईसीजीसी लिमिटेड
ECGC Limited





ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

विज़न

निर्यात ऋण बीमा एवं व्यापार संबंधी बेहतरीन सेवाएं प्रदान करना ।

VISION

To excel in providing export credit insurance and trade-related services.

मिशन

भारतीय निर्यात बाज़ार की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध स्रोतों का अनुकूल उपयोग करते हुए किफायती बीमा एवं व्यापार संबंधी सेवाएं प्रदान कर भारतीय निर्यात उद्योग की सहायत करना ।

MISSION

To support the Indian export industry by providing cost-effective insurance and trade-related services to meet the growing needs of the Indian export market through the optimal utilization of available resources.



ईसीजीसी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम)

(A Government of India Enterprise)

आप निर्यात पर ध्यान केंद्रित करें, हम जोखिम से रक्षा प्रदान करेंगे।
You focus on exports. We cover the risks.



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

पंजीकृत कार्यालय

ईसीजीसी भवन, सीटीएस नं 393, 393/1 से 45, एम. वी. रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400069
सीआईएन: यू74999एम एच1957जी ओ आई 010918
आई आर डी ए आई पंजीकरण सं. 124

REGISTERED OFFICE

ECGC Bhawan, CTS No. 393, 393/1 to 45,
M. V. Road, Andheri (East), Mumbai – 400069
CIN: U74999MH1957GOI010918
IRDAI Regn. No. 124

कम्पनी सचिव
COMPANY SECRETARY

सुश्री स्मिता वी. पंडित
Smt. Smita V. Pandit

नियुक्त बीमांकिक
APPOINTED ACTUARY

सुश्री प्रिसिल्ला सिन्हा
Smt. Priscilla Sinha

संयुक्त संविधिक लेखा परीक्षक
JOINT STATUTORY AUDITORS

मेसर्स के बी डी एस एंड कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 323288ई
M/s. KBDS & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 323288E

मेसर्स एम एल पूरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002312एन
M/s. M. L. Puri & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 002312N

बैंकर्स
BANKERS

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया
आई डी बी आई बैंक
Union Bank of India
IDBI Bank



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

क्र.सं. S.No.	विषय-वस्तु / CONTENTS	पृष्ठ संख्या Page No.
1.	निदेशक मण्डल Board of Directors	04
2.	वरिष्ठ प्रबंधन Senior Management	08
3.	निष्पादन विशेषताएँ - पिछला दशक Performance Highlights - The Past Decade	09
4.	अध्यक्ष का संबोधन Chairman's Message	11
5.	निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	19
6.	कंपनी शासन Corporate Governance	36
7.	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व Corporate Social Responsibility	68
8.	प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण Management Discussion and Analysis	86
9.	लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण Audited Financial Statements	126
i	राजस्व खाता, लाभ एवं हानि खाता एवं तुलन पत्र Revenue Account, Profit and Loss Account & Balance Sheet	127
ii	वित्तीय विवरणों की अनुसूचियाँ (अनुसूची 1 से 15) Schedules to Financial Statements (Schedule 1 to 15)	134
iii	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (अनुसूची 16) Significant Accounting Policies (Schedule 16)	149
iv	लेखागत टिप्पणियाँ (अनुसूची 17) Notes to Accounts (Schedule 17)	158
v	मुख्य विश्लेषणात्मक अनुपात Key Analytical Ratios	184
vi	अर्जन एवं भुगतान खाता Receipts & Payments Account	189
10.	प्रबंधन रिपोर्ट Management Report	192
11.	नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ Comments of CAG	196
12.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditor's Report	197
13.	सेवा तंत्र Service Network	219



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

निदेशक मण्डल / BOARD OF DIRECTORS



श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ

कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) /
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), ईसीजीसी लिमिटेड
[दिनांक 01 नवंबर 2023 को अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार के रूप में नियुक्त)
(दिनांक 14 नवंबर 2023 से निदेशक के रूप में नियुक्त)
कार्यकारी निदेशक - कार्यपालक

Shri Sristiraj Ambastha

Executive Director (Policy Matters) /
Chairman-cum-Managing Director (Additional Charge), ECGC Limited
(appointed as CMD (Addl. Charge) from November 01, 2023)
(appointed as a Director from November 14, 2023)
Functional Director-Executive



श्री सुनील जोशी

कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)/
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), ईसीजीसी लिमिटेड
(दिनांक 11 अगस्त, 2023 से 31 अक्टूबर, 2023 तक)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में नियुक्त)
कार्यकारी निदेशक - कार्यपालक

Shri Sunil Joshi

Executive Director (Policy Matters)/
Chairman-cum-Managing Director,
ECGC Limited
(appointed as CMD (Addl. Charge)
from August 11, 2023 up to October 31, 2023)
Functional Director-Executive



श्री एम सेंथिलनाथन

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(दिनांक 31 जुलाई, 2023 तक)
कार्यकारी निदेशक - कार्यपालक

Shri M. Senthilnathan

Chairman-cum-Managing Director
ECGC Limited
(up to July 31, 2023)
Functional Director-Executive



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

निदेशक मण्डल / BOARD OF DIRECTORS



श्री सिद्धार्थ महाजन, भा प्र से

संयुक्त सचिव,
वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
(16 अप्रैल 2024 से)
सरकार द्वारा नामित - निदेशक - गैर - कार्यपालक

Shri Siddharth Mahajan, IAS

Joint Secretary,
Department of Commerce,
Ministry of Commerce & Industry, Government of India
(from April 16, 2024)
Government Nominee Director- Non-Executive



श्री विपुल बंसल, भा प्र से

संयुक्त सचिव,
वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
(16 अप्रैल 2024 तक)
सरकार द्वारा नामित - निदेशक - गैर - कार्यपालक

Shri Vipul Bansal, IAS

Joint Secretary,
Department of Commerce, Ministry of Commerce &
Industry, Government of India
(up to April 16, 2024)
Government Nominee Director- Non-Executive



सुश्री अपर्णा भाटिया, भा आ से

आर्थिक सलाहकार, आर्थिक मामले विभाग,
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
सरकार द्वारा नामित - निदेशक - गैर - कार्यपालक

Smt. Aparna Bhatia, IES

Economic Adviser,
Department of Economic Affairs,
Ministry of Finance, Government of India
Government Nominee Director- Non-Executive



श्री शिरीष चन्द्र मुर्मू

कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
गैर अधिकारिक स्वतंत्र निदेशक - गैर - कार्यपालक

Shri Shirish Chandra Murmu

Executive Director, Reserve Bank of India
Non-Official Independent Director-
Non-Executive



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

निदेशक मण्डल / BOARD OF DIRECTORS



सुश्री हर्षा बंगारी

प्रबंध निदेशक
भारतीय निर्यात – आयात बैंक
गैर अधिकारिक स्वतंत्र निदेशक - गैर - कार्यपालक

Ms. Harsha Bangari

Managing Director
Export-Import Bank of India
Non-Official Independent Director-
Non-Executive



श्री रामस्वामी नारायणन

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
भारतीय साधारण बीमा निगम
(30 अक्टूबर, 2023 से)
गैर अधिकारिक स्वतंत्र निदेशक - गैर - कार्यपालक

Shri Ramaswamy Narayanan

Chairman-cum-Managing Director
General Insurance Corporation of India
(from October 30, 2023)
Non-Official Independent Director-
Non-Executive



श्री देवेश श्रीवास्तव

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
भारतीय साधारण बीमा निगम
(30 सितंबर, 2023 तक)
गैर अधिकारिक स्वतंत्र निदेशक - गैर - कार्यपालक

Shri Devesh Srivastava

Chairman-cum-Managing Director
General Insurance Corporation of India
(up to September 30, 2023)
Non-Official Independent Director-
Non-Executive



श्री अश्वनी कुमार

अध्यक्ष
भारतीय निर्यात संगठन महासंघ
(07 मई, 2024 से)
गैर अधिकारिक स्वतंत्र निदेशक - गैर - कार्यपालक

Shri Ashwani Kumar

President
Federation of Indian Export Organisations
(from May 07, 2024)
Non-Official Independent Director-
Non-Executive



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

निदेशक मण्डल / BOARD OF DIRECTORS



डॉ ए शक्तिवेल

अध्यक्ष
भारतीय निर्यात संगठन महासंघ
(26 दिसंबर, 2023 तक)
गैर अधिकारिक स्वतंत्र निदेशक - गैर - कार्यपालक

Dr. A. Sakthivel

President
Federation of Indian Export Organisations
(up to December 26, 2023)

Non-Official Independent Director-
Non-Executive



श्री अमित कुमार अग्रवाल

गैर अधिकारिक स्वतंत्र निदेशक - गैर - कार्यपालक

Shri Amit Kumar Agarwal

Non-Official Independent Director-
Non-Executive



सुश्री प्रतिभा कुशवाहा

गैर अधिकारिक स्वतंत्र निदेशक - गैर - कार्यपालक

Smt. Pratibha Kushwaha

Non-Official Independent Director-
Non-Executive



श्री पलनियप्पन मुत्तु

(15 जून, 2023 से)

गैर अधिकारिक स्वतंत्र निदेशक - गैर - कार्यपालक

Shri Palaniappan Muthu

(from June 15, 2023)

Non-Official Independent Director-
Non-Executive



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

वरिष्ठ प्रबंधन / SENIOR MANAGEMENT



श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ / Shri Sristiraj Ambastha

कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) / अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) - दिनांक 01 नवंबर 2023 से
Executive Director (Policy Matters) / Appointed as CMD (Addl. Charge) from November 01, 2023



श्री सुबीर कुमार दास / Shri Subir Kumar Das

कार्यपालक निदेशक / Executive Director

महाप्रबंधक / GENERAL MANAGERS



श्री परमदीप लाल ठाकूर /
Shri Paramdeep Lal Thakur



श्री ईशनाथ झा /
Shri Ishnath Jha



सुश्री स्मिता वी. पंडित /
Smt. Smita V. Pandit



श्री आनंद सिंह /
Shri Anand Singh



श्री अभिषेक कुमार जैन /
Shri Abhishek Kumar Jain



श्री गौरव अंशुमन /
Shri Gaurav Anshuman



सुश्री अर्पिता सेन /
Smt. Arpita Sen



सुश्री प्रिसिल्ला सिन्हा /
Smt. Priscilla Sinha



श्री सब्यसाची दाश /
Shri Sabyasachi Dash

उप महाप्रबंधक / DEPUTY GENERAL MANAGERS

1. श्री बलबीर सिंह मान	Shri Balbir Singh Maan
2. श्री एन. सुब्रमणियन	Shri N. Subramanian
3. श्री आर.के. पांडियन	Shri R. K. Pandian
4. श्री कुमार अंशुमन	Shri Kumar Anshuman
5. श्री यशवंत बी. ब्रीद	Shri Yashwant B. Breed
6. श्री वाई. सुधीर	Shri Y. Sudheer
7. श्री सुभाष चंद्र चाहर	Shri Subhash Chandra Chahar
8. श्री नीरज गुप्ता	Shri Niraj Gupta

9. श्री राहुल	Shri Rahul
10. श्री सचिन खन्ना	Shri Sachin Khanna
11. श्री अमित कुमार	Shri Amit Kumar
12. श्रीमती शिवशंकरी मुरुगन	Smt. Sivasankari Murugan
13. श्रीमती रचना बबेरवाल	Smt. Rachana Baberwal
14. श्री राजेश जोशी	Shri Rajesh Joshi
15. सुश्री आरती पांडे	Ms. Aarti Pandey
16. श्री अमोघ दीपक झाडे	Shri Amogh Deepak Zade



निष्पादन विशेषताएँ-पिछला दशक / PERFORMANCE HIGHLIGHTS - PAST DECADE

(₹ in crore)

वर्ष / YEAR	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
संरक्षित कारोबार मूल्य / VALUE OF BUSINESS COVERED										
अल्पावधि पॉलिसियाँ **/** Short Term Policies **/**	356867.00	321767.00	269272.00	241934.17	215021.77	198872.00	177349.00	172788.00	135871.97	133983.00
अल्पावधि ई सी आई बी ***/**** Short Term ECIB ***/****	373252.00	338984.00	345676.00	354200.12	341826.72	455267.00	456684.00	448604.00	127534.80	138555.00
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं Medium & Long Term Covers	4709.00	2851.00	3896.97	6667.25	4757.37	5787.00	7415.57	6027.26	5979.06	7652.00
कुल / Total	734828.00	663602.00	618844.97	602801.54	561605.86	659926.00	641448.57	627419.26	269385.83	280190.00
प्रीमियम आय / PREMIUM INCOME										
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	572.02	540.22	485.45	429.99	405.17	412.26	367.95	359.99	382.99	383.87
अल्पावधि ई सी आई बी Short Term ECIB	657.47	632.50	600.84	603.78	644.78	806.83	843.21	881.07	910.64	942.29
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं Medium & Long Term Covers	41.28	24.81	20.33	28.51	25.52	28.45	29.25	26.56	27.10	36.24
कुल / Total	1270.77	1197.53	1106.62	1062.28	1075.47	1247.54	1240.41	1267.62	1320.73	1362.40
प्रदत्त दावें / CLAIMS PAID										
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	282.93	190.42	237.91	284.87	146.77	168.13	136.70	206.85	127.32	126.98
अल्पावधि ई सी आई बी Short Term ECIB	158.35	415.70	443.42	761.87	261.64	813.39	1131.47	655.50	995.52	462.85
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं Medium & Long Term Covers	9.03	156.93	5.87	-	-	31.79	14.99	22.99	-	-
कुल / Total	450.31	763.05	687.20	1046.74	408.41	1013.31	1283.16	885.34	1122.84	589.83
की गई वसूलीयाँ / RECOVERIES MADE										
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	19.36	10.55	16.53	9.77	10.21	21.47	18.55	9.77	7.80	9.61
अल्पावधि ई सी आई बी Short Term ECIB	124.65	136.85	93.44	107.53	156.17	129.36	166.39	109.76	106.06	142.52
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं Medium & Long Term Covers	29.90	22.11	0.00	0.17	0.06	-	0.67	19.14	0.18	8.02
कुल / Total	173.91	169.51	109.97	117.47	166.44	150.83	185.61	138.67	114.04	160.15

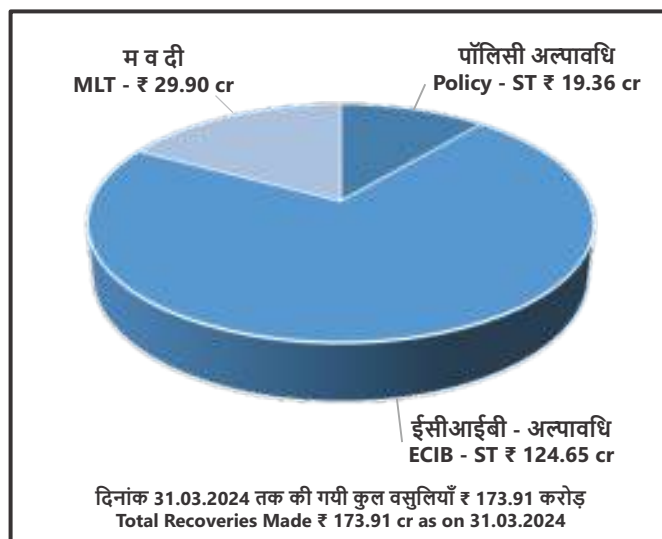
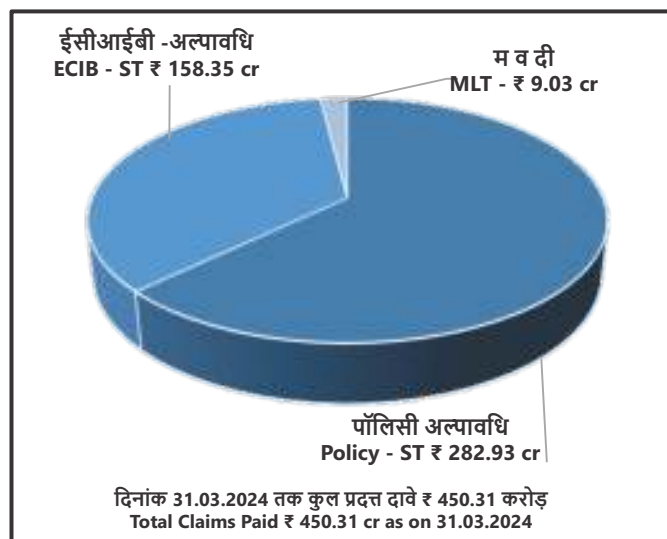
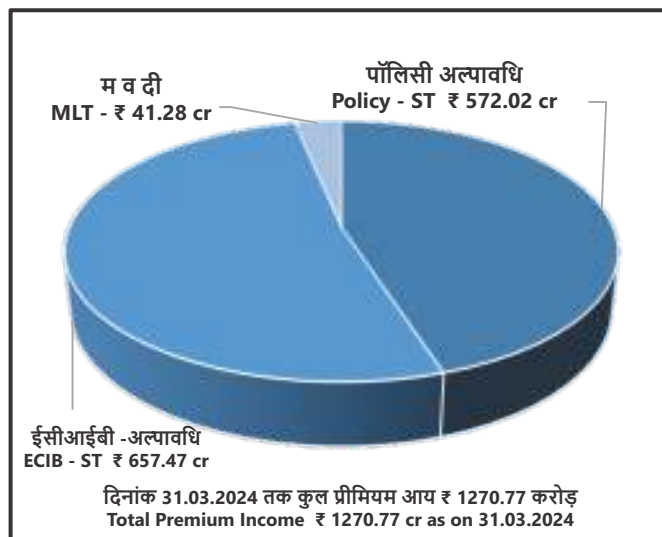
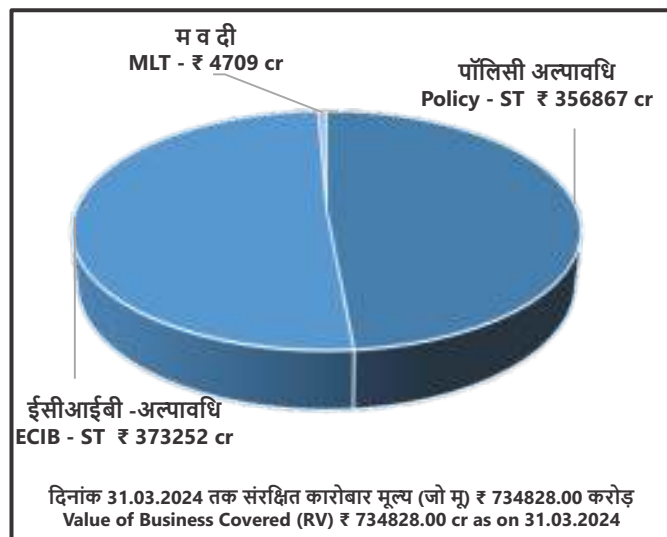
- नोट / Note:
- * इसमें घोषणा आधारित पॉलिसियाँ तथा जोखिम आधारित पॉलिसियाँ शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 तथा उसके पश्चात जोखिम आधारित पॉलिसियों के अधीन संक्षारित कारोबार का मूल्य, वित्तीय वर्ष 2010-11 तक प्रत्येक पॉलिसी के निर्धारित औसत हानी सीमा, अनुमानित निर्यात पण्यवर्त के आधार पर अनुमानित मूल्य हैं।
 - * Comprises exposure under declaration based policies & exposure based policies. Value of business covered under exposure based policies for FY 2011-12 and onwards is the value estimated based on Aggregate Loss Limit fixed for each policy and that for years till FY 2010-11, the estimate of export turnovers.
 - ** कस्टमाइज्ड एम बी ई पॉलिसियों के अंतर्गत जो. मू. सकल हानी सीमा (ए एल एल) का बीआईएस गुना लिया गया है क्योंकि ए एल एल से निर्यात पण्यवर्त अनुपात 5% तक होता है जबकि सामान्य एम बी ई पी में 10% या अधिक होता है। जो. मू. की गणना की संशोधित प्रक्रिया 01/04/2017 से प्रभावी है। विवरण को तुलनात्मक बनाने के लिए पिछले वर्ष 01/04/2016 से 31/03/2017 तक के आकड़ों की पुनर्गणना की गई है।
 - ** The RV for customised MBE Policies has been taken as 20 times of the Aggregate Loss Limit (ALL), the reason being under customized policies, the ALL to Export Turnover (ETO) ratio is upto 5% unlike normal MBEPs where the ratio is 10% or more. The revised procedure of calculating the RV has been implemented with retrospective effect from 01/04/2017. To make the comparison equitable, the figure w.e.f 01/04/2016 to 31/03/2017 has also been reworked.
 - *** वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं उसके बाद बैंकों द्वारा मंजूर सीमाएं जो कंपनी द्वारा रक्षित हैं तथा वित्त वर्ष 2010-11 तक मंजूर सीमा के अंतर्गत औसत बकाया कौं दर्शाता है।
 - *** Represents average outstanding under the limits sanctioned by banks which are covered by the Company for the financial years 2011-12 and onwards and the limits sanctioned till FY 2010-11.
 - **** ये अनुमान, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में किए गए हैं। ये अनुमान आर बी आई से प्राप्त आकड़ों एवं अल्पावधि निर्यात के अंतर्गत व्यापार चक्र 90 दिन के आधार पर हैं। तदनुसार जोखिम मूल्य की गणना के लिए कंपनी द्वारा रक्षित बकाया निर्यात रिन एवं चार के कारक से गुणन किया गया है।
 - **** The estimation has been done in compliance of the instruction of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. The estimates are based on data sourced from RBI and considering the fact that business cycle under short term exports is around 90 days. Accordingly, the outstanding export credit covered by the Company is multiplied by a factor of four to arrive at the Risk Value.



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

निष्पादन विशेषताएँ / PERFORMANCE HIGHLIGHTS 2023-2024

उत्पाद समूह वितरण Product group Distribution



- ईसीआईबी - अल्पावधि बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा - अल्पावधि / ECIB - ST: Export Credit Insurance for Banks-Short Term
- पॉलिसी अल्पावधि / Policy - ST: Short Term
- म व दी: मध्यम व दीर्घावधि/ MLT: Medium and Long Term



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

अध्यक्षीय संबोधन / CHAIRMAN'S MESSAGE 2023-2024



श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ

कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) /
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) -
दिनांक 01 नवंबर 2023 से

Shri Sristiraj Ambastha

Executive Director (Policy Matters) /
Appointed as CMD (Addl. Charge)
from November 01, 2023

वैश्विक अर्थव्यवस्था

पिछले वर्ष के दौरान, वैश्विक अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में कई व्यावधान, जैसे अत्यधिक मुद्रास्फीति, परंपरागत मौद्रिक नीति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उत्थान तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले बढ़ते हुए भू-राजनीतिक टकराव परिलक्षित हुए हैं। इन घटनाओं का वर्तमान वर्ष में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ा है।

आई एम एफ के विश्व आर्थिक परिदृश्य का अनुमान है कि वर्ष 2023 में वैश्विक जी डी पी वृद्धि 3.3% के बराबर होगी। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 1.7% की वृद्धि हुई, जबकि उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में 4.4% की वृद्धि दर दर्ज की गई। वर्ष 2024 में वास्तविक जी डी पी वृद्धि 3.2% पर स्थिर रहने की संभावना है। एक बार पुनः विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 दोनों में 4.3% की वृद्धि के साथ प्रमुख योगदानकर्ता होने की संभावना है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 में क्रमशः 1.7% तथा 1.8% की धीमी दर से वृद्धि का अनुमान है।

घरेलू मामलों में, भारत द्वारा वर्ष 2023 में 8.2% की वास्तविक जी डी पी वृद्धि दर दर्ज की गई, जो वैश्विक आंकड़े से काफी अधिक है। भारत की

Global Economy

Over the past year, the global economy has witnessed several disruptions in a wide range of sectors in terms of stubborn inflation, conservative monetary policy, emergence of artificial intelligence and rising geopolitical conflicts impacting the international trade. These events arising episodically had profound implications on global economy in the current year.

IMF's World Economic Outlook estimates that global GDP growth was equal to 3.2% in 2023. Developed economies grew by 1.6% vis-à-vis emerging market economies, which recorded a higher pace of growth at 4.3%. The real GDP growth is expected to remain constant at 3.2% in 2024. Developing economies are once again expected to be the major contributors with growth of 4.3% in both 2024 and 2025. Advanced economies are forecasted to grow at a slower rate of 1.7% and 1.8% in 2024 and 2025 respectively.

On the domestic front, India recorded a real GDP growth rate of 7.8% in 2023, significantly higher than the global



विकास दर वर्ष 2024 में 7% एवं वर्ष 2025 में 6.5% रहने की संभावना है तथा इसके द्वारा अपने क्षेत्रीय समक्षों एवं उभरते बाजार समूह में उत्कृष्ट निष्पादन जारी रखा जाएगा।

इस दौरान, मुद्रास्फीति वर्ष 2022 के अपने उच्चतम स्तर से कम हुई है। विश्वव्यापी मुद्रास्फीति वर्ष 2022 में 8.7% से घटकर वर्ष 2023 में 6.7% हो जाएगी। अनुमान है कि वर्ष 2024 तक यह और घटकर 5.9% तथा वर्ष 2025 तक 4.4% हो जाएगी। वर्ष 2023 में, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा 4.6% की मुद्रास्फीति दर दर्ज की गई, जबकि उभरते एवं विकासशील देशों द्वारा 8.3% के उच्च स्तर के मूल्य दबाव का अनुभव किया गया। उभरते बाजारों के लिए वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान न्यूनाधिक 8.2% पर स्थिर है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को मूल्य दबावों से कुछ रियायत प्राप्त होने की संभावना है; उनकी मुद्रास्फीति दर वर्ष 2024 में 2.7% एवं वर्ष 2025 में 2.1% रहने का अनुमान है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति वर्ष 2024 में प्रतिबंधात्मक से सामान्य, अथवा समायोजनात्मक न भी हो तो, की ओर परिवर्तित होगी। इससे खपत, निवेश एवं व्यापार गतिविधि को बढ़ावा मिलने की संभावना है। व्यापार मात्रा वृद्धि - जो वर्ष 2023 में 0.8% पर स्थिर रही - वर्ष 2024 में 3.1% एवं वर्ष 2025 में 3.4% तक उबरने की संभावना है। आई एम एफ द्वारा संभावित है कि विखंडन एवं एकपक्षीय व्यापार प्रतिबंधों के लागू होने जैसी चुनौतियों के बावजूद वैश्विक व्यापार एवं सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात स्थिर बना रहेगा।

वैश्विक व्यापार

व्यापार सदैव से वैश्विक अर्थव्यवस्था का आधार रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कई बहुआयामी आघातों को सहन किए जाने के पश्चात, वैश्विक व्यापार का दृष्टिकोण सकारात्मक एवं आशाजनक प्रतीत होता है। वर्ष 2023 के अंत तक, वस्तु व्यापार की मात्रा वर्ष 2019 में कोविड-19 महामारी से पूर्व के स्तर की तुलना में 6.3% की वृद्धि दर्ज की गई थी। इसके अतिरिक्त, सेवा व्यापार में भी पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई है, वर्ष 2019 की तुलना में अमेरिकी डॉलर के मूल्य में 21% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2024 में विश्वव्यापी देशों में मुद्रास्फीति का वातावरण मंद होता हुआ प्रतीत होता है।

केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरें स्थिर रखी गई हैं एवं अनुमान है कि वर्ष के अग्रसर होने के साथ ही वे दरों में कटौती लागू करेंगे। यह खपत एवं निवेश के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी अच्छा संकेत है।

वैश्विक वस्तु व्यापार की मात्रा वर्ष 2024 में 2.6% एवं वर्ष 2025 में 3.3% वृद्धि होने की संभावना है।

विश्वव्यापी निर्यात ऋण एजेंसियों का निष्पादन

सार्वजनिक ई सी ए एवं निजी बीमा कंपनियों, दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाले इंटरनेशनल यूनियन ऑफ क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट इंश्योरर्स अर्थात बर्न यूनियन (बी यू) द्वारा अपने नवीनतम आंकड़ों में बताया गया है कि वर्ष 2023 में बर्न यूनियन के सदस्यों द्वारा 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के सीमा पार व्यापार हेतु समर्थित किया गया, जो विभिन्न व्यावसायिक लाइनों में विस्तार के साथ 8% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि है।

मध्यम एवं दीर्घावधि (एम एल टी) व्यापार में वर्ष 2015 के बाद के वर्ष सर्वश्रेष्ठ वर्ष के रूप में परिलक्षित हो रहे हैं, जिसमें समर्थित कारोबार में 40% की वृद्धि हुई एवं यह 165 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो

figure. India's growth rate is expected to be 6.8% in 2024 and 6.5% in 2025 and it shall continue to outperform its regional peers and emerging market group.

Inflation meanwhile, has retreated from its 2022 highs. Worldwide inflation fell from 8.7% in 2022 to 6.8% in 2023. It is estimated to reduce further to 5.9% in 2024 and to 4.5% by 2025. In 2023, advanced economies reported an inflation rate of 4.6% while emerging and developing nations experienced a higher level of price pressures at 8.3%. The inflation outlook in 2024 for emerging markets is more or less constant at 8.3%. Advanced economies will likely experience some relief from price pressures; their inflation rate is projected to be 2.6% in 2024 and 2% in 2025. Monetary policy across major economies will begin the transition from restrictive to neutral, if not accommodative, in 2024. This is expected to provide a boost to consumption, investment as well as trade activity. Trade volume growth – which remained stagnant at 0.8% in 2023 – is expected to recover to 3.1% in 2024 and 3.4% in 2025. The IMF expects global trade to GDP ratios to remain constant despite headwinds such as fragmentation and imposition of unilateral trade restrictions.

Global Trade

Trade is – and has always been – the backbone of the global economy. After sustaining several multidimensional shocks over the past couple of years, the outlook for global trade looks positive and ever promising. By the end of 2023, merchandise trade volume had increased by 6.3% compared to its level before the Covid-19 pandemic in 2019. Additionally, services trade has also seen substantial growth, with a 21% increase in US dollar value compared to 2019. 2024 has seen the inflation environment softening in countries across the world.

Central banks have been holding interest rates steady and are widely expected to implement rate cuts as the year progresses. This bodes well for consumption and investment, and by extension, international trade. Global merchandise trade volume is expected to expand by 2.6% in 2024 and further by 3.3% in 2025.

Performance of Export Credit Agencies around the world

The International Union of Credit and Investment Insurers i.e., the Berne Union (BU) representing both the public ECAs and private insurers, in its latest reported figures, has stated that in 2023, the Berne Union members extended support for over USD 3 trillion of cross-border trade, an 8% y-o-y increase with expansion across various business lines.

Medium and Long Term (MLT) business saw its best year since 2015, with a 40% increase to over USD 165 billion towards business supported which had seen a strong growth in MLT with transportation being the top sector. A record USD 20.5 billion was reported towards new commitments undertaken for renewable energy across 68



गया, जिसमें परिवहन के साथ एम एल टी में सशक्त वृद्धि दर्ज की गई थी। वर्ष 2023 में 68 देशों में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए की गई नई प्रतिबद्धताओं के लिए रिकॉर्ड 20.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की राशि की सूचना प्रदान की गई। यह वर्ष 2022 की तुलना में दोगुने से अधिक एवं वर्ष 2019 की तुलना में चार गुना अधिक है। बी.यू. सदस्यों द्वारा वर्ष 2019 से इस क्षेत्र में 51 बिलियन अमरीकी डॉलर का संचयी रक्षा प्रदान किया गया है। एम.एल.टी. के अंतर्गत नए व्यवसायों को प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए, परिवहन मूल्य के आधार पर विशाल क्षेत्र बना हुआ है। विनिर्माण क्षेत्र के कारोबार में विस्तार से भी विकास को बढ़ावा मिला - मुख्य रूप से परियोजना वित्तपोषण संबंधी पुनः प्रारंभ के कारण कई स्थगित परियोजनाओं को पुनः सक्रिय किया गया।

पिछले वर्ष प्राप्त दावों में भी वृद्धि दर्ज की गई तथा कुल अप्रदत्त दावे 24% बढ़कर 8.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गए। इसका एक मुख्य कारण यह था कि कई देश संप्रभु ऋण के संकटपूर्ण दौर का सामना कर रहे थे, जिसके कारण एम.एल.टी. कारोबार के अंतर्गत काफी अधिक राजनीतिक दावे प्राप्त हुए। हालांकि, महामारी के बाद एम.एल.टी. व्यवसाय के अंतर्गत वाणिज्यिक दावों में लगातार दो वर्षों से गिरावट दर्ज की जा रही है। लघु-अवधि (एस.टी.) व्यवसाय में दावों में 22% की वृद्धि दर्ज की गई, जो समर्थित नए व्यवसाय में वृद्धि से अधिक है। एस टी कारोबार के निष्पादन से ज्ञात होता है कि कंपनियों द्वारा इस तथ्य पर सक्रिय निगरानी आवश्यक है, जिससे विभिन्न देशों में परिवर्तनीय मौद्रिक नीतियों की पृष्ठभूमि में घरेलू अर्थव्यवस्थाएं किस प्रकार अग्रसर हो रही हैं।

भारत: अर्थव्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चुनौतियों एवं बढ़ते भू-राजनीतिक मामलों के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था सशक्त बनी हुई है। यह सशक्ता मुख्यतः घरेलू खपत में वृद्धि, सशक्त सार्वजनिक निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्र में लगातार प्रगति के कारण है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में प्रभावशाली वृद्धि 8.4% रही, जबकि चौथी तिमाही में 7.8% की वृद्धि हुई, जबकि वैश्विक विकास में गिरावट आई। इससे वित्तीय वर्ष 2023-24 (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनंतिम अनुमानों के अनुसार) में 8.2% की वार्षिक वृद्धि प्राप्त किए जाने में सहायक हुई है, जिससे वित्तीय वर्ष 2023-24 की चार तिमाहियों में से तीन में 8 प्रतिशत के आंकड़े को अतिक्रम किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश की आर्थिक वृद्धि 6.5-7% के मध्य अनुमानित है। यह वृद्धि घरेलू निवेश एवं वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों से प्रेरित होने की संभावना है।

भारत का वस्तु निर्यात द्वारा निरंतर तृतीय वर्ष 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को अतिक्रम किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 437 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। यू.एन.सी.टी.डी. के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में सामान्य गिरावट के बावजूद, जो कि वस्तु व्यापार में कमी की वैश्विक प्रवृत्ति को दर्शाता है, यह उपलब्धि उल्लेखनीय है। यह लाल सागर संकट एवं अन्य सक्रिय भू-राजनीतिक संघर्षों, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सख्त मौद्रिक पॉलिसियाँ एवं वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट जैसी विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में भारतीय निर्यात क्षेत्र की नमनीयता को दर्शाता है। यह उपलब्धि

countries in 2023. This is more than double the volume of 2022, and four times that of 2019. BU members have provided USD 51 billion cumulative cover in this sector since 2019. For support provided to new businesses under MLT, transportation continues to be the largest sector by value. Growth was also driven by an expansion in the manufacturing sector business – primarily due to the recommencement of project financing which saw many postponed projects being revitalized again.

The year gone by also saw an increase in the claims received with the total non-payment claims increasing by 24% to USD 8.9 billion. One of the driving factors behind this was the significant political claims received under MLT business due to many countries facing a distressed period of sovereign debt. However, commercial claims under MLT business have been on a decline for two years in a row after seeing a spike post-pandemic. Short-Term (ST) business saw an increase in claims by 22%, outdoing the growth in the new business supported. The performance in ST business suggests that the corporates need to keep a watchful eye on how economies are unfolding domestically in the backdrop of changing monetary policies across countries.

India: Economy & International Trade

Despite the challenges in the international market place and escalating geopolitical issues, the Indian economy remains strong. This strength is largely due to an increase in domestic consumption, strong public investment, and consistent progress in the manufacturing sector. In the third quarter of the fiscal year 2023-24, India's economy grew impressively by 8.4%, followed by 7.8% in the fourth quarter, even as global growth faltered. This has helped in achieving an annual growth of 8.2% in FY 2023-24 (as per provisional estimates by Ministry of Statistics and Programme Implementation) exceeding the 8 percent mark in three out of four quarters of FY 2023-24.

The nation's economic growth is projected to be between 6.5%-7% in the fiscal year 2024-25. This growth is anticipated to be fuelled by both domestic investments and international trade in goods and services.

India's goods exports have surpassed the US\$ 400 billion mark for the third year in a row, reaching US\$ 437 billion in FY 2023-24. Despite a minor drop from the previous year, mirroring a global trend of decrease in goods trade as per UNCTAD, this achievement is noteworthy. It reflects the resilience of the Indian export sector in the face of various challenges such as the Red Sea crisis and other ongoing geo-political conflicts, stringent monetary policies in developed economies, and declining commodity prices. This accomplishment underscores the commitment of the Indian exporting community and the global reliance on goods manufactured in India. The country's services exports have also seen a surge, reaching US\$339.62 billion in FY 2023-24, propelled by growth in key sectors



भारतीय निर्यातक समुदाय की प्रतिबद्धता एवं भारत में निर्मित वस्तुओं पर वैश्विक निर्भरता को रेखांकित करती है। देश के सेवा निर्यात में भी वृद्धि दर्ज की गई है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 339.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो यात्रा, परिवहन, चिकित्सा एवं आतिथ्य सेवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि से प्रेरित है। निर्यात क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण विस्तार विभिन्न हितधारकों के सामूहिक प्रयासों एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

कंपनी का निष्पादन

भारत की निर्यात ऋण एजेंसी (ई सी ए) के रूप में, ईसीजीसी देश से बाहर वस्तु भेजने संबंधी व्यापार को बढ़ावा देने की अपनी भूमिका में उत्कृष्टता अर्जित किए जाने हेतु प्रतिबद्ध है। कंपनी द्वारा कई पहलुओं में उत्कृष्ट परिणाम दर्ज किए गए। सकल प्रीमियम आय (जी पी आई) के संदर्भ में उपलब्धि रुपए 1,270.76 करोड़ रही, जबकि पिछले वर्ष यह रुपए 1,197.53 करोड़ थी। इस प्रकार जी पी आई में 6% की वृद्धि दर्ज की गई।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कंपनी द्वारा समर्थित निर्यात का मूल्य रुपए 6.64 लाख करोड़ से बढ़कर रुपए 7.35 लाख करोड़ हो गया है। कुल मिलाकर, कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत के लगभग 21% व्यापारिक निर्यात का समर्थन किया एवं निर्यातकों को जारी की गई रक्षा के अंतर्गत समर्थित व्यवसाय पिछले वर्ष के दौरान समर्थित रुपए 3.21 लाख करोड़ की तुलना में 11% से अधिक बढ़कर रुपए 3.57 लाख करोड़ हो गया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा कुल प्रदत्त दावा रुपए 450.35 करोड़ था। निर्यातकों को रुपए 282.97 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया, जबकि बैंकों को रुपए 158.35 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया तथा मध्यम एवं दीर्घवधि रक्षा के अंतर्गत रुपए 9.03 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी द्वारा निर्यातकों से प्राप्त 580 दावों में से 361 दावों का भुगतान किया गया, जो निर्यातकों से प्राप्त दावों की संख्या के संदर्भ में 62% भुगतान को दर्शाता है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक कंपनी का दावा प्रावधान रुपए 4,699.75 करोड़ था। कंपनी द्वारा पिछले वर्ष के रुपए 2,761 करोड़ की तुलना में रुपए 2,859 करोड़ का कर-पूर्व लाभ अर्जित किया है। वर्ष के लिए शुद्ध लाभ रुपए 2,159 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष के रुपए 2,164 करोड़ के स्तर से 0.23% कम है। दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कंपनी की निवल संपत्ति (एन डब्ल्यू) रुपए 11,842 करोड़ थी, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2023 तक यह रुपए 10,117 करोड़ थी।

राजभाषा

कंपनी भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में सक्रिय है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया है। कंपनी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कंपनी को वर्ष 2022-23 के लिए राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मुंबई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास-उपक्रम) द्वारा प्रथम पुरस्कार भी प्रदान

like travel, transport, medical and hospitality services. This significant expansion in the export sector is a testament to the collective efforts of various stakeholders and the government's unwavering commitment to enhancing India's stature in international trade.

Company's Performance

As the Export Credit Agency (ECA) of India, ECGC is committed to excel in its role of promoting outbound trade from the country. The Company recorded excellent results in many aspects. The achievement in terms of Gross Premium Income (GPI) at ₹ 1,270.77 crore compared to ₹ 1,197.53 crore in the previous year registered a growth of 6% in GPI.

In the FY 2023-24, the value of exports supported by the Company increased to ₹ 7.35 lakh crore from ₹ 6.64 lakh crore. Overall, the Company supported around 21% of India's merchandise exports during FY 2023-24 and the business supported under covers issued to exporters, increased by more than 11% to ₹ 3.57 lakh crore compared to ₹ 3.21 lakh crore supported during the previous year.

The total claim paid by the Company during the FY 2023-24 was ₹ 450.31 crore. Claims amounting to ₹ 282.98 crore were paid to exporters, while claims amounting to ₹ 158.34 crore were paid to banks and claim amounting to ₹ 9.03 crore were paid under Medium- & Long-Term Covers. During FY 2023-24, wherein the Company paid 361 claims out of the 580 claims received from the exporters, indicating a 62% pay-out in terms of the number of claims received from exporters.

The Company's claim provision as of 31st March 2024 was ₹ 4,699.75 crore. The Company has achieved a profit before tax of ₹ 2,859 crore compared to ₹ 2,761 crore in the previous year. The net profit for the year stood at ₹ 2,159 crore reflecting a decrease by 0.23% from the previous year level of ₹ 2,164 crore. The Net worth (NW) of the Company as of 31st March, 2024 was Rs.11,842 crore as against ₹ 10,117 crore as of 31st March, 2023.

Official Language

The Company is proactive in the implementation of the Official Language Policy of the Government of India. The Company has achieved the targets laid down in the Annual Rajbhasha Programme for the FY 2023-24 by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India. The Company was conferred the 1st prize of the Rajbhasha Kirti Puraskar, by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs for the FY 2022-23. The Company was also awarded the 1st prize by the Mumbai Town Official Language Implementation Committee (TOLIC-PSU) for effective implementation of the official language policy for the year 2022-23.

During the financial year 2023-24, the Hon'ble third Sub-Committee of the Parliamentary Committee on Official



किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की माननीय तृतीय उप-समिति द्वारा जालंधर, रायपुर, कानपुर, वाराणसी, नरीमन पॉइंट एवं बांद्रा शाखाओं का निरीक्षण किया गया। उपरोक्त समिति द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

अन्य उपलब्धियाँ

कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान वेबिनार / ऑफलाइन बैठकों एवं भौतिक बैठकों के जरिए अपने ग्राहक जागरूकता पहल को जारी रखा गया है। कंपनी द्वारा अपने मुख्यालय में ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए दैनिक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वी सी) सत्र भी आयोजित किया जा रहा है।

कंपनी द्वारा अपनी 'कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व' गतिविधियों को सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी पी ई) द्वारा प्रस्तावित 'स्वास्थ्य एवं पोषण' की वार्षिक थीम के साथ समाहित किया गया है। तदनुसार, समग्र देश के कई क्षेत्रों में इस थीम पर सी एस आर प्रस्तावों का समर्थन किया जाता है।

कंपनी द्वारा सर्वोत्तम कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं का पालन किया जाता है एवं कॉर्पोरेट प्रशासन पर डी पी ई दिशानिर्देशों के अनुसार इसे 'उत्कृष्ट' रेट किया गया है। कंपनी द्वारा आवश्यकतानुसार प्रासंगिक वैधानिक एवं नियामक मानदंडों की निगरानी तथा उनका अनुपालन किए जाने हेतु प्रक्रिया विकसित की गई है।

वित्तीय वर्ष के दौरान, बीमा उद्योग एवं बीमा-लिंक्ड प्रतिभूतियों में विशेषज्ञता रखने वाली वैश्विक साख एजेंसी ए एम बेस्ट द्वारा कंपनी को एफ एस आर (वित्तीय सशक्ता रेटिंग) में बी++, आई सी आर (जारीकर्ता साख रेटिंग) में बीबीबी+ एवं एन एस आर (राष्ट्रीय स्केल रेटिंग) मानदंडों में ए ए. आई एन के रूप में अपनी साख रेटिंग प्रदान की गई है।

कंपनी को ई टी नाउ बेस्ट बी एफ एस आई ब्रांड्स कॉन्क्लेव 2024 में ई टी नाउ "2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ बी एफ एस आई ब्रांड्स" से भी सम्मानित किया गया है।

स्वीकृतियाँ

कंपनी द्वारा बोर्ड के सभी निदेशकों के योगदान की सराहना की जाती है। श्री सिद्धार्थ महाजन, श्री रामस्वामी नारायणन, श्री अश्विनी कुमार, श्री पलनियप्पन मुत्तु एवं अधोहस्ताक्षरी, वर्ष के दौरान बोर्ड में शामिल हुए। श्री विपुल बंसल, श्री एम. सेंथिलनाथन, श्री सुनील जोशी, श्री देवेश श्रीवास्तव एवं डॉ. ए. शक्तिवेल वर्ष के दौरान बोर्ड के सदस्य नहीं रहे। हम निर्यातकों एवं बैंकों के प्रति आभारी हैं कि उनके द्वारा हमारे उपर भरोसा किया गया एवं उनके द्वारा हमारे साथ कारोबार किया गया। हम वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को उनके विपुल सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं। हम वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सी ए जी, नीति आयोग, डी पी ई, भारतीय रिजर्व बैंक एवं आई आर डी ए आई को उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं उन कार्मिकों के प्रति भी अपनी हार्दिक सराहना व्यक्त करता हूँ, जिनके द्वारा अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए भी दृढ़ता एवं समर्पण का परिचय देते हुए वर्ष के दौरान कंपनी के सशक्त कारोबारी निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई।

जय हिन्द.

सृष्टिराज अम्बष्ठ

कार्यपालक निदेशक/अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

Language inspected Jalandhar, Raipur, Kanpur, Varanasi, Nariman point and Bandra Branches. The directions given by the above committee have been complied with.

Other Achievements

The Company continued its customer awareness initiatives through webinars/ offline meetings and physical meetings during the year. The Company is also conducting daily Online Video Conferencing (VC) sessions for addressing the customer grievance at its Head Quarter.

The Company has aligned its 'Corporate Social Responsibility' activities with the annual theme of 'Health and Nutrition' propounded by the Department of Public Enterprise (DPE). Accordingly, the CSR proposals are supported on this theme in many regions across the country.

The Company adheres to the best Corporate Governance practices and has been rated as 'Excellent' as per the DPE guidelines on Corporate Governance. The Company has put in place systems to keep a check and comply with relevant statutory and regulatory norms as required.

During the financial year, AM Best, the global credit rating agency specialising in the insurance industry and insurance-linked securities, has accorded its credit rating to the Company as B++ in FSR (Financial Strength Ratings), bbb+ in ICR (Issuer Credit Ratings) and aaa.IN in NSR (National Scale Ratings) parameters.

The Company was also conferred with the ET Now "Best BFSI Brands for 2024" at ET Now Best BFSI Brands Conclave 2024.

Acknowledgements

The Company places on record its appreciation for the contribution of all the Directors on the Board. Shri Siddharth Mahajan, Shri Ramaswamy Narayanan, Shri Ashwani Kumar, Shri Palaniappan Muthu and the Undersign joined the Board during the year. Shri Vipul Bansal, Shri M. Senthilnathan, Shri Sunil Joshi, Shri Devesh Srivastava and Dr. A. Sakthivel ceased to be on the Board during the year. We are grateful to exporters and banks for reposing their trust and placing business with us. We extend our sincere thanks to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry for the immense support and guidance. We thank Ministry of Finance, Ministry of External Affairs, CAG, NITI Aayog, DPE, Reserve Bank of India and IRDAI for their valuable support. I also place on record my sincere appreciation for the employees, who continued to demonstrate resilience and dedication on the face of numerous challenges and were instrumental in Company's robust business performance for the year.

Jai Hind.

Sristiraj Ambastha

Executive Director/Chairman-cum-Managing Director
(Additional Charge)



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)



वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹433.80 करोड़ रुपये का लाभांश चेक श्री सृष्टिराज अंबास्था, कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) / अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) और श्री सुबीर दास, कार्यपालक निदेशक (परिचालन) द्वारा श्री पीयूष गोयल, माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री को प्रदान किया गया।
Dividend cheque of ₹433.80 crore for FY 2023-24 was handed over to Shri Piyush Goyal, Hon'ble Union Minister of Commerce and Industry by Shri Sristiraj Ambastha, Executive Director (Policy Matters)/ Chairman-cum-Managing Director (Additional Charge) and Shri Subir Das, Executive Director (Operations)



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)



दिनांक 25 सितंबर, 2023 को ईसीजीसी लिमिटेड, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यात-आयात बैंक (यूएस एक्जिम) के मध्य मुंबई में ईसीजीसी भवन में द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया
A bilateral meeting between ECGC Limited, India and Export-Import Bank of the United States (US EXIM) was held on 25th September, 2023 at ECGC Bhawan in Mumbai



दिनांक 23 अप्रैल, 2024 को क्वाड के अधीन सहयोग हेतु ईसीजीसी लिमिटेड, यूएस एक्जिम बैंक, नेक्सि एवं एक्सपोर्ट फाइनेंस ऑस्ट्रेलिया द्वारा ओस्लो, नॉर्वे में एक सहयोग ज्ञापन (MoC) पर हस्ताक्षर किए गए
ECGC Limited, US Exim Bank, NEXI & Export Finance Australia signed a Memorandum of Cooperation (MoC) in Oslo, Norway on 23rd April, 2024 to collaborate under QUAD



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)



दिनांक 29 मार्च 2024 को एक द्विपक्षीय बैठक में ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा नेक्सि, जापान के साथ एक पुनर्बीमा तंत्र समझौते पर हस्ताक्षर किए गए

ECGC Limited signed a Reinsurance Framework Agreement with NEXI, Japan in a bilateral meeting held on 29th March 2024



दिनांक 16 अप्रैल, 2024 को ईसीजीसी लिमिटेड तथा रूस की निर्यात ऋण बीमा एजेंसी (EXIAR), रूस द्वारा मास्को में एक पुनर्बीमा तंत्र समझौते पर हस्ताक्षर किए गए
ECGC Limited and Export Credit Insurance Agency of Russia (EXIAR), Russia signed a Reinsurance Framework Agreement on 16th April, 2024 in Moscow



दिनांक 18 मार्च, 2024 को एसोचेम द्वारा भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ (डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक पहल) में ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा प्रतिभागिता की गई
ECGC Limited participated in the Startup Mahakumbh organized by ASSOCHAM (An initiative of DPIIT, Ministry of Commerce and Industry) on 18th March, 2024 at Bharat Mandapam, New Delhi





निदेशकों की रिपोर्ट / DIRECTORS' REPORT

प्रिय सदस्यों,

ईसीजीसी लिमिटेड (ईसीजीसी) के निदेशक, दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के साथ कंपनी की 66TH वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

वित्तीय विशेषताएँ

समीक्षाधीन अवधि हेतु हमारी कंपनी की वित्तीय विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
पण्यवर्त (सकल प्रीमियम)	1270.77	1197.53
वित्तीय शुल्कों, कर, मूल्यहास / परिशोधन से पूर्व लाभ (पीबीआईटीडीए)	2870.55	2770.49
घटाएं : वित्तीय शुल्क	-	-
मूल्यहास / परिशोधन से पूर्व लाभ (पीबीटीडीए)	2870.55	2770.49
घटाएं : मूल्यहास	11.60	9.32
कराधान से पूर्व निवल लाभ (पीबीटी)	2858.95	2761.17
कराधान हेतु प्रावधान	699.90	596.92
कराधान के पश्चात लाभ/(हानि) (पीएटी)	2159.05	2164.25

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, पिछले वित्तीय वर्ष के ₹ 763.05 करोड़ की तुलना में कंपनी द्वारा कुल ₹ 450.31 करोड़ के दावों की अदायगी की गई। पुनर्बीमा के अंश, वसूलियाँ एवं प्रावधानों के समायोजन के उपरांत वहन किए गए दावे, पिछले वर्ष के दौरान ₹ (974.47) करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में घटकर ₹ (702.92) करोड़ हो गए हैं। निवेश एवं अन्य आय, पिछले वित्तीय वर्ष के ₹ 1139.61 करोड़ की तुलना में बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 5.73% की वृद्धि प्रदर्शित करते हुए ₹ 1204.89 करोड़ हुई हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा पिछले वर्ष के दौरान ₹ 1197.53 करोड़ की तुलना में कंपनी द्वारा 6.12% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 1270.77 करोड़ का सकल प्रीमियम अर्जित किया गया। पुनर्बीमा रियायत तथा असमाप्त जोखिमों हेतु प्रारक्षित निधियों के समायोजन के उपरांत वित्तीय वर्ष 2023-24, के दौरान अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) के आंकड़े पिछले वर्ष के ₹ 938.72 करोड़ की तुलना में 15.02% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 1079.76 करोड़ रहे।

लाभ तथा विनियोजन

वित्तीय वर्ष 2023-24, के दौरान परिचालनों से कुल आय पिछले वित्तीय वर्ष के ₹ 1507.70 करोड़ की तुलना में कुल ₹ 1549.75 करोड़ रही।

Dear Members,

The Directors of ECGC Limited (ECGC) are pleased to present the 66th Annual Report of the Company, together with the audited financial statements, for the Financial Year (FY) ended on March 31, 2024.

FINANCIAL HIGHLIGHTS

Your Company's financial highlights for the period under review are given below:

(₹ In crore)

Particulars	2023-24	2022-23
Turnover (Gross Premium)	1270.77	1197.53
Profit Before Finance Charges, Tax, Depreciation/ Amortization (PBITDA)	2870.55	2770.49
Less : Finance Charges	-	-
Profit before Depreciation/ Amortization (PBTDA)	2870.55	2770.49
Less : Depreciation	11.60	9.32
Net Profit Before Taxation (PBT)	2858.95	2761.17
Provision for Taxation and Prior Period Adjustments	699.90	596.92
Profit/(Loss) After Taxation (PAT)	2159.05	2164.25

During the FY 2023-24, the total amount of claims paid by the Company was ₹ 450.31 crore against ₹ 763.05 crore in the previous FY. After adjusting for reinsurers' share, recoveries and provisions, the incurred claim decreased for the FY 2023-24 to ₹ (974.47) crore against ₹ (702.92) crore for the previous FY. Investment and other income have increased to ₹1204.89 crore in FY 2023-24 from ₹ 1139.61 crore in the previous FY reflecting a growth of 5.73%.

The Gross Premium earned by the Company during the FY 2023-24 was ₹1270.77 crore against ₹1197.53 crore during the previous FY registering a growth of 6.12%. Post adjustment of Reinsurance Cession and Reserve for un-expired risks, the premium earned (Net) for the FY 2023-24, increased to ₹ 1079.76 crore against ₹ 938.72 crore for the previous FY, registering growth of 15.02%.

PROFITS AND APPROPRIATIONS

During the FY 2023-24, total income from operations was ₹ 1549.75 crore against ₹1507.70 crore to the previous



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा पिछले वर्ष के ₹ 2215.33 करोड़ की तुलना में, ₹ 2162.01 करोड़ का लाभ दर्ज किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24, के दौरान पिछले वर्ष के ₹ 2761.17 करोड़ के कर पूर्व लाभ की तुलना में ₹ 2858.95 करोड़ का कर पूर्व लाभ (पी बी टी) रहा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 699.90 करोड़ रु के आय कर तथा पूर्व अवधि समायोजन के प्रावधान करने के उपरांत विनियोजन हेतु उपलब्ध करोत्तर लाभ (पी ए टी) पिछले वित्तीय वर्ष के ₹ 2164.25 करोड़ की तुलना में ₹ 2159.05 करोड़ रहा।

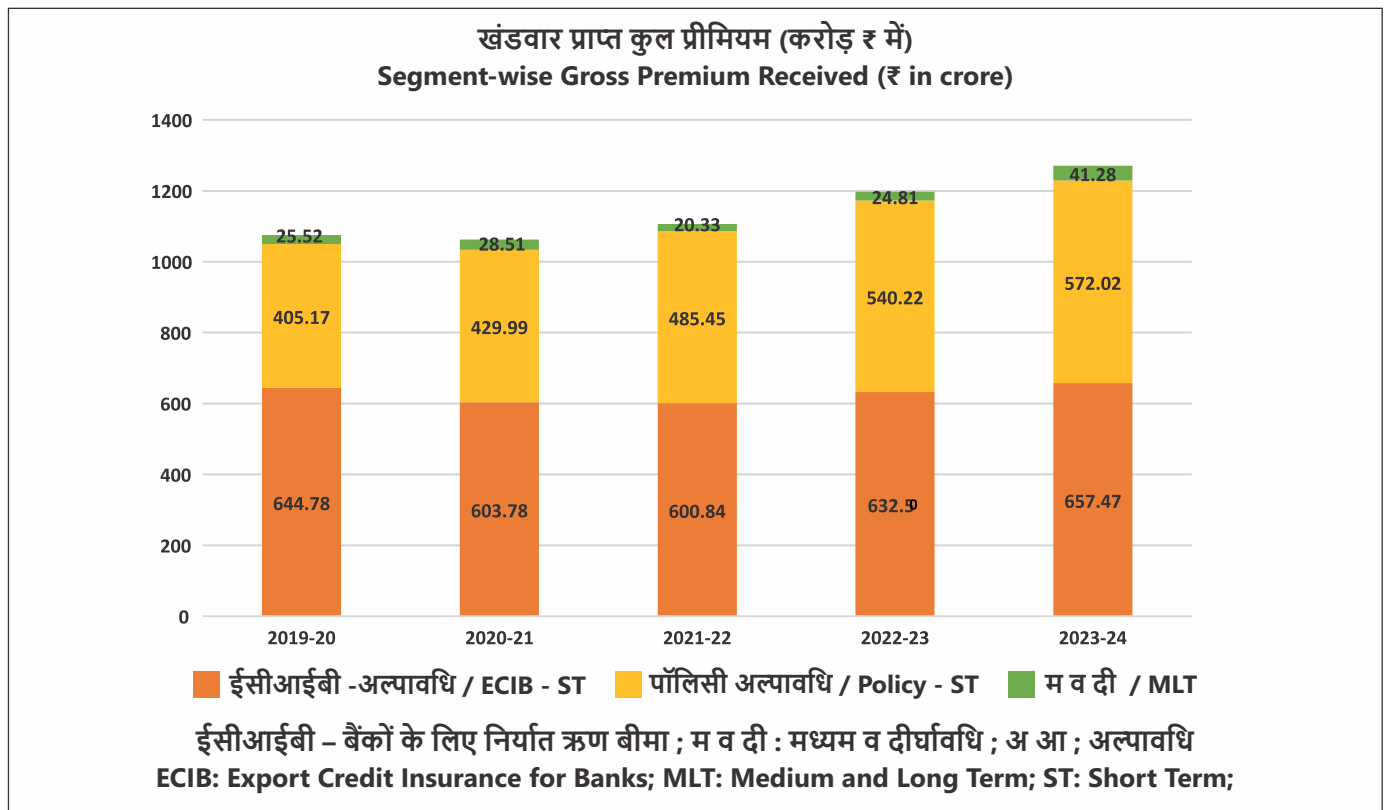
लाभांश

निदेशक मंडल द्वारा प्रत्येक ₹ 100 के 43,38,00,000 इक्विटी शेयरों

FY. During the FY 2023-24, the Company posted an Operating Profit of ₹ 2162.01 crore against ₹ 2215.33 crore in the previous FY. During the FY 2023-24, Profit Before Tax (PBT) was ₹ 2858.95 crore, against ₹ 2761.17 crore in the previous FY. After providing ₹ 699.90 crore towards income tax and prior period adjustments, Profit After Tax (PAT) available for appropriation in the FY 2023-24 was ₹ 2159.05 crore, against ₹ 2164.25 crore in the previous FY.

DIVIDEND

The Board of Directors are pleased to recommend a full



पर ₹ 10 प्रति इक्विटी शेयर के पूर्ण एवं अंतिम लाभांश के रूप में ₹ 433.80 करोड़ की राशि की सहर्ष सिफारिश की जाती है। ₹ 433.80 करोड़ की कुल लाभांश राशि ₹ 2159.05 करोड़ के पी ए टी के 20.09% के चुकता अनुपात को दर्शाती है।

प्रारक्षित निधियाँ

दिनांक 16 मई 2024 को सम्पन्न निदेशक मण्डल की 446वीं बैठक में ₹ 1725.25 करोड़ की राशि को सामान्य प्रारक्षित निधि में स्थानांतरित करना प्रस्तावित है।

अदावित लाभांश को निवेशक शिक्षण व संरक्षण निधि में अंतरण करना

चूंकि पिछले वर्ष कोई अदत्त/अदावित लाभांश घोषित व प्रदत्त नहीं किया गया, अतः कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के उपबंध लागू नहीं होते हैं।

and final dividend of ₹ 10 per Equity Share on the 43,38,00,000 Equity Shares of ₹ 100 each, amounting to ₹ 433.80 crore. The total dividend amounts to ₹ 433.80 crore representing a pay-out ratio of 20.09% of the PAT of ₹ 2159.05 crore.

RESERVES

The Board, at its 446th Meeting held on May 16, 2024, proposed to transfer ₹ 1725.25 crore to General Reserve.

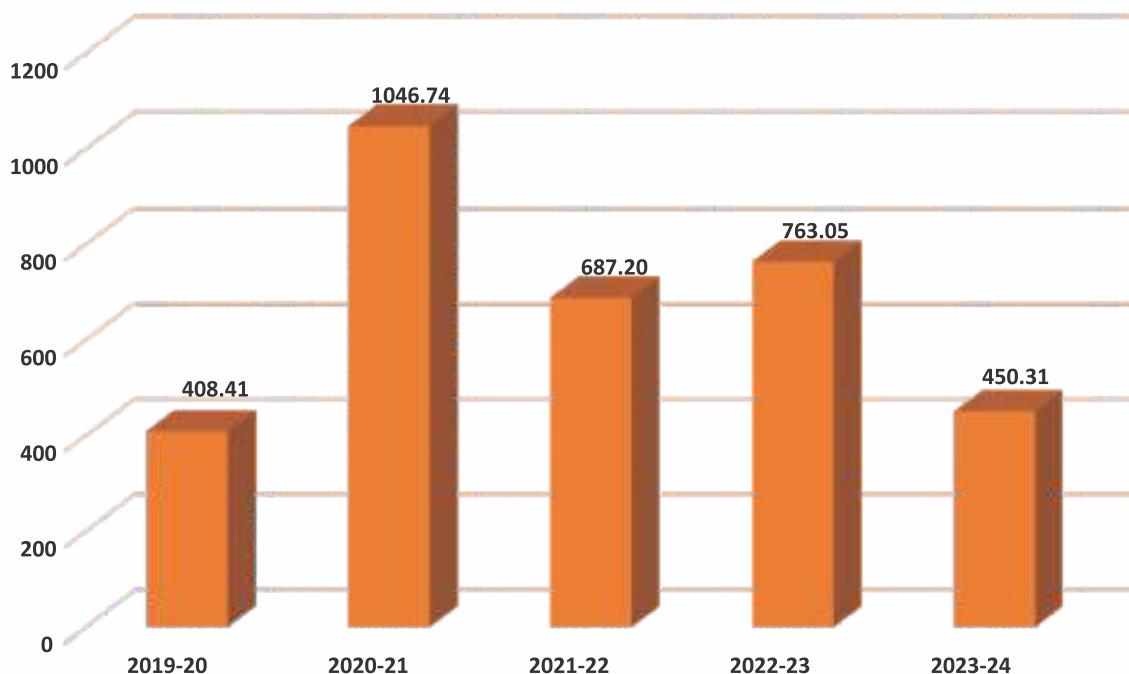
TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

Since there was no unpaid/unclaimed Dividend declared and paid last year, the provisions of Section 125 of the Companies Act, 2013 do not apply.



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

प्रदत्त सकल दावे (करोड़ ₹ में)
Gross Claims Paid (₹ in crore)



शेयर पूंजी

दिनांक 31 मार्च 2024, तक कंपनी का निवल मालकियत ₹11841.89 करोड़ (31 मार्च 2023 को ₹10116.64 करोड़) रही, जिसमें ₹4338 करोड़ की चुकता पूंजी व ₹7503.89 करोड़ की प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष शामिल हैं।

प्रतिभूतियों की पुनः खरीद

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपनी किसी भी प्रतिभूति की पुनः खरीद नहीं की गई है।

स्वेट इक्विटी शेयर

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी प्रकार की स्वेट इक्विटी शेयर जारी नहीं की गई।

बोनस शेयर

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई बोनस शेयर जारी नहीं किया गया।

कार्मिक स्टॉक विकल्प योजना

कंपनी द्वारा कार्मिकों को कोई स्टॉक विकल्प योजना प्रदान नहीं की गई है।

कंपनी के बहिर्नियम

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी के बहिर्नियम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

SHARE CAPITAL

As of March 31, 2024, the Company's Net Worth was ₹ 11841.89 crore (₹ 10116.64 crore as on March 31, 2023), comprising Paid-up Share Capital of ₹ 4338 crore and Reserves and Surplus of ₹ 7503.89 crore.

BUY BACK OF SECURITIES

The Company has not bought back any of its securities during the year under review.

SWEAT EQUITY SHARES

The Company has not issued any Sweat Equity Shares during the year under review.

BONUS SHARES

No Bonus Shares were issued during the year under review.

EMPLOYEES STOCK OPTION SCHEME

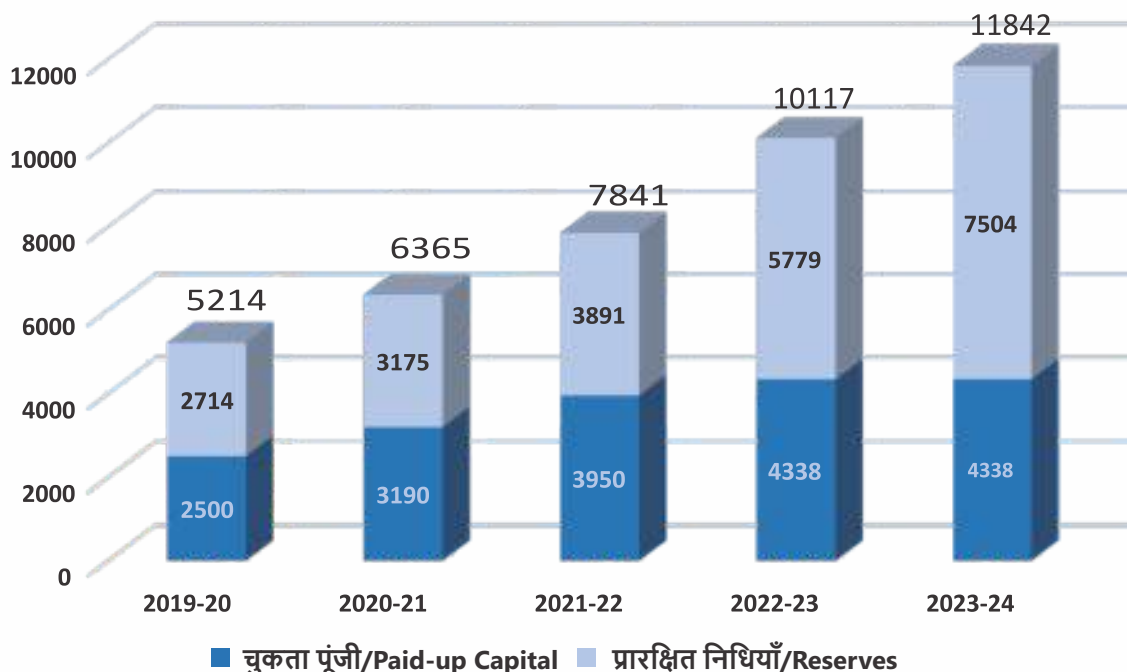
The Company has not provided any Stock Option Scheme to the employees.

MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY

During the Financial Year 2023-24, there was no change in the Memorandum of Association of the Company.



चुकता पूंजी एवं प्रारक्षित निधियाँ (निवल मालियत) (करोड़ ₹ में)
Paid-up Capital & Reserves (Net Worth) (₹ in crore)



शोधक्षमता मार्जिन

दिनांक 31 मार्च, 2024 को शोधक्षमता अनुपात, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्रधिकरण (आईआरडीएआई) के 1.50 गुना के मानदंड की तुलना में 47.87 गुना रहा, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	2023-24	2022-23
विनियामक के अंतर्गत अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन (आर.एस.एम.) (₹ करोड़ में)	235.92	195.98
उपलब्ध शोधक्षमता मार्जिन (ए.एस.एम.) (₹ करोड़ में)	11292.75	9394.14
शोधक्षमता अनुपात (कुल ए.एस.एम. / आर.एस.एम.)	47.87	47.93

अधिकतम देयता

कंपनी की अधिकतम देयता (अ.दे.) वह देयता होती है, जिसके अंतर्गत किसी कंपनी द्वारा भारत सरकार की मंजूरी के अनुसार किसी भी समय कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 72(ख) के अंतर्गत, बीमांकन किया जा सकता है, को भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं के-11015/2/2021-ई एंड एमडीए-डीओसी, दिनांक 9 मार्च, 2022 के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2023 तक कंपनी की अधिकतम देयता को ₹ 1,00,000 करोड़ से बढ़ा कर ₹ 1,50,000 किया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2024 को अधिकतम देयता ₹ 1,18,010.21 करोड़ रही।

नये उत्पादों का परिचय

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, कंपनी द्वारा 'एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स (फैक्टर

SOLVENCY MARGIN

The Solvency Ratio as on March 31, 2024, is 47.87 against the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) norm of 1.50. The details are as under:

Particulars	2023-24	2022-23
Required Solvency Margin (RSM) under Regulations (₹ in crore)	235.92	195.98
Available Solvency Margin (ASM) (₹ in crore)	11292.75	9394.14
Solvency Ratio (Total ASM / RSM)	47.87	47.93

MAXIMUM LIABILITY

The Maximum Liability (ML) that the Company can underwrite at any point of time, as approved by the Government of India under Article 72(b) of the Articles of Association of the Company, has been enhanced from ₹ 1,00,000 crore to ₹ 1,50,000 crore by the Government of India vide OM No. K-11015/2/2021-E&MDA-DoC dated 09th March, 2022. The ML as of March 31, 2024 was ₹ 1,18,010.21 crore.

INTRODUCTION OF NEW PRODUCTS

In the FY 2023-24, the Company introduced a new Product named 'Export Receivables (Factor's Risks) Insurance Cover in Foreign Currency (ERIC-FC)' providing protection to factoring companies against the



रिस्क) इश्योरेंस कवर इन फॉरेन करेंसी (ईआरआईसी-एफसी) नाम से एक नया उत्पाद प्रस्तुत किया गया है, जो फैक्ट्रिंग कंपनियों को उस हानी से सुरक्षा प्रदान करता है, जो बिलों के फैक्ट्रिंग की स्थिति में हो सकते हैं। विदेशी खरीदार के जोखिम अथवा राजनीतिक जोखिमों के कारण वे अप्राप्त रह गए थे। कंपनी द्वारा 'पोतलदान-पूर्व जोखिम का ऐड-ऑन रक्षा' भी प्रस्तुत किया गया है, जो निर्यातकों को विदेशी खरीदार के दिवालिया होने अथवा राजनीतिक जोखिमों के कारण पोतलदान-पूर्व चरण में होने वाले हानी हेतु सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा, अतिरिक्त जोखिम शमन उपायों को ध्यान में रखते हुए निर्यातकों के लिए घरेलू ऋण बीमा पॉलिसी (डी सी आई पी) को पुनः प्रस्तुत किया गया, जो निर्यातकों को उनकी घरेलू बिक्री के लिए भी सुरक्षा प्रदान करता है।

निवेश

कंपनी के निवेश आईआरडीएआई के विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

प्रबंधन व्यय

प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़े जाने वाले बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सकल प्रीमियम आय के प्रतिशत के रूप में कंपनी द्वारा किए गए प्रबंधन व्यय आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित मानदंड 29.68% (पिछले वित्तीय वर्ष 27.90%) के अंतर्गत रहा।

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट (एनईआईए)

भारत सरकार (भा स) द्वारा राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए मध्यम एवं दीर्घावधि (एमएलटी) व उच्च मूल्य की परियोजनाओं हेतु ऋण जोखिम रक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एनईआईए ट्रस्ट की स्थापना की गई है। दिनांक 31.03.2024 तक ट्रस्ट द्वारा प्राप्त कुल सहायता अनुदान ₹ 4,741 करोड़ रहा। ट्रस्ट द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एनईआईए ट्रस्ट (बीसी-एनईआईए) की खरीदार ऋण योजना के अधीन घाना, श्रीलंका, सूरीनाम तथा जाम्बिया को प्रदत्त सुविधाओं के अधीन भारतीय एक्जिम्स बैंक के ₹ 1,907.80 करोड़ रुपये के नौ दावों का निपटान किया गया। ट्रस्ट की बीमांकन क्षमता ₹ 80,000 करोड़ है, जिसकी 25% राशि यथा ₹ 20,000 कंपनी द्वारा जारी मध्यम व दीर्घावधि रक्षाओं (एम एल टी) के समर्थन हेतु निर्धारित की गई है। 54 देशों में ₹ 43,571 करोड़ के कुल मूल्य की 213 परियोजनाओं को समर्थन प्रदान किए जाने वाले 331 रक्षाओं के संबंध में ₹ 14,153.77 करोड़ के जोखिम को एनईआईए ट्रस्ट के साथ साझा किया गया है। ₹ 80,000 करोड़ में से शेष 75% राशि यथा ₹ 60,000 करोड़ खरीदार ऋण व्यवस्था (बीसी) - एनईआईए हेतु निर्धारित की गई है। दिनांक 31 मार्च, 2024, तक, ट्रस्ट द्वारा कैमरून, कोटे डी आइवर, घाना, ईरान, मालदीव, मॉरिटानिया, मोजाम्बिक, सेनेगल, श्रीलंका, सूरीनाम, तंजानिया, युगांडा, ज़ाम्बिया एवं ज़िम्बाब्वे देशों में ₹ 18,006 करोड़ मूल्य की 28 परियोजनाओं के लिए ₹ 25,091 करोड़ की कुल अधिकतम देयता के साथ 28 खरीदार ऋण रक्षाएं जारी की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान स्वीकार किए गए दावों एवं ट्रस्ट द्वारा जारी/समर्थित रक्षाओं के अधीन रिपोर्ट की गई चूकों के लिए किए

losses they may incur in the event the bills factored by them had remained unrealized owing to overseas buyer's risk or political risks. The Company has also introduced 'Add-on cover of Pre-shipment risk' that provides protection to exporters for losses incurred by them at pre-shipment stage, owing to insolvency of the overseas buyer or political risks. Further, the Domestic Credit Insurance Policy (DCIP) for exporters was re-introduced after taking into account additional risk mitigation measures, that provides protection to the exporters for their domestic sales as well.

INVESTMENT

The investments of the Company are in conformity with the guidelines of the IRDAI.

MANAGEMENT EXPENSES

As per the Provisions under Section 40C of the Insurance Act, 1938, read with the relevant Rules, the management expenses incurred by the Company, as a percentage of the Gross Premium Income during the FY 2023-24 stood at 29.68% (previous FY 27.90%) which is within the IRDAI norms.

NATIONAL EXPORT INSURANCE ACCOUNT TRUST (NEIA)

The NEIA Trust has been established by the Government of India (GOI) with the objective of ensuring availability of credit risk cover for Medium and Long-Term exports (MLT) / project exports which are desirable from the point of view of national interest. The total grant-in-aid received by the Trust as of 31.03.2024 stands at ₹ 4,741 crore. The Trust has settled nine claims of ₹ 1,907.80 crore under the Buyer's Credit scheme of the NEIA Trust (BC-NEIA) during the FY 2023-24 to India Exim Bank under the facilities extended to Ghana, Sri Lanka, Suriname and Zambia. The underwriting capacity of the Trust is ₹ 80,000 crore of which 25% amounting to ₹ 20,000 crore has been earmarked for supporting MLT covers issued by the Company. Risk to the extent of ₹ 14,153.77 crore, in respect of 331 covers supporting 213 projects with a total value of ₹ 43,571 crore in 54 countries, has been shared with the NEIA Trust. The balance 75% of ₹ 80,000 crore amounting to ₹ 60,000 crore is earmarked for the BC-NEIA. As of March 31, 2024, the Trust has issued 28 Buyer's Credit covers with an aggregate Maximum Liability of ₹ 25,091 crore for 28 projects of value ₹ 18,006 crore in the countries Cameroon, Cote D' Ivoire, Ghana, Iran, Maldives, Mauritania, Mozambique, Senegal, Sri Lanka, Suriname, Tanzania, Uganda, Zambia and Zimbabwe. In view of the claims admitted during the FY 2023-24 and provision for defaults reported under the cover issued / supported by the Trust, the corpus available for underwriting is NIL as of March 31, 2024. The GOI is the sole settlor of the Trust and ECGC is the managing agency.



गए प्रावधानों को देखते हुए, दिनांक 31 मार्च, 2024 तक बीमांकन हेतु उपलब्ध कॉर्पस शून्य है। भारत सरकार ट्रस्ट की एकमात्र निपटानकर्ता एवं ईसीजीसी प्रबंध एजेंसी है।

निदेशक मण्डल

ईसीजीसी भारत सरकार की 100% स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी के परिचालन, प्रबंधन व निदेशन जैसे सामान्य अधिकार से सम्बंधित सभी अधिकार अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में निदेशक मण्डल के हैं। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) के अतिरिक्त निदेशक मण्डल के सभी निदेशक गैर-कार्यपालक निदेशक होते हैं। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) सहित निदेशक मण्डल के सभी निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, दो पूर्णकालिक निदेशक अर्थात् श्री एम. सेंथिलनथन, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं श्री सुनील जोशी, कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) एवं दो अंशकालिक निदेशक अर्थात् श्री देवेश श्रीवास्तव, भूतपूर्व अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, भारतीय सामान्य बीमा निगम तथा फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉ. ए शक्तिवेल कंपनी के निदेशक नहीं रहे। श्री रामस्वामी नारायणन, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, भारतीय सामान्य बीमा निगम एवं श्री पलनियप्पन मुत्तु, स्वतंत्र निदेशक को अंशकालिक निदेशक के रूप में बोर्ड में शामिल किया गया है।

भारत सरकार द्वारा श्री सिद्धार्थ महाजन, आईएएस, संयुक्त सचिव को श्री विपुल बंसल, आईएएस, संयुक्त सचिव के स्थान पर दिनांक 16 अप्रैल, 2024 से प्रभावी एक सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है एवं श्री अश्विनी कुमार, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को दिनांक 07 मई 2024 से प्रभावी, एक गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस रिपोर्ट की तारीख तक, बोर्ड में एक पूर्णकालिक निदेशक अर्थात् अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का पद एवं अंशकालिक निदेशकों के तेरह पदों में से चार पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया भारत सरकार के साथ जारी है।

ईसीजीसी लिमिटेड के कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ को दिनांक 01 नवंबर, 2023 से प्रभावी, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्हें दिनांक 14 नवंबर, 2023 से कार्यपालक निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी भी निदेशक को पुनर्निर्वाचित/पुनः नियुक्त नहीं किया गया है।

निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान एवं उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कंपनी की पॉलिसी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(2), (3) एवं (4) के प्रावधान, निदेशकों की नियुक्ति/निष्कासन, योग्यता निर्धारित करने, निदेशकों की सकारात्मक विशेषताओं तथा स्वतंत्रता हेतु मानदंड तैयार करने एवं पॉलिसी की सिफारिश करने से संबंधित हैं। निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिकों एवं कंपनी के अन्य अधिकारियों का पारिश्रमिक तथा पारिश्रमिक हेतु पॉलिसी तैयार करने में अन्य विचार एक सरकारी

BOARD OF DIRECTORS

ECGC is a 100% Government of India (GOI)-owned Company. The general powers of superintendence, direction and management of the affairs and business of the Company are vested in the Board of Directors, presided over by the Chairman-cum-Managing Director. All the Directors on the Board other than the Chairman-cum-Managing Director and Executive Director (Policy Matters) are Non-Executive Directors. All Members of the Board including the Chairman-cum-Managing Director (CMD) and Executive Director (Policy Matters), are appointed by the President of India.

During the FY 2023-24, two Whole-Time Directors viz. Shri M. Senthilnathan, Chairman-cum-Managing Director and Shri Sunil Joshi, Executive Director (Policy Matters) and two Part-Time Directors namely Shri Devesh Srivastava, the past Chairman-cum-Managing Director, General Insurance Corporation of India and Dr. A. Sakthivel, the past President, Federation of Indian Exports Organisations ceased to be Directors of the Company. Shri Ramaswamy Narayanan, Chairman-cum-Managing Director, General Insurance Corporation of India and Shri Palaniappan Muthu, Independent Director were inducted on the Board as Part-Time Directors.

The Government of India has appointed Shri Siddharth Mahajan, IAS, Joint Secretary as a Government nominee Director in place of Shri Vipul Bansal, IAS, Joint Secretary w.e.f. April 16, 2024 and also appointed Shri Ashwani Kumar, President, Federation of Indian Export Organisations as a Non-Executive Director w.e.f. May 07, 2024. As of date of this report, the position of one Whole-Time Director i.e. the Chairman-cum-Managing Director and four of the thirteen positions of Part-Time Directors on the Board remain vacant. The process of filling up these vacancies is being pursued with the Government of India.

Shri Sristiraj Ambastha, Executive Director (Policy Matters), ECGC Limited has been assigned additional charge of the post of Chairman-cum-Managing Director w.e.f. November 01, 2023. He has also been appointed as a Functional Director w.e.f. November 14, 2023. There was no Director who got re-elected/re-appointed during the year under review.

COMPANY'S POLICY RELATING TO DIRECTORS' APPOINTMENT, PAYMENT OF REMUNERATION AND DISCHARGE OF THEIR DUTIES

The provisions of Section 178(2), (3) and (4) of the Companies Act, 2013 related to the appointment/ removal of Directors, formulating the criteria for determining the qualifications, positive attributes and independence of Directors and recommending the policy on remuneration of the Directors, Key Managerial Personnel and other officers of the Company and other considerations in formulating the policy for remuneration are not applicable to the Company being a Government Company and



कंपनी होने के नाते कंपनी पर लागू नहीं होते हैं इसलिए कंपनी द्वारा निदेशकों की नियुक्ति, भुगतान से संबंधित कोई पॉलिसी तैयार नहीं की गई है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(3) के अंतर्गत प्रबंधकीय पारिश्रमिक, निदेशक योग्यता, सकारात्मक गुण, निदेशकों की स्वतंत्रता एवं अन्य संबंधित मामले शामिल हैं। कंपनी के बोर्ड में सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक अथवा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (जहां कार्यालय एक ही व्यक्ति द्वारा परिचालित किया जाता है), एवं नियुक्त कार्यपालक निदेशक / कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) / कार्यपालक निदेशक (परिचालित) / वरिष्ठतम कार्यपालक निदेशक को राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतन एवं/अथवा भत्ते प्राप्त होंगे।

वार्षिक प्रतिफल

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92 के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक प्रतिफल के उद्घरण कंपनी के वेबसाइट (www.ecgc.in) कंपनी शासन अनुभाग के अधीन उपलब्ध हैं।

स्वतंत्र निदेशकों एवं महिला निदेशक की घोषणाएँ

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पब्लिक लिमिटेड कंपनी लागू स्वतंत्र निदेशक (को) एवं महिला निदेशक (को) की नियुक्ति से संबंधित, धारा 149 के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन किया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोजित निदेशक मण्डल की बैठकें

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के मण्डल की छह बैठकों का आयोजन किया गया।

लेखापरीक्षा समिति के विन्यास का प्रकटन तथा सतर्कता तंत्र का प्रावधान

लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :-

क्र सं .	निदेशकों के नाम
1.	श्री रामस्वामी नारायणन (दिनांक 30/10/2023 से सदस्य के रूप में एवं दिनांक 09/11/2023 से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त)
2.	श्री सिद्धार्थ महाजन (दिनांक 16/04/2024 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
3.	सुश्री अपर्णा भाटिया (दिनांक 16/11/2021 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
4.	श्री शिरीष चन्द्र मुर्मू (दिनांक 10/01/2020 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
5.	सुश्री हर्षा बंगारी (दिनांक 23/09/2021 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
6.	श्री अश्वनी कुमार (दिनांक 07/05/2024 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
7.	श्री विपुल बंसल (दिनांक 16/11/2021 से सदस्य के रूप में नियुक्त) (दिनांक 16/04/2024 से सदस्य नहीं रहे)

hence the Company has not devised any policy related to the appointment of Directors, payment of Managerial remuneration, Directors qualifications, positive attributes, independence of Directors and other related matters as provided under Section 178(3) of the Companies Act, 2013. All the Directors on the Board of the Company are appointed by the President of India. The Chairman, Managing Director or Chairman-cum-Managing Director (where the office is held by one and the same person), and Executive Director/ Executive Director (Policy Matters)/ Executive Director (Operations)/ Senior-most Executive Director so appointed shall receive such salary and/or allowances as the President may determine from time to time.

ANNUAL RETURN

The draft of Annual Return pursuant to the provisions of Section 92 of the Companies Act, 2013 is available under the Corporate Governance section of the website of the Company (www.ecgc.in).

DECLARATION OF INDEPENDENT DIRECTORS AND WOMAN DIRECTOR

The provisions of Section 149 pertaining to the appointment of Independent Directors and Woman Director(s) applicable to Public Limited Company were fully complied during the FY 2023-24.

NUMBER OF BOARD MEETINGS CONDUCTED DURING THE YEAR UNDER REVIEW

The Company had conducted Four Board Meetings during the Financial Year under review.

DISCLOSURE OF COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE AND PROVIDING VIGIL MECHANISM

The Audit Committee consists of the following Members:

S. No.	Name of the Director
1.	Shri Ramaswamy Narayanan (appointed as a Member since 30/10/2023 and as the Chairman since 09/11/2023)
2.	Shri Siddharth Mahajan (appointed as a Member since 16/04/2024)
3.	Smt. Aparna Bhatia (appointed as a Member since 16/11/2021)
4.	Shri Shirish Chandra Murmu (appointed as a Member since 10/01/2020)
5.	Ms. Harsha Bangari (appointed as a Member since 23/09/2021)
6.	Shri Ashwani Kumar (appointed as a Member since 07/05/2024)
7.	Shri Vipul Bansal (appointed as a Member since 16/11/2021) (ceased to be a Member since 16/04/2024)



क्र सं.	निदेशकों के नाम
8.	डॉ. ए. शक्तिवेल (दिनांक 09/08/2021 से सदस्य के रूप में नियुक्त) (दिनांक 26/12/2023 से सदस्य नहीं रहें)
9.	श्री देवेश श्रीवास्तव (दिनांक 21/01/2020 से सदस्य के रूप में एवं दिनांक 15/07/2021 से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त) (दिनांक 30/09/2023 से सदस्य एवं अध्यक्ष नहीं रहें)

S. No.	Name of the Director
8.	Dr. A. Sakthivel (appointed as a Member since 09/08/2021) (ceased to be a Member since 26/12/2023)
9.	Shri Devesh Srivastava (appointed as a Member since 21/01/2020 and as the Chairman since 15/07/2021) (ceased to be a Member and the Chairman since 30/09/2023)

स्वतंत्र निदेशक अर्थात् श्री रामस्वामी नारायणन की अध्यक्षता वाली लेखापरीक्षा समिति की वर्तमान संरचना में स्वतंत्र निदेशक अर्थात् श्री शिरीष चंद्र मुर्मू, सुश्री हर्षा बंगारी एवं श्री अश्विनी कुमार शामिल हैं, जो बहुमत का सृजन करते हैं।

कंपनी द्वारा एक निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है एवं लेखा परीक्षा समिति के जरिए कार्मिकों एवं अन्य निदेशकों द्वारा व्यक्त की गई वास्तविक मामलों की निगरानी की जाती है। कंपनी द्वारा अपने विचार व्यक्त करने वाले कार्मिकों एवं निदेशकों को उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी प्रदान किए गए हैं। कंपनी द्वारा कार्मिकों एवं कंपनी के हितों से संबंधित मामलों की रिपोर्ट करने हेतु कार्मिकों को लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष का संपर्क विवरण भी प्रदान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु सतर्कता मामलों के विवरण

दिनांक 01.04.2023 तक आरंभिक	दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 31.03.2024 की अवधि के दौरान प्राप्त सतर्कता मामले	निपटान किए गए मामले	शेष
00	09	06	03

सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी कंपनियां

कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी कंपनी नहीं है।

जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा न तो कोई जमा स्वीकार किया तथा न ही उसका नवीनीकरण किया गया है।

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के अधीन आरंभ की गई कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 के अधीन कंपनी के विरुद्ध न तो कोई आवेदन किया गया है एवं न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि तथा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण ग्रहण करते समय किए गए मूल्यांकन के मध्य अंतर का कारण सहित विवरण लागू नहीं।

The present composition of the Audit Committee headed by an Independent Director viz. Shri Ramaswamy Narayanan consists of Independent Directors viz. Shri Shirish Chandra Murmu, Ms. Harsha Bangari and Shri Ashwani Kumar who form the majority.

The Company has established a vigil mechanism and oversees, through the Audit Committee, the genuine concerns expressed by the employees and other Directors. The Company has also provided adequate safeguards against victimization of employees and Directors who express their concerns. The Company has also provided contact details of the Chairman of the Audit Committee to employees for reporting issues concerning the interests of employees and the Company.

Details of the vigilance cases for the FY 2023-24:

Opening balance as on 01.04.2023	Vigilance cases received during 01.04.2023 to 31.03.2024	Disposed off	Balance
00	09	06	03

SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE COMPANIES

The Company does not have any Subsidiary, Joint Venture or Associate Company.

DEPOSITS

The Company has neither accepted nor renewed any deposit during the year under review.

CORPORATE INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS INITIATED UNDER THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016 (IBC)

During the year under review, neither any application was made nor any proceedings are pending against the Company under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

DETAILS OF DIFFERENCE BETWEEN AMOUNT OF THE VALUATION DONE AT THE TIME OF ONE TIME SETTLEMENT AND THE VALUATION DONE WHILE TAKING LOAN FROM THE BANKS OR FINANCIAL INSTITUTIONS ALONG WITH THE REASONS THEREOF

Not applicable.



कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुरूप, कंपनी के पास यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने हेतु एक पॉलिसी मौजूद है। सभी कार्मिक पॉलिसी के अंतर्गत रक्षित होते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पॉलिसी के अंतर्गत एक शिकायत दर्ज की गई थी एवं कंपनी द्वारा उसका निपटान किया गया है। दिनांक 31.03.2024 के अंत तक निवारण हेतु कोई शिकायत लंबित नहीं है।

भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। विभिन्न वित्तीय एवं गैर-वित्तीय मापदंडों के मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी के निष्पादन को वित्तीय वर्ष 2019-20 में "अच्छा", वित्तीय वर्ष 2020-21 में "बहुत अच्छा", वित्तीय वर्ष 2021-22 में "उत्कृष्ट" एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में "बहुत अच्छा" रेटिंग प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु कंपनी के निष्पादन को "उत्कृष्ट" रेटिंग दिए जाने की संभावना है। इन मापदंडों के अंतर्गत कंपनी द्वारा लक्ष्य एवं अनुमानित उपलब्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु एमओयू मापदंडों का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुमान के आधार पर एमओयू के अंतर्गत निष्पादन				
क्र सं	मानदंड का नाम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
1	परिचालनों से प्राप्त राजस्व (राजस्व खाते से प्राप्त कुल आय)	करोड़ ₹ में	1843	1549.75
2	शामिल किए गए नए खरीदार	संख्या	21803	23221
3	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीडीए (पीबीटी + मूल्यहास) / (राजस्व खाते से कुल आय + लाभ एवं हानि खाते से आय) *100	%	60.40	125.65
4	शुद्ध मालियत पर अर्जन (पी ए टी / औसत शुद्ध आय * 100)	%	12.32	19.66

THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

The Company has a policy in place to deal with Sexual Harassment complaints, in line with the requirement of The Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. All employees are covered under the policy. One complaint was filed under the policy during the financial year 2023-24 and the same has been disposed of by the Company. There are no complaints outstanding for redressal as of 31.03.2024.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) WITH THE GOVERNMENT OF INDIA (GOI)

As per the guidelines issued by the Department of Public Enterprises, every year a Memorandum of Understanding (MOU) is signed with the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. Based on the assessment of various financial and non-financial parameters, the Company's performance has been rated as "Good" in the FY 2019-20, "Very Good" in the FY 2020-21, "Excellent" in the FY 2021-22 and "Very Good" in the FY 2022-23. The performance of the Company is expected to be rated as "Excellent" for the FY 2023-24. The details of MOU parameters for the FY 2023-24, along with the target and estimated achievement by the Company under these parameters is as under:

Performance under the MoU based on estimates for the FY 2023-24				
S. No	Name of Parameter	Unit	Target	Achievement
1	Revenue from Operations (Total Income from Revenue Account)	₹ in cr.	1843	1549.75
2	No. of New Buyers Added	Number	21803	23221
3	EBITDA as a percentage of Revenue (PBT + Depreciation) / (Total Income from Revenue Account + Income from Profit and Loss Account) *100	%	60.40	125.65
4	Return on Net worth (PAT/Avg. Net Worth *100)	%	12.32	19.66



वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुमान के आधार पर एमओयू के अंतर्गत निष्पादन				
क्र सं	मानदंड का नाम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
5	आस्ति पण्णावर्त अनुपात (राजस्व खाते से कुल आय + लाभ व हानि खाते से आय)/कुल संपत्ति *100	%	13.59	11.79
6	कुल खरीद के % के रूप में जेम से खरीद	%	100	100
7	प्रति शेयर आय (पी ए टी/भारित औसत शेयरों की संख्या)	₹	24.43	49.77

Performance under the MoU based on estimates for the FY 2023-24				
S. No	Name of Parameter	Unit	Target	Achievement
5	Assets Turnover Ratio (Total Income from Revenue Account + Income from Profit and Loss Account)/Total Assets *100	%	13.59	11.79
6	Procurement from GeM as % of total procurement	%	100	100
7	Earnings per share (PAT/Weighted Avg. Number of Shares)	₹	24.43	49.77

इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा आठ 'अनुपालन मापदंडों' में से छह का अनुपालन भी किया गया है। गैर-अनुपालित मापदंड निम्नानुसार हैं:

- वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में एससी/एसटी एमएसई के माध्यम से वस्तुओं अथवा सेवाओं की खरीद - 4 प्रतिशत।
- डीपीई ओएम संख्या डीपीई-7(4)/2007-फिन, दिनांक 04-05-2020 में उल्लिखित टीआरडीएस से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन।

संसद के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट की प्रस्तुति

वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु ईसीजीसी लिमिटेड, मुंबई की वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षित खातों एवं उस पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ, दिनांक 20 दिसंबर, 2023 एवं दिनांक 09 फरवरी, 2024 को क्रमशः, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु लोकसभा एवं राज्यसभा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

कार्मिक विवरण

पूर्णकालिक निदेशक द्वारा आहरित पारिश्रमिक से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कार्मिकों का विवरण निम्नानुसार है:

Further, the Company has also complied with six out of eight 'Compliance Parameters'. The non-complied parameters are as under:

- Procurement of goods or services through SC/ST MSEs as % of Total procurement of goods and services - 4%.
- Compliance with provisions relating to TReDS as outlined in DPE OM No. DPE-7(4)/2007- Fin dated 04-05-2020.

PLACING OF ANNUAL REPORT BEFORE THE PARLIAMENT

Annual Report of the ECGC Ltd., Mumbai, for the FY 2022-23, along with Audited Accounts and Comments of the Comptroller and Auditor General thereon, was placed before the Lok Sabha and Rajya Sabha on December 20, 2023 and February 09, 2024 respectively, in compliance with the requirements under Section 394 of the Companies Act, 2013.

PARTICULARS OF EMPLOYEES

Particulars of the employees who were in receipt of remuneration in excess of remuneration drawn by the Whole-Time Director are provided below:

क्र सं	कार्मिक का नाम	सुश्री प्रिसिल्ला सिन्हा	श्री सब्यसाची दाश	श्री अमोघ डी ज़ादे
S. No	विवरण			
	Name of the employee	Smt. Priscilla Sinha	Mr. Sabyasachi Dash	Mr. Amogh D. Zade
	Particulars			
1.	कार्मिक का पदनाम Designation of the employee	नियुक्त बीमांकिक Appointed Actuary	मुख्य तकनीकी अधिकारी Chief Technology Officer	उप मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी Deputy Chief Technology Officer



क्र सं	कार्मिक का नाम	सुश्री प्रिसिल्ला सिन्हा	श्री सव्यसाची दाश	श्री अमोघ डी ज़ादे
S. No	Name of the employee	Smt. Priscilla Sinha	Mr. Sabyasachi Dash	Mr. Amogh D. Zade
	Particulars			
2.	प्राप्त प्रारिश्मिक Remuneration received	वित्तीय वर्ष 2023-24 में / in FY 2023-24 ₹1,07,38,456	वित्तीय वर्ष 2023-24 में / in FY 2023-24 ₹ 39,14,840	वित्तीय वर्ष 2023-24 में / in FY 2023-24 ₹ 16,05,218.97
3.	रोजगार की प्रकृति, संविदात्मक अथवा अन्यथा Nature of employment, whether contractual or otherwise	नियुक्ति एक निश्चित अवधि के आधार पर संविदात्मक है। Contractual on a fixed term basis.	नियुक्ति एक निश्चित अवधि के आधार पर संविदात्मक है। Contractual on a fixed term basis.	नियुक्ति एक निश्चित अवधि के आधार पर संविदात्मक है। Contractual on a fixed term basis.
4.	कार्मिक की योग्यता Qualifications	फेलो, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया बीमांकिक तकनीक में डिप्लोमा, बीमांकिक संस्थान, यूके Fellow, Institute of Actuaries of India Diploma in Actuarial Techniques, Institute of Actuaries, UK	एग्जी. मास्टर – इंटरनेशनल बिजनेस, एमएससी. सॉफ्टवेयर सिस्टम, एएमआईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग Exe. Master – Intl. Business, M.Sc. Software Systems, AMIE Electrical Engineering	एम.एससी., सॉफ्टवेयर सिस्टम, बी.ई. इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स M.Sc., Software Systems, B.E. Industrial Electronics
5.	रोजगार के आरंभ की तिथि Date of commencement of employment	18.04.2019	25.09.2023	07.12.2023
6.	कार्मिक की आयु Age of such employee	57	52	42
7.	कंपनी में शामिल होने से पूर्व ऐसे कार्मिक का अंतिम रोजगार Last employment held by such employee before joining the Company	जी आई सी रे GIC Re	अल तायेर ग्रुप एलएलसी, यू ए ई Al-Tayer Group LLC, UAE	रिज़र्व बैंक आईटी प्रा. लिमिटेड Reserve Bank IT Pvt. Ltd.
8.	उपरोक्त उप-नियम (2) के खंड (iii) के अर्थ के अंतर्गत कंपनी में कार्मिक द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का प्रतिशत The percentage of equity shares held by the employee in the Company within the meaning of clause (iii) of sub-rule (2) above;	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL
9.	क्या इस प्रकार का कोई कार्मिक कंपनी के किसी निदेशक अथवा प्रबंधक का रिश्तेदार है तथा यदि ऐसा है तो ऐसे निदेशक अथवा प्रबंधक का नाम: Whether any such employee is a relative of any director or manager of the Company and if so, name of such director or manager	नहीं No	नहीं No	नहीं No



ग्राहक सेवा तंत्र

कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों की शिकायतों के निवारण हेतु मुंबई में स्थित प्रधान कार्यालय में एक ग्राहक सेवा विभाग की स्थापना की गई है एवं इसके प्रमुख एक महाप्रबंधक हैं। कंपनी की ग्राहक शिकायत निवारण पॉलिसी कंपनी के वेबसाइट पर दर्शाई गई है। पॉलिसी के अनुसार, यदि पूर्व निर्णय को दोहराया जाना है तो किसी अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय की उच्च प्राधिकारी द्वारा समीक्षा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से तीन बार विभिन्न अधिकारियों/समितियों द्वारा मामलों का निपटान किया जा रहा है, तत्पश्चात मामलों को स्वतंत्र समीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। शिकायतों के निवारण के लिए टर्नअराउंड समय को कम करने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अपनी ग्राहक शिकायत निवारण पॉलिसी तंत्र को पूर्व के पाँच स्तरीय से चार-स्तरीय बनाने हेतु संशोधित किया गया। प्रधान कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों वाली शीर्ष ग्राहक शिकायत समिति (एसीजीसी), द्वारा कंपनी के विरुद्ध किसी भी ग्राहक शिकायत के लिए सर्वोच्च इन-हाउस अपीलीय प्राधिकरण है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान समिति द्वारा उन्नीस बैठकें आयोजित की गई एवं 59 मामलों का निपटान किया गया। कंपनी की चार सदस्यीय स्वतंत्र समीक्षा समिति (आईआरसी) है, जिसमें न्यायपालिका, बैंकिंग, विदेश व्यापार एवं ऋण बीमा तथा सिविल सेवा के क्षेत्र के बाह्य विशेषज्ञ शामिल हैं, जिसकी वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पाँच बैठकें हुई एवं एसीजीसी द्वारा लिए गए निर्णय के संबंध में निर्यातक ग्राहकों की शिकायतों से संबंधित 23 मामलों का निपटान किया गया है। कंपनी आईआरडीएआई के बीमा भरोसा पोर्टल से जुड़ी हुई है, जहां ग्राहक सीधे लॉग ऑन कर सकते हैं एवं अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। पॉलिसीधारकों के पास अब बीमा भरोसा पोर्टल अथवा कंपनी की वेबसाइट के जरिए अपनी संबंधित शिकायतों को दर्ज करने का विकल्प है। इसके अतिरिक्त कंपनी कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार विभाग, भारत सरकार द्वारा केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण व निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) द्वारा संचालित शिकायत निवारण प्रणाली से भी जुड़ी हुई हैं।

ऊर्जा संरक्षण, तकनीक समावेशन का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम), कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित, कंपनी द्वारा अपने कॉर्पोरेट कार्यालय ईसीजीसी भवन अंधेरी (पूर्व), मुंबई के लिए महत्वपूर्ण पहल किए गए हैं। कंपनी द्वारा ईसीजीसी भवन के लिए निम्नलिखित पहल की गई है:

- (क) प्रकाश के अन्य स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए कार्यालय में पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश का प्रावधान
- (ख) कार्यस्थल के प्रमुख भागों में मोशन सेंसिंग लाइटें
- (ग) लिफ्ट के स्थान पर सीढ़ियों का उपयोग करने हेतु निर्देश प्रदर्शित किए गए हैं

इसके अतिरिक्त, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के लिए ई ई एस एल के जरिए ईवी की खरीद भी की गई है। कंपनी की प्रस्तुतियों के आधार पर, इसे ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम प्रमाणीकरण स्थापित की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए फरवरी, 2024 माह में यूएस

CUSTOMER CARE MECHANISM

The Company has set-up a Customer Care Department, at its Head Office in Mumbai and is headed by an officer of the rank of General Manager, for redressing grievances of its customers. The Customer Grievance Redressal Policy of the Company is placed on the Company's website. As per the policy, the decision taken by an official would be reviewed by a higher authority in case the earlier decision is to be reiterated. Since the FY 2021-22, the cases are being dealt with three times by different officials/Committees after which the cases are placed before the Independent Review Committee. In order to reduce the turnaround time to redress the grievances, the Board of the Company had revised its Customer Grievance Redressal policy to make the mechanism a four stage one from the earlier five stage one. An Apex Customer Grievance Committee (ACGC), consisting of senior executives at Head Office, is the highest in-house Appellate Authority for any customer complaint against the Company. The Committee met nineteen times and disposed of 59 cases during the FY 2023-24. The Company has a four-member Independent Review Committee (IRC) consisting of external experts from the fields of Judiciary, Banking, Foreign Trade and Credit Insurance and Civil Services, which met five times during the FY 2023-24 and disposed of 23 cases pertaining to grievance of the exporter customers in respect of decision taken by the ACGC. The Company is linked to the Bima Bharosa portal of the IRDAI, where customers can directly log on and lodge their complaints. Policyholders now have the option of registering their respective complaints either at the Bima Bharosa portal or through the Company's website. In addition, the Company is also linked to the grievance redressal system operated by the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Administrative Reforms, Government of India at Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS).

PARTICULARS OF CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION

Pursuant to Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013, read with the Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the Company has taken considerable steps for its Corporate Office Building ECGC Bhawan at Andheri (East), Mumbai. The Company has taken the following initiatives for ECGC Bhawan:

- a) Provision of ample natural light in the building to reduce dependency on other sources of lights
- b) Motion sensing lights in major parts of the working place
- c) Displays with instructions to use stairs in place of lifts

Further, Electric Vehicles (EVs) were also procured through Energy Efficiency Services Limited (EESL) for the Senior Officers. Based on the Company's submissions, it



ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एवं ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक द्वारा प्रतिष्ठित 'गोल्ड सर्टिफिकेट' से सम्मानित किया गया है, जिसे 'लीड्स सर्टिफिकेट' कहा जाता है।

साथ ही, हमने ईसीजीसी भवन में 50 किलोवाट क्षमता के 'रूफ टॉप सोलर' पैनल की स्थापना के लिए पहल की गई है।

विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी की विदेशी मुद्रा आय ₹3.26 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष में ₹30.83 करोड़) रही, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विदेशी मुद्रा का व्यय ₹2.15 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष में ₹2.19 करोड़) रहा।

क्रेडिट रेटिंग

वित्तीय वर्ष के दौरान, बीमा उद्योग एवं बीमा से जुड़ी प्रतिभूतियों में विशेषज्ञता वाली वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एएम बेस्ट द्वारा कंपनी को एफ एस आर (वित्तीय सशक्ता रेटिंग) में बी++, आई सी आर (जारीकर्ता ऋण रेटिंग) में बीबीबी+ एवं एन एस आर (नेशनल स्केल रेटिंग) मापदंडों में एए.आई.एन रेटिंग प्रदान की गई।

नियुक्त बीमांकिक

दिनांक 18.04.2019 से प्रभावी भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के अनुमोदन से कंपनी द्वारा अनुबंध के आधार पर एक पूर्णकालिक बीमांकिक की नियुक्ति की गई।

बीमांकिक विभाग

वित्तीय वर्ष 2012-13 में एक अलग "बीमांकिक विभाग" स्थापित किया गया। यह विभाग द्वारा मुख्य रूप से परिभाषित नियामक जिम्मेदारियों के निर्वहन में नियुक्त बीमांकिक का समर्थन किया जाता है।

विभाग एक पूर्णकालिक नियुक्त बीमांकिक की निगरानी में कार्य करता है। नियुक्त बीमांकिक द्वारा "आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकिक) विनियम" के अनुसार कार्य किया जाता है।

बीमांकिक विभाग उपगत किए गए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनआर) दावों एवं उपगत किए गए लेकिन पर्याप्त नहीं रिपोर्ट किए गए (आईबीएनईआर) दावों तथा प्रीमियम न्यूनता रिजर्व (पीडीआर) सहित अन्य आरक्षित दावों जैसे दावों के आकलन में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त, विभाग बीमा नियामक (आईआरडीएआई) को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित बीमांकिक रिपोर्ट एवं फॉर्म तैयार करता है, अर्थात् आई बी एन आर रिपोर्ट, वित्तीय स्थिति रिपोर्ट (एफसीआर), आर्थिक पूंजी विवरण, उत्पाद निष्पादन रिपोर्ट एवं परिसंपत्ति देयता प्रबंधन विवरण।

विभाग की अन्य गतिविधियों में उत्पाद डिजाइन, मूल्य निर्धारण एवं सॉल्वेंसी मूल्यांकन के लिए डोमेन विभागों को समर्थन दिया जाना शामिल है। बीमांकिक विभाग द्वारा, आईआरडीएआई को विभिन्न सांख्यिकीय रिपोर्ट तैयार करने एवं प्रस्तुत करने में डोमेन विभागों की सहायता भी की जाती है। निर्णय लेने के उद्देश्य से व्यावसायिक निष्पादन, अनुभव अध्ययन आदि पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रदान की जाती है। नियुक्त बीमांकिक (एए) की रिपोर्ट एवं टिप्पणियाँ कंपनी की समग्र जोखिम प्रबंधन रणनीतियों में योगदान प्रदान करती हैं।

has been awarded with the prestigious 'Gold Certificate' by the U.S. Green Building Council & Green Business Certification Inc. called 'LEEDS Certificate' in the month of February, 2024 for fulfilling the requirements of the green building rating system certification.

Also, the Company initiated steps for installation of 'Roof Top Solar' panels of 50 kwp capacity at ECGC Bhawan.

FOREIGN EXCHANGE EARNINGS & OUTGO

The Foreign exchange earnings of the Company during the Financial Year 2023-24 is ₹ 3.26 crore (30.83 crore in the previous Financial Year) while Foreign Exchange outgo during the Financial Year 2023-24 is ₹ 2.15 crore (₹ 2.19 crore in the previous Financial Year).

Credit Rating

During the financial year, the Company was rated B++ in FSR (Financial Strength Ratings), bbb+ in ICR (Issuer Credit Ratings) and aaa.IN in NSR (National Scale Ratings) parameters by AM Best, the global credit rating agency specialising in the insurance industry and insurance-linked securities.

APPOINTED ACTUARY

A full-time Actuary was appointed on a contract basis by the Company with approval of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) effective from 18.04.2019.

ACTUARIAL DEPARTMENT

A separate "Actuarial Department" was set up in the FY 2012-13. This department primarily supports the Appointed Actuary in performing defined regulatory responsibilities.

The Department functions under the supervision of a full time Appointed Actuary. The Appointed Actuary functions in accordance with the "IRDAI (Appointed Actuary) Regulations".

Actuarial Department engages in estimation of claims reserves such as Incurred But Not Reported (IBNR) claims and other reserves including Incurred But Not Enough Reported (IBNER) claims and Premium Deficiency Reserve (PDR). In addition, the department prepares actuarial reports and forms prescribed for submission to the Insurance Regulator (IRDAI) namely, IBNR Report, Financial Condition Report (FCR), Economic Capital Statement, Product Performance Report and Asset Liability Management Statements.

Other activities of the department include support to domain departments for product design, pricing and solvency assessment. Actuarial Department also assists domain departments in preparation and submission of various statistical reports to IRDAI. Analytical reports on business performance, experience studies etc. is provided for the purpose of decision-making. The reports and observations of the Appointed Actuary (AA) contribute towards the overall risk management strategies of the Company.



ई सी जी सी लिमिटेड **ECGC Limited**
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

वैधानिक लेखा परीक्षक

संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं शाखा लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड ए जी) द्वारा उनके दिनांक 21 सितंबर, 2023 के पत्र के जरिए वित्तीय वर्ष (वि व) 2023- के लिए कंपनी के खातों के लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, जिसे दिनांक 09 नवंबर, 2023 को हुई बैठक में निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिया गया तथा भारत के महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा नियुक्त प्रत्येक लेखा परीक्षक के लिए लेखा परीक्षा समिति द्वारा सिफारिश के अनुसार लेखा परीक्षा शुल्क को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। शेयरधारकों द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 2023 को आयोजित 65वें वार्षिक साधारण बैठक में पारित प्रस्ताव के जरिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया जिसकी सिफारिश के अनुसार वे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखा कार्यालयों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण एवं अनुमोदन के लिए प्राधिकृत किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141 के अधीन आवश्यक संयुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों से आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया गया है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी द्वारा उसके कारोबार एवं परिचालनों के आकार के आधार पर समवर्ती लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा तथा निवेश संयवहार एवं संबंधित प्रणालियों की लेखापरीक्षा हेतु प्रक्रियातंत्र का निर्धारण किया गया है। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में प्रधान कार्यालय तथा कंपनी की विभिन्न शाखाओं में प्रक्रियाओं के साथ-साथ समव्यवहारों की रिपोर्ट को भी शामिल किया जाता है। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट कंपनी के प्रधान कार्यालय एवं विभिन्न शाखाओं में प्रक्रियाओं के साथ-साथ संयवहार को भी रक्षा प्रदान करती है। निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा लेखा परीक्षा टिप्पणियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के प्रधान कार्यालय खातों एवं समेकित खातों का लेखा परीक्षा करने हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मेसर्स केबीडीएस एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मुंबई, फर्म पंजीकरण संख्या 323288ई एवं मेसर्स एमएल पुरी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मुंबई, फर्म पंजीकरण संख्या 002312एन, नियुक्त संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक हैं। शेयरधारकों के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न है।

कंपनी के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियां

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ निदेशकों की रिपोर्ट का एक परिशिष्ट के रूप में हिस्सा होगा।

कंपनी शासन

कंपनी के कंपनी शासन दर्शन का उद्देश्य ससमय सभी प्रासंगिक वैधानिक एवं विनियामक मानदंडों का अनुपालन करना है, साथ ही कंपनी शासन प्रथाओं को सृजित कर उनका अनुपालन करना है। कंपनी शासन पर रागिनी चोकशी एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (एफ सी एस 2390, सीओपी 1436) के प्रमाणपत्र के साथ एक विस्तृत कंपनी शासन रिपोर्ट संलग्न है तथा जो निदेशकों की रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है (अनुलग्नक I)।

STATUTORY AUDITORS

The Joint Statutory Auditors and the Branch Auditors were appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for Audit of Accounts of the Company for the Financial Year (FY) 2023-24 vide their letter dated September 21, 2023, the same was taken on record by the Board at its meeting held on November 09, 2023 and the audit fees for each of the appointed auditors by C&AG were approved by the Board as was recommended by the Audit Committee. The Board was authorized by the Shareholders vide its resolution passed at the 65th AGM held on July 28, 2023 to fix and approve the remuneration of the Joint Statutory Auditors to be appointed by the Comptroller & Auditor General of India under Section 139(5) of the Companies Act, 2013, for the Head Office, Regional Office and Branch Offices of the Company for the FY 2023-24 and necessary certificate from the Joint Statutory Auditors for the FY 2023-24 has been obtained as required under Section 141 of the Companies Act, 2013.

AUDITORS' REPORT

The Company has in place an audit mechanism comprising Concurrent Audit, Internal Audit and Audit of Investment transactions and related Systems, which is in line with the nature of its business and the size of its operations. The Auditors Report covers the processes as well as transactions at the Head Office and across various branches of the Company. The audit comments are periodically reviewed by the Audit Committee of the Board of Directors. M/s. KBDS & Co. Chartered Accountants, Mumbai, Firm Registration No. 323288E and M/s. M.L Puri & Co. Chartered Accountants, Mumbai, Firm Registration No. 002312N, are the Joint Statutory Auditors appointed by the Comptroller & Auditor General of India, to audit the Head Office Accounts and the consolidated accounts of the Company for the FY 2023-24. The Report of the Auditors to Shareholders is appended to the Audited Financial Statements.

COMMENTS OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA (C&AG) ON THE ACCOUNTS OF THE COMPANY

Comments of the C&AG shall be forming part of the Directors Reports as an addendum to the same.

CORPORATE GOVERNANCE

The Corporate Governance philosophy of the Company is to comply with all the relevant statutory and regulatory prescriptions on time, as also to formulate and adhere to sound Corporate Governance Practices. A detailed Corporate Governance Report along with Certificate from Ragini Chokshi & Co., Practising Company Secretary (FCS 2390, COP 1436), on Corporate Governance is annexed to and forms an integral part of this Directors' Report (Annexure I).



सचिवीय लेखा परीक्षा

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रागिनी चोकसी एंड कंपनी, सचिवीय लेखा परीक्षक (एफ सी एस 2390, सी ओ पी 1436) से प्राप्त कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (फॉर्म नंबर एम आर - 3) अनुलग्नक II में संलग्न है। सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है।

वित्तीय वर्ष, जिससे ये वित्तीय विवरण संबंधित हैं, के अंत एवं रिपोर्ट की तिथि के मध्य कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन तथा प्रतिबद्धता, यदि कोई हो,

शून्य

कंपनी की जोखिम प्रबंधन पॉलिसी को विकसित करने एवं उसके कार्यान्वयन के संबंध में विवरण

कंपनी निर्यात ऋण जोखिम बीमा कारोबार से जुड़ी हुई है एवं यह आईआरडीआई में एक गैर-जीवन बीमा कंपनी के रूप में पंजीकृत है। निर्यात ऋण जोखिम इसके कारोबार की प्रकृति में निहित हैं। कंपनी द्वारा अपने आंतरिक जोखिम प्रबंधन संरचना के जरिए एक उद्यम-व्यापी सूचना प्रणाली स्थापित करने एवं कंपनी के जोखिम प्रोफाइल को विनियमित करने के लिए अपनी जोखिम प्रबंधन पॉलिसी की समीक्षा की गई है। कंपनी, जोखिम प्रबंधन के अंश के रूप में, अपने कारोबार में विवेकपूर्ण सीमाओं के लिए जोखिम मानदंडों को लागू करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) द्वारा कंपनी के व्यवसाय के जोखिम प्रोफाइल को प्रभावित करने वाली विवेकपूर्ण सीमाओं हेतु जोखिम मानदंडों का कार्यान्वयन एवं उसके प्रभावों की निगरानी की जाती है। कंपनी का एक निवेश पोर्टफोलियो है जिसमें शेयरधारकों एवं पॉलिसीधारकों के निधि शामिल हैं। उद्योगों एवं प्रतिभूतियों में निवेश कर निवेश जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है ताकि निवेश पर अधिकतम उपार्जन के साथ चल निधि संबंधी जोखिम की न्यूनता को सुनिश्चित किया जा सके एवं इसकी निगरानी निदेशक मंडल की निवेश समिति द्वारा की जाती है। कंपनी द्वारा, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आस्ति – देयता प्रबंधन (एएलएम) पॉलिसी का भी अनुपालन किया जाता है। निदेशक मंडल के जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) को तिमाही आधार पर कंपनी की आस्ति – देयता प्रबंधन (एएलएम) स्थिति की सूचना प्रदान की जाती है।

कंपनी द्वारा अपने जोखिम प्रबंधन कार्यों को और अधिक गतिशील बनाने हेतु इसे और उत्कृष्ट बनाने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। बाह्य सलाहकारों की सहायता से, कंपनी द्वारा अपनी उद्यम जोखिम प्रबंधन पॉलिसी का मसौदा तैयार किया गया एवं अपनी परिचालन एवं गैर-परिचालन इकाइयों से जुड़े जोखिमों की समय-समय पर निगरानी तथा विश्लेषण करने के लिए विभिन्न उपकरण विकसित किए गए। कंपनी के जोखिम प्रबंधन कार्यों को उत्कृष्ट बनाने के लिए विकसित किए गए उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर वार्षिक रिपोर्ट

कृपया अनुलग्नक III का संदर्भ लें।

SECRETARIAL AUDIT

The Secretarial Audit Report of the Company (Form No. MR-3) for the Financial Year 2023-24 received from Ragini Chokshi & Co., Secretarial Auditor (FCS 2390, COP 1436) is placed at **Annexure II**. There are no qualifications made by the Secretarial Auditor.

MATERIAL CHANGES AND COMMITMENT, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR TO WHICH THIS FINANCIAL STATEMENTS RELATE AND THE DATE OF THE REPORT
NIL

STATEMENT CONCERNING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY OF THE COMPANY

The Company is in the export credit risk insurance business and is registered as a non-life insurance company with IRDAI. Aggregation of export credit risks is inherent in the nature of business. The Company has reviewed its Risk Management Policy to establish an enterprise-wide information system and regulate the risk profile of the Company, through its internal risk management framework. As part of risk management, the Company endeavours to obtain adequate reinsurance from reinsurers and support from the Government of India, in addition to implementing exposure norms for prudential limits in its business. The Risk Management Committee of Board (RMC) monitors the implementation of exposure norms for prudential limits and developments that affect the risk profile of the business of the Company. The Company manages an investment portfolio that comprises of Shareholders' and Policyholders' funds. The investment risks are managed by investing across industries and securities, to ensure that liquidity risks are minimized with optimum return on the investment and are monitored by the Investment Committee of the Board. The Company also follows the Board-approved Asset Liability Management (ALM) Policy. The ALM position is reported to the RMC of the Board on a quarterly basis.

The Company has initiated action to further improve its risk management functions to make it more dynamic. With the help of external consultants, the Company drafted its Enterprise Risk Management Policy and designed various tools to periodically monitor and analyse the risks associated with its operational and non-operational units. The tools developed are being implemented in a phased manner to improve the risk management functions of the Company.

ANNUAL REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Please refer to Annexure III.



कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अधीन ग्रहण किए गए ऋणों, प्रदत्त गारंटियों अथवा किए गए निवेशों के विवरण

शून्य

संबंधित पार्टियों के साथ की गई संविदाओं अथवा समझौतों के विवरण

व्यवसाय के सामान्य क्रम में अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा सव्यवहार का ब्यौरा:

एनईआईए ट्रस्ट भारत सरकार द्वारा गठित एक सार्वजनिक ट्रस्ट है। ईसीजीसी द्वारा ट्रस्ट का संचालन किया जाता है। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अ प्र नि) ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं तथा कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) प्रबंध ट्रस्टी हैं। प्रशासनिक व्ययों के वहन हेतु ईसीजीसी प्रीमियम आय के 5% अंश हेतु पात्र है। ईसीजीसी द्वारा वर्ष 2006 से ट्रस्ट की प्रबंधन व्यवस्था की जा रही है।

ईसीजीसी में स्वतंत्र निदेशक श्री अमित कुमार अग्रवाल, जो ईसीजीसी में पॉलिसी धारक है, मेसर्स कुमार इंटरनेशनल में भी भागीदार हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पार्टियों के साथ किए गए अनुबंध/व्यवस्था के विवरण के साथ एओसी-2 फॉर्म अनुलग्नक VIII में प्रस्तुत है।

निदेशकों का दायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसरण में, निदेशक द्वारा निदेशकों के दायित्व विवरण को स्वीकार करते हैं एवं उसकी पुष्टि करते हैं कि -

- (क) कंपनी द्वारा महत्वपूर्ण निकासी से संबंधित उचित स्पष्टीकरणों, यदि कोई हो तो, के साथ वार्षिक लेखों की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;
- (ख) निदेशकों द्वारा ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया एवं उन्हें लगातार लागू किया गया तथा ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाए थे जो उचित तथा विवेकपूर्ण थे ताकि दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति एवं दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लाभ की सटीक एवं निष्पक्ष राय प्रदान किया जा सके;
- (ग) निदेशकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा हेतु एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उन्हें चिन्हित किए जाने हेतु पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव हेतु उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा गया है;
- (घ) निदेशकों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 'गोइंग कंसर्न' के आधार पर लेखा विवरण तैयार किए गए;
- (ङ) निदेशकों द्वारा कंपनी द्वारा अनुपालन योग्य आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए हैं एवं यह की इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त एवं प्रभावी हैं तथा;
- (च) निदेशकों द्वारा सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रणाली तैयार की गई है तथा इस प्रकार की प्रणालियां पर्याप्त एवं प्रभावी हैं।

आभार प्रकट

निदेशक मंडल द्वारा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय;

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS MADE UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Nil

PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS MADE WITH RELATED PARTIES

Details of contracts or arrangements or transactions at arm's length basis in the ordinary course of business:

The NEIA Trust is a Public Trust formed by Government of India. ECGC is administering the Trust. CMD is the Chairman of the Trust and Executive Director (Policy Matters) is the Managing Trustee. ECGC is entitled to 5% of premium income to meet administrative expenditure. ECGC has been managing the Trust since 2006.

Mr. Amit Kumar Agarwal, Independent Director on the Board of the Company is also a partner in M/s Kumar International, which is a policy holder of ECGC. Form AOC-2 with particulars of contract/ arrangement entered into by the Company with the related party during the FY 2023-24 is given at **Annexure VIII**.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to Section 134(5) of the Companies Act, 2013, the Directors subscribe to the Directors' Responsibility Statement and confirm that -

- (a) The Company had, in the preparation of the annual accounts, followed the applicable accounting standards, along with the proper explanations relating to material departures, if any;
- (b) the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at March 31, 2024 and of the profit of the Company for the FY ended March 31, 2024;
- (c) the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records, in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, for safeguarding the assets of the Company and preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) the Directors had prepared the accounts for the FY ended March 31, 2024, on a 'going concern' basis;
- (e) the Directors, had laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and
- (f) the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors places on record its gratitude to the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry; Department of Economic Affairs, Department of Expenditure, Department of Financial Services and



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

आर्थिक मामला विभाग, व्यय विभाग, वित्तीय सेवा विभाग तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्तीय मंत्रालय; विदेश मंत्रालय, भारत सरकार; भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई); भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक; भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग एवं विभिन्न देशों में भारतीय दूतावासों तथा उच्चायोगों के कार्यालयों को कंपनी के लिए उनके निरंतर समर्थन तथा मार्गदर्शन तथा कंपनी के मामलों एवं विकास में प्रदर्शित गहन रुचि के लिए आभार व्यक्त किया जाता है। निदेशक, निर्यातकों, बैंकों एवं पुनर्बीमाकर्ताओं के कंपनी में उनके निरंतर विश्वास के लिए आभारी हैं। निदेशक मण्डल द्वारा रेटिंग एजेंसियों तथा ऋण वसूलीकर्ता एजेंटों को भी धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है, जिन्होंने क्रमशः कंपनी के बीमांकन एवं वसूली के प्रयासों में योगदान दिया है। निदेशक मण्डल द्वारा भारतीय निर्यात संगठन महासंघ, विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों, औद्योगिक संगठनों, वाणिज्य मंडलों, व्यापार संगठनों एवं बीमा मध्यस्थों से प्राप्त प्रतिक्रिया एवं समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है। निदेशक मण्डल द्वारा लेखा परीक्षकों को समय-समय पर प्राप्त उनके मूल्यवान सलाह एवं सुझावों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है। निदेशक मण्डल द्वारा कंपनी के सभी कार्मिकों की सराहना की जाती है, जो लगातार उत्कृष्ट समर्पण एवं प्रतिबद्धता का निष्पादन कर रहे हैं जिसके कारण कंपनी अपने कारोबार संचालन में बाजार नेतृत्व को बनाए रखने में सफल रही है।

Department of Public Enterprises, Ministry of Finance; Ministry of External Affairs, Government of India; Insurance Regulatory & Development Authority of India (IRDAI); The Comptroller & Auditor General of India; Reserve Bank of India, National Institution for Transforming India (NITI) Aayog and offices of the Indian Embassies and High Commissions in various countries, for their continued support and guidance to the Company and the keen interest exhibited in the affairs and growth of the Company. The Directors are grateful to Exporters, Banks and Reinsurers for their continued trust reposed in the Company. The Directors thank the Rating Agencies and Debt Collection Agents who have contributed to the Company's underwriting and recovery efforts respectively. The Directors thank and place on record, the feedback and support received from the Federation of Indian Export Organisations, various Export Promotion Councils, Industrial Organisations, Chambers of Commerce, Trade Organisations and Insurance intermediaries. The Directors place on record, their thanks to the Auditors for the valuable advice and support received from time to time. The Directors express their deep sense of appreciation to all officers and staff who continue to display outstanding dedication and commitment, enabling the Company to retain market leadership in its business operations.

कृते, निदेशक मण्डल

For and on behalf of the Board of Directors

स्वाक्षरी
सृष्टिराज अम्बष्ठ
कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)/
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10375617

Sd/-
Sristiraj Ambastha
Executive Director (Policy Matters)/
Chairman-cum-Managing Director
(Additional Charge)
DIN 10375617

स्थान : मुंबई
दिनांक: 16 मई, 2024

Place: Mumbai
Date: May 16, 2024



कम्पनी शासन / CORPORATE GOVERNANCE

कम्पनी शासन पर ईसीजीसी का दर्शन

कंपनी सम्प्रेषण में पारदर्शिता एवं ईमानदारी तथा सभी हितधारकों के लिए पूर्ण, सटिक एवं स्पष्ट सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए संगत तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों एवं कंपनी शासन की श्रेष्ठ पद्धतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु कंपनी प्रयासरत एवं प्रतिबद्ध है।

कंपनी स्वयं को अपने हितधारकों का ट्रस्टी मानती है तथा हितधारकों की संपत्ति के सृजन, उसकी सुरक्षा तथा हितों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम कंपनी पॉलिसियों, विशिष्ट कारोबार योजनाओं, हामीदारी पॉलिसी/प्रक्रियाओं, विवेकशील जोखिम प्रबंधन पॉलिसियों/प्रथाओं तथा लेखा पॉलिसियों को बनाते एवं कार्यान्वित करते हुए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रही है। सभी पॉलिसियाँ/प्रक्रियाएँ वैधानिक तथा नीतिगत दायित्वों का पालन करते हुए सृजित की गई हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24, में, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी पी ई) द्वारा कंपनी को वित्तीय वर्ष 2022-23, में डी पी ई कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु "उत्कृष्ट" ग्रेड प्रदान की गई है, यह कंपनी शासन के उच्चतम मानकों एवं उत्तम प्रथाओं को दर्शाती है।

निदेशक मण्डल

निदेशक मण्डल रणनीतियाँ एवं पॉलिसियाँ का निर्माण करता है तथा सावधिक रूप से कम्पनी के निष्पादन की समीक्षा करता है। कंपनी के निदेशक मण्डल का गठन कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 63 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 57 द्वारा नियंत्रित होता है। अनुच्छेद 57 एवं 63 यह प्रावधान करता है कि निदेशक मण्डल में एक अध्यक्ष एवं एक प्रबंध निदेशक अथवा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (जहां अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक का पद एक ही व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता हो एवं वहाँ वही व्यक्ति हो), एक कार्यपालक निदेशक / कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) / कार्यपालक निदेशक (परिचालन) / वरिष्ठतम कार्यपालक निदेशक तथा कम से कम तीन एवं अधिकतम 13 अन्य निदेशक हों जिसमें भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय आयात निर्यात बैंक, भारतीय साधारण बीमा निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय निर्यात संगठन महासंघ, निर्यात संवर्धन परिषद तथा निर्यात से जुड़े व्यक्ति शामिल होते हैं। सरकारी कंपनी होने के कारण निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान तिथि तक, निदेशक मंडल में तेरह में से पांच अंशकालिक निदेशकों के पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है।

निदेशक मण्डल में कार्यपालक/कार्यपालक निदेशकों तथा गैर-कार्यपालक निदेशकों का सर्वोत्तम संयोजन है। स्वतंत्र निदेशक (गैर कार्यपालक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक यथा सा क्षेत्र (डी पी ई) दिशानिर्देशों के अनुसार) ने निदेशक मंडल को यह दर्शाते हुए अपने प्रकटनों को प्रस्तुत किया है कि उनके कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता को पूर्ण किया गया है।

ECGC'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

The Company ensures transparency and integrity in communication and makes complete, accurate and precise information available to all its stakeholders. The Company is committed to and is continuously striving to ensure compliance with international standards and best practices of Corporate Governance, as relevant to the Government of India-owned entities.

The Company considers itself as a Trustee of its stakeholders and acknowledges its responsibility towards them for creation and safeguarding the stakeholders' wealth and interests. During the Financial Year under review, the Company continued its pursuit of achieving its objectives through formulation and execution of corporate strategies, specific business plans, underwriting policies/procedures, prudent risk management policies/practices and accounting policies. All policies/procedures are framed conforming to legal and ethical responsibilities.

In the Financial Year 2023-24, the Company has been graded 'Excellent' for compliance with the Department of Public Enterprises (DPE) corporate governance guidelines during the Financial Year 2022-23, reflecting the highest standards of corporate governance and best practices.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors formulates strategies, policies and reviews the performance of the Company periodically. The composition of the Board of Directors of the Company is governed by Article 57 read with Article 63 of the Articles of Association (AOA) of the Company. Articles 57 and 63 of the AOA provide that the Board of Directors shall consist of a Chairman, a Managing Director or a Chairman-cum-Managing Director (where the office is held by one and the same person), an Executive Director/ Executive Director (Policy Matters)/ Executive Director (Operations)/ Senior-most Executive Director and not less than three and not more than thirteen other directors representing the Government of India, Reserve Bank of India, Export-Import Bank of India, General Insurance Corporation of India, Public Sector Banks, Federation of Indian Export Organizations, Export Promotion Councils and Individuals connected with exports. The Company being a Government Company, the appointment of Directors is being done by the Government of India. As of date of this report, the position of one Whole-Time Director i.e. the Chairman-cum-Managing Director and four of the thirteen positions of Part-Time Directors on the Board remain vacant. The process of filling up these vacancies is being pursued with the Government of India.

The Board of Directors has an optimum combination of Executive/ Functional Directors and Non-Executive Directors. The Independent Directors (Non-Executive Part-Time Non-Government Directors i.e. Non-Official Directors as per the DPE Guidelines) have submitted their



निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित कम्पनी की सम्बंधित पक्ष अंतरण (आर पी टी) पॉलिसी यह सुनिश्चित करती है कि सामान्य तथा साधारण व्यापार सम्बंधी सभी सम्बंधित पक्ष अंतरण लेखा परीक्षा समिति एवं / अथवा निदेशक मंडल के ध्यानार्थ / अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं। निदेशक मंडल के सदस्यों तथा मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों (के एम पी) द्वारा किसी भी संविदा में, जिससे वह सम्बंधित हैं, अपने हित का प्रकटन आवश्यक है।

निदेशक मण्डल द्वारा जोखिम प्रबंधन योजना की सावधिक पुनरीक्षा तथा इसके कार्यान्वयन हेतु प्रतिकारक कार्यवाही की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मण्डल में शामिल निदेशकों की योग्यता सहित नाम, नियुक्ति की तारीख तथा श्रेणियाँ, जिनके आधार पर उन्हें नियुक्त किया गया है, जिसका विवरण **तालिका 1** में निम्नानुसार है:

disclosure to the Board that they fulfil all the requirements so as to consider them as Independent Directors under the provisions of the Companies Act, 2013.

The Board-approved Related Party Transactions (RPT) Policy of the Company ensures that all related party transactions in the normal and ordinary course of business are brought to the notice/approval of the Audit Committee and/or Board. The Board Members as well as Key Managerial Personnel (KMP) are required to declare their interest in all the contracts in which they are interested.

The Board periodically reviews and takes remedial action to implement the risk management plan.

The name of Directors on the Board during the Financial Year 2023-24 along with their qualification, dates of appointment and categories under which they were appointed, are furnished in **Table 1** below:

तालिका 1 / Table 1:

क्र. सं. S. No.	निदेशकों के नाम Name of the Directors	शैक्षणिक योग्यता Qualification	निदेशक मंडल में नियुक्ति की तिथि (दिनांक/माह/वर्ष) Date of Appointment on the Board (DD/MM/YYYY)	श्रेणी Category
1.	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)/अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), ईसीजीसी लिमिटेड Shri Sristiraj Ambastha Executive Director (Policy Matters)/ Chairman-cum- Managing Director (Additional Charge), ECGC Ltd.	एम.ए. , एम बी ए, मा सं प्र में स्नातकोत्तर M.A, MBA, Post Graduate in HRM	14/11/2023 (दिनांक 01/11/2023 से अ प्र नि, अतिरिक्त प्रभार) (CMD Additional Charge w.e.f. 01/11/2023)	कार्यपालक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) Functional Director (Whole-Time Director)
2.	श्री विपुल बंसल, 4 भाप्रसे Shri Vipul Bansal, IAS	बी.कॉम, सी ए B.Com., CA	16/11/2021	गैर-कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Commerce & Industry, GOI)
3.	सुश्री अपर्णा भाटिया, आईईएस Smt. Aparna Bhatia, IES	अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, एम. फिल. Post Graduate in Economics, M. Phil.	16/11/2021	गैर-कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वित्तीय मंत्रालय, भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Finance, GOI)
*4.	श्री शिरीष चंद्र मुर्मू कार्यपालक निदेशक, आर बी आई Shri Shirish Chandra Murmu, Executive Director, RBI	एम.एस सी., सी ए आई आई बी M.Sc., CAIIB	10/01/2020	गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Non-Government Director



*5.	सुश्री हर्षा बंगारी, एमडी, एक्जिम बैंक Ms. Harsha Bangari, MD, Exim Bank	बीकॉम, सी ए B.Com., CA	23/09/2021	पदेन गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Ex-Officio Non-Executive Part-Time Non-Government Director
*6.	श्री रामस्वामी नारायणन अ प्र नि, जीआईसी रे Shri Ramaswamy Narayanan CMD, GIC Re	बीकॉम B. Com	30/10/2023	पदेन गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Ex-Officio Non-Executive Part-Time Non-Government Director
*7.	श्री अमित कुमार अग्रवाल Shri Amit Kumar Agarwal	वाणिज्य में स्नातकोत्तर Post Graduate in Commerce	03/11/2021	गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Non-Government Director
*8.	सुश्री प्रतिभा कुशवाहा Smt. Pratibha Kushwaha	मानविकी में स्नातकोत्तर Post Graduate in Humanities	11/11/2021	गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Non-Government Director
*9.	श्री पलनियप्पन मुत्तु बी ए.बी एल, Shri Palaniappan Muthu	बीए. बीएल, डी फार्म, एमएल BA.BL, D. Pharm, ML	15/06/2023	गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Non-Government Director
*10.	डॉ. ए. सक्तिवेल, अध्यक्ष, फियो Dr. A. Sakthivel, President, FIEO	ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा Diploma in Automobile Engineering	09/08/2021 (दिनांक 26/12/2023 से निदेशक नहीं रहें) 09/08/2021 (Ceased to be a Director w.e.f. 26/12/2023)	पदेन गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Ex-Officio Non-Executive Part-Time Non-Government Director
11.	श्री सुनील जोशी, कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले), ईसीजीसी लिमिटेड Shri Sunil Joshi, Executive Director (Policy Matters), ECGC Ltd.	एम.एस सी. (भौतिक विज्ञान) M.Sc. (Physics)	09/07/2020 (दिनांक 31/10/2023 से निदेशक नहीं रहें) (Ceased to be a Director w.e.f. 31/10/2023)	कार्यपालक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) Functional Director (Whole-Time Director)
*12.	श्री देवेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष, जीआईसी रे Shri Devesh Srivastava, CMD, GIC Re	एम.एस सी. (भौतिकी), पी जी डी बी एम M.Sc.(Physics) PGDBM	21/01/2020 (दिनांक 30/09/2023 से निदेशक नहीं रहें) (Ceased to be a Director w.e.f. 30/09/2023)	पदेन गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Ex-Officio Non-Executive Part-Time Non-Government Director
13	श्री एम सेंथिलनाथन, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड Shri M. Senthilnathan Chairman-cum- Managing Director, ECGC Ltd.	बी.एस सी., एम.बी ए. B.Sc., MBA	30/12/2015 दिनांक 29/04/2020 से प्रभावी स म प्र दिनांक 31/07/2023 से अध्यक्ष एवं निदेशक नहीं रहें) 30/12/2015 CMD w.e.f. 29/04/2020 (Ceased to be the Chairman and a Director w.e.f. 31/07/2023)	कार्यपालक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) Functional Director (Whole-Time Director)

* गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक / * Non-Official (Independent) Directors



ई सी जी सी लिमिटेड **ECGC Limited**
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

नये निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

1. श्री सृष्टिराज अम्बस्था

श्री सृष्टिराज अम्बस्था, दिनांक 01.09.2023 से ईसीजीसी लिमिटेड में कार्यपालक निदेशक एवं दिनांक 01.11.2023 से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में कार्यरत हैं। भारत की प्रमुख निर्यात ऋण एजेंसी ईसीजीसी में उनका 28 साल का करियर, उत्पाद एवं पॉलिसी विकास, विपणन, लेखा परीक्षा से लेकर व्यवसायों की अल्पावधि एवं मध्यम तथा दीर्घावधि दोनों क्षेत्रों में अथवा अनुपालन, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण, हामीदारी प्रक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, एवं ईसीजीसी की नई पीढ़ी के सूचना प्रौद्योगिकी मंच का शुभारंभ जैसे व्यापक क्षेत्र तक फैला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख के रूप में, वे विभिन्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मंचों पर ईसीजीसी की ओर से वार्तालाप के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। उन्होंने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कंपनी का प्रतिनिधित्व किया है। वे कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में वक्ता रहे हैं।

वे कंपनी के बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशक होने के साथ-साथ परियोजना निर्यात को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते (एनईआईए) के प्रबंध ट्रस्टी भी हैं। वे भारतीय एक्जिम बैंक के बोर्ड में निदेशक हैं।

उन्होंने 2020 से 2023 की अवधि के दौरान ईसीजीसी के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में कार्य किया है। सीवीओ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उनके द्वारा प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु कई पहल की गई हैं।

उनके पास राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि सहित मार्केटिंग में एमबीए तथा मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की व्यावसायिक योग्यता है।

वे दिनांक 14 नवंबर, 2023 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक हैं।

2. श्री सिद्धार्थ महाजन, आईएसएस

श्री सिद्धार्थ महाजन, आईएसएस 2003 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। अपने दो दशक के शानदार करियर के दौरान, वे राजस्थान सरकार में निवेश प्रोत्साहन, योजना, स्थानीय स्वशासन, वित्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, पंचायती राज, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन, राहत एवं नागरिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहें। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में अपनी नियुक्ति से पहले, उन्होंने कुछ समय के लिए लोकसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया।

श्री महाजन द्वारा जनवरी 2012 से विद्युत, वित्त, शहरी परिवहन, स्मार्ट सिटी, औद्योगिक विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन और लघु उद्योग एवं स्वास्थ्य क्षेत्र अंतर्गत राजस्थान राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में योगदान दिया गया है। उनके पास क्रमशः वर्ष 2013 और 2014 में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य पावर फाइनेंस और वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में एवं राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में सेवा का समृद्ध अनुभव है।

श्री महाजन वर्तमान में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के

BRIEF DESCRIPTION OF NEW DIRECTORS

1. Shri Sristiraj Ambastha

Shri Sristiraj Ambastha is the Executive Director in ECGC Limited since 01.09.2023 and Chairman-cum-Managing Director (Additional Charge) since 01.11.2023. His 28-year career at ECGC, the premier export credit agency of India, spans a broad range of areas in both the short-term and medium-and-long-term lines of businesses, ranging from product and policy development, marketing, audit and compliance, human resource development, training, underwriting methods, international relations, and the launch of the new generation information technology platform of ECGC. As the head of International Relations, he has been key to ECGC's interactions at various bilateral and multilateral forums. He has represented the Company at various international forums. He has been a speaker at many national and international conferences.

He is a Whole-Time Director on the Board of the Company as well as the Managing Trustee of the National Export Insurance Account (NEIA), set up by the Government of India to promote project exports. He is a Director on the Board of India EXIM Bank.

He has served as a Chief Vigilance Officer (CVO) of ECGC during the period 2020 to 2023. During his tenure as CVO, he took a lot of initiatives to ensure greater transparency in the systems and processes.

He holds a Master's degree in Political Science and holds a professional qualification of MBA in Marketing and Post Graduate Diploma in Human Resource Management.

He is a Director on the Board of the Company since November 14, 2023.

2. Shri Siddharth Mahajan, IAS

Shri Siddharth Mahajan, IAS is an Indian Administrative Service officer of the 2003 batch. During his glorious two-decade career, he held various positions in the Government of Rajasthan in the areas of Investment Promotion, Plan, local self-Government, Finance, Food & Civil Supplies, Consumer Affairs, Panchayati Raj, Medical & Health and Family Welfare, Disaster Management & Relief and Civil Defence etc. Prior to his posting in the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India, he served as a Joint Secretary in the Lok Sabha Secretariat for a brief period.

Shri Mahajan contributed as a Director since January 2012 on the Boards of numerous Rajasthan State Public Sector Enterprises spread across Power, Finance, Urban Transport, Smart Cities, Industrial Development, Renewable Energy, Tourism and Small Industries and Health. He has rich experience of serving as a Managing Director of Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Ltd., Rajasthan State Power Finance and Financial Services Corporation Ltd. in the year 2013 and 2014 respectively, and Chairman, Rajasthan Medical Services Corporation Limited.

Shri Mahajan is presently posted in the Department of



वाणिज्य विभाग में तैनात हैं एवं वित्त व्यापार, विदेश व्यापार (आसियान), निर्यात प्रोत्साहन (रत्न एवं आभूषण), किम्बर्ली प्रक्रिया, आसियान-भारत व्यापार वार्ता के साथ एक्जिम बैंक, विदेश व्यापार (दक्षिण एशिया/सार्क/ईरान) संविभागों का कार्यभार संभाल रहे हैं।

श्री महाजन को विधि एवं अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त है।

वे दिनांक 16 अप्रैल, 2024 को कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं।

3. श्री रामस्वामी नारायणन

श्री रामस्वामी नारायणन 1988 में सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में जीआईसी की सेवाओं में शामिल हुए और पिछले तीन दशकों से, वे जीआईसी के अंतर्गत विभिन्न कार्यों में शामिल रहे हैं।

पुनर्बीमा कार्यों सहित उन्होंने सभी गैर-जीवन क्षेत्रों जैसे अग्नि, अभियांत्रिकी, विविध, मोटर, देयता, विमानन, समुद्री व कृषि एवं विश्व भर के अधिकांश क्षेत्रों में भी कार्यरत रहें हैं। भारतीय बीमा बाजार में कारोबार संविभाग में कार्यरत रहने के दौरान, उन्होंने तीव्र परिवर्तनशील गैर-टैरिफ पोर्टफोलियो से संबंधित कई चुनौतियों का सामना किया है, जिसमें विभिन्न संधियों को उद्धृत करना एवं नेतृत्व करना और संविभाग की सुरक्षा के साथ-साथ पूंजी रियायत प्रदान करने के लिए ग्राहकों को आउट-ऑफ-द-बॉक्स समाधान भी प्रदान किया जाना है।

सीईओ, यूके के रूप में अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल में, वे शाखा के परिचालन, जीआईसी (जीआईसी 1947) के नए स्थापित लॉयड्स सिंडिकेट को संभालने के साथ-साथ जीआईसी के कॉर्पोरेट सदस्य के रूप में भी कार्यरत रहे हैं।

प्रधान कार्यालय में पुनः वे महत्वाकांक्षी परियोजना 'प्रोजेक्ट परिवर्तन', मानव संसाधन की एक पहल, को लागू करने में कार्यरत रहे, जो कि भविष्य में जीआईसी में एक गेम चेंजर के रूप में साबित होगा।

वे दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 को कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं।

4. श्री अश्वनी कुमार, स्वतंत्र निदेशक

श्री अश्वनी कुमार, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (एफआईओ) के अध्यक्ष हैं एवं दिनांक 13 जुलाई, 2023 से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआईटी), जालंधर (एनआईटी जे टीबीआई) के शासकीय निकाय के सदस्य भी हैं। निर्यातकों के मामलों के दृढ़ समर्थक, श्री अश्वनी कुमार ने पहले 2022-2024 तक दो वर्षों की अवधि के लिए एफआईओ (उत्तरी क्षेत्र) के सह-सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। वर्ष 2018-2020 एवं वर्ष 2021-2022 तक दो वर्षों की अवधि के लिए एफआईओ (उत्तरी क्षेत्र) के क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में एवं वर्ष 2014-2016 तक एफआईओ की प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में भी उन्हें चयनित किया गया।

निर्यात में दशकों से अधिक के अनुभव के साथ व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र के एक दूरदर्शी लीडर के रूप में, उन्होंने व्यापार के विस्तार के लिए वर्ष 1979 से बड़े पैमाने पर यात्राएं की हैं तथा उन्होंने जालंधर फोकल प्वाइंट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सदस्य, जालंधर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट सोसायटी के सचिव एवं ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए), नई दिल्ली से संबद्ध जालंधर मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई है।

Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India and handling the portfolios of Trade Finance, Foreign Trade (ASEAN), Export Promotion (Gems & Jewellery), Kimberley Process, EXIM Bank along with ASEAN-India Trade negotiations, Foreign Trade (South Asia/SAARC/Iran), etc.

Shri Mahajan is a Law graduate and holds a Bachelor degree in Economics.

He joined as a Director on the Board of the Company on April 16, 2024.

3. Shri Ramaswamy Narayanan

Shri Ramaswamy Narayanan joined GIC as a direct recruit officer in 1988 and over the last three decades, he has been involved in various functions within GIC.

In his association with the reinsurance function, he has handled all the non-life classes like Fire, Engineering, Miscellaneous, Motor, Liability, Aviation, Marine and Agriculture and also most of the territories around the world. While handling the business portfolio in the Indian insurance market, he has handled many challenges in the fast-changing non-tariffed portfolio, which included quoting for and leading many treaties, as well as providing out-of-the-box solutions to clients to cater to both protecting the portfolio as well as providing capital relief.

In his tenure of four and half years as CEO, UK he was involved in handling the operations of the Branch, the newly setup Lloyds syndicate of GIC (GIC 1947) as well as the Corporate Member of GIC.

Back in Head Office, he was involved in implementing the ambitious 'Project Parivartan', an HR initiative, which should prove to be a game changer in GIC, going forward.

He joined as a Director on the Board of the Company on October 30, 2023.

4. Shri Ashwani Kumar, Independent Director

Shri Ashwani Kumar is the President of the Federation of Indian Export Organizations (FIEO) and also a Governing Body Member of National Institute of Technology (NIT), Jalandhar (NIT J TBI) since July 13, 2023. A staunch votary of exporters issues, Shri Ashwani Kumar has earlier also served as an Associate Member of FIEO (Northern Region) for a term of two years from 2022-2024, as the Regional Chairman of FIEO (Northern Region) for a term of two years from 2018-2020 and 2021-2022 and he was also elected as a Member of the Managing Committee of FIEO from the year 2014-2016.

A visionary in trade and an industry leader with experience over decades in exports, he has travelled extensively since 1979 for expansion of business and played an active role as a Member of Jalandhar Focal Point Industries Association, Secretary of Jalandhar Effluent Treatment Society, Chairman of Jalandhar Management Association which is affiliated to All India Management Association (AIMA), New Delhi.

Shri Ashwani Kumar has contributed immensely to the growth of exports, and strongly encouraged exports by MSMEs. He is an active member of the Integrated Association of SME of India, Jalandhar Chapter.



श्री अश्वनी कुमार द्वारा निर्यात की वृद्धि हेतु अधिक योगदान किया गया है एवं एमएसएमई द्वारा निर्यात को दृढ़ता से प्रोत्साहित किया गया है। वे इंटीग्रेटेड एसोसिएशन ऑफ़ एसएमई ऑफ़ इंडिया, जालंधर चैप्टर के सक्रिय सदस्य हैं।

श्री कुमार विक्टर फोर्जिंग्स, जालंधर के प्रबंध भागीदार हैं।

श्री कुमार को वाणिज्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त है।

वे दिनांक 07 मई, 2024 को कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं।

5. श्री पलनियप्पन मुत्तु

श्री पलानीयप्पन मुत्तु 25 वर्षों से अधिक समय से वकालत का कार्य कर रहे हैं। वे वर्ष 1997 से तमिलनाडु बार काउंसिल के सदस्य हैं। उनकी वकालत पुदुक्कोट्टई, चेन्नई एवं मदुरै तक फैली हुई है।

उनकी शैक्षणिक योग्यता बीए, बीएल, डी.फार्मा एवं एम.एल. हैं।

वह दिनांक 15 जून, 2023 को कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में शामिल हुए।

उन्होंने दिनांक 1 अप्रैल, 2022 से दिनांक 31 जनवरी, 2023 की अवधि के लिए ज़ेडआरयूसीसी दक्षिणी रेलवे में राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्ता सलाहकार परिषद (एनआरयूसीसी) के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया है।

निदेशकों हेतु परिचय एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

नए निदेशक के आगमन पर, नए निदेशक को स्वागत पत्र के साथ कंपनी अधिनियम 2013 तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम व भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों सहित अन्य लागू नियम / विनियमों के अधीन निदेशक के रूप में उनके द्वारा किए जाने वाले अनुपालनों की सूची तथा उनके द्वारा निर्वाह किए जाने वाले कर्तव्यों तथा दायित्वों के विवरण सौंपे जाते हैं। निदेशक से सभी संगत प्रकटन प्राप्त किए जाते हैं। कंपनी के प्रबंधन समिति द्वारा, नए निदेशक को कंपनी के संबंध में उनकी भूमिका तथा दायित्वों, कंपनी शासन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं तथा अन्य संगत जानकारी के साथ साथ कंपनी के परिचालनों, महत्वपूर्ण नीतियों तथा कंपनी के विभिन्न सेक्टरों/विभागों की जानकारी प्रदान की जाती है। निदेशकों को विभिन्न प्रचलित संस्थानों/भारत सरकार, जैसे राष्ट्रीय बीमा अकादमी (एनआईए), भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण (आईआरडीएआई), स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ़ पब्लिक एंटरप्राइजेज़ (स्कोप), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ कॉर्पोरेट अफ़ेयर्स (आईआईसीए), सार्वजनिक उद्यम विभाग आदि द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न निदेशक मंडल संबंधी प्रथाओं संबंधी कार्यक्रमों तथा उन्मुखीकरण कार्यक्रमों आदि में भाग लेने के लिए नामित तथा प्रायोजित किया जाता है।

निदेशक मंडल/ समिति की बैठकों के दौरान कंपनी की आंतरिक प्रशिक्षण नीति के अंतर्गत सभी निदेशकों को नियमित रूप से कॉर्पोरेट गवर्नेंस तथा कंपनी पर लागू अन्य नियमों तथा प्रावधानों आदि से अवगत कराया जाता है।

समय-समय पर विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण की तिथियों पर निदेशकों के पूर्व-व्यवसाय/व्यस्त कार्यक्रम के कारण, कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित निदेशकों के अतिरिक्त किसी भी निदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जा सका है:

Shri Kumar is Managing Partner of Victor Forgings, Jalandhar.

Shri Kumar is a Commerce Graduate.

He joined as a Director on the Board of the Company on May 07, 2024.

5. Shri Palaniappan Muthu

Shri Palaniappan Muthu is a practicing advocate for more than 25 years. He is a member of the Bar Council of Tamil Nadu since 1997. His legal practice spanned across Pudukkottai, Chennai and Madurai.

His education qualifications are BA, BL, D.Pharm and M.L.

He joined as a Director on the Board of the Company on June 15, 2023.

He served as the representative from ZRUCC Southern Railway to National Railway Users' Consultative Council (NRUCC) for the period from April 1, 2022 to January 31, 2023.

DETAILS OF FAMILIARISATION & TRAINING PROGRAMMES FOR DIRECTORS

At the time of induction of a new Director, a welcome letter is addressed to the new Director along with details of duties and responsibilities required to be performed as a Director, in addition to the compliances required by him/her under the Companies Act, 2013 and other applicable statutes/rules/regulations including the Department of Public Enterprises (DPE) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) applicable guidelines. Relevant Disclosures are taken from the Director. The Management of the Company familiarises the new Director regarding the Company, its operations, important policies and processes followed by various sectors/departments of the Company, including their roles and responsibilities, the governance and internal control processes and other relevant important information concerning the Company. The Directors are also regularly encouraged and sponsored for attending important training programmes pertaining to Board-related practices and orientation programmes etc. conducted by various Institutes of repute like National Insurance Academy (NIA), Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Department of Public Enterprises (DPE) etc.

All Directors are regularly updated on the various provisions related to corporate governance and other applicable rules and regulations of the Company during the Board/Committee meetings as per the internal training policy for the Directors of the Company.

Due to pre-occupation/busy schedule of the Directors on the dates of training organised by various Institutions from time-to-time, the Company could not impart training to all the Directors till date except to the following Directors during Financial Year 2023-24:



क्रम संख्या	प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण	नामित निदेशक
1.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) द्वारा 28-29 जुलाई, 2023 तक कोवलम, तिरुवनंतपुरम, केरल में स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम	श्री पलनियप्पन मुत्तु
2.	सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा एंव अक्टूबर को नई दिल्ली में स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रारंभिक कार्यशाला का आयोजन किया गया	श्री पलनियप्पन मुत्तु
3.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) द्वारा 27-28 नवंबर, 2023 तक गोवा में स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम	श्री पलनियप्पन मुत्तु
4.	इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स (आईओडी) द्वारा 06-07 जनवरी, 2024 एवं 13-14 जनवरी, 2024 तक निदेशकों के लिए मास्टरक्लास (वर्चुअल ट्रेनिंग) का आयोजन	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
5.	इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स (आईओडी) द्वारा 12-14 जनवरी, 2024 तक मुंबई में निदेशकों के लिए मास्टरक्लास का आयोजन	श्री रामस्वामी नारायणन
6.	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा सीपीएसई के कार्यात्मक निदेशकों के लिए 19-20 जनवरी, 2024 तक गुवाहाटी, असम में अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
7.	सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा 21-22 मार्च, 2024 तक वाराणसी, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	(क) श्री अमित कुमार अग्रवाल (ख) सुश्री प्रतिभा कुशवाह

S. No.	Details of Training Program	Directors Nominated
1.	Familiarization program for Independent Directors organised by the Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) from July 28-29, 2023 in Kovalam, Thiruvananthapuram, Kerala.	Shri Palaniappan Muthu
2.	Induction Workshop for Independent Directors organized by the Department of Public Enterprises on 5 th and 6 th October, 2023 in New Delhi	Shri Palaniappan Muthu
3.	Orientation Program for Independent Directors organised by the Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) from November 27-28, 2023 in Goa.	Shri Palaniappan Muthu
4.	Masterclass for Directors organised by Institute of Directors (IOD) from January 06-07, 2024 & January 13-14, 2024 (Virtual training).	Shri Sristiraj Ambastha
5.	Masterclass for Directors organised by Institute of Directors (IOD) from January 12-14, 2024 in Mumbai.	Shri Ramaswamy Narayanan
6.	Orientation Program for functional directors of CPSEs organized by the Department of Public Enterprises (DPE) from January 19-20, 2024 at Guwahati, Assam.	Shri Sristiraj Ambastha
7.	Training Programme for Independent Directors of the Central Public Sector Enterprises (CPSEs) organized by the Department of Public Enterprises from March 21-22, 2024 at Varanasi, Uttar Pradesh.	(a) Shri Amit Kumar Agarwal (b) Smt. Pratibha Kushwaha

**वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निदेशक मंडल की बैठकों का विवरण**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल को प्रत्येक वर्ष कम से कम चार बार बैठकें इस प्रकार से आयोजित किए जाने की आवश्यकता होती है, जहाँ निदेशक मंडल की लगातार दो बैठकों के मध्य 120 दिनों अथवा ऐसी विस्तारित अवधि से अधिक का अंतर नहीं हो। कंपनी सभी निदेशकों को नोटिस, एजेंडा एवं एजेंडे पर नोट्स भेजती है, जो निदेशक मंडल की बैठक हेतु भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों के अनुपालन में विस्तृत प्रकृति के होते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 174 के अनुसार, कंपनी के निदेशकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल साधन (ओएवीएम) सुविधा प्रदान करती है, जिससे आवश्यक होने पर वे निदेशक मंडल/समिति की बैठकों में भाग ले सकें। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, निदेशकों के संघटन में परिवर्तन के कारण दिनांक 15/06/2023, 31/07/2023, 30/09/2023, 30/10/2023, 31/10/2023, 14/11/2023 एवं 26/12/2023 को कंपनी के निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया गया। श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)/ अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), दिनांक 14 नवंबर, 2023 से निदेशक मंडल के अध्यक्ष हैं। कंपनी की कंपनी सचिव सुश्री स्मिता पंडित निदेशक मंडल की सचिव हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल की चार बार बैठक हुई। निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण एवं बैठकों की तारीख का विवरण निम्न तालिका 2 में प्रदान किया गया है:

DETAILS OF THE MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR FINANCIAL YEAR 2023-24

The Board of Directors is required to meet at least four times every year in such a manner that not more than 120 days or such extended period shall intervene between two consecutive meetings of the Board, pursuant to the provisions of Section 173 of the Companies Act, 2013. The Company sends to all Directors notices, agenda and notes to agenda which are exhaustive in nature in compliance with Secretarial Standards on Board Meeting issued by the Institute of Company Secretaries of India. Pursuant to Section 174 of the Companies Act, 2013, the Company provides video conferencing/ Other Audio-Visual Means (OAVM) facility to the Directors to enable them to participate in the Board/ Committee meetings, if they so desire. During the Financial Year 2023-24, the Board of Directors of the Company was re-constituted on 15/06/2023, 31/07/2023, 30/09/2023, 30/10/2023, 31/10/2023, 14/11/2023 and 26/12/2023 due to change in the composition of Directors. Shri Sristiraj Ambastha, Executive Director (Policy Matters)/ Chairman-cum-Managing Director (Additional Charge) is the Chairman of the Board of Directors w.e.f. November 14, 2023. Smt. Smita Pandit, Company Secretary of the Company is the Secretary to the Board of Directors.

The Board of Directors met four times during the Financial Year 2023-24. The details of the attendance of the Directors at the Board Meetings along with the date of Meetings of the Board are furnished below in **Table 2**:

तालिका 2 / Table 2

क्र.सं. S. No.	बैठक संख्या Meeting Number	बैठक की तिथि (दिनांक/माह/वर्ष) Date of the Meeting	निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या Board Strength	उपस्थित निदेशकों की संख्या No. of Directors present
1.	442	04/05/2023	10	9
2.	443	27/07/2023	11	10
3.	444	09/11/2023	9	5
4.	445	09/02/2024	9	6

निदेशक मंडल की बैठकों एवं वार्षिक साधारण बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण क्रमशः तालिका 3 एवं तालिका 4 में प्रस्तुत है।

Details of attendance of the all the Directors at the Board Meetings and Annual General Meeting are furnished below in **Table 3** and **Table 4** respectively.



निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

DETAILS OF ATTENDANCE OF THE DIRECTORS AT THE BOARD MEETINGS

तालिका 3 / Table 3

निदेशकों के नाम Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति Nature of Directorship	निदेशक मंडल में पद Designation in the Board	बैठक दिनांक Meeting dated 04/05/2023	बैठक दिनांक Meeting dated 27/07/2023	बैठक दिनांक Meeting dated 09/11/2023	बैठक दिनांक Meeting dated 09/02/2024
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ* Shri Sristiraj Ambastha*	कार्यपालक निदेशक Executive Director	अध्यक्ष (दि. 14/11/2023 से अतिरिक्त प्रभार) Chairman (Additional Charge - (w.e.f. 14/11/2023)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	उपस्थित Present
श्री विपुल बंसल Shri Vipul Bansal	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present
सुश्री अपर्णा भाटिया Smt. Aparna Bhatia	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent
श्री एस.सी. मुर्मू Shri S.C. Murmu	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent
सुश्री हर्षा बंगारी Ms. Harsha Bangari	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री रामस्वामी नारायणन Shri Ramaswamy Narayanan	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक (दि. 30/10/2023 से) Independent Director (w.e.f. 30/10/2023)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present
श्री अमित कुमार अग्रवाल Shri Amit Kumar Agarwal	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent
सुश्री प्रतिभा कुशवाहा Smt. Pratibha Kushwaha	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री पलनियप्पन मुत्तु Shri Palaniappan Muthu	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक (दि. 15/06/2023 से) Independent Director (w.e.f. 15/06/2023)	लागू नहीं NA	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present



निदेशकों के नाम Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति Nature of Directorship	निदेशक मंडल में पद Designation in the Board	बैठक दिनांक Meeting dated 04/05/2023	बैठक दिनांक Meeting dated 27/07/2023	बैठक दिनांक Meeting dated 09/11/2023	बैठक दिनांक Meeting dated 09/02/2024
डॉ ए शक्तिवेल Dr. A. Sakthivel	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक (दि. 26/12/2023 तक) Independent Director (ceased w.e.f. 26/12/2023)	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	लागू नहीं NA
श्री सुनील जोशी Shri Sunil Joshi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	पूर्णकालिक निदेशक (दि. 31/10/2023 तक) Whole-Time Director (ceased w.e.f. 31/10/2023)	उपस्थित Present	उपस्थित Present	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक (दि. 30/09/2023 तक) Independent Director (ceased w.e.f. 30/09/2023)	उपस्थित Present	उपस्थित Present	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री एम सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	कार्यपालक निदेशक Executive Director	अध्यक्ष (पूर्णकालिक) (दि. 31/07/2023 तक) Chairman (Whole-Time) (ceased w.e.f. 31/07/2023)	उपस्थित Present	उपस्थित Present	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

*दिनांक 01/11/2023 से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

*Assigned Additional Charge as Chairman-cum-Managing Director w.e.f. 01/11/2023.

वार्षिक साधारण बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

DETAILS OF ATTENDANCE OF THE DIRECTORS AT THE ANNUAL GENERAL MEETING

तालिका 4 / Table 4

निदेशक का नाम Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति Nature of Directorship	निदेशक मंडल में पद Designation on the Board	28 जुलाई, 2023 को आयोजित 65 TH वार्षिक साधारण बैठक 65 TH Annual General Meeting held on July 28, 2023
श्री एम सेंथिलनाथन (दि. 31/07/2023 तक) Shri M. Senthilnathan (Ceased w.e.f. 31/07/2023)	कार्यपालक निदेशक Executive Director	अध्यक्ष (पूर्णकालिक) Chairman (Whole-Time)	उपस्थित Present
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ (दि. 14/11/2023 से नियुक्त) Shri Sristiraj Ambastha (Appointed w.e.f. 14/11/2023)	कार्यपालक निदेशक Executive Director	अध्यक्ष (दि. 01/11/2023 से अतिरिक्त प्रभार) Chairman (Additional Charge) (w.e.f. 01/11/2023)	लागू नहीं NA



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

निदेशक का नाम Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति Nature of Directorship	निदेशक मंडल में पद Designation on the Board	28 जुलाई, 2023 को आयोजित 65वीं वार्षिक साधारण बैठक 65th Annual General Meeting held on July 28, 2023
श्री विपुल बंसल Shri Vipul Bansal	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	उपस्थित Present
सुश्री अपर्णा भाटिया Smt. Aparna Bhatia	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	उपस्थित Present
श्री एस.सी. मुर्मू Shri S.C. Murmu	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	अनुपस्थित Absent
सुश्री हर्षा बंगारी Ms. Harsha Bangari	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	अनुपस्थित Absent
श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present
श्री रामस्वामी नारायणन (दि. 30/10/2023 से नियुक्त) Shri Ramaswamy Narayanan (Appointed w.e.f. 30/10/2023)	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	लागू नहीं NA
डॉ ए शक्तिवेल Dr. A. Sakthivel	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present
श्री अमित कुमार अग्रवाल Shri Amit Kumar Agarwal	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present
सुश्री प्रतिभा कुशवाहा Smt. Pratibha Kushwaha	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present
श्री पलनियप्पन मुत्तु Shri Palaniappan Muthu	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present
श्री सुनील जोशी Shri Sunil Joshi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	पूर्णकालिक निदेशक Whole-Time Director	उपस्थित Present



दिनांक 31 मार्च, 2024 तक निदेशकों द्वारा धारित अन्य निदेशक पदों का विवरण निम्न तालिका 5 में प्रस्तुत किया गया है ।
DETAILS OF OTHER DIRECTORSHIPS HELD BY THE DIRECTORS AS OF MARCH 31, 2024 ARE FURNISHED
BELOW IN TABLE 5.

तालिका 5 / Table 5

निदेशक का नाम Name of the Director	अन्य धारित निदेशक पदों की संख्या* No. of other Directorships held *
श्री एम सेंथिलनाथन (दि. 31/07/2023 तक) Shri M. Senthilnathan (Ceased w.e.f. 31/07/2023)	0
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ (दि. 14/11/2023 से नियुक्त) Shri Sristiraj Ambastha (Appointed w.e.f. 14/11/2023)	0
श्री विपुल बंसल Shri Vipul Bansal	2
सुश्री अपर्णा भाटिया Smt. Aparna Bhatia	0
श्री एस.सी. मुर्मू Shri S.C. Murmu	0
सुश्री हर्षा बंगारी Ms. Harsha Bangari	0
श्री देवेश श्रीवास्तव (दि. 30/09/2023 तक) Shri Devesh Srivastava (Ceased w.e.f. 30/09/2023)	4
श्री रामस्वामी नारायणन (दि. 30/10/2023 से नियुक्त) Shri Ramaswamy Narayanan (Appointed w.e.f. 30/10/2023)	2
डॉ ए शक्तिवेल (दि. 26/12/2023 तक) Dr. A. Sakthivel (Ceased w.e.f. 26/12/2023)	5
श्री अमित कुमार अग्रवाल Shri Amit Kumar Agarwal	0
सुश्री प्रतिभा कुशवाहा Smt. Pratibha Kushwaha	0
श्री पलनियप्पन मुत्तु (दि. 15/06/2023 से नियुक्त) Shri Palaniappan Muthu (Appointed w.e.f. 15/06/2023)	0
श्री सुनील जोशी (दि. 31/10/2023 तक) Shri Sunil Joshi (Ceased w.e.f. 31/10/2023)	0

* निजी कंपनियों, विदेशी कंपनियों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत कंपनियों में निदेशकों को छोड़कर कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों में निदेशक।

*Directorship in companies registered under the Companies Act, 2013, excluding directorships in private companies, foreign companies and companies under Section 8 of the Companies Act, 2013.

लेखा-परीक्षा समिति- संगठन एवं उपस्थिति

लेखापरीक्षा समिति का उद्देश्य कंपनी के संपूर्ण लेखापरीक्षा कार्यों की निगरानी करना एवं उन्हें मार्गदर्शन करना है, अर्थात् कंपनी के भीतर आंतरिक लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण का पर्यवेक्षण करना तथा कंपनी के वैधानिक/बाह्य लेखापरीक्षकों एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा उठाए गए मामलों पर की गई कार्रवाई का अनुपालन करना।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी की लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन दिनांक 30/09/2023, 30/10/2023 एवं 26/12/2023 को किया गया। लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013

AUDIT COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The objective of the Audit Committee is to oversee and provide direction to the total audit functions of the Company i.e. supervision of internal audit and inspection within the Company and follow up action taken on points raised by the statutory/ external auditors of the Company and the Comptroller & Auditor General of India.

During the Financial Year 2023-24, the Audit Committee of the Company was re-constituted on 30/09/2023, 30/10/2023 and 26/12/2023. The constitution of the Audit Committee meets with the requirements of Section 177 of the Companies Act, 2013. As of 31/03/2024, the Audit Committee of the Company comprises of five Non-



की धारा 177 की अपेक्षाओं को पूर्ण किया जाना है। दिनांक 31/03/2024 तक कंपनी की लेखा परीक्षा समिति में पाँच गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं, जिनमें से दो सरकारी निदेशक एवं तीन स्वतंत्र निदेशक हैं।

श्री रामस्वामी नारायणन, गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक, दिनांक 09 नवंबर, 2023 से लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। कंपनी की कंपनी सचिव सुश्री स्मिता पंडित लेखा परीक्षा समिति की सचिव हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की चार बार बैठक हुई है। समिति की बैठकों की तिथि के साथ लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्न तालिका 6 में प्रस्तुत है:

Executive Directors out of which two are Government Directors and three are Independent Directors.

Shri Ramaswamy Narayanan, Non-Executive Independent Director is the Chairman of the Audit Committee w.e.f. November 09, 2023. Smt. Smita Pandit, Company Secretary of the Company is the Secretary to the Audit Committee. The Audit Committee met four times during the Financial Year 2023-24. The details of the attendance of the Members at the Audit Committee meetings along with the date of meetings of the Committee are furnished below in **Table 6**:

तालिका 6 / Table 6

निदेशकों के नाम Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति Nature of Directorship	समिति में पद Designation in the Board Committee	बैठक दिनांक Meeting dated 03/05/2023	बैठक दिनांक Meeting dated 25/07/2023	बैठक दिनांक Meeting dated 08/11/2023	बैठक दिनांक Meeting dated 07/02/2024
श्री रामस्वामी नारायणन Shri Ramaswamy Narayanan	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	अध्यक्ष (दि. 09/11/2023 से), सदस्य (दि. 30/10/2023 से) Chairman (w.e.f. 09/11/2023) Member (w.e.f. 30/10/2023)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री विपुल बंसल Shri Vipul Bansal	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent
सुश्री अपर्णा भाटिया Smt. Aparna Bhatia	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present
श्री एस.सी. मुर्मू Shri S.C. Murmu	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent
सुश्री हर्षा बंगारी Ms. Harsha Bangari	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
डॉ ए शक्तिवेल Dr. A. Sakthivel	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक (दि. 26/12/2023 तक) Independent Director (ceased w.e.f. 26/12/2023)	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	लागू नहीं NA
श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	अध्यक्ष (स्वतंत्र) (दि. 30/09/2023 तक) Chairman (Independent) (ceased w.e.f. 30/09/2023)	उपस्थित Present	उपस्थित Present	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA



निवेश समिति – गठन एवं उपस्थिति

निवेश समिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निवेश परिचालन निवेश नीति और निवेश रणनीति के ढांचे के अनुरूप संचालित किए जाएं तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन किया जाए।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी की निवेश समिति का पुनर्गठन दिनांक 07/06/2023, 08/06/2023, 31/07/2023, 30/09/2023, 30/10/2023, 31/10/2023, 02/11/2023 एवं 14/11/2023 को किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निवेश समिति की चार बार बैठक हुई। श्री सृष्टिराज अम्बाष्ठ, कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), दिनांक 14 नवंबर, 2023 से निवेश समिति के अध्यक्ष हैं। कंपनी की कंपनी सचिव श्रीमती स्मिता पंडित निवेश समिति की सचिव हैं। निवेश समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण तथा बैठकों की तिथि निम्न तालिका 7 में प्रस्तुत है:

INVESTMENT COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The objective of the Investment Committee is to ensure that the investment operations are conducted within the framework of Investment Policy and Investment Strategy complying with the Standard Operating Procedure as approved by the Board.

During the Financial Year 2023-24, the Investment Committee of the Company was re-constituted on 07/06/2023, 08/06/2023, 31/07/2023, 30/09/2023, 30/10/2023, 31/10/2023, 02/11/2023 and 14/11/2023. The Investment Committee met four times during the Financial Year 2023-24.

Shri Sristiraj Ambastha, Executive Director (Policy Matters)/ Chairman-cum-Managing Director (Additional Charge) is the Chairman of the Investment Committee w.e.f. November 14, 2023. Smt. Smita Pandit, Company Secretary of the Company is the Secretary to the Investment Committee. The details of the attendance of the Members of the Investment Committee Meetings along with the date of the meetings are furnished below in Table 7:

तालिका 7 / Table 7

निदेशकों का नाम/के एस पी Name of the Director/ KMP	निदेशक पद की प्रकृति / मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति Nature of Directorship/ Position of KMP	समिति में पद Designation in the Committee	बैठक दिनांक Meeting dated 03/05/2023	बैठक दिनांक Meeting dated 25/07/2023	बैठक दिनांक Meeting dated 08/11/2023	बैठक दिनांक Meeting dated 07/02/2024
श्री सृष्टिराज अम्बाष्ठ Shri Sristiraj Ambastha	कार्यपालक निदेशक Executive Director	अध्यक्ष (दि. 14/11/2023 से (अतिरिक्त प्रभार) Chairman (Additional Charge) (w.e.f. 14/11/2023)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	उपस्थित Present
श्री विपुल बंसल Shri Vipul Bansal	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent
सुश्री अपर्णा भाटिया Smt. Aparna Bhatia	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present
श्री एस.सी. मुर्मू Shri S.C. Murmu	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent
सुश्री हर्षा बंगारी Ms. Harsha Bangari	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री रामस्वामी नारायणन Shri Ramaswamy Narayanan	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक (दि. 30/10/2023 से) Independent Director (w.e.f. 30/10/2023)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present
श्री अभिषेक जैन Shri Abhishek Jain	सी एफ ओ CFO	सदस्य (07/06/2023 से) Member (w.e.f. 07/06/2023)	लागू नहीं NA	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

निदेशकों का नाम/के एस पी Name of the Director/ KMP	निदेशक पद की प्रकृति / मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति Nature of Directorship/ Position of KMP	समिती में पद Designation in the Committee	बैठक दिनांक Meeting dated 03/05/2023	बैठक दिनांक Meeting dated 25/07/2023	बैठक दिनांक Meeting dated 08/11/2023	बैठक दिनांक Meeting dated 07/02/2024
श्री गौरव अंशुमान Shri Gaurav Anshuman	सी आर ओ CRO	सदस्य (दि. 02/11/2023 से) Member (w.e.f. 02/11/2023)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	उपस्थित Present	उपस्थित Present
सुश्री प्रिसिल्ला सिन्हा Smt. Priscilla Sinha	नियुक्त बीमांकिक Appointed Actuary	सदस्य Member	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री यशवंत ब्रीद Shri Yashwant Breed	सी आई ओ CIO	सदस्य Member	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री पी.एल.ठाकुर Shri P.L. Thakur	सी आर ओ CRO	सदस्य (दि. 08/06/2023 से 02/11/2023 तक) Member (w.e.f. 08/06/2023 - ceased w.e.f. 02/11/2023)	लागू नहीं NA	उपस्थित Present	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री सुनील जोशी Shri Sunil Joshi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	पूर्णकालिक निदेशक (दि. 31/10/2023 तक) Whole-Time Director (ceased w.e.f. 31/10/2023)	उपस्थित Present	उपस्थित Present	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक (दि. 30/09/2023 तक) Independent Director (ceased w.e.f. 30/09/2023)	उपस्थित Present	उपस्थित Present	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री एम सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	कार्यपालक निदेशक Executive Director	अध्यक्ष (पूर्णकालिक) (दि. 31/07/2023 तक) Chairman (Whole-Time) (ceased w.e.f. 31/07/2023)	उपस्थित Present	उपस्थित Present	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री आनंद सिंह Shri Anand Singh	सी आर ओ CRO	सदस्य (दि. 08/06/2023 तक) Member (ceased w.e.f. 08/06/2023)	उपस्थित Present	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री ईश नाथ झा Shri Ish Nath Jha	सी एफ़ ओ CFO	सदस्य (दि. 07/06/2023 तक) Member (ceased w.e.f. 07/06/2023)	उपस्थित Present	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

सी आर ओ – मुख्य जोखिम अधिकारी, सी एफ़ ओ – मुख्य वित्तीय अधिकारी, सी आई ओ – मुख्य निवेश अधिकारी, के एम पी – मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति

CRO – Chief Risk Officer, CFO – Chief Financial Officer, CIO – Chief Investment Officer, KMP – Key Managerial Person

**पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति – गठन एवं उपस्थिति**

'पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति' का उद्देश्य पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना है, जिसके लिए विक्रय, विपणन, विज्ञापन, संवर्धन, प्रचार, ग्राहक शिकायत निवारण एवं उपभोक्ता जागरूकता एवं शिक्षा के संदर्भ में विवेकपूर्ण एवं उचित बाजार प्रथाओं का पालन आवश्यक है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी की 'पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति' का पुनर्गठन दिनांक 31/07/2023, 30/09/2023, 30/10/2023, 31/10/2023, 14/11/2023 और 26/12/2023 को किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी की 'पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति' की चार बार बैठक हुई।

श्री रामस्वामी नारायणन, गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक, दिनांक 09 नवंबर, 2023 से पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। कंपनी की कंपनी सचिव श्रीमती स्मिता पंडित पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति की सचिव हैं। पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण एवं बैठकों की तिथि के साथ निम्न तालिका 8 में प्रस्तुत है:

POLICYHOLDERS' INTERESTS PROTECTION COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The objective of the Policyholders' Interests Protection Committee shall be to safeguard the interests of the policyholders which entails for adoption of prudent and healthy market practices in terms of sales, marketing, advertisements, promotion, publicity, redressal of customer grievances and consumer awareness and education.

During the Financial Year 2023-24, the Policyholders' Interests Protection Committee of the Company was re-constituted on 31/07/2023, 30/09/2023, 30/10/2023, 31/10/2023, 14/11/2023 and 26/12/2023. The Policyholders' Interests Protection Committee of the Company met four times during the Financial Year 2023-24.

Shri Ramaswamy Narayanan, Non-Executive Independent Director is the Chairman of the Policyholders' Interests Protection Committee w.e.f. November 09, 2023. Smt. Smita Pandit, Company Secretary of the Company is the Secretary to the Policyholders' Interests Protection Committee. The details of the attendance of the Members at the Policyholders' Interests Protection Committee Meetings along with the date of the meetings are furnished below in Table 8:

तालिका 8 / Table 8

निदेशकों का नाम Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति Nature of Directorship	समिति में पद Designation in the Committee	बैठक दिनांक Meeting dated 03/05/2023	बैठक दिनांक Meeting dated 25/07/2023	बैठक दिनांक Meeting dated 08/11/2023	बैठक दिनांक Meeting dated 07/02/2024
श्री रामस्वामी नारायणन Shri Ramaswamy Narayanan	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	अध्यक्ष (स्वतंत्र) (दि. 09/11/2023 से) Chairman (Independent) (w.e.f. 09/11/2023)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ Shri Sristiraj Ambastha	कार्यपालक निदेशक Executive Director	पूर्णकालिक निदेशक (दि. 14/11/2023 से) Whole-Time Director (w.e.f. 14/11/2023)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	उपस्थित Present
श्री विपुल बंसल Shri Vipul Bansal	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent
श्री एस.सी. मुर्मू Shri S.C. Murmu	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent
सुश्री हर्षा बंगारी Ms. Harsha Bangari	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present



तालिका 8 / Table 8

निदेशकों का नाम Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति Nature of Directorship	समिती में पद Designation in the Committee	बैठक दिनांक Meeting dated 03/05/2023	बैठक दिनांक Meeting dated 25/07/2023	बैठक दिनांक Meeting dated 08/11/2023	बैठक दिनांक Meeting dated 07/02/2024
डॉ ए शक्तिवेल Dr. A. Sakthivel	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक (दि. 26/12/2023 तक) Independent Director (ceased w.e.f. 26/12/2023)	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	लागू नहीं NA
श्री सुनील जोशी Shri Sunil Joshi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	पूर्णकालिक निदेशक (दि. 31/10/2023 तक) Whole-Time Director (ceased w.e.f. 31/10/2023)	उपस्थित Present	उपस्थित Present	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	अध्यक्ष (स्वतंत्र) (दि. 30/09/2023 तक) Chairman (Independent) (ceased w.e.f. 30/09/2023)	उपस्थित Present	उपस्थित Present	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री एम सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	कार्यपालक निदेशक Executive Director	पूर्णकालिक निदेशक (दि. 31/07/2023 तक) Whole-Time Director (ceased w.e.f. 31/07/2023)	उपस्थित Present	उपस्थित Present	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

जोखिम प्रबंधन समिति- संघटन और उपस्थिति

जोखिम प्रबंधन समिति का उद्देश्य कंपनी की जोखिम क्षमता और जोखिम प्रोफाइल को विनियमित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां स्थापित करना है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन दिनांक 31/07/2023, 30/09/2023, 30/10/2023, 31/10/2023 और 14/11/2023 को किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति की चार बार बैठक हुई।

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ, कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) दिनांक 14 नवंबर, 2023 से जोखिम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। कंपनी की कंपनी सचिव सुश्री स्मिता पंडित जोखिम प्रबंधन समिति की सचिव हैं। जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण बैठकों की तिथि के साथ निम्न तालिका 9 में प्रस्तुत किया गया है:

RISK MANAGEMENT COMMITTEE – COMPOSITION AND ATTENDANCE

The objective of the Risk Management Committee is to establish appropriate systems to regulate the risk appetite and risk profile of the Company.

During the Financial Year 2023-24, the Risk Management Committee of the Company was re-constituted on 31/07/2023, 30/09/2023, 30/10/2023, 31/10/2023 and 14/11/2023. The Risk Management Committee of the Company met four times during the Financial Year 2023-24.

Shri Sristiraj Ambastha, Executive Director (Policy Matters)/ Chairman-cum-Managing Director (Additional Charge) is the Chairman of the Risk Management Committee w.e.f. November 14, 2023. Smt. Smita Pandit, Company Secretary of the Company is the Secretary to the Risk Management Committee. The details of the attendance of the Members at Risk Management Committee Meetings along with the date of the meetings are furnished below in Table 9:



तालिका 9 / Table 9

निदेशकों का नाम Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति Nature of Directorship	समिती में पद Designation in the Committee	बैठक दिनांक Meeting dated 03/05/2023	बैठक दिनांक Meeting dated 25/07/2023	बैठक दिनांक Meeting dated 08/11/2023	बैठक दिनांक Meeting dated 07/02/2024
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ Shri Sristiraj Ambastha	कार्यपालक निदेशक Executive Director	अध्यक्ष (दि. 14/11/2023 से (अतिरिक्त प्रभार) Chairman (Additional Charge) (w.e.f. 14/11/2023)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	उपस्थित Present
श्री विपुल बंसल Shri Vipul Bansal	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent
सुश्री अपर्णा भाटिया Smt. Aparna Bhatia	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present
श्री एस.सी. मुर्मू Shri S.C. Murmu	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent
सुश्री हर्षा बंगारी Ms. Harsha Bangari	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री रामस्वामी नारायणन Shri Ramaswamy Narayanan	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक (दि. 30/10/2023 से) Independent Director (w.e.f. 30/10/2023)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री सुनील जोशी Shri Sunil Joshi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	पूर्णकालिक निदेशक (दि. 31/10/2023 से) Whole-Time Director (ceased w.e.f. 31/10/2023)	उपस्थित Present	उपस्थित Present	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक (दि. 30/09/2023 से) Independent Director (ceased w.e.f. 30/09/2023)	उपस्थित Present	उपस्थित Present	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री एम सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	कार्यपालक निदेशक Executive Director	अध्यक्ष (पूर्णकालिक) (दि. 31/07/2023 तक) Chairman (Whole-Time) (ceased w.e.f. 31/07/2023)	उपस्थित Present	उपस्थित Present	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

**नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:**

ईसीजीसी लिमिटेड एक सरकारी कंपनी होने के कारण, पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति तथा नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें (पारिश्रमिक सहित) भारत सरकार द्वारा तय की जाती हैं। हालांकि, निदेशक मंडल द्वारा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई है।

श्रीमती हर्षा बंगारी, गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक, दिनांक 18 नवंबर, 2021 से नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की अध्यक्ष हैं। कंपनी की कंपनी सचिव सुश्री स्मिता पंडित नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सचिव हैं। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना निम्न तालिका 10 में प्रस्तुत है:

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE:

ECGC Ltd. being a Government Company, the appointment and the terms and conditions of appointment (including remuneration), of the Whole-time Directors are decided by the Government of India. However, the Board has constituted a Nomination and Remuneration Committee. No meeting of the Nomination and Remuneration Committee was held during the Financial Year 2023-24.

Smt. Harsha Bangari, Non-Executive Independent Director is the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee w.e.f. November 18, 2021. Smt. Smita Pandit, Company Secretary of the Company is the Secretary to the Nomination and Remuneration Committee. The composition of Nomination and Remuneration Committee is furnished below in Table 10:

तालिका 10/ Table 10

निदेशकों का नाम Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति Nature of Directorship	समिती में पद Designation in the Committee	सदस्य के रूप में पदस्थ होने की तिथि (दिन/माह/वर्ष) Date of appointment as Member (DD/MM/YYYY)
सुश्री हर्षा बंगारी Ms. Harsha Bangari	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	अध्यक्ष (दि. 18/11/2021 से) Chairperson (w.e.f. 18/11/2021)	23/09/2021
श्री विपुल बंसल Shri Vipul Bansal	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	16/11/2021
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ Shri Sristiraj Ambastha	कार्यपालक निदेशक Executive Director	पूर्णकालिक निदेशक Whole-Time Director	14/11/2023
श्री शिरीष चंद्र मुर्मु Shri Shirish Chandra Murmu	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	10/01/2020
श्री रामस्वामी नारायणन Shri Ramaswamy Narayanan	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	30/10/2023
डॉ ए शक्तिवेल Dr. A. Sakthivel	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	09/08/2021 (दि. 26/12/2023 तक)/ (Ceased w.e.f. 26/12/2023)
श्री सुनील जोशी Shri Sunil Joshi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	पूर्णकालिक निदेशक Whole-Time Director	09/07/2020 (दि. 31/10/2023 तक)/ (Ceased w.e.f. 31/10/2023)
श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	21/01/2020 (दि. 30/09/2023 तक)/ (Ceased w.e.f. 30/09/2023)

ईसीजीसी 100% भारत सरकार (भा स) के स्वामित्व वाली कंपनी है। सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की सिफारिशों पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा अ प्र नि सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। निदेशक मंडल द्वारा इस प्रकार की सभी नियुक्तियों को रिकॉर्ड किया जाता है तथा आई आर डी ए आई को सूचित किए जाने सहित कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक फॉर्म भरे जाते हैं। पूर्णकालिक निदेशक के पारिश्रमिक का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

सरकारी नामित निदेशकों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा (गैर-कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशकों के रूप में) नियुक्त किया जाता है एवं वे किसी भी पारिश्रमिक/उपस्थिती शुल्क हेतु पात्र नहीं होते हैं। गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र

ECGC Ltd. is a 100% Government of India (GOI)-owned Company. Appointment of all Directors including the Chairman-cum-Managing Director is done by the President of India as per recommendation of the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry in compliance with the Department of Public Enterprises Guidelines. The Board takes on record all such appointments and necessary forms are filed with the Registrar of Companies including informing the IRDAI. Remuneration of the Whole Time Directors is fixed by the Government of India.

The Government Nominee Directors are appointed (as Non-Executive Part-Time Government Directors) by the Ministry of Commerce & Industry and they are not entitled



निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा वे (निम्नलिखित श्रेणी के अंतर्गत नियुक्त निदेशकों के अतिरिक्त (i) भारतीय रिजर्व बैंक; (ii) एक्जिम बैंक के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक; (iii) सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक; और (iv) भारतीय साधारण बीमा निगम के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक) निदेशक मंडल/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए निदेशक मंडल द्वारा सरकारी निर्देशों/वैधानिक नियमों तथा विनियमों के अनुपालन में निर्धारित उपस्थिति शुल्क हेतु पात्र हैं।

कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को किसी प्रकार की कमीशन का भुगतान नहीं किया गया है। कंपनी ने अपने निदेशकों को किसी प्रकार का स्टॉक विकल्प नहीं प्रदान किया है। ईसीजीसी लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमान एवं भत्ते का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल/समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु पात्र स्वतंत्र निदेशकों को उपस्थिति शुल्क के भुगतान का विवरण निम्न तालिका 11 में प्रस्तुत है:

to any remuneration/ sitting fees. The Non-Executive Part-Time Non-Government Directors (Independent Directors) are appointed by the GOI and they (excluding Directors appointed under the category of (i) Reserve Bank of India; (ii) Chairman/ Managing Director of EXIM Bank; (iii) Chairman/Managing Director of Nationalised banks to be nominated by the Government; and (iv) Chairman/ Managing Director of General Insurance Corporation of India) are entitled to sitting fees for attending the Board/ Committee Meetings as prescribed by the Board in adherence with the Government directives/ statutory rules and regulations.

The Company has not paid any commission to its Directors. The Company has not issued any stock options to its Directors. The Pay Scales and allowances of Officers and Staff of ECGC Ltd. are approved by the GOI. The details of Sitting Fees paid to the eligible Independent Directors for attending the Board/ Committees Meetings during the Financial Year 2023-24 are furnished below in Table 11:

तालिका 11

क्रसं	निदेशक का नाम	उपस्थिति शुल्क का भुगतान (रु में)
1.	डॉ ए शक्तिवेल	1,50,000
2.	श्री अमित कुमार अग्रवाल	60,000
3.	सुश्री प्रतिभा कुशवाहा	80,000
4.	पलनियप्पन मुत्तु	60,000

Table 11

S. No.	Name of Director	Sitting Fees Paid (in ₹)
1.	Dr. A. Sakthivel	1,50,000
2.	Shri Amit Kumar Agarwal	60,000
3.	Smt. Pratibha Kushwaha	80,000
4.	Shri Palaniappan Muthu	60,000

निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों की पारिश्रमिक का विवरण :

REMUNERATION DETAILS OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL :

क्र.सं S.No.	पारिश्रमिक का विवरण Particulars of Remuneration	कुल राशि (रु में) Total Amount (in ₹)		
		प्र नि/पू का नि/प्रबन्धक का नाम Name of MD/WT/ Manager		
		श्री एम सेंथिलनाथन, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (31/07/2023 तक) Shri. M. Senthilnathan Chairman-cum- Managing Director (up to 31/07/2023)	श्री सुनील जोशी, कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) (31/10/2023 तक) Shri. Sunil Joshi Executive Director (Policy Matters) (up to 31/10/2023)	श्री सृष्टिराज अंबष्ठ कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)/ अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) Shri Sristiraj Ambastha Executive Director (Policy Matters)/ Chairman-cum- Managing Director (Additional Charge)*
1	सकल वेतन (रु) Total Gross Salary (₹)			
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	14,14,877.00	26,06,220.00	39,73,321.00



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

	(i) Leave Encashment	-	1,74,383.00	-
	(ii) सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण Leave Encashment on Retirement	-	17,41,577.00	-
	(iii) बकाया वेतन / Arrears of Salary (29-04-2020 to 30-06-2023)	8,85,567.77	-	-
	(iv) पी एल एल आई / PLI	76,330.92	76,330.92	76,330.92
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभ का मूल्य (b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961	5,25,073.00	12,54,969.00	9,61,255.00
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के एवज में लाभ c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961	-	-	-
2.	स्टॉक विकल्प / Stock Option	-	-	-
3.	स्वेट इक्विटी विकल्प/ Sweat Equity	-	-	-
4.	कमीशन / Commission -लाभ के % रूप में /as % of profit - अन्य, उल्लेख करें / others, specify	-	-	-
5.	अन्य,/Others	-	-	-
	कुल (क) / Total	29,01,848.69	58,53,479.92	50,10,906.92
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा Ceiling as per the Act	कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि यह पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है। Not applicable to the Company as it is a wholly-owned Government company.		

*सकल वेतन और अनुलाभ पूरे वर्ष के लिए दिए गए हैं, हालांकि अधिकारी वित्तीय वर्ष के कुछ भाग के लिए निदेशक थे।

*Gross Salary and perquisites have been given for the full year though the officer was Director for part of the Financial Year.



क्रम संख्या S. No.	के एम पी का नाम Name of KMP	पदनाम Designation	सकल वेतन Gross Salary	अर्जित छुट्टी नकदीकरण EL Encashment	सेवानिवृत्ति पर नकदीकरण Encashment on Retirement	पी एल एल आई PLLI	धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभ Perquisite u/s 17(2)	अन्य Others	कुल राशि Total Amount
1	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ Shri Sristiraj Ambastha	कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)/ अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) Executive Director (Policy Matters)/ Chairman-cum-Managing Director (Addl. Charge)	39,73,321	0	0	76,330.92	9,61,255		50,10,906.92
2	श्री सुबीर कुमार दास Shri Subir Kumar Das	कार्यपालक निदेशक Executive Director	39,22,467	1,43,050	0	76,330.92	15,37,323		56,79,170.92
3	श्री पी. एल. ठाकुर Shri P. L. Thakur	महाप्रबंधक General Manager	40,43,834	1,53,631	0	76,330.92	12,14,260		54,88,055.92
4	श्री ईशनाथ झा Shri Ish Nath Jha	महाप्रबंधक General Manager	39,93,394	1,50,946	0	76,330.92	11,23,287		53,43,957.92
5	सुश्री प्रिसिल्ला सिन्हा Smt. Priscilla Sinha	नियुक्त बीमाकिक Appointed Actuary	98,89,920	0	0	0.00	10,26,600		1,09,16,520.00
6	सुश्री स्मिता पंडित Smt. Smita Pandit	महाप्रबंधक General Manager	38,50,029	0	0	76,330.92	8,99,484		48,25,843.92
7	श्री आनंद सिंह Shri Anand Singh	महाप्रबंधक General Manager	37,19,748	0	0	76,330.92	9,21,257		47,17,335.92
8	श्री अभिषेक कुमार जैन Shri Abhishek Kumar Jain	महाप्रबंधक General Manager	37,30,712	1,49,200	0	76,330.92	9,25,577		48,81,819.92
9	श्री गौरव अंशुमान Shri Gaurav Anshuman	महाप्रबंधक General Manager	35,58,442	1,41,976	0	76,330.92	10,16,661		47,93,409.92
10	सुश्री अर्पिता सेन Smt. Arpita Sen	महाप्रबंधक General Manager	35,77,436	0	0	76,330.92	9,46,832		46,00,598.92
11	श्री सब्यसाची दाश Shri Sabyasachi Dash	महाप्रबंधक General Manager	38,75,000	0	0	0.00	39,840		39,14,840.00
12	श्री यशवंत ब्रीद Shri Yashwant Breed	उप महाप्रबंधक Deputy General Manager	36,29,250	1,34,937	0	76,330.92	4,32,818		42,73,335.92
13	श्री सी.एन.ए. अम्बरसन Shri C.N.A. Anbarasan	कार्यपालक निदेशक Executive Director	18,10,224	1,68,692	16,19,894	76,330.92	7,93,707		43,00,355.92

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी एस आर) एवं धारणीय विकास (एस डी) समिति:

कंपनी की सी एस आर एवं एस डी परियोजनाओं/गतिविधियों की निगरानी के लिए कंपनी की सी एस आर एवं एस डी समिति का गठन किया गया है। इसका पुनर्गठन दिनांक 31/07/2023, 30/09/2023, 30/10/2023, 31/10/2023, 14/11/2023 और 23/12/2023 को किया गया। कंपनी की सी एस आर एवं एस डी समिति की वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान चार बार बैठक हुई। श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) 14 नवंबर, 2023 से सीएसआर और एसडी समिति के अध्यक्ष हैं। कंपनी की कंपनी सचिव श्रीमती स्मिता वी पंडित सीएसआर और एसडी समिति की सचिव हैं। सीएसआर एवं एसडी समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण बैठक की तिथि के साथ निम्न तालिका 12 में प्रस्तुत है:

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SD) COMMITTEE:

CSR & SD Committee of the Company has been constituted for monitoring the Company's CSR & SD projects/ activities. It was re-constituted on 31/07/2023, 30/09/2023, 30/10/2023, 31/10/2023, 14/11/2023 and 26/12/2023. CSR & SD Committee of the Company met four times during the Financial Year 2023-24. Shri Sristiraj Ambastha, Executive Director (Policy Matters)/ Chairman-cum-Managing Director (Additional Charge) is the Chairman of the CSR & SD Committee w.e.f. November 14, 2023. Smt. Smita V. Pandit, Company Secretary of the Company is the Secretary to the CSR & SD Committee. The details of the attendance of the Members at the Meetings of the CSR & SD Committee along with the date of the meetings are furnished below in Table 12:



तालिका 12 / Table 12

निदेशकों का नाम Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति Nature of Directorship	समिती में पद Designation in the Committee	बैठक दिनांक Meeting dated 03/05/2023	बैठक दिनांक Meeting dated 25/07/2023	बैठक दिनांक Meeting dated 08/11/2023	बैठक दिनांक Meeting dated 07/02/2024
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ Shri Sristiraj Ambastha	कार्यपालक निदेशक Executive Director	अध्यक्ष (दि. 14/11/2023 से (अतिरिक्त प्रभार) Chairman (Additional Charge) (w.e.f. 14/11/2023)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	उपस्थित Present
श्री विपुल बंसल Shri Vipul Bansal	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Government Director	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent
श्री एस.सी. मुर्मू Shri S.C. Murmu	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent
सुश्री हर्षा बंगारी Ms. Harsha Bangari	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री रामस्वामी नारायणन Shri Ramaswamy Narayanan	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक (दि. 30/10/2023 से) Independent Director (w.e.f. 30/10/2023)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present
डॉ ए शक्तिवेल Dr. A. Sakthivel	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक (दि. 26/12/2023 तक) Independent Director (ceased w.e.f. 26/12/2023)	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	लागू नहीं NA
श्री सुनील जोशी Shri Sunil Joshi	कार्यपालक निदेशक Executive Director	पूर्णकालिक निदेशक (दि. 31/10/2023 तक) Whole-Time Director (ceased w.e.f. 31/10/2023)	उपस्थित Present	उपस्थित Present	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	गैर-कार्यपालक निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक (दि. 30/09/2023 से) Independent Director (ceased w.e.f. 30/09/2023)	उपस्थित Present	उपस्थित Present	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री एम सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	कार्यपालक निदेशक Executive Director	अध्यक्ष (पूर्णकालिक) (दि. 31/07/2023 तक) Chairman (Whole-Time) (ceased w.e.f. 31/07/2023)	उपस्थित Present	उपस्थित Present	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA



निदेशक मंडल, निदेशकों तथा स्वतंत्र निदेशकों की बैठक का निष्पादन मूल्यांकन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(2) के अंतर्गत निदेशक मंडल के सदस्यों के निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित आवश्यकता को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 06 जून, 2015 के माध्यम से सरकारी कंपनियों के लिए छूट प्रदान की गई है।

अधिनियम की धारा 134(3)(पी) के प्रावधानों में निदेशक मंडल की रिपोर्ट में निदेशक मंडल, समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के औपचारिक मूल्यांकन की प्रक्रिया का उल्लेख करने की आवश्यकता है, यदि निदेशकों का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है तो सरकारी कंपनियों के लिए भी छूट प्रदान की गई है। कंपनी का मूल्यांकन सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के साथ वित्तीय एवं गैर-वित्तीय लक्ष्यों के लिए अंक/भार के साथ वार्षिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के जरिए किया जाता है। कंपनी की उपार्जन आधारित एकमुश्त प्रोत्साहन (पी एल एल आई) संबंधित मंत्रालय द्वारा ऐसे मूल्यांकन में प्राप्त अंकों/ग्रेड पर आधारित है।

डीपीई द्वारा का ज्ञा, दिनांक 20/06/2013 के अधीन स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक के दायरे से सभी निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अध्यक्ष के निष्पादन की समीक्षा को वापस ले लिया गया है। एम सी ए द्वारा दिनांक 05 जुलाई, 2017 के परिपत्र के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में निर्दिष्ट गैर-स्वतंत्र निदेशकों एवं सरकारी कंपनियों के अध्यक्ष के मूल्यांकन तंत्र को भी छूट प्रदान की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान डी पी के दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुसार (दिनांक 20.06.2013 के कार्यालय ज्ञापन) दिनांक 09 नवंबर 2023 को स्वतंत्र निदेशकों की बैठक हुई, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कंपनी प्रबंधन तथा निदेशक मंडल के मध्य आदान प्रदान की जाने वाली जानकारी की गुणवत्ता, मात्रा तथा लिए जाने वाले समय का भी मूल्यांकन किया गया जो, कि निदेशक मंडल द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए आवश्यक है।

साधारण बैठकें

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित साधारण बैठकों के विवरण निम्न तालिका 13 में उल्लिखित है:-

PERFORMANCE EVALUATION OF THE DIRECTORS, THE BOARD AND MEETING OF THE INDEPENDENT DIRECTORS

The requirement relating to performance evaluation of Board Members under Section 178(2) of the Companies Act, 2013 is exempted for Government Companies vide circular dated June 05, 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA). The provisions of Section 134(3)(p) of the Act which requires mentioning the manner of formal evaluation of the Board, Committees and individual Directors, in the Board Report is also exempted for the Government Companies, if Directors are evaluated by the Administrative Ministry. The Company's evaluation is done through annual Memorandum of Understanding (MOU) with the Department of Public Enterprises (DPE) with marks/ weight for financial and non-financial targets. The Company's Productivity-Linked Lumpsum Incentive (PLLI) is based on marks/ grade obtained in such evaluation by the respective Ministry.

The DPE vide OM dated 20/06/2013 has withdrawn review of the performance of the Chairperson of the Company after taking into account the views of all the Directors, from the purview of separate meeting of Independent Directors. The MCA had, vide circular dated July 05, 2017 also exempted evaluation mechanism of Non-Independent Directors and Chairperson of Government Companies as specified in Schedule IV to the Companies Act, 2013.

During the Financial Year 2023-24, the Independent Directors met on November 09, 2023 as per the requirement of DPE guidelines (Office Memorandum dated 20/06/2013), inter alia, to assess the quality, quantity and timeline of flow of information between the Company Management and the Board of Directors which is necessary for the Board to effectively and reasonably perform its duties.

GENERAL MEETINGS

The details of the General Meetings held during the last three years are furnished below in **Table 13**:

तालिका 13 / Table 13

क्रसं. S. No.	वित्तीय वर्ष Financial Year	वार्षिक साधारण बैठकों की संख्या No. of AGM	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	पारित विशेष संकल्पों की संख्या, यदि कोई हो No. of Special Resolutions passed, if any
1	2020-21	63	18 नवंबर 2021 1600 बजे November 18, 2021 1600 Hrs.	उद्योग भवन, नई दिल्ली Udyog Bhawan, New Delhi	शून्य / NIL
2	2021-22	64	05 सितंबर 2022 1800 बजे September 05, 2022 1800 Hrs.	वाणिज्य भवन, नई दिल्ली Vanijya Bhawan, New Delhi	04
3	2022-23	65	28 जुलाई 2023 1100 बजे July 28, 2023 1100 Hrs.	वाणिज्य भवन, नई दिल्ली Vanijya Bhawan, New Delhi	शून्य / NIL



कारोबार नैतिकता एवं आचार संहिता

निदेशक मंडल द्वारा निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए कारोबार नैतिकता एवं आचार संहिता सृजित की गई है, जो कंपनी की वेबसाइट (www.ecgc.in) पर उपलब्ध है।

प्रकटन

स्वतंत्र व्यवहार के सिद्धान्त के आधार पर सामान्य कारोबारी संव्यवहार के अतिरिक्त कंपनी द्वारा किसी निदेशक अथवा प्रबंधन अथवा उनके रिश्तेदारों अथवा निजी फर्म, कंपनियों अथवा संस्थाओं में सीधे तौर पर अथवा रिश्तेदारों के जरिए निदेशक एवं/अथवा भागीदार के रूप में हित सन्निहित हो, इस प्रकार के किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय अथवा वाणिज्यिक संव्यवहार नहीं किया गया है। दिनांक 09 फरवरी, 2024 को निदेशक मंडल द्वारा संबंधित पार्टी संव्यवहार पर संशोधित नीति को 'संबंधित पार्टी संव्यवहार पर नीति' के नाम से अपनाया गया है। कंपनी द्वारा लेखा मानक - 18 की प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार के विवरण का प्रकटीकरण किया गया है एवं सरकारी कंपनियों को प्रदान की गई छूट पर प्रकटीकरण किया गया है।

स्वतंत्र व्यवहार के सिद्धान्त के आधार पर सामान्य कारोबारी संव्यवहार के अतिरिक्त कंपनी द्वारा ऐसी फर्म, कंपनियों अथवा संस्थाओं को जिनमें, निदेशकों का हित सन्निहित हो, को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है।

कंपनी ने जोखिम के मूल्यांकन एवं उसे कम करने के विषय में निदेशक मंडल के सदस्यों को सूचित करने के लिए प्रक्रियाओं का निर्धारण किया है, जिनका निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है, जिससे प्रबंधन द्वारा प्रभावी जोखिम नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

लेखापरीक्षा समिति एवं निदेशक मंडल समय-समय पर कंपनी पर लागू होने वाले सभी कानूनों की अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करते हैं एवं साथ ही गैर-अनुपालन, यदि कोई हो, में संशोधन हेतु कंपनी द्वारा किए गए पहलों की समीक्षा करते हैं।

कंपनी द्वारा व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी को अपनाया गया है जिससे कंपनी के किसी कर्मचारी के संज्ञान में किसी भी स्तर पर अस्वीकार्य / अनैतिक / अथवा कदाचार का कोई मामला आए तो वह कर्मचारी बिना किसी परिणामी भय के उस विषय में सूचना देते हुए सुरक्षित अनुभव करें।

पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी सांविधिक अथवा नियामक प्राधिकरण द्वारा देश की विभिन्न संविधि से संबंधित किसी मामले में, केवल निम्न के अतिरिक्त कोई दंड आरोपित नहीं किया गया है:

1. कंपनी द्वारा "दलामल हाउस" को पट्टे पर लिया गया था एवं पट्टा समझौते के अनुसार एक निश्चित दर पर उक्त संपत्ति को खरीदने के लिए प्रत्यावर्ती अधिकारों का प्रयोग किया गया था। तथापि, पट्टादाता इस बात पर सहमत नहीं हुए एवं ईसीजीसी ने विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर किया। इस मुकदमा में दिनांक 07/07/2016 के आदेश के अधीन कंपनी के प्रतिकूल निर्णय लिया गया है, जिसके विरुद्ध कंपनी ने अपील दायर की है। यह अपील लंबित है। यह नोट किया गया है कि उक्त परिसर को अभी तक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, हालांकि कंपनी उक्त संपत्ति को खरीदने के प्रत्यावर्ती अधिकारों का प्रयोग करने हेतु अदालत के समक्ष मामले पर अपना पक्ष प्रस्तुत कर रही है" - लघु वाद न्यायालय के समक्ष दायर अपील पर दिनांक 06.05.2023 के आदेश के अंतर्गत ईसीजीसी के खिलाफ निर्णय लिया गया है।

CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS

The Board of Directors has laid down a Code of Business Conduct and Ethics for all the Board Members and Senior Management Personnel of the Company, which has been posted on the website of the Company (www.ecgc.in).

DISCLOSURE

The Company has not entered into any material financial or commercial transactions with the Directors or the Management or their relatives or the companies and firms, etc., in which they are either directly or through their relatives interested as Directors and/ or Partners except transactions carried out in the ordinary course of business at arms' length basis. On February 09, 2024 the Board adopted the revised policy on Related Party Transactions under the nomenclature 'Policy on Related Party Transactions'. The Company has disclosed details of transactions with related parties as per the disclosure requirements of Accounting Standard – 18 on Related Party disclosures and the exemption granted to the Government Companies.

There are no payments made to individual firms, companies and organizations in which Directors of the Company are interested, except transactions carried out in the ordinary course of business at arms' length basis.

The Company has laid down procedures to inform Board Members about the risk assessment and its minimization, which is periodically reviewed by the Risk Management Committee of the Board, to ensure that effective risk control is exercised by the Management.

The Audit Committee and the Board periodically reviews compliance report of all laws applicable to the Company as well as steps taken by the Company to rectify instances of non-compliances, if any.

The Company has adopted a Whistle Blower Policy enabling each employee to feel safe in raising concerns about any unacceptable/ unethical practice and/or any event of misconduct, at any level, that comes to his/her notice, without fear of consequences thereof.

No penalty was imposed on the Company, by any statutory or regulatory authority, on any matter related to various statutes of the land, during the last three years, except the following:

1. The Company had taken the "Dalamal House" on lease and had exercised reversionary rights to purchase the said property at a given rate as per the Lease Agreement. However, the Lessor did not agree and ECGC filed a suit for specific performance. This suit was decided unfavourable to the Company vide Order dated 07/07/2016 against which Company filed an Appeal. The Appeal is pending. It is noted that the said premises are not yet classified as asset, however the Company is contesting the matter before a Court of Law to exercise reversionary rights to purchase the said assets – The appeal filed before small causes Court has been decided against ECGC vide order dt. 06.05.2023. Appeal against this order has been filed before High Court of Bombay. Matter is currently pending before the court.
2. The Maharashtra Stamp Act, 1958: Stamp Office, Mumbai, Maharashtra State has, vide its letter dated 06/01/2015, has imposed a penalty of ₹4,46,710/-



इस आदेश के विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई है। वर्तमान में मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

2. महाराष्ट्र स्टैम्प अधिनियम, 1958: स्टैम्प कार्यालय, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य द्वारा अपने पत्र दिनांक 06/01/2015 के जरिए दिनांक 07/04/2012 को प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर, यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ किए गए निर्माण अनुबंध समझौते पर देय ₹ 7,20,500/- के स्टैम्प शुल्क का भुगतान न करने पर ₹ 4,46,710/- (रुपये चार लाख छियालीस हजार सात सौ दस मात्र) का जुर्माना लगाया गया।

हालांकि, कंपनी द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2015 को पंजीकरण के उप महानिरीक्षक को दंड से छूट के लिए अपना मामला प्रस्तुत किया गया है एवं इस मामले को संबंधित प्राधिकारी के साथ शीघ्र निर्णय हेतु लगातार अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

वर्तमान में अपील मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी एवं पंजीकरण महानिरीक्षक (अपीलीय प्राधिकारी), महाराष्ट्र राज्य, पुणे के पास आदेशों हेतु लंबित है एवं मामले में सुनवाई की कोई अगली तारीख प्रदान नहीं की गई है।

3. कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 –

ईसीजीसी को ईपीएफओ से दिनांक 12.03.2019 को तीन नोटिस प्राप्त हुए, जिसमें जुलाई 1989 से अगस्त 2016 की अवधि के लिए, पांच अलग-अलग शीर्षकों के अंतर्गत, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन निधि, कर्मचारी जमा लिंकड बीमा एवं उनके संबंधित प्रशासनिक तथा निरीक्षण शुल्क हेतु ₹ 2,15,84,362/- (ब्याज के लिए ₹ 1,03,28,895/- एवं हानि के लिए ₹ 1,12,55,467/-) का ब्याज एवं क्षतिपूर्ति की मांग की गई थी।

सहायक भविष्य निधि आयुक्त (एपीएफसी), ईपीएफओ, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष अंतिम सुनवाई दिनांक 02 जुलाई, 2021 को समाप्त हुई। एपीएफसी, ईपीएफओ के दिनांक 30 जुलाई, 2021 के आदेश के अनुसार, कंपनी को एपीएफसी, ईपीएफओ के कार्यालय को ₹1,62,87,209/- का समेकित भुगतान करने का आदेश दिया गया था, जिसमें क्षतिपूर्ति (₹59,67,524/-) एवं ब्याज (₹1,03,19,685/-) शामिल था। कंपनी द्वारा एपीएफसी, ईपीएफओ के उक्त आदेश का अनुपालन किया गया एवं अपेक्षित भुगतान किया गया।

लेखा परीक्षित खातों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करना

चूंकि 100% इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति एवं भारत सरकार की ओर से नामित सात अन्य व्यक्तियों के पास हैं, कंपनी के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लेखापरीक्षित खातों को वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा के समक्ष क्रमशः दिनांक 20 दिसंबर, 2023 एवं 09 फरवरी, 2024 को प्रस्तुत किया गया।

शेयरधारकों की जानकारी

- (क) वार्षिक साधारण बैठक: 66वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, दिनांक 17 सितंबर, 2024 15:00 बजे अन्य ऑडियो-विजुअल (OAVM) माध्यम से आयोजित किया जाना निर्धारित है।
- (ख) दिनांक 31 मार्च, 2023 को शेयरहोल्डिंग स्वरूप: कंपनी संपूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी द्वारा जारी 43,38,00,000 शेयर, ₹ 100 प्रत्येक भारत सरकार की ओर से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित आठ सदस्यों सहित भारत के राष्ट्रपति के स्वामित्व में हैं।
- (ग) पत्राचार के लिए पता: सुश्री स्मिता वी पंडित, कंपनी सचिव, ईसीजीसी लिमिटेड, ईसीजीसी भवन, सी टी एस नं 393,393/1

(Rupees four lakhs forty-six thousand seven hundred and ten only), for non-payment of stamp duty of ₹ 7,20,500/- (Rupees Seven lakh twenty thousand and five hundred only) payable on the construction contract agreement entered with Project Contractor, Unity Infraprojects Limited on April 07, 2012.

However, the Company has represented its case on January 22, 2015 to the Deputy Inspector General of Registration for waiver of penalty and the matter is being continuously followed up with the respective authority for early decision.

The appeal is pending as of date for orders with the Chief Controlling Revenue Authority and Inspector General of Registration (Appellate Authority), Maharashtra State, Pune, and no next date of hearing is assigned in the matter.

3. The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 –

ECGC received three notices dated 12.03.2019 from EPFO asking for interest and damages to the tune of ₹2,15,84,362/- (₹1,03,28,895/- towards interest and ₹1,12,55,467/- towards damages) for the period July 1989 to August 2016, under five separate heads namely, Employee Provident Fund, Employee Pension fund, Employee Deposit Linked Insurance and their respective administration and inspection charges.

The last hearing before Assistant Provident Fund Commissioner (APFC), EPFO, Ministry of Labour & Employment, Government of India concluded on July 02, 2021. As per the order of APFC, EPFO dated July 30, 2021, the Company was ordered to make a consolidated payment of ₹1,62,87,209/- comprising of damages (₹59,67,524/-) and interest (₹1,03,19,685/-) payable to the office of APFC, EPFO. The Company has complied with the said order of APFC, EPFO and made the requisite payments.

PLACING OF AUDITED ACCOUNTS BEFORE THE PARLIAMENT

The audited accounts of the Company for the Financial Year 2022-23 were tabled before the Lok Sabha and Rajya Sabha on December 20, 2023 and February 09, 2024 respectively, in compliance with the statutory requirements in that regard, as 100% Equity Shares are held by the President of India and seven other nominees, on behalf of the Government of India.

SHAREHOLDERS' INFORMATION

- (a) Annual General Meeting: The 66th Annual General Meeting is scheduled to be held at 15:00 hrs. on Tuesday, September 17, 2024 through Other Audio-Visual Means (OAVM).
- (b) Shareholding Pattern as of March 31, 2024: The Company is fully owned by the Government of India. The President of India holds the entire lot of 43,38,00,000 Equity Shares of ₹100 each fully paid up, issued by the Company including eight of those shares which are held by the nominees of the President of India, on behalf of the Government of India.
- (c) Address for Correspondence: Smt. Smita Pandit, Company Secretary, ECGC Limited, ECGC Bhawan,



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

से 45, एम वी रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई- 400069. Email:
cs@ecgc.in

पत्राचार के साधन

- **वेबसाइट:** कंपनी की वेबसाइट www.ecgc.in में "हमारे बारे में" सेक्शन के अंतर्गत वित्तीय परिणामों के लिए भिन्न सेक्शन हैं। पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट पर उपयोगकर्ता के अनुकूल एवं डाउनलोड करने योग्य रूप में भी उपलब्ध है
- **वित्तीय परिणाम:** कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट www.ecgc.in पर वार्षिक, अर्ध-वार्षिक एवं तिमाही परिणाम नियमित रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं।
- **वार्षिक रिपोर्ट:** वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, लेखापरीक्षित वार्षिक खातें, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है, को सदस्यों एवं इसके लिए पात्र अन्यो को प्रेषित किया जाता है। **अनुलग्नक IV** में प्रस्तुत की गई प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण (एमडी एंड ए) रिपोर्ट, निदेशकों के रिपोर्ट का अंश है।

कृते निदेशक मंडल

सृष्टिराज अम्बष्ठ
कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10375617

स्थान: मुंबई
दिनांक: 16 मई, 2024

घोषणा

निदेशक मण्डल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक मण्डल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि करते हैं।

सृष्टिराज अम्बष्ठ

कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10375617

स्थान: मुंबई
दिनांक: 16 मई, 2024

कंपनी शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन का प्रमाण पत्र
मैं, स्मिता वी. पंडित एतद्वारा प्रमाणित करती हूं कि कंपनी द्वारा समय-समय पर संशोधित बीमा कंपनी के लिए कंपनी शासन दिशानिर्देशों का पालन किया गया है एवं कुछ भी गोपनीय नहीं रखा गया है।

स्मिता वी. पंडित
कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई
दिनांक: 16 मई, 2024

CTS No. 393, 393/1 to 45, M.V. Road, Andheri East,
Mumbai – 400069, Maharashtra, India. Email:
cs@ecgc.in

MEANS OF COMMUNICATION

- **Website:** The Company's website viz., www.ecgc.in contains a separate dedicated section on financial results under Section "About Us". The full Annual Report is also available on the website in user friendly and downloadable form.
- **Financial Results:** The annual, half-yearly and quarterly results are regularly posted by the Company on its website www.ecgc.in
- **Annual Report:** The Annual Report, containing, inter alia, Audited Annual Accounts, Directors' Report, Auditors' Report, and other important information, is circulated to the Members and others entitled thereto. The Management's Discussion and Analysis (MD&A) Report placed at **Annexure IV** forms part of the Directors' Report.

For and on behalf of the Board of Directors

Sristiraj Ambastha
Executive Director (Policy Matters)
Chairman-cum-Managing Director
(Additional Charge)
DIN 10375617

Place: Mumbai
Date: May 16, 2024

Declaration

The Members of the Board and Senior Management Personnel have affirmed compliance of the Code of Conduct for Board Members and Senior Management Personnel for the Financial Year ended on March 31, 2024.

Sristiraj Ambastha

Executive Director (Policy Matters)
Chairman-cum-Managing Director
(Addl. Charge)
DIN 10375617

Place: Mumbai
Date: May 16, 2024

CERTIFICATE OF COMPLIANCE OF THE CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES

I, Smita V. Pandit hereby certify that the Company has generally complied with the Corporate Governance Guidelines for Insurance Company as amended from time-to-time and nothing has been concealed or suppressed.

Smita V. Pandit
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: May 16, 2024



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

FORMING PART OF CORPORATE GOVERNANCE

CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE FOR THE F.Y. 2023-24

To,
The Members,
ECGC Limited,
ECGC Bhawan, CTS No.393,393/1 to 45,
M.V Road, Andheri East,
Mumbai - 400069.

We have examined the compliance conditions of Corporate Governance by **ECGC Limited** (the "Company") **CIN: U74999MH1957GOI010918** for the Financial Year 2023-24 in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with Guidelines issued by the Department of Public Enterprises for Central Public Sector Undertakings on May 14, 2010. The Company is a Government of India Enterprise with full equity participation from the Government of India.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementations thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

Based on our examination of the relevant records and to the best of our information and according to the explanations furnished to us, we certify that the Company has maintained proper records and complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the DPE Guidelines, 2010 on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises for the Financial Year ended on 31st March, 2024.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or the effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Company.

For Ragini Chokshi & Co.
(Practicing Company Secretaries)

Place: Mumbai
Date: 18/04/2024

Ragini Chokshi
(Partner)
M. No: 2390
C. P. No: 1436
UDIN: F002390F000173957



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

Annexure II

FORM NO MR-3 SECRETARIAL AUDIT REPORT

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]
For the period 01-04-2023 to 31-03-2024

To,

The Members,

ECGC Limited,

ECGC Bhawan, CTS No.393,393/1 to 45,

M.V Road, Andheri East,

Mumbai – 400069.

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **ECGC Limited**(CIN: U74999MH1957GOI010918) (hereinafter called "**the Company**"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering 1st April, 2023 to 31st March, 2024 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the audit period 1st April, 2023 to 31st March, 2024 according to the provisions of:

- i. The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;
- ii. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder(**not applicable as the Company is unlisted**);
- iii. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws Framed thereunder(**not applicable as the Company is unlisted**);
- iv. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder;
- v. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-
 - a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011(**not applicable as the Company**



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

is unlisted);

- b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 **(not applicable as the Company is unlisted);**
- c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 **(not applicable as the Company is unlisted);**
- d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 **(not applicable as the Company is unlisted);**
- e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 **(not applicable as the Company is unlisted);**
- f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client **(not applicable as the Company is unlisted);**
- g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 **(not applicable as the Company is unlisted);** and
- h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018 **(not applicable as the Company is unlisted).**

We have relied on the representation made by the Company and its Officers for systems and mechanism formed by the Company for compliances under other applicable Acts, Laws and Regulations to the Company.

We are of the opinion that the Management has complied with the following laws specifically applicable to the Company:

- 1. Department of Public Enterprises (DPE) Guidelines, 2010;
- 2. Insurance Regulatory Development Authority Act, 1999 and the rules made thereunder;
- 3. Insurance Act, 1938 and Insurance (Amendment) Act, 2015;
- 4. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules made there under.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- a) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.
- b) The Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Listing Agreements entered into by the Company with Stock Exchanges **(not applicable as the Company is unlisted);**

During the period under review the Company has complied with the provisions of the applicable Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc.



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

We further report that,

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operation of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, the Company had following specific events or actions which might have a bearing on the Company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.:

1. Appointment of Shri Abhishek Jain, General Manager as the Chief Financial Officer (CFO) of the Company with effect from 07th June, 2023.
2. Cessation of Shri Ish Nath Jha from the position of Chief Financial Officer (CFO) of the Company due to change in the portfolio with effect from 07th June, 2023.
3. Appointment of Shri Palaniappan Muthu as a Non-Official Non-Executive Director of the Company with effect from 15th June, 2023.
4. Cessation of Shri M Senthilnathan as the Chairman-cum-Managing Director (CMD) of the Company due to his superannuation with effect from 31st July, 2023.
5. Cessation of Shri C N A Anbarasan as Executive Director (Operations) and KMP of the Company due to his superannuation with effect from 31st August, 2023.
6. Cessation of Shri Devesh Srivastava as a Non-Official Non-Executive Director of the Company due to his superannuation with effect from 30th September, 2023.
7. Appointment of Shri Ramaswamy Narayanan as a Non-Official Non-Executive Director of the Company with effect from 30th October, 2023.
8. Cessation of Shri Sunil Joshi as Executive Director of the Company due to his superannuation with effect from 31st October, 2023.
9. Change in designation of Shri Sristiraj Ambastha from General Manager to



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

Executive Director (Operations) with effect from 01st September, 2023 and further change to Executive Director (Policy Matters) and Chairman-cum-Managing Director (Additional Charge) of the Company with effect from 01st November, 2023.

10. Change in designation of Shri Subir Das from General Manager to Executive Director (Operations) with effect from 01st November, 2023.
11. Appointment of Shri Sristiraj Ambastha, Executive Director (Policy Matters) and Chairman-cum-Managing Director (Additional Charge) as a Director on the Board of the Company with effect from 14th November, 2023.
12. Cessation of Dr. A Sakthivel as a Non-Official Non-Executive Director of the Company due to completion of tenure with effect from 26th December, 2023.
13. Declaration of Dividend for the FY 2022-23. (Rs. 10/- per share aggregating to Rs. 433.80 crore).

Place: Mumbai

Date: 18/04/2024

**For Ragini Chokshi & Co.
(Company Secretaries)**

Ragini Chokshi

(Partner)

C.P. No.: 1436

FCS No: 2390

UDIN: F002390F000173836



अनुलग्नक III

Annexure III

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर वार्षिक रिपोर्ट

कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें पूर्ण की गई परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का अवलोकन शामिल है।

कंपनी ने 2014 में सीएसआर पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों को अपनाया है तथा निदेशक मंडल द्वारा सीएसआर नीति को अनुमोदित किया गया है। कंपनी की सीएसआर गतिविधियों की निगरानी हेतु निदेशक मंडल की एक सीएसआर समिति का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी की सीएसआर गतिविधियों पर कुल ₹ 29.08 करोड़ (₹ 29,08,46,016.24) की धनराशि व्यय की गई। इसके अतिरिक्त, पूर्व में प्रारम्भ की गई परियोजनाओं हेतु यूसीएसआर खाते में ₹ 2.54 करोड़ (₹ 2,54,64,773.00) का आवंटन किया गया है एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वच्छ भारत कोष (एसबीके) को ₹ 0.0180 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है।

कंपनी ने मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिले, राजगढ़ के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु ₹10 करोड़ की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई एवं i) 200 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने, ii) 30 सरकारी स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने तथा iii) प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में सुधार हेतु राजगढ़ के आकांक्षी ब्लॉक जीरापुर की 513 आंगनबाड़ियों की बुनियादी ढांचागत आवश्यकताएं प्रदान करना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। कंपनी ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) के माध्यम से ट्रांसफॉर्मिंग एम-वार्ड प्रोजेक्ट यानी मुंबई में एम-पावर लाइब्रेरी एंड स्टडी सेंटर, एम-वार्ड को अपना समर्थन जारी रखा है। एम-पावर अपने छात्रों को सभी स्टीम (कला, विज्ञान, वाणिज्य) की पाठ्य पुस्तकों के साथ एक पुस्तकालय प्रदान करता है। इसमें एमपीएससी, यूपीएससी, एनईईटी, आदि जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक किताबें भी शामिल हैं। पुस्तकालय न केवल छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करता है बल्कि इसमें पत्रिका एवं जर्नल सदस्यता, कई भाषाओं में समाचार पत्र एवं सामान्य पढ़ने तथा सीखने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए कथा संग्रह भी शामिल है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत, टीआईएसएस प्रतियोगी परीक्षाओं, कंप्यूटर शिक्षा, संवादात्मक अंग्रेजी, कैरियर मार्गदर्शन, जीवन कौशल शिक्षा आदि हेतु कोचिंग जारी रखता है। सीएसआर गतिविधियों हेतु प्रमुख कार्यान्वयन भागीदार जिला कलेक्टर कार्यालय, राजगढ़, मध्य प्रदेश (आकांक्षी जिला), टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस), शांति सेवा निधि, टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी) नव्या, स्नेहालय, एसओएस चिल्ड्रेन विलेज ऑफ इंडिया, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन, मानव विकास संस्थान, सीकेएस फाउंडेशन, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी), होप कोलकाता फाउंडेशन, विवेकानंद केंद्र, सरस्वती एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, रोटरी तिरुपुर प्राइम ट्रस्ट,

ANNUAL REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)**A BRIEF OUTLINE OF THE COMPANY'S CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) POLICY, INCLUDING OVERVIEW OF PROJECTS OR PROGRAMMES UNDERTAKEN**

The Company has adopted the revised guidelines issued by the Department of Public Enterprise (DPE) on CSR in 2014 and has a Board approved CSR policy. A CSR Committee of the Board has been constituted to monitor the CSR initiatives of the Company. An aggregate amount of ₹ 29.08 crore (₹ 29,08,46,016.24) was spent on CSR Activities of the Company during FY 2023-24. Further, allocation of ₹ 2.54 crore (₹ 2,54,64,773.00) has been made in the UCSR account for the projects already initiated and an amount of ₹ 0.0180 crore (₹ 1,80,373.20) has been paid to the Swachha Bharat Kosh (SBK) for the FY 2023-24.

The Company made a commitment of ₹10 crore for FY 2023-24 for Aspirational District, Rajgarh, Madhya Pradesh and approved the proposal of i) Setting up smart classrooms in 200 Government schools, ii) Setting up Science Lab in 30 Government Schools and iii) Providing basic infrastructure requirement of 513 Anganwadi of Aspirational Block Zirapur in Rajgarh to improve Key Performance Indicators. The Company has continued its support to Transforming M-Ward Project i.e., M-Power Library and Study Centre in Mumbai, M-Ward through the Tata Institute of Social Sciences (TISS). M-Power offers its students a library stocked with textbooks of all stream (Arts, Science, Commerce). It has books to aid preparation for competitive examinations like MPSC, UPSC, NEET, etc. The library not only caters to satisfy the academic needs of the students but also includes magazine and journal subscription, newspapers in multiple languages and collection of fiction to foster general reading and learning habits. Under these programs, the TISS continues with the coaching for competitive exams, computer education, conversational English, career guidance, life skill education, etc. The major implementation partners for CSR activities are the Office of the District Collector, Rajgarh, Madhya Pradesh (Aspirational District), the TATA Institute of Social Sciences (TISS), Shanti Seva Nidhi, Tata Memorial Centre (TMC) Navya, Snehalaya, SOS Children's Village of India, Sulabh International Social Service Organisation, Manav Vikas Sansthan, CKS foundation, Christian Medical College Vellore, Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology (CIPET), HOPE Kolkata Foundation, Vivekananda Kendra, Saraswati Education and Welfare Trust, Rotary Tirupur



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

केंद्रीय सैनिक बोर्ड, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) एवं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, कौशल विकास, सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष, सीआरपीएफ कल्याण कोष एवं स्वच्छ भारत कोष में योगदान के क्षेत्र में कई पहल की गई हैं।

कंपनी टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी) नव्या द्वारा कैंसर रोगियों के लिए ऑनलाइन विशेषज्ञ राय सेवा का समर्थन कर रही है, द वी फाउंडेशन के साथ ओवेरिसन, गर्भाशय ग्रीवा एवं स्तन कैंसर हेतु 5000 महिलाओं की कैंसर जांच एवं तकनीकी तथा व्यावसायिक कौशल विकसित करने के लिए युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा कंपनी अपनी सीएसआर पहल के अंतर्गत वर्ष के दौरान उत्तरी गोवा एवं लेह (लद्दाख) में मानव विकास संस्थान द्वारा 4 (चार) स्वास्थ्य एटीएम मशीनों की स्थापना का समर्थन कर रही है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर - तमिलनाडु ने जरूरतमंद रोगियों के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद एवं कैंसर देखभाल हेतु सहायता देने का अनुरोध किया है। कंपनी ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है एवं सीएमसी वेल्लोर को समर्थन बढ़ा दिया है। कंपनी ने ठाणे जिले के भयंदर के उत्तान में आमचा घर के शिक्षा सहायता कार्यक्रम को भी समर्थन दिया। कंपनी ने फ्यूचरप्रेन्योर्स स्किल्स पहल हेतु एसोचैम फाउंडेशन फॉर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (एएफसीएसआर) को सीएसआर समर्थन दिया, जिसमें एक संरचित हाइब्रिड लर्निंग प्रोग्राम के माध्यम से भारत भर में 5000 छात्रों को उद्यमशीलता कौशल प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सैनिक बोर्ड के जरिए भारतीय रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) में ₹ 1 करोड़ का योगदान दिया गया। दो एम्बुलेंस की खरीद हेतु केंद्रीय रिजर्व पुलिस बलों को ₹ 0.73 करोड़ की सहायता प्रदान की गई है।

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:

- संगठन में अपने सभी हितधारकों के हितों को चिन्हित करते हुए अपने व्यवसाय को आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से संचालित करने के लिए सभी स्तरों पर और अधिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना।
- प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कार्यक्रमों को संचालित करना, जो अपने विभिन्न कार्यालयों में एवं आसपास के समुदायों को लाभान्वित करते हैं जो स्थानीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता एवं कल्याण को बढ़ाते हैं।
- समाज के पिछड़े, वंचित एवं न्यून विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को सशक्त बनाने वाली गतिविधियों को लागू करना।
- अपनी सीएसआर गतिविधियों के जरिए हितधारकों के मध्य कंपनी के लिए सद्भावना एवं गौरव उत्पन्न करना तथा एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में कंपनी की सकारात्मक एवं सामाजिक रूप से उत्तरदायी छवि को सुदृढ़ करने में सहायता करना।

Prime Trust, Kendriya Sainik Board, Central Reserve Police Force (CRPF) and National Institute of Mental Health and Neurosciences. A number of initiatives have been undertaken in the field of education, health care, nutrition, skill development, contribution to the Armed Forces Flag Day Fund, CRPF Welfare Fund and to Swachh Bharat Kosh.

The Company is supporting the online expert opinion service for cancer patients by Tata Memorial Centre (TMC) Navya, cancer screening of 5000 women for ovarian, cervical and breast cancers with The We Foundation and skill development training to youth for developing technical and professional skills implemented by Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology. The Company under its CSR initiatives is supporting the installation of 4 (four) health ATM machines by Manav Vikas Sansthan in North Goa and Leh (Ladakh) during the year. Christian Medical College, Vellore - Tamil Nadu has requested to extend support towards purchase of medical equipment and support for cancer care for needy patients. The Company has approved the proposal and extended support to CMC Vellore. The Company also supported Education support programme of Amcha Ghar, Uttan, Bhayander, Dist. Thane. The Company extended CSR support to Assocham Foundation for Corporate Social Responsibility (AFCSR) for Futurepreneurs Skills Initiative which involves imparting of entrepreneurial skills to 5000 students across India through a structured hybrid learning program. Further, a contribution of ₹ 1 crore was made to the Armed Forces Flag Day Fund (AFFDF) towards Welfare of Ex-Servicemen of the Indian Defence Services through the Kendriya Sainik Board. A support of ₹ 0.73 crore has been made to the Central Reserve Police Force for the procurement of two ambulances.

1. Brief outline on CSR Policy of the Company:

- To ensure an increased commitment at all levels, in the organization, to operate its business in an economically, socially and environmentally sustainable manner, while recognizing the interests of all its stakeholders.
- To directly/indirectly take up programs that benefit the communities in and around its various offices that enhance quality of life and well-being of the locals.
- To implement activities that empower weaker, less privileged and marginalized sections of the society.
- To generate, through its CSR initiatives, goodwill and pride for the Company among stakeholders and help reinforce a positive and socially responsible image of the Company as a corporate entity.



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

2. सीएसआर समिति की संरचना / Composition of CSR Committee:

क्र.सं. S. No.	निदेशक का नाम Name of Director	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति Designation/Nature of Directorship	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या Number of meetings of CSR Committee held during the year	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों में उपस्थिति की संख्या Number of meetings of CSR Committee attended during the year
1	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ Shri Sristiraj Ambastha	अध्यक्ष (अतिरिक्त प्रभार) / कार्यपालक निदेशक (14/11/2023 से प्रभावी) Chairman (Additional Charge) / Executive Director (w.e.f. 14/11/2023)	1	1
2	श्री विपुल बंसल Shri Vipul Bansal	सरकारी निदेशक / गैर-कार्यपालक निदेशक Government Director/ Non-Executive Director	4	0
3	श्री एस.सी. मुर्मू Shri S.C. Murmu	स्वतंत्र निदेशक / गैर- कार्यपालक निदेशक Independent Director / Non-Executive Director	4	1
4	सुश्री हर्षा बंगारी Ms. Harsha Bangari	स्वतंत्र निदेशक / गैर- कार्यपालक निदेशक Independent Director / Non-Executive Director	4	4
5	श्री रामस्वामी नारायणन Shri Ramaswamy Narayanan	स्वतंत्र निदेशक / गैर-कार्यपालक निदेशक (30/10/2023 से प्रभावी) Independent Director / Non-Executive Director (w.e.f. 30/10/2023)	2	1
6	डॉ. ए. शक्तिवेल Dr. A. Sakthivel	स्वतंत्र निदेशक / गैर-कार्यपालक निदेशक (26/12/2023 से कार्यकाल समाप्त) Independent Director / Non-Executive Director (ceased w.e.f. 26/12/2023)	3	3
7	श्री सुनील जोशी Shri Sunil Joshi	पूर्णकालिक निदेशक / कार्यपालक निदेशक (31/10/2023 से कार्यकाल समाप्त) Whole-Time Director / Executive Director (ceased w.e.f. 31/10/2023)	2	2
8	श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	स्वतंत्र निदेशक / गैर-कार्यपालक निदेशक (30/09/2023 से कार्यकाल समाप्त) Independent Director / Non-Executive Director (ceased w.e.f. 30/09/2023)	2	2
9	श्री एम. सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	अध्यक्ष (पूर्णकालिक) / कार्यपालक निदेशक (31/07/2023 से कार्यकाल समाप्त) Chairman (Whole-Time) / Executive Director (ceased w.e.f. 31/07/2023)	2	2



3. वेब-लिंक, जहाँ सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति एवं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं का प्रकटीकरण कंपनी की वेबसाइट: <https://main.ecgc.in/english/corporate-social-responsibility/> पर किया जाता है।
4. नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में कार्यान्वित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का कार्यकारी सारांश, वेब-लिंक के साथ उपलब्ध कराएं, यदि लागू हो: **प्रभाव आकलन रिपोर्ट परिशिष्ट II में संलग्न है।**
5. (क) कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: ₹ 1503.03 करोड़
(ख) कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: ₹ 30.06 करोड़, सीएसआर हेतु आवंटित बजट ₹ 30.10 करोड़
(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: **कुछ नहीं**
(घ) वित्तीय वर्ष हेतु समायोजन की जाने वाली राशि यदि कोई हो: **कुछ नहीं**
(ङ) वित्तीय वर्ष हेतु कुल सीएसआर दायित्व (बी + सी - डी): ₹ 30.10 करोड़
6. (क) सीएसआर परियोजनाओं (चालू परियोजना एवं चालू परियोजना के अतिरिक्त दोनों ही) पर व्यय की गई राशि: ₹ 27.39 करोड़ (परिशिष्ट-I देखें)
(ख) प्रशासनिक अधिशेष में व्यय की गई राशि ₹ 0.103 करोड़
(ग) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो: ₹ 0.038 करोड़ (प्रभाव आकलन हेतु ₹ 9.05 लाख का प्रावधान)
(घ) वित्तीय वर्ष (क + ख + ग) हेतु व्यय की गई कुल राशि: ₹ 29.08 करोड़*
* इसमें यूसीएसआर 2022-23 के लिए व्यय की गई ₹ 1.51 करोड़ और स्वच्छ भारत कोष 2022-23 के लिए ₹ 0.036 करोड़ शामिल हैं।
(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अथवा अव्ययित सीएसआर राशि:
3. Provide the web-link(s) where Composition of CSR Committee, CSR Policy and CSR Projects approved by the Board are disclosed on the website of the Company: <https://main.ecgc.in/english/corporate-social-responsibility/>
4. Provide the executive summary along with the web-link(s) of Impact Assessment of CSR Projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8, if applicable: **Impact assessment report enclosed at Appendix II.**
5. (a) Average net profit of the Company: ₹ 1503.03 crore
(b) Two percent of average net profit of the Company: ₹ 30.06 crore, Budget allotted for CSR ₹ 30.10 crore
(c) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years: **Nil**
(d) Amount required to be set off for the financial year if any: **Nil**
(e) Total CSR Obligation for the financial year (b + c - d): ₹ 30.10 crore
6. (a) Amount spent on CSR Projects (both Ongoing Project and other than Ongoing Project): ₹ 27.39 crore (Refer Appendix-I)
(b) Amount spent in Administrative overheads: ₹ 0.103 crore
(c) Amount spent on Impact Assessment, if applicable: ₹ 0.038 crore (₹ 9.05 lakh provision made for Impact Assessment)
(d) Total amount spent for the Financial Year (a+b+c): ₹ 29.08 crore*
* Includes ₹ 1.51 crore spent towards UCSR 2022-23 and ₹ 0.036 crore towards Swachh Bharat Kosh 2022-23.
(e) CSR amount spent or unspent for the financial year:

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (₹ में) Total amount spent for the Financial Year (in ₹)	अव्ययित राशि (₹ में) Amount unspent (in ₹)				
	धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि। Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per sub-section (6) of section 135.		धारा 135 की उपधारा (5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि। Amount Transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135.		
	राशि Amount	अंतरण की तिथि Date of transfer	निधि का नाम Name of the fund	राशि Amount	अंतरण की तिथि Date of transfer
29.08 करोड़ / crore	2.54 करोड़ / crore	26.04.2024	स्वच्छ भारत कोष ट्रस्ट SWACHH BHARAT KOSH TRUST	0.0180 करोड़ / crore	26.04.2024



(च). समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो – शून्य

(f). Excess amount for set - off, if any: Nil

क्र.सं.	विवरण	राशि ₹ में
(i)	धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	₹ 30.06 करोड़ (सीएसआर हेतु आवंटित बजट ₹ 30.10 करोड़)
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	₹ 29.08 करोड़
(iii)	वित्तीय वर्ष (ii – i) हेतु व्यय की गई अतिरिक्त राशि	कुछ नहीं
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	कुछ नहीं
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन हेतु उपलब्ध राशि ((iii)-(iv))	कुछ नहीं

S. No.	Particular	Amount in ₹
(i)	Two percent of average net profit of the Company as per sub-section (5) of section 135	₹ 30.06 crore (budget allotted for CSR ₹ 30.10 crore)
(ii)	Total amount spent for the financial year	₹ 29.08 crore
(iii)	Excess amount spent for the financial year (ii – i)	Nil
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	Nil
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years ((iii)-(iv))	Nil

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व राशि का विवरण:

Details of Unspent Corporate Social Responsibility amount for the preceding three Financial Years:

(राशी ₹ में)/(in ₹)

क्र. सं. S. No.	पिछले वित्तीय वर्ष (₹) Preceding Financial Year (s)	धारा 135(6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपये में) Amt transferred to Unspent CSR Account u/s 135(6) (in ₹)	धारा 135(6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रुपये में) Balance Amt in Unspent CSR Account u/s 135(6) (in ₹)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में) Amt Spent in the Financial Year (in ₹)	धारा 135(5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में अंतरित की गई राशि, यदि कोई हो Amt transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per 2nd proviso to Section 135(5), if any		अगले वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रु. में) Amt remaining to be spent in succeeding Financial Years (in ₹)	न्यूनता, यदि कोई हो Deficiency, if any
					राशि (रुपये में) Amt (in ₹)	अंतरण की तिथि Date of Transfer		
1	वित्तीय वर्ष / FY 2022-23	1,51,22,500	कुछ नहीं Nil	वित्तीय वर्ष /FY: 23-24 1,51,22,500	3,68,662.44	21.04.2023	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
2	वित्तीय वर्ष / FY 2021-22	38,56,000	कुछ नहीं Nil	वित्तीय वर्ष /FY 22-23: 38,56,000	8,93,195	11.05.2022	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

3	वित्तीय वर्ष / FY 2020-21	2,70,98,891	कुछ नहीं/ Nil	वित्तीय वर्ष /FY 22-23: 56,81,900 वित्तीय वर्ष /FY 21-22: 2,14,16,991	49,11,000	10.06.2021	कुछ नहीं/ Nil	कुछ नहीं/ Nil
---	------------------------------	-------------	------------------	--	-----------	------------	------------------	------------------

8. क्या कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के जरिए वित्तीय वर्ष में किए गए व्यय की गई राशि से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति बनाई गई है अथवा अर्जित की गई है: नहीं
9. यदि कंपनी औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही है, तो कारण बताएं:
- ₹ 2,54,64,773/- यूसीएसआर खाते में अंतरित चालू परियोजनाओं से संबंधित हैं; तथा
 - ₹ 1,80,373.20/- प्रशासनिक व्यय हेतु आवंटित बजट के अंतर्गत कम व्यय के कारण शेष राशि स्वच्छ भारत कोष में स्थानांतरित की गई है।

8. Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year: No
9. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit:
- ₹ 2,54,64,773/- pertains to Ongoing projects transferred to UCSRA/c; and
 - ₹ 1,80,373.20/- pertains to balance amount due to lower expenses under budget allocated for Administrative Expenses transferred to Swachh Bharat Kosh.

(सृष्टिराज अम्बष्ठ)
कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) /
सीएमडी – अतिरिक्त प्रभार एवं
सीएसआर समिति के अध्यक्ष
डीआईएन 10375617

(अभिषेक कुमार जैन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(Sristiraj Ambastha)
Executive Director
(Policy Matters)/
CMD (Addl. charge) &
Chairman of the CSR Committee
DIN 10375617

(Abhishek Kumar Jain)
Chief Financial Officer

स्थान: मुंबई
दिनांक: 16 मई, 2024

Place: Mumbai
Date: May 16, 2024

कृते निदेशक मंडल

सृष्टिराज अम्बष्ठ
कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10375617

For and on behalf of the Board of Directors

Sristiraj Ambastha
Executive Director (Policy Matters)
Chairman-cum-Managing Director
(Additional Charge)
DIN 10375617



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

परिशिष्ट II से अनुलग्नक III

आकांक्षी जिले राजगढ़, मध्य प्रदेश में कंपनी की पहलों का प्रभाव आकलन:
जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड द्वारा प्रभाव आकलन रिपोर्ट का सारांश



ईसीजीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)



अंतिम रिपोर्ट
सीएसआर परियोजना का प्रभाव आकलन अध्ययन

“गुरु देवो महेश्वरा
प्रभावी शिक्षण के लिए स्मार्ट क्लास का निर्माण”

ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा वित्तपोषित एक सीएसआर पहल
जिला प्रशासन, राजगढ़ जिला, मध्य प्रदेश द्वारा कार्यान्वित

प्रस्तुतकर्ता:



जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड
मेकर चेंबर IV, 8वीं मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021, भारत
ईमेल: gcs@gpcl.in ; वेब: www.gpcl.in
मार्च 2024



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

Appendix II to Annexure III

**IMPACT ASSESSMENT FOR COMPANY'S CSR INITIATIVES IN
THE ASPIRATIONAL DISTRICT RAJGARH, MADHYA PRADESH: IMPACT
ASSESSMENT REPORT SUMMARY BY GPCL CONSULTING SERVICES LTD**



ECGC Limited
(A Government of India Enterprise)



FINAL REPORT
IMPACT ASSESSMENT STUDY OF CSR PROJECT

“Gurur Devo Maheshvara
Construction of SMART CLASS for Effective Learning”

A CSR Initiative funded by ECGC Limited
Implemented by - District Administration
Rejgarh District, Madhya Pradesh

Submitted by:



GPCL Consulting Services Limited
Maker Chambur IV, 8th Floor, Nariman Point, Mumbai 400021 INDIA
Email: gcs@gpcl.in ; Web: www.gpcl.in
March 2024



कार्यकारी सारांश

परियोजना के बारे में: स्मार्ट क्लास - पाठ्यपुस्तकों से परे एक जगत

स्मार्ट क्लासरूम एक ऐसी कक्षा है जो पाठ्यपुस्तकों के जगत से परे है। स्मार्ट क्लासरूम एक डिजिटल क्लासरूम है जो शिक्षण का एक उन्नत रूप है, जो शिक्षकों को अधिक निपुणता के साथ पढ़ाने में सहायता करता है और छात्रों को अधिक रुचि, भागीदारी और मनोरंजन के साथ सीखने में मदद करता है।

निजी स्कूलों ने सीखने के डिजिटल तरीके को थोड़ा पहले अपनाया लेकिन धीरे-धीरे और लगातार सरकारी स्कूल भी इसमें शामिल हो रहे हैं। सरकारी स्कूल अब प्रोजेक्टर का उपयोग करके प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से शिक्षण प्रदान कर रहे हैं, ट्यूटोरियल सत्र प्रदर्शित करने के लिए ई-लर्निंग प्रणाली छात्रों को यह एहसास कराने में मदद कर रही है कि सीखना मजेदार भी है।

ईसीजीसी ने जिले में 250 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए राजगढ़ जिला प्रशासन की सहायता की है। शिक्षण के इस अभिनव, रचनात्मक और अग्रणी तकनीकी दृष्टिकोण ने न केवल छात्रों को विजुअलाइजेशन के माध्यम से कठिन अवधारणाओं को समझने का एक आसान तरीका प्रदान किया है, बल्कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उच्च अध्ययन करने के लिए उनकी जिज्ञासा भी जगाई है। स्मार्ट कक्षाओं ने शिक्षण और सीखने का एक सक्षम वातावरण तैयार किया है।

ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के छात्र जेईई, एनईईटी और अन्य समान प्रवेश परीक्षाओं जैसी व्यावसायिक प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए कक्षाओं का उपयोग कर रहे हैं। सीखने के इस नए माहौल ने राजगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के पूरे माहौल को प्रभावित किया है।

प्रभाव आकलन अध्ययन का संचालन:

ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा सीएसआर सहायता के तहत, राजगढ़ जिला प्रशासन ने जिले के 140 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 1 केवीए सौर ऊर्जा बैकअप के साथ "गुरु देवो महेश्वर" नामक स्मार्ट क्लास परियोजना शुरू की।

स्मार्ट क्लास एक डिजिटल रूप से सुसज्जित कक्षा है जिसमें सीखने सिखाने वाले उपकरणों की एक श्रृंखला है। इसमें ऑडियो और विजुअल शिक्षण उपकरण शामिल हैं जिन्हें शिक्षक यूट्यूब वीडियो डाउनलोड करके पढ़ा रहे हैं।

छोटे बच्चों में हमेशा अपने आस-पास की हर चीज़ को जानने की जन्मजात लालसा होती है। वे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं और उनके पास सामान्य तर्क से परे ढेर सारे प्रश्न होते हैं। 21वीं सदी की इस दुनिया में फलने-फूलने के लिए, उन्हें ब्लैकबोर्ड और चॉक मोड का उपयोग करके पाठ्य पुस्तक शिक्षण की रटने की प्रणाली से परे ले जाना महत्वपूर्ण है। ऐसे कुछ कौशल हैं तार्किक तर्क, संज्ञानात्मक क्षमता और आलोचनात्मक सोच। सामान्य तौर पर, प्रत्येक चरण में सटीक निर्णय लेने के लिए इन कौशलों की एक साथ आवश्यकता होती है।

सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें आलोचनात्मक सोच, तर्क करना और तर्क विकसित करना, निर्णय लेना और वास्तविक दुनिया में

Executive Summary

About the Project: SMART CLASS- A world beyond textbooks

SMART Classroom is a classroom which goes beyond the world of textbooks. A SMART Classroom is a digital classroom which is an advanced form of teaching that is helping teachers teach with greater efficiency and the students learning with greater interest, involvement and fun.

Private schools adopted the digital mode of learning a little earlier but slowly and steadily the government schools are catching up too. The government schools are now imparting teaching through the use of technology using Projectors, e-learning system to display tutorial sessions is helping students realize that learning is fun too.

ECGC supported the Rajgarh District Administration for setting up 250 SMART CLASSROOMS in the District. This innovative, creative and with a trailblazing technological approach of teaching has not only provided the students an easy way of understanding difficult concepts through visualization but also has ignited their curiosity in taking up higher studies in the field of Science and Social Science. The SMART CLASSROOMS have created an enabling environment of teaching and learning.

The students of Standard XI and XII are using the classrooms for preparing for professional entrance examinations like JEE, NEET and other similar entrance examinations. This new learning atmosphere has catapulted the whole atmosphere of education in government schools in Rajgarh.

Conduct of Impact Assessment Study:

Under the CSR support by ECGC Limited, Rajgarh District Administration started SMART CLASS Project named "Gurur Devo Maheswara" with 1 KVA Solar Power backup for 144 Secondary and Higher Secondary schools of the District.

SMART CLASS is a digitally equipped classroom with a range of teaching learning tools This includes audio and visual learning tools which the teachers have been teaching by downloading YouTube videos.

Young children always have that innate yearning to know everything around them. They are naturally curious and have a plethora of questions beyond the usual logic. For thriving in this 21st-century world, it is important to take them beyond the rote system of text book teaching using the blackboard and chalk mode. Few such skills are logical reasoning, cognitive ability and critical thinking. These skills together, in general, are needed to make accurate decisions in every phase.

Learning is a cognitive process that involves critical thinking, reasoning and developing logic, judgment, and taking decisions open-mindedly and coherently in the real world. A window to this real world is being visualized when students are using the digital medium to learn in the classroom.



खुले दिमाग और सुसंगत रूप से निर्णय लेना शामिल हैं। जब छात्र कक्षा में सीखने के लिए डिजिटल माध्यम का उपयोग कर रहे हैं तो इस वास्तविक दुनिया की एक झरोखे की कल्पना की जा रही है।

पारंपरिक कक्षा शिक्षण में, ब्लैकबोर्ड और चॉक मोड का उपयोग करके शिक्षण किया जाता है, जो कभी-कभी सभी छात्रों को व्यस्त नहीं रखता है और दृश्य-श्रव्य माध्यम के रूप में मनोरंजक और उत्तेजक नहीं हो सकता है। पारंपरिक पद्धति से पढ़ाते समय शिक्षकों को सभी छात्रों से जुड़ने में कठिनाई होती है जबकि यह माध्यम शिक्षकों को सभी छात्रों से जुड़ने में सक्षम बनाता है और उन्हें बोर्ड पर लिखने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता है। वे इस समय का उपयोग सभी छात्रों से जुड़ने और जटिल अवधारणाओं को दृश्य माध्यम से समझाने और छात्रों के साथ बेहतर बातचीत करने के लिए करते हैं।

यह परिकल्पना की गई थी कि सीखने में बढ़ती व्यस्तता के साथ, छात्रों की उपस्थिति में सुधार होगा और छात्रों के लिए बेहतर ग्रेड और उच्च अध्ययन की आकांक्षा और व्यावसायिक अध्ययन के लिए नामांकन में सुधार होगा। अगस्त, 2023 में शुरुआत के बाद से परियोजना ने छह महीने पूरे कर लिए हैं। जिला प्रशासन और राज्य शिक्षा विभाग की मदद से 140 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में से 20 विद्यालयों को अध्ययन के लिए चुना गया था।

अवलोकन और निष्कर्ष:

- सभी चयनित 20 स्कूलों में कार्यात्मक स्मार्ट क्लासरूम हैं।
- सभी चयनित स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम का बुनियादी माहौल है लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता है।
- अधिकांश कक्षाओं में परियोजना प्रस्ताव के अनुसार उपकरण स्थापित किए गए हैं।
- कुछ स्कूलों में कुछ कक्षाओं में छात्रों के लिए पर्याप्त फर्नीचर, टेबल, कुर्सियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। कुछ स्कूलों में अधिक फर्नीचर और बेहतर माहौल की आवश्यकता है।
- सभी स्कूलों में छात्र डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करके बहुत खुश थे।
- विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा जैसे विषयों को समझना आसान हो गया है और सीखना मजेदार भी हो गया है।
- जीवविज्ञान एक ऐसा विषय था जिसे सर्वसम्मति से ऐसे विषय के रूप में चुना गया था जहाँ चित्र दृश्य माध्यम से दिखाना आसान था; छात्रों ने उन्हें आसानी से समझ लिया और यह शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए एक वरदान रहा है।
- स्मार्ट क्लास शिक्षण के माध्यम से लड़कियों ने विज्ञान में अधिक रुचि दिखाई।
- शिक्षकों द्वारा अवधारणाओं और विषयों जिनमें बहुत सारी दृश्य सामग्री थी जैसे जीवविज्ञान, भूगोल, ज्यामिति आदि को पढ़ाने के लिए यूट्यूब वीडियो का उपयोग किया जा रहा था।
- कुछ स्कूलों ने अधिक स्मार्ट कक्षाओं की आवश्यकता व्यक्त की।
- कई स्कूलों में बिजली और इंटरनेट की समस्या का सामना करना पड़ा। इसलिए, शिक्षकों को बार-बार ब्लैकबोर्ड मोड में जाना पड़ता था और इससे चल रही डिजिटल शिक्षण प्रक्रिया में बाधा आती थी।

In the traditional classroom teaching, teaching is carried out using the blackboard and the chalk mode, which sometimes does not keep all students engaged and may not be fun and stimulating as the audio - visual medium. The teachers find it difficult to connect with all students while teaching in the traditional method whereas this medium enables the teachers to connect with all students and they do not have to spend time writing on the board. They use this time to connect with all students and explain complex concepts with the visual medium and have greater interaction with the students.

It was envisaged that with an increased engagement in learning, students will show improved attendance and outcomes for students would be improved grades and an aspiration for higher studies and enrolment for professional studies. The Project since inception in August, 2023 has completed months. Out of 144 Secondary and Higher Secondary schools, 20 schools were selected for the study with the help of the District Administration and State Education department.

Observations and Findings:

- All the selected 20 schools have functional SMART Class rooms.
- All the selected schools have the basic ambience of a SMART Classroom but can be enhanced.
- Equipment have been set up and installed as per the Project proposal in most classrooms.
- Adequate furniture for students, tables, chairs have been provided in some classrooms in some of the schools. Some schools require more furniture and better ambience.
- Students in all schools were very happy to be learning through the digital medium.
- Subjects like Science, Mathematics, Social Science and Languages had become easier to grasp and fun to learn too.
- Biology was a subject which was unanimously chosen as the subject where the diagrams were easier to show through the visual medium; students grasped them easily and this has been a boon for both teachers and students.
- Girls showed a greater interest in Science through SMART Class teaching.
- YouTube videos were being used by teachers to teach concepts and topics which had lots of visual content like Biology, Geography, Geometry, etc.
- Some of the schools expressed a need for more SMART Classrooms.
- Problems of electricity and Internet was faced by many schools. Hence, teachers had to shift to blackboard mode frequently and thus hampering the ongoing digital teaching process.
- Solar panels were installed in a few schools but had



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

- कुछ स्कूलों में सोलर पैनल लगाए गए थे लेकिन सभी चयनित स्कूलों ने सोलर पैनल खरीद लिया था।
- छात्र इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रधान मंत्री की "परीक्षा पे चर्चा" कार्यक्रम लाइव और अन्य प्रेरक वीडियो भी देख पाए।

सिफारिशें:

- स्मार्ट क्लास में डिजिटल माध्यम का उपयोग करके पढ़ाने के लिए स्कूलों में शिक्षकों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण होना चाहिए। जो सामने आया वह यह था कि शिक्षक विज्ञान, गणित जैसे विषयों को पढ़ाने में कुछ हद तक ही सहज थे, लेकिन अपने विषयों में वर्तमान ज्ञान के साथ सामयिक होने के लिए अधिक गहन और कठोर प्रशिक्षण चाहते थे।
- बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी बिना किसी रुकावट के प्राप्त की जानी चाहिए और सौर पैनलों की स्थापना के साथ जून 2024 से आने वाले शैक्षणिक वर्ष में इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए।
- नामांकन की संख्या और यह कैसे बढ़ रही है, इसे देखते हुए सभी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।
- स्कूलों को प्रत्येक ग्रेड/कक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखने सिखाने वाले ऐप्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- बेहतर फर्नीचर के माध्यम से माहौल प्रदान किया जाना चाहिए ताकि सीखना मजेदार, सुरक्षित और सहायक हो।

भविष्य की हस्तक्षेप रणनीतियों के निर्धारण के समय निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है:

- मॉनिटर/पैनल और अन्य उपकरणों के साथ सोलर पैनल अवश्य लगाए जाने चाहिए।
- उपकरण स्थापित करने वाली कंपनी द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण घटक को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- स्मार्ट कक्षाओं में छात्रों और शिक्षकों के लिए उचित फर्नीचर के साथ उचित माहौल होना चाहिए ताकि सभी के लिए सीखने को एक मजेदार, रचनात्मक और सुरक्षित स्थान बनाया जा सके।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म के इष्टतम उपयोग के लिए, यदि संभव हो तो, स्कूल प्रिंसिपल, डीआईटी, डीईओ और कुछ अन्य गैर सरकारी संगठनों की एक समिति द्वारा स्मार्ट कक्षाओं में शिक्षण की अच्छी तरह से निगरानी की जानी चाहिए।

उत्तम प्रथाएं:

स्मार्ट क्लास शिक्षण एक उन्नत और प्रासंगिक तरीका है, जो छात्रों में सर्वोत्तम शिक्षण परिणाम लाता है। सरकारी स्कूलों के छात्रों को आज नए युग की शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो रही है, जिससे उनके लिए व्यापक सारे अवसर खुल गए हैं। ये छात्र किसी भी तरह से निजी स्कूलों के छात्रों से पीछे नहीं हैं और शिक्षण के लिए डिजिटल ऐप्स के आगमन के साथ, छात्र अब उच्च अध्ययन के लिए शहरों की यात्रा करने के इच्छुक हैं और जेईई, एनईईटी आदि जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं को लिखने के लिए अधिक आत्मविश्वास के साथ तैयारी भी कर रहे हैं।

शिक्षक स्मार्ट शिक्षण विधियों को अपनाने और अपने छात्रों की शिक्षा

been purchased by all the selected schools.

- Students were able to watch the Prime Minister's Pariksha Pe Charcha program live through this digital platform and were also able to watch other motivational videos.

Recommendations:

- The schools must have adequate training for teachers to teach using the digital medium in a SMART Class. What emerged was that the teachers were comfortable only to some extent in teaching subjects like Science, Mathematics but wanted more intense and rigorous training to be up to date with the current knowledge in their subjects.
- Power cut and internet connectivity needs to be received without any interruption in most schools and with the installation of the solar panels this problem should be solved in the coming academic year from June 2024.
- Number of SMART Classrooms must be increased in all schools considering the number of enrolments and how it has been increasing.
- Schools must be provided with financial support for teaching learning apps for each grade/ class and competitive examinations.
- Ambience by way of better furniture in the SMART Classroom (s) should be provided so that learning is fun, safe and supportive.

Key Points may be considered while developing future intervention strategies:

- Solar panels must be installed along with the Monitor / Panel and other equipment.
- Teacher training component must be given a top priority by the company installing the equipment.
- SMART Classrooms must have a proper ambience with proper furniture for students and teachers to make learning a fun, creative and safe space for all.
- Teaching in SMART Classrooms must be well monitored by a committee consisting of the School Principal, DIET, DEO and some other NGOs, if possible, for optimal utilization of the digital platform.

Good Practices:

SMART Class is an advanced, relevant method of teaching, bringing out the best learning outcomes in students. Students from the government schools are today having an access to new age learning content which has opened up plethora of opportunities for them. These students are no way behind students of private schools and with the advent of digital apps for teaching, students are now willing to travel to cities for higher studies and also preparing with greater self-confidence to write competitive examinations like JEE, NEET etc.

Teachers have been equally enthused and excited about adopting SMART teaching methods and integrate the use



को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को एकीकृत करने को लेकर समान रूप से उत्साहित हैं।

प्रधान मंत्री की "परीक्षा पे चर्चा" जैसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और छात्रों को दिखाए गए अन्य लाइव इंटरैक्टिव और प्रेरक वीडियो उनके लिए प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक रहे हैं। इसने उन्हें देश के बाकी हिस्सों के बड़े समुदाय का एक अभिन्न अंग होने का एहसास कराया है।

"स्मार्ट क्लास कोई प्रतिस्थापन नहीं बल्कि पारंपरिक शिक्षण का उत्तम पूरक है!"

आगे बढ़ने का मार्ग:

सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास वास्तव में एक अभिनव विचार है, लेकिन इसके साथ-साथ निर्बाध बिजली आपूर्ति, इंटरनेट बैंडविड्थ गति, परियोजना के तहत प्रदान किए गए डिजिटल उपकरणों के माध्यम से छात्रों को पढ़ाए जाने वाले विषयों से संबंधित नवीनतम ऐप्स की भी तत्काल आवश्यकता है। प्रदान किए गए उपकरणों के इष्टतम उपयोग को समझने के लिए शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है, नवीनतम विषय ऐप जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है और छात्रों को पढ़ाया जा सकता है ताकि सीखने को प्रासंगिक और मजेदार दोनों बनाया जा सके।

अध्ययन के तहत प्रत्येक स्कूल में अधिक स्मार्ट कक्षाओं की आवश्यकता का उल्लेख सभी प्रधानाचार्यों द्वारा किया गया ताकि अधिक से अधिक छात्रों को डिजिटल माध्यम से सीखने और दृश्य-श्रव्य शिक्षण मोड का लाभ उठाने में सक्षम बनाया जा सके।

कार्यकारी सारांश

मूल्यांकनाधीन परियोजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) लिमिटेड द्वारा अपनी सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत प्रायोजित किया गया है। "प्रोजेक्ट विद्यालय" नामक सीएसआर परियोजना का उद्देश्य विवेकानंद केंद्र विद्यालय, अरुणाचल प्रदेश ट्रस्ट के जरिए अरुणाचल प्रदेश में विवेकानंद केंद्र विद्यालयों में शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ावा देना है। इस पहल के जरिए ईसीजीसी ने अरुणाचल प्रदेश के वंचित समुदायों की शिक्षा को सशक्त बनाया है।

प्रभाव आकलन अध्ययन में डेटा संग्रह के गुणात्मक प्रक्रियाओं का उपयोग किया गया है। परियोजना विद्यालय के प्रभाव को समझने हेतु सात विवेकानंद केंद्र विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ मुख्य सूचना साक्षात्कार आयोजित किए गए। इन वार्तालाप के दौरान डेटा संग्रह हेतु साक्षात्कार अनुसूचियां प्राथमिक उपकरण के रूप में उपयोग में आईं। इसके अतिरिक्त, ईसीजीसी लिमिटेड एवं इसके कार्यान्वयन भागीदार के मध्य समझौता ज्ञापनों सहित द्वितीयक डेटा की डेस्क समीक्षा की गई। परियोजना कार्यान्वयन में उनकी कार्यात्मक भूमिका के कारण अध्ययन हेतु प्रतिभागियों को चिन्हित किए जाने हेतु एक उद्देश्यपूर्ण मानक का उपयोग किया गया एवं डेटा का विषयगत रूप से विश्लेषण किया गया।

प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया कि अरुणाचल प्रदेश में ईसीजीसी की पहल का ग्रामीण शिक्षा एवं छात्र कल्याण पर बहुमुखी तथा गहरा प्रभाव पड़ा है। स्कूलों को आवश्यक संसाधन जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर सेट, स्मार्ट क्लास प्रौद्योगिकी, पुस्तकालय संवर्द्धन, स्टीम

of technology to enhance the learning of their students.

Video conferencing like the Prime Minister's "Pariksha Pe Charcha" and other live interactive and motivational videos shown to students have been inspiring and thought provoking for them. It has made them feel as an integral part of the larger community from the rest of the country.

"SMART Class is Not a Replacement but The Perfect Complement to Traditional Teaching!"

Way Ahead:

The SMART CLASS in government schools is indeed an innovative idea but alongside this there is also an urgent need to have uninterrupted electricity supply, internet bandwidth speed, latest Apps related to the subjects taught to students through the digital equipment provided under the Project. What is also needed is also regular training for teachers to understand the optimal use of the equipment provided, the latest subject Apps that can be downloaded and taught to the students to make learning both relevant and fun.

Need for more SMART Classrooms in each school under the study was mentioned by all the Principals to enable more students to learn through the digital medium and take advantage of the audio -visual learning mode.

EXECUTIVE SUMMARY

The project under evaluation has been sponsored by the Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) Ltd under its CSR activities for the FY 2022-23. The CSR project named "Project Vidyalaya" is aimed at enhancing the educational facilities in Vivekananda Kendra Vidyalayas in Arunachal Pradesh implemented through Vivekananda Kendra Vidyalaya, Arunachal Pradesh Trust. Through this initiative, ECGC has empowered the education of underserved communities of Arunachal Pradesh.

The impact assessment study has used the qualitative methods of data collection. Key Informant Interviews were conducted with the Principals of the seven Vivekananda Kendra Vidyalayas to understand the impact of the Project Vidyalaya. The interview schedules served as the primary tool for data collection during these interactions. Additionally, a desk review of the secondary data, including the MOUs between ECGC Ltd. and its implementing partner was undertaken. A Purposive sampling was utilized to identify the participants for the study due to their functional role in project implementation and the data was analysed thematically.

The impact assessment study found that in Arunachal Pradesh, ECGC's initiative has had a multifaceted and profound impact on rural education and student well-being. Through the provision of essential resources to the schools such as furniture, computer sets, smart class technology, library enhancements, steam cookers, water purifiers, and sports equipment, ECGC aims to bridge the gap between rural and urban educational facilities. This comprehensive approach has resulted in increased



कुकर, वाटर प्यूरीफायर एवं खेल उपकरण उपलब्ध कराकर ईसीजीसी का लक्ष्य ग्रामीण एवं शहरी शैक्षिक सुविधाओं के मध्य अंतर को कम करना है। इस व्यापक दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप शैक्षणिक निष्पादन में वृद्धि हुई है, सीखने के माहौल में सुधार हुआ है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के मानकों में वृद्धि हुई है तथा खेल एवं पाठ संबंधी गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी में वृद्धि हुई है। भाग लेने वाले स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने इस पहल की समग्र प्रकृति को स्वीकार किया तथा छात्रों के मध्य अनुकूल शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने तथा सहपाठियों के मध्य सहयोग एवं अवधारणा सीखने को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट कक्षाओं एवं कंप्यूटर सेटों के प्रावधान से सीखने के अनुभव में परिवर्तनशील बदलाव आया है, जिससे गहन वैचारिक समझ को बढ़ावा मिला है एवं शिक्षक-छात्र अंतःक्रिया में वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त, ईसीजीसी पहल द्वारा छात्रावासों में स्टीम कुकर एवं वाटर प्यूरीफायर के प्रावधान के माध्यम से छात्रों के स्वास्थ्य तथा कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। भाप से खाना पकाने के तरीकों में परिवर्तन से न केवल खाना पकाने की दक्षता में सुधार हुआ है बल्कि स्कूल छात्रावासों में स्वच्छता के मानकों में भी सुधार हुआ है, जिससे प्रदूषणकारी खाना पकाने की प्रथाओं पर निर्भरता कम करके पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान मिला है। वाटर प्यूरीफायर की स्थापना ने पानी की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं को प्रभावी तरीके से संबोधित किया है, जिससे कि छात्रों को पूरे दिन स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त, खेल उपकरणों के प्रावधान ने शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा दिया है एवं छात्रों की खेलों में भागीदारी को बढ़ाया है, जिससे छात्रों के मध्य समग्र विकास को बढ़ावा मिला है।

समग्र रूप से, ईसीजीसी पहल ग्रामीण शिक्षा एवं छात्र कल्याण को बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है तथा छात्रों को उनके शहरी समकक्षों के समान संसाधन एवं अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है।

कार्यकारी सारांश

मूल्यांकनाधीन परियोजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लिए निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) लिमिटेड द्वारा अपनी सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत प्रायोजित किया गया है। सीएसआर परियोजना में रोटरी प्राइम ट्रस्ट के साथ मिलकर सरकारी मेडिकल कॉलेज, तिरुपुर में अत्याधुनिक कैंसर देखभाल केंद्र की स्थापना करना शामिल है। इस पहल के जरिए ईसीजीसी का लक्ष्य तिरुपुर एवं उसके निकटवर्ती सभी जरूरतमंद लोगों को कैंसर के उपचार हेतु उन्नत चिकित्सा सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करना है।

प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन में डेटा संग्रह के गुणात्मक प्रक्रियाओं का उपयोग किया गया है। कैंसर देखभाल परियोजना की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति को समझने हेतु तिरुपुर रोटरी पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष के साथ प्रमुख सूचना साक्षात्कार आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, ईसीजीसी लिमिटेड एवं इसके कार्यान्वयन भागीदार के मध्य समझौता ज्ञापनों सहित द्वितीयक डेटा की डेस्क समीक्षा की गई। अध्ययन हेतु प्रतिभागी को चिन्हित करने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण मानक का उपयोग किया गया एवं एकत्र किए गए डेटा का विषयगत रूप से विश्लेषण किया गया।

academic performance, improved learning environments, enhanced health and hygiene standards, and increased student engagement in sports and extracurricular activities. Principals of participating schools acknowledge the initiative's holistic nature, emphasizing its role in fostering a conducive learning environment and promoting peer collaboration and concept learning among students. Furthermore, the provision of smart classes and computer sets has led to a transformative shift in the learning experience, fostering deeper conceptual understanding and enhancing teacher-student interaction.

Additionally, the ECGC initiative has significantly impacted student health and well-being through the provision of steam cookers for hostels and water purifiers. The transition to steam cooking methods has not only improved cooking efficiency but also led to greater hygiene standards in school hostels, contributing to environmental sustainability by reducing reliance on polluting cooking practices. The installation of water purifiers has effectively addressed concerns regarding water quality, ensuring students have access to clean and safe drinking water throughout the day. Moreover, the provision of sports equipment has encouraged physical activity and increased student engagement in sports, promoting holistic development among students.

Overall, the ECGC initiative demonstrates a commitment to enhancing rural education and student well-being, striving to provide students with resources and opportunities comparable to their urban counterparts.

EXECUTIVE SUMMARY

The project under evaluation has been sponsored by the Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) Ltd under its CSR activities for the FY 2022-23 and 2023-24. The CSR project involves establishing a state-of-the-art Cancer Care Centre at Government Medical College, Tiruppur in collaboration with Rotary Prime Trust as its implementing partner. Through this initiative, ECGC aims to enhance the accessibility of all needy people in and around Tiruppur to advanced medical facilities for the treatment of cancer.

The impact assessment study has used the qualitative methods of data collection. Key Informant Interviews were conducted with the Chairperson of Tiruppur Rotary Public Welfare Trust to understand the current status and progress of the cancer care project. Additionally, a desk review of the secondary data, including the MOUs between ECGC Ltd. and its implementing partner was undertaken. A Purposive sampling was utilized to identify the participant for the study and the data collected was analysed thematically.

The Impact Assessment study found that in Tiruppur, there has been a significant progress in the cancer care project. The dismantling work for the upcoming cancer block at the Government Medical College, Tiruppur is in



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

प्रभाव आकलन अध्ययन में पाया गया कि तिरुपुर में कैंसर देखभाल परियोजना में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकारी मेडिकल कॉलेज, तिरुपुर में आगामी कैंसर ब्लॉक हेतु विघटन कार्य प्रगति पर है। अपेक्षित है कि यह परियोजना अगले आठ से दस महीनों में प्रारम्भ हो जाएगी, क्योंकि उस समय तक कैंसर देखभाल केंद्र का निर्माण हो जाएगा एवं रैखिक त्वरक मशीन संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत आ जाएगी। इसके अतिरिक्त, कैंसर देखभाल परियोजना बीपीएल रोगियों को निःशुल्क निदान, उपचार, अनुवर्ती एवं पुनर्वास प्रदान करेगी। कैंसर देखभाल परियोजना के लक्षित लाभार्थियों में समाज के वंचित वर्ग जैसे मध्य प्रदेश, बिहार एवं ओडिशा के प्रवासी मजदूर शामिल हैं, साथ ही गरीबी रेखा से निम्न तथा कैंसर से पीड़ित सभी जरूरतमंद लोग भी शामिल हैं।

कैंसर केयर ब्लॉक का निर्माण सम्पूर्ण होने से पहले ही, परियोजना लाभार्थियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल रही है। तमिलनाडु सरकार द्वारा कैंसर विशेषज्ञों एवं नर्सों की नियुक्ति पहले ही की गई है एवं लोग एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, सीटी स्कैन, एमआरआई तथा मैमोग्राफी जैसी दैनिक चिकित्सा प्रक्रियाओं हेतु उनके पास जा रहे हैं। हालांकि, उन्नत मशीनें खरीदे जाने के पश्चात ही कैंसर का समय पर पता लगाने के साथ ही कैंसर का उपचार भी मुहैया कराया जा सकेगा। समग्र रूप से, यह कहा जा सकता है कि ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कैंसर देखभाल परियोजना इस मायने में अद्वितीय है क्योंकि तिरुपुर एवं उसके आसपास कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं है जिसमें कैंसर देखभाल की सुविधा हो। यह परियोजना अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह गरीब एवं जरूरतमंद रोगियों, खासकर गरीबी रेखा से निम्न लोगों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूर्ण करती है।

progress. It is expected that the project will commence in another eight to ten months as by that time, the cancer care centre would be constructed and the linear accelerator machine would arrive in India from the United States. Furthermore, the cancer care project would provide free diagnosis, treatment, follow up and rehabilitation to the Below Poverty Line patients. The target beneficiaries of the cancer care project includes the underprivileged sections of the society such as the migrant labourers from Madhya Pradesh, Bihar and Odisha in addition to all the needy people who are below poverty line and suffering from cancer.

Even before the construction of the cancer care block is complete, the project has been impacting the lives of the beneficiaries positively. The cancer specialists and nurses have been already appointed by the Government of Tamil Nadu and people are visiting them for the diagnostic medical procedures such as endoscopy, laparoscopy, CT scan, MRI, and mammography. However, only after the advanced machines are purchased, cancer treatment can be provided in addition to the timely detection of cancer. Overall, it can be said that the cancer care project sponsored by ECGC. Ltd is unique in the sense that there is no hospital in and around Tiruppur that has a cancer care facility. The project is highly relevant as it caters to the medical needs of the poor and needy patients especially those Below Poverty Line.



ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा अपनी सीएसआर गतिविधि के अधीन दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए गए
ECGC Limited distributed assistive devices to divyangjans under its CSR activity

परिशिष्ट II से अनुलग्नक III
Appendix II to Annexure IIIवित्तीय वर्ष के दौरान जारी परियोजनाओं पर किए गए सीएसआर राशि के व्यय का विवरण:
Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year:

क्र.सं. S. No.	परियोजना अथवा गतिविधि का नाम Name of the Project or Activity	अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों की सूची Item from the list of Activities in Schedule VII	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं) Local Area (YES/ NO)	राज्य State	जिला District	परियोजना की अवधि Project Duration	परियोजना के लिए आवंटित राशि Amount allocated for the project	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹. में) Amount spent in the FY (In Rs.)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना हेतु अव्ययित सीएसआर खाते में राशि (₹. में) Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per section 135(6) (in Rs.)	कार्यान्वयन एजेंसी के जारी कार्यान्वयन की पद्धति - सीएसआर पंजीकरण संख्या. Mode of Implementa- tion Through Implementing Agency - CSR Regn No.	नाम Name	जारी (हाँ/ नहीं) Ongoing (Yes/ No)
1.	पतंजलि सीएच एवं तिरुपति एंटरप्राइजेज Patanjali, SEEPZ and Tirupati Enterprises	स्वास्थ्य Health	हाँ Yes	महाराष्ट्र Maharashtra	मुंबई Mumbai	एक वर्ष One Year	721844.00	721844.00	0.00	-	पतंजलि सीएच एवं तिरुपति एंटरप्राइजेज Patanjali, SEEPZ and Tirupati Enterprises	नहीं N
2.	शान्ति सेवा निधि Shanti Seva Nidhi	शिक्षा Education	हाँ Yes	महाराष्ट्र Maharashtra	मुंबई Mumbai	तीन वर्ष Three years	5000000.00	1970620.00	3029380.00	सीएसआर CSR 00002242	शान्ति सेवा निधि Shanti Seva Nidhi	हाँ Y
3.	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड ए एफ एक डी Kendhya Sainik Board AFFD	स्वास्थ्य एवं पोषण Health & Nutrition	नहीं No	अखिल भारत PAN India	अखिल भारत PAN India	एक साल One Year	10000000.00	10000000.00	0.00	सीएसआर CSR 00000812	शान्ति सेवा निधि Kendhya Sainik Board AFFD	हाँ Y
4.	सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया Centre for Transforming India	शिक्षा Education	नहीं No	आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh	विशाखापटनम Vishakhapatnam	एक वर्ष One Year	618000.00	618000.00	0.00	सीएसआर CSR 0005034	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड ए एफ एक डी Centre for Transforming India	नहीं N
5.	सोशल अपलिफ्टमेंट ऐंड डेवेलपमेंट फॉर हेल्थ एक्शन (एस ए यूडी एच ए) Social Upliftment and Development for Health Action (SAUDHA)	स्वास्थ्य Health	नहीं No	असम Assam	डिब्रुगढ़ (दिघाली दलानी गांव) Dibrugarh (Dighali Dalani Village)	एक वर्ष One Year	1197000.00	1197000.00	0.00	सीएसआर CSR 00005526	सोशल अपलिफ्टमेंट ऐंड डेवेलपमेंट फॉर हेल्थ एक्शन (एस ए यूडी एच ए) Social Upliftment and Development for Health Action (SAUDHA)	नहीं N
6.	टिस (टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज) TISS (Tata Institute of Social Sciences)	शिक्षा Education	हाँ Yes	महाराष्ट्र Maharashtra	एम वार्ड, देवनार, गावंडी, मुंबई M Ward at Deonar, Govandi, Mumbai	एक वर्ष One Year	8700000.00	8700000.00	0.00	सीएसआर CSR 00003475	टिस (टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज) TISS (Tata Institute of Social Sciences)	हाँ Y
7.	नीमहंस NIMHANS	स्वास्थ्य Health	नहीं No	कर्नाटक Karnataka	बेंगलुरु Bengaluru	एक वर्ष One Year	10000000.00	10000000.00	0.00	सीएसआर CSR 00000194	नीमहंस NIMHANS	हाँ Y
8.	अमचाघर Amchaghar	शिक्षा Education	हाँ Yes	महाराष्ट्र Maharashtra	उत्तान भयंदर Uttan Bhayander	एक वर्ष One Year	2784000.00	1392000.00	1392000.00	सीएसआर CSR 00001102	अमचाघर Amchaghar	हाँ Y



क्र. सं. S. No.	परियोजना अथवा गतिविधि का नाम Name of the Project or Activity	अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों की सूची Item from the list of Activities in Schedule VII	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं) Local Area (YES/ NO)	राज्य State	जिला District	परियोजना की अवधि Project Duration	परियोजना के लिए आवंटित राशि Amount allocated for the project	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रु. में) Amount spent in the FY (In Rs.)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना हेतु अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रु. में) Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per section 135(6) (in Rs.)	कार्यान्वयन प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं) Mode of Implement ation- Direct (YES/NO)	कार्यान्वयन एजेंसी के जरिए कार्यान्वयन की पद्धति - सीएसआर पंजीकरण संख्या. Mode of Implementa tion Through Implementi ng Agency - CSR Regn No.	जारी (हाँ/ नहीं) Ongoing (Yes/ No)
9.	रोटरी तिरुपुर प्राइम ट्रस्ट Rotary Tirupur Prime Trust	स्वास्थ्य Health	नहीं No	तमिलनाडु Tamil Nadu	तिरुपुर Trupur	एक वर्ष One Year	300000000.00	300000000.00	0.00	नहीं No	सीएसआर CSR 00010527	हाँ Y
10.	केंद्रीय पेट्रोसायन इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.पी.ई.टी) Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology (CIPET)	शिक्षा Education	नहीं No	हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड Haryana, Punjab, HP, Rajasthan, Bihar, Jharkhand,	मुखब, अमृतसर, बदौ, जयपुर, रांची, हाजीपुर Murthal, Amritsar, Baddi, Jaipur, Ranchi, Hajipur	एक वर्ष One Year	158000000.00	79000000.00	79000000.00	नहीं No	सीएसआर CSR 00008481	हाँ Y
11.	कैंसर पैशनट्स ऐड असोशिएशन (सीपीएए) Cancer Patients Aid Association (CPAA)	स्वास्थ्य Health	हाँ Yes	नई दिल्ली, पुणे एवं मुंबई New Delhi, Pune and Mumbai	पोखरी एवं उसके आसपास के गाँव Pokhri and its surrounding villages	एक वर्ष One Year	50000000.00	50000000.00	0.00	नहीं No	सीएसआर CSR 00000292	हाँ Y
12.	सीकेएस फाउंडेशन नई दिल्ली CKS Foundation New Delhi	शिक्षा Education	नहीं No	उत्तराखंड Uttarakhand	एक वर्ष One Year	43500000.00	21750000.00	21750000.00	21750000.00	नहीं No	सीएसआर CSR 00009044	हाँ Y
13.	सरस्वती एडुकेशन एवं कल्याण ट्रस्ट Saraswati Education and Welfare Trust	शिक्षा Education	नहीं No	मेघालय Meghalaya	एक वर्ष One Year	24000000.00	24000000.00	24000000.00	0.00	नहीं No	सीएसआर CSR 00002950	हाँ Y
14.	अर्थऐंजल्स वेलफेयर फाउंडेशन Earthangels Welfare Foundation	स्वास्थ्य Health	हाँ Yes	शाहपुर , Shahapur,	एक वर्ष One Year	792450.00	792450.00	792450.00	0.00	नहीं No	सीएसआर CSR 00006478	नहीं N
15.	होप कोलकाता फाउंडेशन Hope Kolkata Foundation	स्वास्थ्य एवं पोषण Health and Nutrition	नहीं No	कोलकाता Kolkata	एक वर्ष One Year	1186250.00	1186250.00	1186250.00	0.00	नहीं No	सीएसआर CSR 00000338	हाँ Y
16.	मानव विकास संस्थान Manav Vikas Sansthan	स्वास्थ्य Health	नहीं No	उत्तर गोवा एवं लेह (लद्दाख) North Goa & Leh (Ladakh)	एक वर्ष One Year	2864400.00	2864400.00	2864400.00	0.00	नहीं No	सीएसआर CSR 00001276	हाँ Y
17.	श्री अरुबिंदो सोसाइटी Sri Aurobindo Society	शिक्षा Education	नहीं No	चंडीगढ़ एवं छत्तीसगढ़ Chandigarh and Chattisgarh	एक वर्ष One Year	3079126.00	1539563.00	1539563.00	1539563.00	नहीं No	सीएसआर CSR 00000200	हाँ Y



क्र.सं. S. No.	परियोजना अथवा गतिविधि का नाम Name of the Project or Activity	अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों की सूची Item from the list of Activities in Schedule VII	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं) Local Area (YES/ NO)	राज्य State	जिला District	परियोजना की अवधि Project Duration	परियोजना के लिए आवंटित राशि Amount allocated for the project	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. में) Amount spent in the FY (in Rs.)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना हेतु आवंटित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रु. में) Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per section 135(6) (in Rs.)	कार्यान्वयन की पद्धति- प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं) Mode of Implement ation- Direct (YES/NO)	कार्यान्वयन एजेंसी के जारे की पद्धति - सीएसआर पंजीकरण संख्या. Mode of Implementa tion Through Implementi ng Agency - CSR Regn No.	नाम Name	जारी (हाँ/ नहीं) Ongoing (Yes/ No)
18.	सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन Sulabh International Social Service Organisation	स्वास्थ्य एवं पोषण Health and Nutrition	नहीं No	हिमाचल प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश Himachal Pradesh and Uttar Pradesh	बिलासपुर और अयोध्या Bilaspur and Ayodhya	एक वर्ष One Year	8105930.00	4052965.00	4052965.00	नहीं No	सीएसआर CSR 00000185	सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन Sulabh International Social Service Organisation	हाँ Y
19.	एस ओ एस चिल्ड्रेन्स विलेज ऑफ इंडिया SOS Children's Villages of India	स्वास्थ्य एवं पोषण Health and Nutrition	नहीं No	असम, पुदुचेरी एवं उत्तर प्रदेश Assam, Puducherry and Uttar Pradesh	गुवाहाटी और बवाना Guwahati and Bawana	एक वर्ष One Year	4536000.00	2268000.00	2268000.00	नहीं No	सीएसआर CSR 00000756	एस ओ एस चिल्ड्रेन्स विलेज ऑफ इंडिया SOS Children's Villages of India	हाँ Y
20.	सेहालय Snehalaya	स्वास्थ्य Health	नहीं No	महाराष्ट्र Maharashtra	अहमदनगर Ahmednagar	एक वर्ष One Year	1527667.00	1527667.00	0.00	नहीं No	सीएसआर CSR 00000282	सेहालय Snehalaya	हाँ Y
21.	तारा संस्थान Tara Sansthan	स्वास्थ्य Health	हाँ Yes	दिल्ली, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश Delhi, Maharashtra and Uttar Pradesh	फरीदाबाद, मुंबई, लोनी Fardabad, Mumbai, Loni	एक वर्ष One Year	2448000.00	1224000.00	1224000.00	नहीं No	सीएसआर CSR 00009044	तारा संस्थान Tara Sansthan	हाँ Y
22.	द वी फाउंडेशन The We Foundation	स्वास्थ्य Health	नहीं No	पश्चिम बंगाल West Bengal	कोलकाता Kolkata	एक वर्ष One Year	1957700.00	978850.00	978850.00	नहीं No	सीएसआर CSR 00006041	द वी फाउंडेशन The We Foundation	हाँ Y
23.	टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी) नव्या Tata Memorial Centre (TMC) Navya	स्वास्थ्य Health	नहीं No	सम्पूर्ण भारत PAN India	सम्पूर्ण भारत PAN India	एक वर्ष One Year	10000000.00	10000000.00	0.00	नहीं No	सीएसआर CSR 00001287	टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी) नव्या Tata Memorial Centre (TMC) Navya	हाँ Y
24.	एसोचैम फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (ए एक सी एस आर) Assocham Foundation for Corporate Social Responsibility (AFCSR)	कौशल विकास Skill Development	नहीं No	सम्पूर्ण भारत PAN India	सम्पूर्ण भारत PAN India	एक वर्ष One Year	50000000.00	50000000.00	0.00	नहीं No	सीएसआर CSR 00001076	एसोचैम फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (ए एक सी एस आर) Assocham Foundation for Corporate Social Responsibility (AFCSR)	हाँ Y
25.	सी एम सी वेल्लोर CMC Vellore	स्वास्थ्य Health	नहीं No	तमिलनाडू Tamil Nadu	वेल्लोर Vellore	एक वर्ष One Year	8037633.00	8037633.00	0.00	नहीं No	सीएसआर CSR 00000289	सी एम सी वेल्लोर CMC Vellore	हाँ Y
26.	केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल Central Reserve Police Force	स्वास्थ्य Health	नहीं No	सम्पूर्ण भारत PAN India	सम्पूर्ण भारत PAN India	एक वर्ष One Year	7394000.00	7394000.00	0.00	नहीं No	सीएसआर CSR 00000334	केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल Central Reserve Police Force	हाँ Y



क्र.सं. S. No.	परियोजना अथवा गतिविधि का नाम Name of the Project or Activity	अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों की सूची Item from the list of Activities in Schedule VII	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं) Local Area (YES/ NO)	राज्य State	जिला District	परियोजना की अवधि Project Duration	परियोजना के लिए आवंटित राशि Amount allocated for the project	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रु. में) Amount spent in the FY (in Rs.)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना हेतु अत्यधिक सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रु. में) Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per section 135(6) (in Rs.)	कार्यान्वयन की प्रवृत्ति - (हाँ/नहीं) Mode of Implementation - Direct (YES/NO)	कार्यान्वयन एजेंसी के जिए कार्यान्वयन की प्रवृत्ति - सीएसआर पंजीकरण संख्या. Mode of Implementation Through Implementing Agency - CSR Regn No.	नाम Name	जारी (हाँ/ नहीं) Ongoing (Yes/ No)
27.	आकाशी जिला राजगढ़	आकाशी जिला राजगढ़ में विकासवादी गतिविधियाँ Development activities in Aspirational District Rajgarh	नहीं No	मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	राजगढ़ Rajgarh	एक वर्ष One Year	1000000000.00	1000000000.00	0.00	नहीं No	-	आकाशी जिला राजगढ़ Aspirational District Rajgarh	हाँ Y
28.	प्रशासनिक व्यय	-	-	महाराष्ट्र Maharashtra	मुंबई Mumbai	एक वर्ष One Year	25000000.00	1414611.80	1085388.20	नहीं No	-	प्रशासनिक व्यय Administrative expenses	
कुल Total							3010000000.00	275354853.80	25645146.20				



अनुलग्नक IV / Annexure IV

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण / MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

विगत कुछ वर्षों से, वैश्विक व्यापार वातावरण ने कई जटिल चुनौतियों का सामना किया है, जिन्हें अक्सर "बहु-संकट" के रूप में जाना जाता है। ये चुनौतियाँ कोविड -19 महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान, भू-राजनीतिक तनावों से प्रभावित व्यापार नीतियों में अनिश्चितताओं एवं आपूर्ति तथा माँग में उतार-चढ़ाव सहित विभिन्न स्रोतों के कारण उत्पन्न हुई हैं। इन व्यवधानों के बावजूद, वैश्विक व्यापारिक वस्तु व्यापार में उल्लेखनीय पुनर्गति दर्ज की गई है। वर्ष 2023 की चौथी तिमाही के दौरान, व्यापारिक वस्तु व्यापार की मात्रा में वर्ष 2019 की तीसरी तिमाही में महामारी-पूर्व उच्चतम मात्रा की तुलना में 6.3% तथा वर्ष 2015 में औसत स्तर की तुलना में 19.1% वृद्धि दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक सेवा व्यापार में भी वर्ष 2019 के दौरान अमरीकी डॉलर मूल्य की तुलना में 21% पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई।

कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में व्यापारिक व्यापार की मात्रा में 15.4% की गिरावट हुई। हालाँकि, व्यापार में तेज़ी से वृद्धि हुई तथा वर्ष 2021 की प्रथम तिमाही तक महामारी के पूर्व स्तर को पार करते हुए 20.6% की वृद्धि दर्ज की गई। महामारी के दौरान तथा यूक्रेन में संघर्ष के दौरान, औषधि तथा भोजन सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने में व्यापार द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई।

वर्ष 2022 में मुद्रास्फीति अपने चरम पर पहुंच गई, जबकि मुख्य मुद्रास्फीति वर्ष 2023 तक उच्च स्तर पर बनी रही। ब्याज दरों की समान ही ऊर्जा के मूल्यों में भी विलंब प्रतिक्रिया दर्ज की गई, जिससे त्वरित बाजार के मूल्यों में चरम के उपरांत वर्ष 2023 में उपभोक्ता उपयोगिता बिल भी प्रभावित हुए। ऊर्जा की ऊँची कीमतों से रसायनों एवं मध्यवर्ती उत्पादों जैसे ऊर्जा-गहन व्यापार योग्य उत्पादों की उत्पादन लागत भी प्रभावित हुए। इसके अतिरिक्त, उच्च ब्याज दरों के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के प्रयासों से अनुकूल वास्तविक ब्याज दरों के कारण जिससे घरों एवं फर्मों द्वारा उपभोग एवं निवेश निर्णयों प्रभावित हुए।

2023 में, अनुकूल वैश्विक स दे उ वृद्धि एवं प्रतिकूल वैश्विक व्यापारिक वस्तु व्यापार मात्रा वृद्धि के मध्य असमानता, मुख्य रूप से मुद्रास्फीति के दबावों से प्रेरित कठिन मैक्रोइकॉनॉमिक स्थितियों के लिए उत्तरदाई रहीं। मुद्रास्फीति के कारण उपभोक्ता उत्पादों के प्रकार तथा उनके भौगोलिक वितरण दोनों के संदर्भ में व्यापार प्रभावित रहे। सर्व प्रथम, मुद्रास्फीति के कारण सेवाओं की तुलना में विनिर्मित वस्तुओं, विशेष रूप से उच्च आयात सामग्री से विनिर्मित वस्तुओं की अधिक संयमित खपत का कारण रही। इसके अलावा अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में ऊर्जा मूल्य में तीव्र वृद्धि के कारण, यूरोपीय संघ के भीतर वास्तविक आय एवं उपभोग पर अधिक स्पष्ट प्रभाव पड़ा।

इसके विपरीत, वर्ष 2024 के दौरान विनिर्मित वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि का अनुमान है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 में व्यापारिक वस्तु व्यापार की मात्रा में वृद्धि की संभावना है। यदि मुद्रास्फीति में वर्तमान गिरावट जारी रहती है, तो अंततः नीति निर्माताओं द्वारा ब्याज दरों को कम करने की संभावना है। जिसके कारण विलंब से ही क्यों न हो, निवेश व्यय में, मुख्य रूप से पूंजीगत वस्तुओं व्यापार में वृद्धि की संभावना होगी। जैसे ही लागत दबाव में कमी होगी एवं यूरोपीय संघ में व्यापारिक विश्वास बढ़ेगा, वर्ष 2024 में

GLOBAL ECONOMY AND TRADE

Over the past few years, the global trade environment has faced a series of complex challenges, often referred to as a "poly-crisis". These challenges have arisen from various sources, including disruptions in supply chains caused by the COVID-19 pandemic, uncertainties in trade policies influenced by geopolitical tensions, and fluctuations in supply and demand. Despite these hurdles, global merchandise trade has demonstrated remarkable resilience. By the fourth quarter of 2023, merchandise trade volume had increased by 6.3% compared to its pre-pandemic peak in the third quarter of 2019, and by 19.1% compared to the average level in 2015. Additionally, commercial services trade has also seen substantial growth, with a 21% increase in US dollar value compared to 2019.

The onset of the COVID-19 pandemic resulted in a 15.4% decrease in merchandise trade volume in the second quarter of 2020. However, trade quickly bounced back, with a 20.6% increase by the first quarter of 2021, surpassing pre-pandemic levels. Trade has played a critical role in ensuring the delivery of essential goods, including medicines and food, both during the pandemic and amidst the conflict in Ukraine.

Inflation reached its peak in 2022, with core inflation remaining elevated well into 2023. Energy prices, similar to interest rates, appeared to respond with a delay, impacting consumer utility bills in 2023 following the peak in spot market prices. The high energy prices affected the production costs of energy-intensive tradable products such as chemicals and intermediates. Additionally, efforts to mitigate inflation through higher interest rates led to positive real interest rates, influencing consumption and investment decisions by households and firms.

In 2023, the disparity between positive world GDP growth and negative world merchandise trade volume growth can be attributed to increasingly difficult macroeconomic conditions primarily driven by inflationary pressures. Inflation affected trade both in terms of the types of products consumed and their geographical distribution. Firstly, inflation led to a more restrained consumption of manufactured goods, particularly those with high import content, compared to services. Secondly, inflation had a more pronounced impact on real incomes and consumption within the European Union, mainly due to a sharper increase in energy prices compared to other economies.

Conversely, lower inflation expected in 2024 is projected to stimulate a resurgence in the consumption of manufactured goods, thereby boosting merchandise trade volume growth in 2024 and 2025. If recent declines in inflation persist, policymakers are likely to eventually reduce interest rates. This should stimulate investment spending, albeit with a delay, particularly in capital goods trade. As cost pressures ease and business confidence improves in the EU, consumption and investment are



खपत एवं निवेश के स्थिर होने तथा वर्ष 2025 के दौरान उसके और अधिक शसक्त होने की संभावना है।

वर्ष 2024 के दौरान विश्व व्यापारिक वस्तु व्यापार मात्रा परिदृश्य में 2.6% वृद्धि तथा उसके पश्चात वर्ष 2025 में 3.3% की वृद्धि संभावित है। यह वर्ष 2023 में -1.2% की अपेक्षा से कहीं अधिक गिरावट के उपरांत संभव होगा। वर्ष 2023 के दौरान विशेष रूप से यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा एशिया में वास्तविक आयात मांग के कारण अधिकांश क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, मध्य पूर्व एवं स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल (सीआईएस) क्षेत्र जहां आयतों में विशेष वृद्धि दर्ज की गई, अपवाद साबित हुए।

वर्ष 2024 तथा वर्ष 2025 के दौरान, अनुमान है कि मुद्रास्फीति में क्रमशः गिरावट होगी, जिससे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वास्तविक आय में वृद्धि संभव है। इसके परिणामस्वरूप, विनिर्मित वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि की संभावना है। वर्ष 2024 में व्यापार योग्य वस्तुओं की मांग में वृद्धि के संकेत पहले से ही स्पष्ट हैं, जिसका श्रेय बेहतर आय परिदृश्यों से जुड़ी घरेलू उपभोग में वृद्धि को दिया जा सकता है।

मुख्य रूप से वर्तमान में जारी भू-राजनीतिक तनाव एवं नीतिगत अनिश्चितताओं के कारण नकारात्मक जोखिमों का अनुमान है। मध्य पूर्व में व्याप्त संघर्ष के कारण यूरोप तथा एशिया के मध्य समुद्री पोतलदानों को बाधित किया है, जबकि अन्य क्षेत्रों में तनाव, व्यापार विखंडन का कारण साबित हो सकता है। इसके अतिरिक्त, संरक्षणवादी उपायों में वृद्धि एक अन्य जोखिम को उत्पन्न करती है जिसके कारण वर्ष 2024 तथा वर्ष 2025 के दौरान व्यापार की पुनः गति के प्रतिबंधित होने की संभावना है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था – दृष्टिकोण

पिछले वर्ष पर एक नज़र डालने पर, जो मुद्दा सबसे अधिक उभर कर सामने आता है, वह है वैश्विक अर्थव्यवस्था को नवरूप देने वाले विषयों की व्यापक संख्या एवं विविधता। मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं सैन्य संघर्षों जैसे कई क्षेत्रों में प्रगति, अस्थिरता दृष्टव्य हुई। पिछले 12 महीनों में दृष्टव्य परिवर्तनों में न केवल व्यावसायिकों एवं व्यवसायों के लिए बल्कि व्यक्तियों एवं समुदायों के लिए भी बड़े परिवर्तन लाने की क्षमता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) के अनुसार 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 3.2 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 1.6% की प्रतिशत की वृद्धि के साथ साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक सदे उ में वृद्धि 3.2% पर स्थिर रहेगी। वर्ष 2024 तथा वर्ष 2025 के दौरान 4.2% की वास्तविक स दे उ वृद्धि के साथ विकासशील अर्थव्यवस्थाएं पुनः प्रमुख सहायक साबित होंगी। वर्ष 2024 तथा वर्ष 2025 के दौरान उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का वृद्धि दर क्रमशः 1.7% तथा 1.8% रहने का अनुमान है।

वर्ष 2024 के दौरान भारत द्वारा सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में 7.8% की उच्चतम विकास दर दर्ज करने की संभावना है। वर्ष 2024 के दौरान भारत की विकास दर 6.8% एवं 2025 के दौरान 6.5% रहने का अनुमान है, परंतु अपने क्षेत्रीय समक्षों तथा उभरते बाजार समूह की तुलना में भारत का बेहतर निष्पादन जारी रहेगा। वर्ष 2023 के दौरान एशिया प्रशांत क्षेत्र में 4.8% की दर से वृद्धि हुई एवं वर्ष 2024 में 4.4% की दर से वृद्धि होने का अनुमान है। वर्ष 2023 के दौरान अफ्रीका के लिए 3.2% तथा वर्ष 2024 के दौरान 3.5% डेटापॉइंट रहे।

इस बीच, मुद्रास्फीति वर्ष 2022 के उच्च स्तर की तुलना में कम हो गई है। वर्ष 2022 के दौरान विश्व भर में मुद्रास्फीति 8.7% की तुलना में कम

forecasted to stabilize in 2024 and further strengthen in 2025.

The world merchandise trade volume outlook anticipates a 2.6% expansion in 2024, followed by a 3.3% growth in 2025. This follows a more substantial-than-anticipated decline of -1.2% in 2023. Import demand in real terms demonstrated weakness across most regions in 2023, notably in Europe, North America, and Asia. However, there were notable exceptions in the Middle East and the Commonwealth of Independent States (CIS) region, where imports experienced a surge.

Over the course of 2024 and 2025, it is anticipated that inflation will gradually decrease, facilitating the resurgence of real incomes in advanced economies. This, in turn, is expected to bolster the consumption of manufactured goods. Signs of a rebound in demand for tradable goods in 2024 are already apparent, attributed to a rise in household consumption associated with improved income outlooks.

The forecast faces downside risks primarily due to ongoing geopolitical tensions and policy uncertainties. Conflict in the Middle East has disrupted sea shipments between Europe and Asia, while tensions in other regions may exacerbate trade fragmentation. Additionally, the escalation of protectionist measures poses another risk that could impede the recovery of trade in 2024 and 2025.

GLOBAL ECONOMY - OUTLOOK

While casting a retrospective look at the past year, the thing that stands out is the sheer number and diversity of themes that shaped the global economy. Developments, volatility and shocks were seen in a wide range of sectors - from inflation, monetary policy and international trade to artificial intelligence and military conflicts. The changes observed over the last 12 months have the potential to bring about major paradigm shifts, not only for professionals and businesses but for individuals and communities as well.

IMF estimates put global economic growth at 3.2% in 2023. Developed economies grew by 1.6% vis-à-vis emerging market economies, which recorded a higher pace of growth at 4.3%. The IMF projects global GDP growth to stay constant at 3.2% in 2024. Developing economies are once again expected to be the major contributors with real GDP growth of 4.2% in 2024 and 2025. Advanced economies are forecasted to grow at a slower rate of 1.7% and 1.8% in 2024 and 2025 respectively.

India recorded a real GDP growth rate of 7.8% in 2023, significantly outperforming the global figure. India's growth rate is projected to moderate to 6.8% in 2024 and 6.5% in 2025 but it will continue to outperform its regional peers and emerging market group. The Asia Pacific region grew at 4.8% in 2023 and is estimated to grow at 4.4% in 2024. The datapoints for Africa are 3.2% in 2023 and 3.5% in 2024.

Inflation meanwhile, has retreated from the highs of 2022. Worldwide inflation fell from 8.7% in 2022 to 6.8% in 2023. It is estimated to reduce further to 5.9% in 2024 and to 4.5% by 2025. In 2023, advanced economies reported an



हो कर वर्ष 2023 में 6.8% हो गई। अनुमान है कि 2024 में इसके और कम हो कर 5.9% तथा वर्ष 2025 तक 4.5% होने की संभावना है। वर्ष 2023 में, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने 4.6% की मुद्रास्फीति दर दर्ज की, जबकि उभरते एवं विकासशील देशों द्वारा 8.3% पर उच्च स्तर के मूल्य दबाव का अनुभव किया गया। उभरते बाजारों के लिए वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति के 8.3% होने की संभावना है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को मूल्य दबावों से कुछ राहत मिलने की संभावना है; उनकी मुद्रास्फीति दर वर्ष 2024 के दौरान 2.6% तथा वर्ष 2025 के दौरान 2% होने का अनुमान है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति यदि समायोजनात्मक नहीं रही तो वर्ष 2024 में प्रतिबंधात्मक से तटस्थ, रहेगी। इससे उपभोग, निवेश तथा साथ ही व्यापार गतिविधियों में वृद्धि की संभावना है।

आगामी वर्ष के दौरान भू-राजनीतिक अनिश्चितता, मौद्रिक नीति परिवर्तन, प्रमुख चुनाव एवं कृत्रिम बौद्धिकता प्रौद्योगिकियों में विकास संभव है। वर्ष 2024 के दौरान वैश्विक आर्थिक प्रगति को, नियमित सैन्य तनाव एवं उसके परिणामस्वरूप अनिश्चितता के निरंतर बने रहने के जोखिम संभावित हैं। प्रत्यक्ष संपार्श्विक क्षति एवं मानव जीवन की हानि के अतिरिक्त, राजनयिक संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य, व्यापार संचालन एवं आपूर्ति श्रृंखला तंत्र पर इसके प्रभाव परिलक्षित होंगे। वर्ष 2024 के दौरान 50 से अधिक प्रमुख देशों में चुनाव आयोजित होंगे। परिणाम न केवल वैश्विक आर्थिक एवं नीतिगत रुझानों को बल्कि सामाजिक वातावरण को भी प्रभावित करेंगे। अंत में, कृत्रिम बौद्धिकता प्रौद्योगिकियों में तेजी से प्रगति जारी रहने की संभावना है। इससे वित्त, विनिर्माण, व्यापार तथा वाणिज्य जैसे उद्योगों में पहले से ही हुए बड़े व्यवधानों में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। संगठनात्मक संरचनाओं तथा व्यावसायिक प्रक्रियाओं में इन प्रौद्योगिकियों तथा उपकरणों का गहन एकीकरण अपरिहार्य अंग होगा।

भारत का विदेश व्यापार

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, भारत का कुल निर्यात (व्यापार एवं सेवाएं) अप्रैल से फरवरी के दौरान 776.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹64,30,300 करोड़) होने का अनुमान है, जो वर्ष 2022-23 की इसी अवधि की तुलना में लगभग 0.04% की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। इस अवधि के दौरान कुल आयात 854.80 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 70,77,072 करोड़) होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में गिरावट को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत का व्यापारिक वस्तु निर्यात 437.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 36,18,513 करोड़) रहा, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 451 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 36,26,216 करोड़) था, जिसमें डॉलर के संदर्भ में 3.11 % एवं रुपये के संदर्भ में 0.21% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल व्यापार घाटा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 121.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल व्यापार घाटे की तुलना में 78.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 में 264.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में व्यापारिक वस्तु व्यापार घाटे में 9.33% के साथ इसके 240.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्ष प्रति वर्ष व्यापारिक निर्यात वृद्धि के मुख्य कारक इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं (23.64%), औषधि एवं फार्मास्यूटिकल्स (9.67%), इंजीनियरिंग वस्तुएं (2.13%), लौह अयस्क, वस्त्र एवं सिरेमिक उत्पाद तथा कांच के निर्मित वस्तुएं रही।

inflation rate of 4.6% while emerging and developing nations experienced a higher level of price pressures at 8.3%. The inflation outlook in 2024 for emerging markets is constant at 8.3%. Advanced economies will likely experience some relief from price pressures; their inflation rate is projected to be 2.6% in 2024 and 2% in 2025. Monetary policy across major economies will begin the transition from restrictive to neutral, if not accommodative, in 2024. This is expected to provide a boost to consumption, investment as well as trade activity.

The upcoming year will be defined by the persistence of geopolitical uncertainty, monetary policy transitions, major elections and further progress in artificial intelligence technologies. The persistence of military tensions and resulting uncertainty remains one of the primary threats to global economic growth in 2024. Its effects – in addition to direct collateral damage and loss of human lives – are being seen in diplomatic relations, international commerce, business operations and supply chain networks. 2024 will see elections being conducted in more than 50 major countries. The results will shape not only global economic and policy trends but social environments also. Finally, the rapid advances in AI technologies are set to continue. These will add to the huge disruptions already caused in industries like finance, manufacturing, trade and commerce. Deeper integration of these technologies and tools into organisational structures and business processes is inevitable.

INDIA'S FOREIGN TRADE

During the financial year 2023-24, India's overall exports (Merchandise and Services) from April to February, are estimated at USD 776.68 billion (₹ 64,30,300 crore) exhibiting a positive growth of 0.04% over April-February 2022-23. Overall imports during this period are estimated at US\$ 854.80 billion (₹ 70,77,072 crore) reflecting a decrease over the same period last year.

India's merchandise exports for the financial year 2023-24 stood at US\$ 437.06 billion (₹ 36,18,513 crore) as against US\$ 451 billion (₹ 36,26,216 crore) over the same period last year, registering a decrease of 3.11% in dollar terms and 0.21% in rupee terms.

The overall trade deficit is estimated to significantly improve by 35.77% from USD 121.62 Billion in FY 2022-23 to USD 78.12 Billion in FY 2023-24 and subsequently, the merchandise trade deficit improved by 9.33% at USD 240.17 Billion in the current FY as compared to USD 264.90 Billion in FY 2022-23.

The main drivers of merchandise export growth in FY 2023-24 year-on-year were electronic goods (23.64%), drugs & pharmaceuticals (9.67%), engineering goods (2.13%), iron ore, textiles, and ceramic products & glassware.



कंपनी के परिचालनों की समीक्षा

अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियां

निर्यात प्राप्य अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियां – एस टी-पॉलिसी) के लिए कंपनी के रक्षा का लाभ उठाने वाले विशिष्ट निर्यातकों की संख्या दिनांक 31 मार्च 2024 तक 7221 रही, जबकि दिनांक 31 मार्च 2023 को 7039 थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जारी एवं नवीनीकृत अल्पावधि (एस टी) निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियों की कुल संख्या 11,610 की तुलना में जारी एवं नवीनीकृत अल्पावधि (एस टी) निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियों की कुल संख्या 11723 रही। दिनांक 31 मार्च, 2024 तक लागू एस टी-पॉलिसियों की संख्या 11268 थी, जिसमें कुल अधिकतम देयता (एम एल) ₹56278.00 करोड़ थी, जो पॉलिसियों की संख्या में 2% की एवं कुल एम एल में 6% की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष के दौरान जारी की गई नई पॉलिसियों की कुल संख्या 4189 रही, जिनमें से 1541 सम्पूर्ण पण्यवर्त (डब्ल्यू टी) पॉलिसियां थीं।

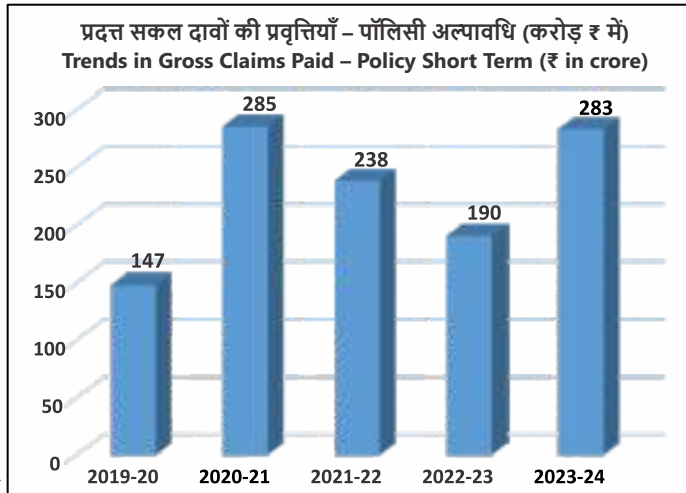
'छोटे निर्यातक' से संबंधित विशिष्ट निर्यातकों (अर्थात पॉलिसी रक्षा के साथ निर्यातक, जिन्हें ₹ 40 करोड़ से कम अथवा उसके बराबर एम एल के साथ रक्षा प्राप्त है) का हिस्सा, कंपनी के पॉलिसी उत्पादों को अलग-अलग निर्यातक ग्राहकों की कुल संख्या 31 मार्च 2023 के अनुरूप ही दिनांक 31 मार्च 2024 को 97% रही।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक कुल प्रभावी पॉलिसियों में घोषणा आधारित जैसे पोतलदान (व्यापक जोखिम) (एस सी आर) पॉलिसियां, निर्यात पण्यवर्त पॉलिसियां (ई टी पी), सेवा पॉलिसियां, लघु निर्यातक पॉलिसियां (एस ई पी), खरीदारवार पॉलिसियां, परेषण पॉलिसियां आदि 52% पर एक बड़ा हिस्सा साबित हुई। दिनांक 31 मार्च, 2024 को लागू घोषणा-आधारित पॉलिसियों की कुल संख्या 31 मार्च, 2023 को ₹ 32631.22 करोड़ रुपये के कुल एम एल के साथ, घोषणा-आधारित पॉलिसियों की संख्या 5637 की तुलना में ₹ 34997.04 करोड़ के कुल एम एल के साथ 5805 रही, जो की पॉलिसियों की संख्या में 3% एवं एम एल में 1.03% की वृद्धि को दर्शाता है। 62 दिनों की औसत ऋण अवधि के साथ ₹ 3,39,995 पोतलदानों की घोषणा की गई। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के अंत में, जोखिम आधारित पॉलिसियों जैसे बहु खरीदार जोखिम पॉलिसी, एकल खरीदार जोखिम पॉलिसी, सू प्रौ समर्थ सेवा पॉलिसी (बहु खरीदार), सू प्रौ समर्थ सेवा पॉलिसी (विशिष्ट ग्राहक), का 48% की हिस्सेदारी रही। दिनांक 31 मार्च 2024 के दौरान प्रभावी पॉलिसियों जैसे एम पी ई बी, एस बी ई पी, एम आई टी ई एस, एस आई टी ई एस आदि 31 मार्च 2023 तक ₹ 23,646.80 करोड़ रु की अधिकतम देयता के साथ प्रभावी 5399 पॉलिसियों की तुलना में ₹ 24,727.38 करोड़ की अधिकतम देयता के साथ 5463 पॉलिसियां प्रभावी रहीं जो कि संख्या में 1% की वृद्धि एवं औसत अधिकतम देयता में 5% की वृद्धि को दर्शाती है।

OVERVIEW OF COMPANY'S OPERATIONS

SHORT-TERM EXPORT CREDIT INSURANCE POLICIES

The number of distinct exporters availing themselves of the Company's cover for export receivables (Short-Term Export Credit Insurance Policies-ST-Policy) was 7,221 as of 31st March, 2024 as against 7,039 as of 31st March, 2023. During the Financial Year (FY) 2023-24, the total number of Short-Term (ST) Export Credit Insurance



Policies issued and renewed was 11,723 compared to 11,610 issued during the previous FY 2022-23. The number of ST-Policies in force as of 31st March, 2024 was 11,268 with a total Maximum Liability (ML) of ₹ 59,768.00 crore as against 11,036 policies in force with a total ML of ₹ 56,278.02 crore as of 31st March, 2023, indicating a growth of 2% in the number of policies in force and growth of 6% in the total ML in force. The total number of

fresh policies issued during the year was 4,189 out of which 1,541 were Whole Turnover (WT) policies.

The share of distinct exporters belonging to the 'Small Exporter' (i.e. exporter with policy covers with ML less than or equal to ₹ 40 crore) category, holding the Company's policy products in the total number of distinct exporter clients is 97% as of 31st March, 2024 as it was as of 31st March 2023.

Declaration-based policies viz. Shipments (Comprehensive Risks) Policies (SCR), Export Turnover Policies (ETP), Services Policies, Small Exporter's Policies (SEP), Buyer Wise Policies, Consignment Policies etc. continued to maintain a larger share at 52% of the policies in force as at the end of FY 2023-24. The total number of declaration-based policies in force as of 31st March, 2024 was 5,805 with an aggregate ML of ₹ 34,997.04 crore as against 5,637 with an aggregate ML of ₹ 32,631.22 crore as of 31st March, 2023 while the declaration-based policies in force increased by 3% in number, the aggregate ML increased by 7%. The number of shipments declared was 3,39,995 with an average credit period of 62 days. Exposure-based policies like Multi Buyer Exposure Policy, Single Buyer Exposure Policy, IT-Enabled Services Policy (Multi-Customer), IT-Enabled Services Policy (Specific Customer) etc. had a share of 48% of the policies in force as at the end of FY 2023-24. The total number of exposure-based shipment policies in force as of 31st March, 2024 viz. MBEP, SBEP, MITES, SITES etc. was 5,463 with an aggregate ML of



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)



ईसीआईबी रक्षा के अधीन श्री बिजय साहू, शाखा प्रबंधक ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा श्री सी. नवनीत कृष्णन, क्षेत्रीय प्रबंधक व उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, चंडीगढ़ मुख्य शाखा को 29.35 करोड़ रुपये का चेक सौंपा गया

Shri Bijaya Sahu, Branch Manager ECGC Limited handing over a cheque of ₹29.35 crore under ECIB cover to Shri C. Navneeta Krishnan, Zonal Manager and Deputy General Manager, Bank of India, Chandigarh Main Branch



ईसीआईबी रक्षा के अधीन श्री नीरज गुप्ता, उमप्र व क्षेत्रीय प्रबंधक (पूर्वी क्षेत्र) द्वारा श्री पी. महेंद्र, क्षेत्रीय प्रमुख, पंजाब नेशनल बैंक, कोलकाता को ₹16.98 करोड़ रुपये का चेक सौंपा गया
Shri Niraj Gupta, DGM & Regional Manager (Eastern Region) handing over cheque of ₹16.98 crore under ECIB cover to Shri P. Mahendra, Zonal Head, Punjab National Bank, Kolkata



ईसीआईबी रक्षा के अधीन डॉ. ए. शक्तिवेल, पूर्व निदेशक ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा केनरा बैंक-मिड कॉर्पोरेट शाखा को ₹18.64 करोड़ रुपये का चेक सौंपा गया

Dr. A. Sakhtivel, Ex - Director, ECGC Limited handing a cheque of ₹18.64 crore paid under ECIB cover to Canara Bank - Mid Corporate Branch





वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अल्पावधि पॉलिसियों के अंतर्गत संरक्षित कुल कारोबार पिछले वर्ष के ₹ 3,21,767.10 करोड़ की तुलना में ₹ 3,56,866.70 करोड़ रहा, जिससे 11% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अल्पावधि-पॉलिसियों के अंतर्गत प्रीमियम आय 6% की वृद्धि दर्ज करते हुए पिछले वित्तीय वर्ष में ₹ 540.22 करोड़ की तुलना में ₹ 572.01 करोड़ रही। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अल्पावधि-पॉलिसियों के अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्रदत्त ₹ 191.31 करोड़ के कुल 421 दावों की तुलना में ₹ 282.98 करोड़ रु के कुल 466 दावों की अदायगी की गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान संरक्षित कुल कारोबार में से, अल्पावधि-पॉलिसी (घरेलू ऋण बीमा पॉलिसी) के अधीन जोखिम मूल्य ₹ 1273.33 करोड़ तथा प्रीमियम आय ₹ 1.13 करोड़ रहा।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अल्पावधि -पॉलिसी के अधीन 83% की वृद्धि दर्शाते हुए कुल ₹ 19.35 करोड़ की वसूली की गयी जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 10.55 करोड़ रही।

ग्राहक विशिष्ट रक्षाएं

ईसीजीसी, द्वारा भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई) के अनुमोदन से पॉलिसीधारकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ग्राहक विशिष्ट रक्षाएँ (सी एस सी) प्रारम्भ की गई, जो कि वर्तमान उत्पादों के ग्राहकों के अनुकूल न होने पर विशेष रूप से तैयार की जाती हैं। सी एस सी पॉलिसियाँ, आई आर डी ए द्वारा दो अनुमोदित अथवा अधिक मानक उत्पादों की निश्चित विशेषताओं को मिलाकर तैयार की जाती हैं। जिसमें किसी एक उत्पाद के विशेष लक्षण समाहित होते हैं जिसे "आधार" पॉलिसी माना जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, पिछले वर्ष के ₹ 13,658.41 करोड़ की अधिकतम देयता / सकल हानि सीमा (एम एल/ए एल एल) के साथ 462 ग्राहक विशिष्ट पॉलिसियों की तुलना में ₹ 15,113.75 करोड़ की अधिकतम देयता/सकल हानि सीमा (एम एल/ए एल एल) के साथ 417 ग्राहक विशिष्ट पॉलिसियां जारी की गई। दिनांक 31 मार्च 2024 तक, पिछले वर्ष दिनांक 31 मार्च 2023 के ₹ 13,205.56 करोड़ अधिकतम देयता / सकल हानि सीमा (एम एल / ए एल एल) के साथ 442 सी एस सी पॉलिसियों की तुलना में ₹ 14,601.45 करोड़ अधिकतम देयता / सकल हानि सीमा (एम एल/ए एल एल) के साथ 396 सी एस सी पॉलिसियां सक्रिय रहीं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, सी एस सी पॉलिसियों के अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम आय पिछले वर्ष के ₹ 167.86

₹ 24,727.38 crore as against 5,399 with an aggregate ML of ₹ 23,646.80 crore as of 31st March 2023, reflecting a growth of 1% in number and 5% in aggregate ML.

Total business covered under the ST-Policies during the FY 2023-24 was ₹ 3,56,866.70 crore, as against ₹ 3,21,767.10 crore during the previous year, thereby registering a growth of 11%. The premium income under ST-Policies was ₹ 572.01 crore during the FY 2023-24 as against ₹ 540.22 crore in the previous FY, registering a growth of 6%. The total number of claims paid under ST-Policies during FY 2023-24 was 466 amounting to ₹ 282.98 crore as against 421 claims amounting to ₹ 191.31 crore during the previous FY 2022-23.

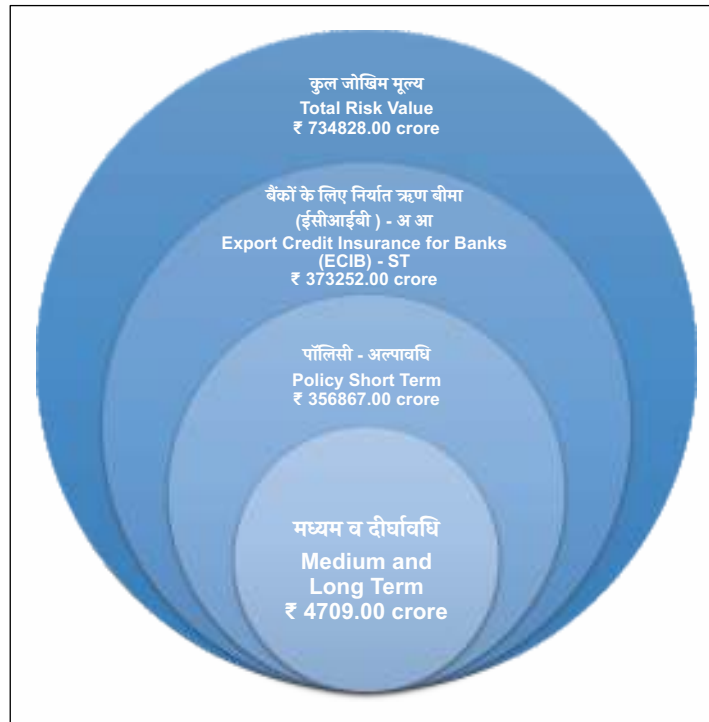
Out of total business covered, RV under st-Policies (Domestic Credit Insurance Policy) was ₹ 1273.33 crore and premium income amounted to ₹ 1.13 crore during the FY 2023-24.

Amount recovered under ST-Policy was ₹ 19.35 crore during the FY 2023-24 as against ₹ 10.55 crore during the previous year showing an increase of 83%.

CUSTOMER SPECIFIC COVERS

The Company had, with the approval of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), introduced Customer Specific Covers (CSC) which are tailor-made to suit specific requirements of policy holders where none of the existing standard products are found suitable. The CSC Policies are structured by combining certain features of two or more standard products approved by the IRDAI, while having the predominant features of one product which is considered as the base policy.

During the FY 2023-24, 417 customized policies were issued/renewed with a total Maximum Liability/Aggregate Loss Limit (ML/ALL) of ₹ 15,113.75 crore as against 462 customized policies issued with a total Maximum Liability/Aggregate Loss Limit (ML/ALL) of ₹ 13,658.41 crore during the previous year. As of March 31st, 2024, 396 CSC policies were in force with a total ML/ALL of ₹ 14,601.45 crore as against 442 CSC policies were in force with a total ML/ALL of ₹ 13,205.56 crore during the previous year. Annual premium income under CSC policies was ₹ 187.55 crore during the FY 2023-24 as against ₹ 167.86 crore during the previous year. During the FY 2023-24,





करोड़ की तुलना में ₹ 187.55 करोड़ रही। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, पिछले वर्ष के ₹ 28.50 करोड़ रु की तुलना में कुल ₹ 91.72 करोड़ के दावों की अदायगी की गई।

बैंकों के लिए अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा (ईसीआईबी) रक्षाएं

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 3.94% की

वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल ₹632.54 करोड़ की तुलना में ₹657.47 करोड़ की कुल प्रीमियम आय रही। ईसीआईबी के अधीन संरक्षित बैंकों द्वारा निर्यात ऋण संवितरण में प्रतिकूल वृद्धि के साथ इस क्षेत्र में वृद्धि प्रभावित रही। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अर्जित कुल प्रीमियम के 52% है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंकों को प्रदत्त दावों की संख्या वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्रदत्त कुल ₹415.70 करोड़

रु के 123 दावों की तुलना में ₹158.34 करोड़ रु ले 71 दावे रहे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दावों की अदायगी के लिए ली गई औसत अवधि पिछले वित्तीय वर्ष की 57.08 दिनों की तुलना में 54.85 रही।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जारी की गई विभिन्न ईसीआईबी रक्षाओं के अधीन कंपनी द्वारा रक्षित कुल जोखिम मूल्य, जिसकी गणना सम्पूर्ण पण्यवर्त (डब्ल्यू टी) के लिए औसत दैनिक उत्पाद (ए डी पी) तथा एकल रक्षाओं के लिए बैंकों द्वारा सूचित अनुसार उच्चतम बकाया राशि (एच ए ओ) के आधार पर की जाती है, में 10.11% की वृद्धि दर्ज करते हुए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹84,746 करोड़ रु की तुलना में औसतन ₹ 93,313 करोड़ रहा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दिनांक 31 मार्च 2024 तक इस योजना के अंतर्गत संरक्षित खातों की संख्या पिछले वर्ष 31 मार्च 2023 के 13,091 की तुलना में 12,484 रही। इस रक्षा के अंतर्गत कुल 8,800 विभिन्न निर्यातकों (पिछले वर्ष 9004) को रक्षा प्रदान की गई जिसमें से 85% छोटे निर्यातक (यथा-ऐसे निर्यातक खाते जिन पर मंजूर सीमा 80 करोड़ रु या उससे कम थी) रहे। अनुमान है कि पिछले वर्ष ₹ 3,38,984 करोड़ की तुलना में इस वर्ष के दौरान ₹ 3,73,254 करोड़ मूल्य के निर्यात ऋण अग्रिमों पर रक्षा प्रदान की गई। यह अनुमान भा रि बै तथा 90 दिनों के अल्पावधि निर्यातों के अधीन कारोबार चक्र की गणना के आधार पर किये गए हैं। तदनुसार जोखिम मूल्य की गणना, चार के घटक को कम्पनी द्वारा संरक्षित बकाया निर्यात ऋण से गुणित कर की गई है।

बैंकों द्वारा प्रस्तुत बीमांकन आवेदनों पर अनुमोदन प्रक्रिया हेतु लिए जाने वाले समय को कम करने के लिए, 30 मई, 2023 से, सीमाओं के अनुमोदन के लिए अधिकारों के प्रत्यायोजन को संशोधित किया गया। बोर्ड की मंजूरी के साथ अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को सौंपे गए अधिकारों में ₹ 200 करोड़ से वृद्धि कर ₹ 300 करोड़ किया गया।

claims paid under customized policies increased to ₹ 91.72 crore from ₹ 28.50 crore during the previous year.

SHORT-TERM EXPORT CREDIT INSURANCE FOR BANKS (ECIB) COVERS

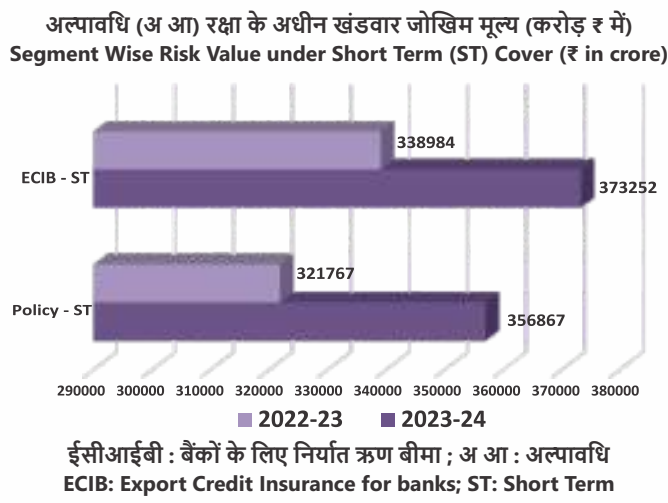
The premium earned under Short Term - Export Credit Insurance for Banks (ST-ECIB) for the FY 2023-24 was

₹ 657.47 crore as against ₹ 632.54 crore during FY 2022-23 registering an increase of 3.94%. The growth remained affected by the negative growth in export credit disbursements by the banks covered under ECIB. ST- ECIB premium accounted for around 52% of the total premium of the Company for the FY 2023-24. The number and value of claims paid stood at 71 and ₹ 158.34 crore respectively for the FY 2023-24 as against 123 claims paid for an amount of ₹ 415.70 crore

in FY 2022-23. The average number of days for claim settlement under ST-ECIB was 54.85 days in FY 2023-24 which was 57.08 days in the previous year.

The total outstanding covered by the Company under the various ECIB covers issued, derived from the total Average Daily Products (ADP) of all the accounts covered under the Whole Turnover (WT) covers and the Highest Amount Outstanding (HAO) under Individual (IN) covers, reported by the banks to the Company, aggregated to ₹ 93,313 crore during the FY 2023-24 as compared to ₹ 84,746 crore during FY 2022-23 showing an increase of 10.11%. The number of accounts covered under the ST-ECIB schemes as of March 31st 2024 was 12,484 compared to 13,091 as of 31st March, 2023. A total of 8,800 (Previous Year 9,004) distinct exporters of which more than 85% are Small Exporters (i.e., exporter accounts with sanctioned credit limit less than or equal to ₹ 80 crore) have been supported through the covers. It is estimated that export credit advances worth ₹ 3,73,254 crore have been supported through ECIB cover during this year compared to ₹ 3,38,984 crore advances supported during the previous year. The estimates are based on data sourced from RBI and considering the fact that the business cycle under short term exports is around 90 days. Accordingly, the outstanding export credit covered by the Company is multiplied by a factor of four to arrive at the Risk Value.

To reduce the turnaround time for approval of underwriting applications submitted by the banks, delegation of powers for approval of limits were revised w.e.f. 30th May, 2023. The powers delegated to the CMD have been enhanced to ₹ 300 crore from ₹ 200 crore, with the Board's approval.





ईसीआईबी-डब्ल्यूटी के अधीन जुलाई 2022 में विनिर्माता-निर्यातक खातों के लिए आरंभ किए गए 90% की वर्धित रक्षा योजना, जिसकी अधिकतम सीमा/जोखिम 20 करोड़ रुपये थी, में जुलाई 2023 में वृद्धि कर बैंकिंग उद्योग हेतु 50 करोड़ रुपये तक की सीमा/जोखिम किया गया। ट्रेडर / व्यापारी निर्यातक तथा रत्न, आभूषण एवं हीरा (जीजेडी) खातों को उक्त योजना के सीमा क्षेत्र से बाहर रखा गया है। यह योजना बैंकों को निर्यातकों

को कम ब्याज दरों का लाभ देने में सक्षम बनाती है। बारह बैंकों, अर्थात् केनरा बैंक, इंडियन बैंक, तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, द सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, द साउथ इंडियन बैंक

लिमिटेड, यूको बैंक, भा स्टे बैंक तथा सीएसबी लिमिटेड द्वारा ईसीआईबी-डब्ल्यूटी योजनाओं के अधीन वर्धित रक्षाओं का विकल्प चयनित किया गया है।

बारह राष्ट्रीयकृत बैंकों, नौ निजी क्षेत्र तथा सहकारी बैंकों के लिए संपूर्ण पण्यवर्त पैकिंग ऋण (डब्ल्यूटीपीसी) एवं संपूर्ण पण्यवर्त पोतलदानोत्तर (डब्ल्यूटीपीएस) रक्षा का नवीकरण किया गया। 31 मार्च, 2024 तक कुल 42 ईसीआईबी-डब्ल्यूटी रक्षाएं लागू थी। 31 मार्च 2024 तक लागू ईसीआईबी-एकल रक्षा की संख्या 41 थी। बैंकों के दावों पर प्रक्रिया हेतु 01 मार्च 2024 से सरलीकृत प्रक्रिया आरंभ की गई जिससे डब्ल्यूटी-ईसीआईबी के अधीन बैंकों द्वारा प्रस्तुत दावों का त्वरित निपटान सुनिश्चित किया जा सके तथा यह उन उधारकर्ता खातों के संबंध में लागू होगी जिनमें प्रति निर्यातक/निर्यातक-समूह कुल निर्यात ऋण कार्यकारी पूंजी (पैकिंग ऋण तथा / अथवा पोतलदानोत्तर) सीमा ₹5 करोड़ तक है।

विगत वर्षों के अनुरूप उच्च मूल्य वाले खातों के बीमांकन के संबंध में उचित जोखिम शमन उपाय जारी रखे गए।

वर्तमान वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान की गई वसूली वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 136.84 करोड़ की तुलना में ₹ 124.65 करोड़ रही।

मध्यम एवं दीर्घावधि कारोबार समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मध्यम व दीर्घावधि (एमएलटी) कारोबार से प्रीमियम आय पिछले वर्ष के ₹28.81 करोड़ रुपये की तुलना में ₹ 41.28 करोड़ रुपये रही। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय परियोजना निर्यातक को प्रदत्त ऋण सुविधा के लिए भारतीय एक्जिम

The scheme of enhanced cover of 90% under ECIB- WT that was introduced in July 2022 for the manufacturing-exporter accounts, having aggregate limits/ exposure of up to ₹ 20 crore was further extended for limits/ exposure up to ₹ 50 crore across the banking industry in July 2023. Traders / Merchant Exporters and Gems, Jewellery and Diamond (GJD) accounts are excluded from the purview

of the said scheme. The scheme enables to pass on the benefit of reduced interest rates to the exporters. Twelve banks, namely, Canara Bank, Indian Bank, Tamilnad Mercantile Bank, Central Bank of India, Punjab & Sind Bank, Union Bank of India, The Saraswat Cooperative Bank Limited, Bank of Maharashtra, The

South Indian Bank Ltd, UCO Bank, SBI and CSB Ltd. have opted for enhanced cover under the ECIB- WT schemes.

The Whole Turnover Packing Credit (WTPC) and Whole Turnover Post-Shipment (WTPS) covers were renewed for twelve nationalized banks, nine private sector and co-operative banks. The total number of ECIB- WT covers in force as on 31st March, 2024 was 42. The number of ECIB- IN covers in force as on 31st March 2024 was 41.

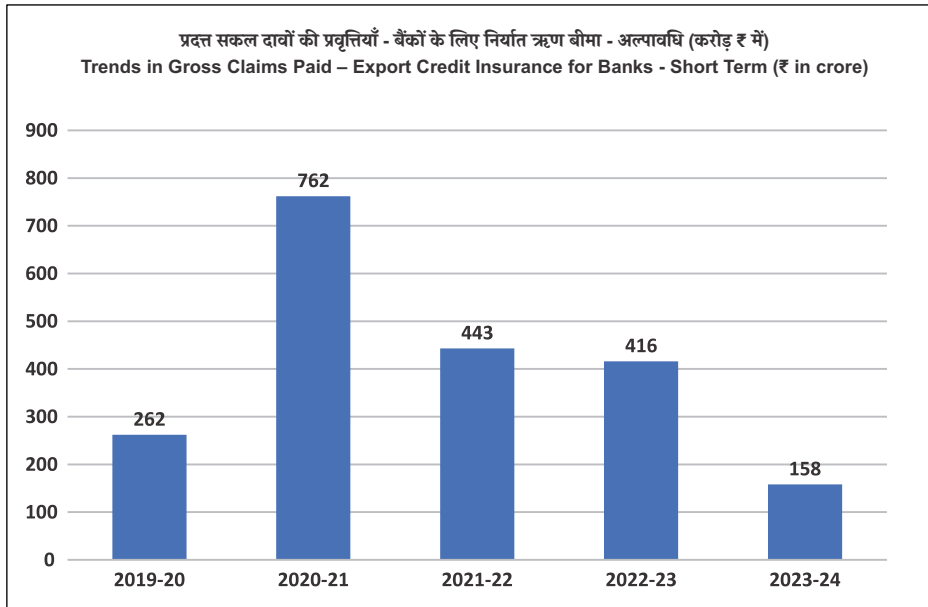
Simplified procedure for processing claims of banks was introduced on 01st March 2024 to ensure quicker claim settlement to banks under WT- ECIB and is applicable in respect of those borrower- accounts that have per exporter /exporter-group aggregate export credit working capital (Packing Credit and/or Post-Shipment) limit up to ₹ 5 crore.

Appropriate risk mitigation measures were continued in respect of underwriting of high value accounts as done in the previous years.

The recovery made during the current year i.e. FY 2023-24 was at ₹ 124.65 crore as against ₹ 136.84 crore during FY 2022-23.

MEDIUM AND LONG-TERM BUSINESS REVIEW

The premium income from the Medium and Long Term (MLT) business for the FY 2023-24 stood at ₹41.28 crore, as against ₹ 24.81 crore in the previous year. One claim of ₹ 9.03 crore (ECIB segment) was paid to India Exim Bank on account of loan facility given to Indian Project Exporter during the FY 2023-24. The top five countries in which the





बैंक को ₹ 9.03 करोड़ रु (ईसीआईबी के अधीन) के एक दावे की अदायगी की गयी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा पांच देशों तंजानिया, जॉर्जिया, बुर्किना फासो, मॉलडोवा तथा नेपाल में प्रमुख व्यवसाय का जोखिम अंकन किया गया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, एमएलटी परियोजना निर्यातकों को पिछले वित्तीय वर्ष में जारी 12 ऋण बीमा पॉलिसी की तुलना में 33 ऋण बीमा पॉलिसियाँ जारी की गईं, जिनके अधीन उनके द्वारा प्रारम्भ की गई विभिन्न परियोजनाओं पर राजनीतिक एवं व्यापक जोखिमों को रक्षित किया गया। रक्षा प्रदान किए गए प्रमुख क्षेत्रों में मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाएं, विद्युत पारेषण एवं वितरण, जल विद्युत उपकरण तथा पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति आदि शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंकों को निर्यात ऋण बीमा (ईसीआईबी) के अंतर्गत जारी की गई रक्षाओं की संख्या पिछले वर्ष के 47 की तुलना में 39 रही। वित्तीय वर्ष 2023-24 के

दौरान विदेशी निवेश बीमा योजना एवं खरीदार ऋण व्यवस्था के अधीन कोई रक्षा जारी नहीं की गई।

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) ट्रस्ट

एनईआईए ट्रस्ट की स्थापना भारत सरकार (भास) द्वारा राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से वांछनीय मध्यम एवं दीर्घावधि निर्यात

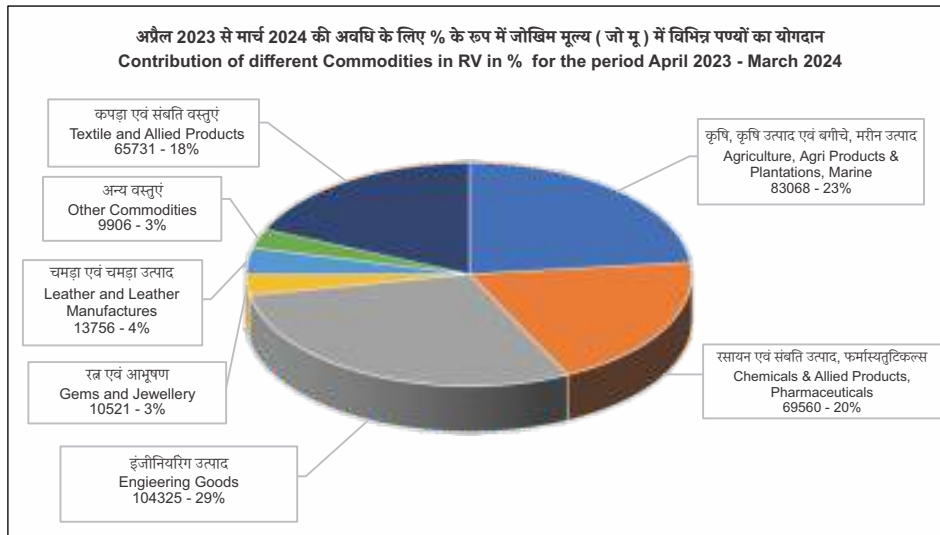
(एमएलटी) / परियोजना निर्यात के लिए ऋण जोखिम रक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। 31 मार्च, 2024 तक ट्रस्ट को कुल ₹ 4,741 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ट्रस्ट द्वारा एनईआईए ट्रस्ट (बीसी-एनईआईए) की खरीदार ऋण व्यवस्था योजना के अधीन घाना, श्रीलंका, सूरीनाम तथा जाम्बिया को प्रदत्त सुविधाओं के अधीन इंडिया एक्जिम्स बैंक को 1,907.80 करोड़ रुपये के नौ दावों का निपटान किया गया है। ट्रस्ट की कुल बीमांकन क्षमता ₹ 80,000.00 करोड़ है, जिसमें से 25% राशि अर्थात् ₹ 20,000.00 करोड़ का निर्धारण कंपनी द्वारा जारी एमएलटी रक्षाओं पर जोखिम साझा करने हेतु किया गया है। 54 देशों में ₹ 43,571 करोड़ के कुल 213 परियोजनाओं को सहायता करने के उद्देश्य से 331 रक्षाओं पर कुल ₹ 14,153.77 करोड़ के जोखिम को एनईआईए ट्रस्ट के साथ साझा किया गया है। ₹ 80,000.00 करोड़ का शेष 75% राशि अर्थात् ₹ 60,000.00 करोड़ एनईआईए ट्रस्ट (बीसी-एनईआईए) के लिए निर्धारित किया गया है। 31 मार्च, 2024 तक, ट्रस्ट द्वारा कैमरून, कोटे डी आइवर, घाना, ईरान, मालदीव, मॉरिटानिया, मोजाम्बिक, सेनेगल, श्रीलंका, सूरीनाम, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे देशों में ₹ 18,006 करोड़ मूल्य की 28 परियोजनाओं के

Company had underwritten major business during the FY 2023-24 are Tanzania, Georgia, Burkina Faso, Moldova, and Nepal.

During the FY 2023-24, 33 credit insurance policies were issued to MLT project exporters as against 12 in the previous financial year, covering comprehensive risks on various projects undertaken by them. The major sectors covered were Infrastructure, Power Transmission & Distribution, Hydro Power Equipment and Supply of Capital Goods etc. The number of covers issued under Export Credit Insurance to Banks (ECIB) during the FY 2023-24 was 39 as against 47 in the previous year. No covers were issued under the Overseas Investment Insurance scheme and the Buyer's Credit scheme during the FY 2023-24.

NATIONAL EXPORT INSURANCE ACCOUNT TRUST (NEIA)

The NEIA Trust has been established by the Government of India (GOI) with the objective of ensuring availability of credit risk cover for Medium and Long-Term exports (MLT) /



project exports which are desirable from the point of view of national interest. The total grant-in-aid received by the Trust as of 31st March 2024 stands at ₹ 4,741 crore. The Trust has settled nine claims of ₹ 1,907.80 crore under the Buyer's Credit scheme of the NEIA Trust (BC-NEIA) covers during FY 2023-24 to India Exim Bank under the facilities extended to Ghana, Sri Lanka, Suriname and Zambia. The underwriting capacity of the Trust is ₹ 80,000 crore of which 25% amounting to ₹ 20,000 crore has been earmarked for supporting MLT covers issued by the Company. Risk to the extent of ₹ 14,153.77 crore, in respect of 331 covers supporting 213 projects with a total value of ₹ 43,571 crore in 54 countries, has been shared with the NEIA Trust. The balance 75% of ₹ 80,000 crore amounting to ₹ 60,000 crore is earmarked for the BC-NEIA. As of March 31, 2024, the Trust has issued 28 Buyer's Credit covers with an aggregate Maximum Liability of ₹ 25,091 crore for 28 projects of value ₹ 18,006 crore in the countries Cameroon, Cote D' Ivoire, Ghana, Iran, Maldives, Mauritania, Mozambique, Senegal, Sri Lanka,



लिए कुल ₹ 25,091 करोड़ की अधिकतम देयता के साथ 28 क्खरीदार ऋण व्यवस्था रक्षाएं जारी की गयी हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मंजूर किए दावों एवं ट्रस्ट द्वारा जारी/समर्थित रक्षा के अधीन रिपोर्ट की गई चूक के

प्रावधान को देखते हुए, 31 मार्च, 2024 तक बीमांकन हेतु उपलब्ध शेष अतिरिक्त निधि 'शून्य' है। भारत सरकार ट्रस्ट का एकमात्र व्यवस्थापक है तथा ईसीजीसी इसकी प्रबंधन एजेंसी है।

ट्रस्ट का प्रबंधन कंपनी करती है। कंपनी ट्रस्ट द्वारा अर्जित गारंटी

शुल्क आय का 5% प्रबंधन शुल्क के रूप में प्राप्त करती है एवं वर्ष के दौरान कंपनी ने ट्रस्ट से अपने प्रबंधन शुल्क के रूप में ₹ 0.66 करोड़ प्राप्त किए।

फैक्टरिंग

पूर्ण परिपक्व फैक्टरिंग योजना (एफएफएफएस)

निदेशक मंडल द्वारा 13 मई 2014 को सम्पन्न उसकी बैठक में मुख्य रूप से एमएसएमई निर्यातकों हेतु पूर्ण परिपक्व फैक्टरिंग योजना (एफएफएफएस) को मंजूरी प्रदान की गई। वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा तीन निर्यातकों को लाभान्वित करने वाले तीन प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष) 2023-24 के दौरान, पिछले वर्ष के दौरान ₹ 3.61 करोड़ की राशि के 13 बिलों की तुलना में ₹ 4.59 करोड़ के 10 बिलों को फैक्टर किया गया है, जो व्यापार मूल्य में 27.15% की वृद्धि दर्शाता है।

फैक्टर्स को रक्षा

फैक्टरिंग कंपनियों को उनके द्वारा फैक्टर किए गए निर्यात प्राप्तियों के संबंध में गैर-भुगतान के जोखिम का सामना करना पड़ता है, इस कारण से कि आयात फैक्टर कभी-कभी उपलब्ध नहीं होता है अथवा महंगा होता है।

निदेशक मंडल तथा आईआरडीएआई के उचित अनुमोदन के साथ, कंपनी द्वारा अपने एमएसएमई निर्यातक-ग्राहकों से संबंधित निर्यात बिलों के लिए फैक्टर्स / वित्तीय संस्थानों / बैंकों को जारी किए जाने वाले निर्यात प्राप्ति (फैक्टर रिस्क) बीमा समझौता रक्षा को आरंभ किया गया।

Suriname, Tanzania, Uganda, Zambia and Zimbabwe. In view of claims admitted during the FY 2023-24 and provision for defaults reported under the cover issued / supported by the Trust, the corpus available for

underwriting is NIL as of March, 31, 2024. The GOI is the sole settlor of the Trust and ECGC is the managing agency.

The Trust is managed by the Company. The Company receives 5% of guarantee fee income earned by the Trust as t h e

management fee and during the year the Company received ₹ 0.66 crore as its management fee from the Trust.

FACTORING

Full Fledged Factoring Scheme (FFFS)

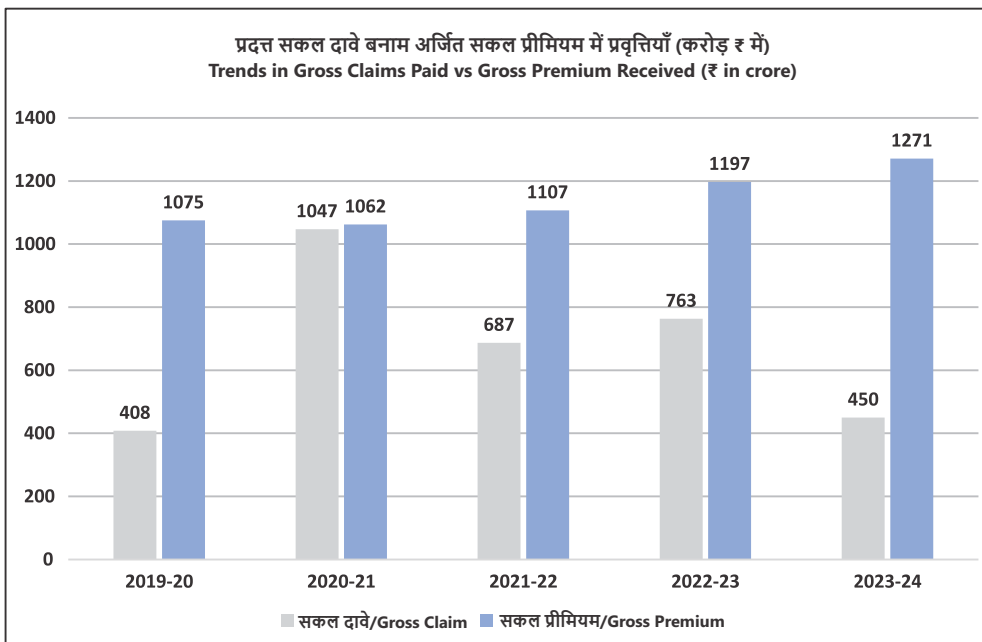
The Board of Directors had at its meeting held on May 13th 2014 approved the Full-Fledged Factoring Scheme (FFFS) primarily for MSME exporters. During the year 2023-24 the Company approved three proposals benefitting three exporters. During the Financial Year (FY) 2023-24, 10 bills were factored amounting to ₹ 4.59 crore as against 13 bills amounting to ₹ 3.61 crore during the previous year showing growth of 27.15% in the business value.

Cover to Factors

Factoring companies face risk of non-payment in respect of export receivables factored by them without recourse due to the reason that import factor is sometimes not available or is expensive.

With the due approvals of the Board of Directors and the IRDAI, the Company had introduced Export Receivables (Factor's Risks) Insurance Agreement Cover to be issued to Factors / Financial Institutions / Banks for the export bills factored by them pertaining to their MSME exporter-clients.

The product, Export Receivables (Factor's Risk) Insurance Agreement is meant to protect Factors / Financial Institutions / Banks wherein the finance





ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

“निर्यात प्राप्य (कारक का जोखिम) बीमा समझौता” यह उत्पाद फेक्टर्स / वित्तीय संस्थानों / बैंकों की रक्षा के लिए है, जिसमें उनके द्वारा निर्यातकों को 'फैक्टरिंग' के माध्यम से दिया गया वित्तीय खरीदार के जोखिमों एवं राजनीतिक जोखिमों के कारण अप्राप्त रहता है। वर्ष के दौरान कई फैक्टरिंग कंपनियों द्वारा डीटीए के लिए रक्षा के साथ साथ गिफ्ट सिटी, आईएफएससी के जरिए फैक्टरिंग व्यवसाय के लिए अपनी रुचि दिखते हुए हेतु ईसीजीसी से संपर्क किया गया है। कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस उत्पाद के अधीन व्यवसाय आरंभ किए जाने की संभावना है।

निवेश

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक, सरकारी प्रतिभूतियों, कॉरपोरेट बॉन्ड, इक्विटी शेयरों, सावधि जमा आदि में कंपनी का निवेश पोर्टफोलियो 31 मार्च, 2023 को ₹ 15,575.82 करोड़ की तुलना में ₹ 16,133.94 करोड़ रहा, जो ₹ 558.12 करोड़ अर्थात 3.58 % की वृद्धि दर्शाता है। निवेश पोर्टफोलियो में वृद्धि अतिरिक्त पूंजी के प्रवाह एवं निवेश से उत्पन्न अधिशेष के कारण हुई थी।

कंपनी द्वारा निवेश के संबंध में सभी नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम 45% के मुकाबले अनिवार्य श्रेणी के अंतर्गत निवेश 71.46% फीसदी रहा। 31 मार्च, 2022 तक, आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित अधिकतम 15% की नियामक सीमा की तुलना में कंपनी के पास “स्वीकृत निवेश के अलावा”

के रूप में वर्गीकृत उपकरणों में केवल 1.52% का जोखिम है। इसके अलावा, कंपनी के कुल ऋण पोर्टफोलियो में से 95.60 % निवेश सरकारी प्रतिभूतियों तथा एएए रेटिंग वाले डिबेंचर में हैं, जबकि आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक सीमा 65% है।

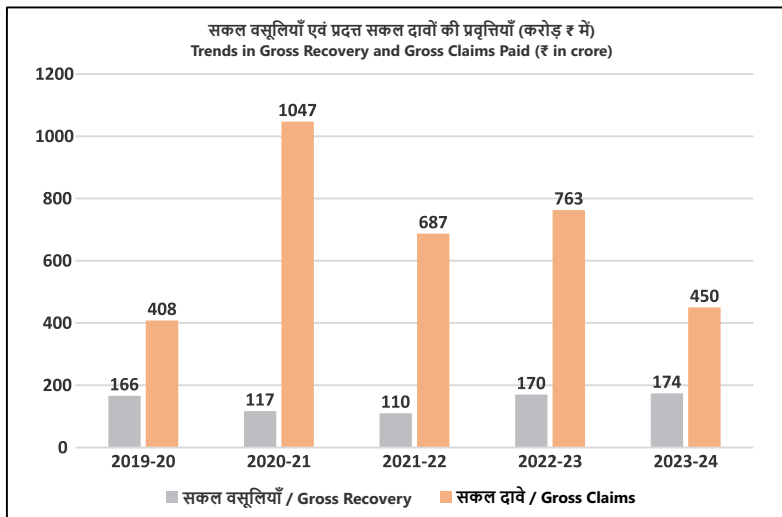
वित्तीय वर्ष 2023-24 निवेश संचालन से उत्पन्न आय (निवेश की बिक्री पर लाभ सहित) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 1133.85 करोड़ से 6.35% बढ़कर ₹ 1205.89 करोड़ हो गई। वर्ष के दौरान निवेश आय में वृद्धि मुख्य रूप से ऊपर उल्लिखित निवेश पोर्टफोलियो के प्रबंधनाधीन आस्तियों (एयूएम) में वृद्धि के कारण हुई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निवेश पर प्राप्त आय पिछले वर्ष के 7.81% की तुलना में 7.83% रही। कंपनी के निवेश संचालन मुख्य रूप से दावा भुगतानों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने तथा जोखिम एवं प्राप्ति के मध्य समझौताकारी समन्वय स्थापित करने के लिए किया जाता है।

extended by them to the exporters by way of 'Factoring' the bill, remains unrealized owing to buyer's risks and political risks. During the year several Factoring Companies have approached ECGC for placing their interest for the cover for DTA as well as factoring business routed through IFSC, GIFT City. The Company is expected to commence business under the product in the FY 2024-25.

INVESTMENTS

As of March 31, 2024, the investment portfolio comprising of investments in Government Securities, Corporate Bonds, Equity Shares, Fixed Deposits etc. stood at ₹16,133.94 crore as against ₹ 15,575.82 crore as of March 31, 2023, showing an increase of ₹ 558.12 crore, i.e. a growth of 3.58%. The growth in the investment portfolio was on account of surplus generated from the investments.

The Company has complied with all the regulatory requirements in respect of investments. Investment under mandatory category stood at 71.46% as against minimum of 45% prescribed by the IRDAI. As of March 31, 2024, the Company has exposure of only 1.52% in instruments classified as “Other Investments”, as against regulatory limit of maximum 15% prescribed by the IRDAI. Further, out of



the Company's total debt portfolio, 95.60% of investments are in Government Securities and debentures rated AAA, as against regulatory limit of minimum 65% prescribed by the IRDAI.

Income generated from investment operations (including profit on sale of investments) increased to ₹ 1,205.89 crore in the FY 2023-24 from ₹ 1133.85 crore in the FY 2022-23, recording an increase of 6.35%. Increase in the investment income during the year was mainly due to increase in the Asset Under management (AUM) of the Investment portfolio, as mentioned above. The yield on investment for the FY 2023-24 was 7.83% as against 7.81% for the previous year. The Company's investment operations are conducted mainly to ensure adequate liquidity to meet claim payments and to strike a trade-off between risk and return.



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

खरीदार बीमा

प्रधान कार्यालय में खरीदार हामीदारी विभाग (बीयूडी) की भूमिका विभिन्न मापदंडों के आधार पर समग्र ऋण सीमा का निर्धारण कर एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खरीदारों पर ठोस हामीदारी निर्णय सुनिश्चित करना है। विभाग द्वारा विभिन्न ऋण सूचना एजेंसियों से खरीदारों पर नवीनतम ऋण सूचना रिपोर्ट प्राप्त कर

उनका विश्लेषण किया जाता है। सिस्टम द्वारा जनरेट किए गए आंकड़ों एवं स्कोरकार्ड रेटिंग के आधार पर तैयार खरीदारों के संव्यवहार की रिपोर्ट एवं समीक्षा तथा स्कोर कार्ड में निर्धारित मार्गदर्शक सीमाओं के आधार पर विदेशी खरीदारों के लिए समग्र ऋण सीमा का निर्धारण किया जाता है।

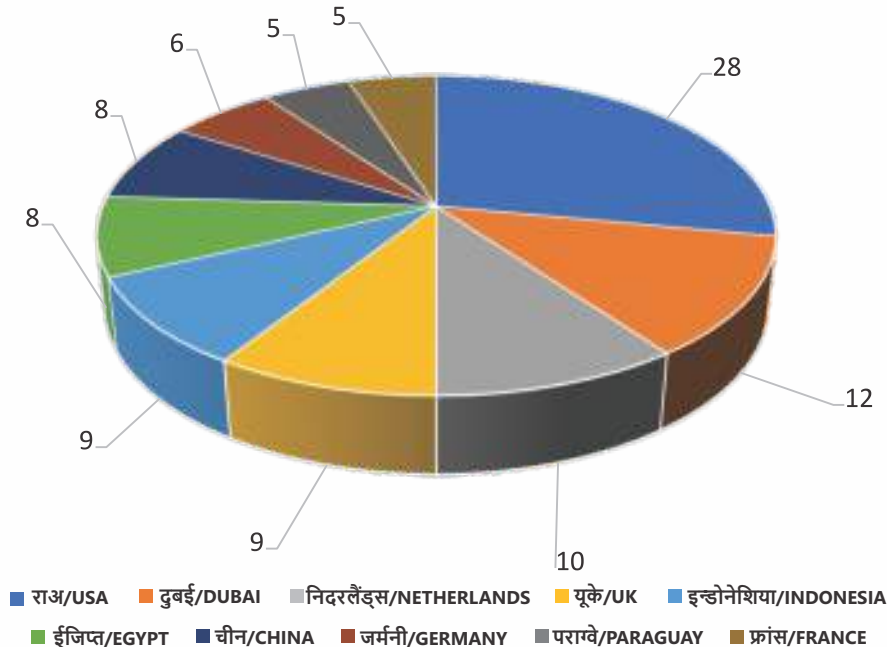
ऊपर उल्लिखित अनुसार विभिन्न ऋण सूचना एजेंसियों से खरीदारों पर प्राप्त रिपोर्ट को डिजिटलाइज़ किया गया है ताकि सिस्टम में अधिकारियों को बीमांकन के उद्देश्य से आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किसी नयी ऋण सूचना एजेंसी को सूचीबद्ध नहीं किया गया है एवं ऋण सूचना एजेंसियों की कुल संख्या 11 पर यथावत बनी हुई है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त सीमा आवेदनों की संख्या पिछले वर्ष के 32,811 की तुलना में 7.45% की वृद्धि दर्ज करते हुए 35,255 रही। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, विदेशी खरीदारों के लिए निर्धारित कुल समग्र सीमा पिछले वर्ष के 80,192 खरीदारों के लिए ₹67,791 करोड़ की तुलना में 85,728 खरीदारों के लिए ₹66,608 करोड़ रही। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के डेटाबेस में जोड़े गए नए खरीदारों की कुल संख्या पिछले वर्ष 19,923 खरीदारों की तुलना में 16.55 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 23,221 रही।

वर्ष के दौरान अल्पावधि पॉलिसी कारोबार के अधीन प्राप्त साख सीमा आवेदनों, खरीदारों की संख्या जिन पर समग्र सीमा का निर्धारण किया गया एवं शामिल नए खरीदारों की संख्या में 5.91 की वृद्धि दर्ज की गई।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रमुख देशवार प्रदत्त दावे (% हिस्सा)
Major Country Wise Gross Claims Paid for FY 2023-24 (% share)



BUYER UNDERWRITING

The role of the Buyer Underwriting Department (BUD) at Head Office is to ensure sound underwriting decisions on buyers by fixing overall credit limits on the basis of various parameters and taking into account the business requirements. The department obtains and

analyses latest credit information reports on buyers from various Credit Information Agencies. Based on the reports and review of the transactional behaviour of buyers on the basis of system-generated data and the scorecard rating, overall credit limits are decided on overseas buyers with the scorecard based suggested limits serving as a guiding post.

Reports received on buyers from different credit information agencies, as mentioned above, are digitalized to make them accessible in the system to the officials for the underwriting purpose.

During the FY 2023-24, no new credit information agency was empanelled and the total number of credit information agencies continued to be 11.

The number of credit limit applications received in FY 2023-24 was 35,255 registering a growth of 7.45 percent as against 32,811 in the previous year. During the FY 2023-24, the aggregate Overall Limits (OL) of ₹ 66,608 crore was fixed on 85,728 foreign buyers as compared to ₹ 67,791 crore on 80,192 buyers in the previous year. The number of new buyers added to the Company's database during the FY 2023-24 was 23,221 registering a growth of more than 16.55 percent compared to previous year's addition of 19,923 new buyers.

The strong growth in number of credit limit applications received, the number of buyers on whom the Overall Limits were fixed and new buyers added, supported 5.91 percent growth in Short Term policy business premium.



देश बीमा

देश बीमा में राजनीतिक तथा आर्थिक जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन एवं अधिकता का निर्धारण किया जाता है। इसका विदेशों में व्यापार जोखिम के स्तर की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। देश बीमा हमीदारी विभाग का मुख्य कार्य देशों के जोखिमों का आकलन एवं मूल्यांकन है। इससे ईसीजीसी, निर्यातकों एवं अन्य हिताधिकारियों को देश के जोखिम स्तर के सही आंकलन में सहायता मिलती है।

कंपनी के पास इन-हाउस निष्पक्ष अंकन प्रणाली है जो 'ए 1' (महत्वहीन जोखिम), 'ए 2' (न्यून जोखिम), 'बी 1' (मध्यम रूप से न्यून जोखिम), 'बी 2' (मध्यम जोखिम), 'सी 1' (मध्यम रूप से उच्च जोखिम), 'सी 2' (उच्च जोखिम) एवं 'डी' (बहुत अधिक जोखिम) के सात स्तरीय वर्गीकरण के आधार पर देशों के जोखिम स्तर की समीक्षा एवं मानचित्रण करती है। अंकन प्रणाली के आधार पर राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक तथा व्यापार जोखिमों सहित कई मापदंडों के आधार पर देशों का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त देश वर्गीकरण के आधार पर प्रीमियम दर, रक्षा के प्रकारों के निर्धारण निर्यात गंतव्यों पर किए जाने वाले संव्यवहार के बीमांकन क्षमता की गणना की जाती है। कंपनी के उत्पाद को, कंपनी द्वारा प्रदान की गयी रक्षा की अवधि के आधार पर 2 मुख्य श्रेणियों में विभक्त किया गया है- अल्पावधि (अ अ) एवं मध्यम व दीर्घावधि (म व दी अ), किसी देश का जोखिम स्तर समय सीमा के आधार पर भी प्रभावित होता है। अतः दो अलग-अलग जोखिम अंकन मॉडल का उपयोग किया जाता है - अर्थात् अल्पावधि एवं मध्यम व दीर्घावधि देश जोखिम अंकन मॉडल। निविष्टियों एवं घटक पैरामीटरों पर भारित अंकों सहित दोनों अंकन प्रणालियों के मध्य कई अंतर हैं।

देशों का जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा वार्षिक, अर्ध-वार्षिक तथा यदि आवश्यक हो, तो नवीनतम आर्थिक और राजनीतिक विकास को ध्यान में रखते हुए तदर्थ आधार पर किया जाता है। किसी देश का जोखिम वर्गीकरण उस देश पर संरक्षित समव्यवहारों के संबंध में प्रीमियम के राजनीतिक जोखिम घटक को प्रभावित करता है। अतः यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जोखिम वर्गीकरण वर्तमान स्थिति को सटीक रूप से दर्शाये।

देश जोखिम वर्गीकरण

वित्तीय वर्ष के दौरान:

- (क) नवीनतम वार्षिक समीक्षा मई 2023 में की गई तथा अर्धवार्षिक समीक्षा अक्टूबर 2023 में आयोजित की गई।
- (ख) कंपनी द्वारा समीक्षा किए गए देशों की कुल संख्या 239 रही।
- (ग) 31/03/2024 तक देश जोखिम वर्गीकरण का सारांश निम्नानुसार है:

COUNTRY UNDERWRITING

Country Underwriting deals with the identification, evaluation and measurement of political and economic risks. Its impact is vital for monitoring risks and business exposure levels in foreign nations. The main task of the Country Underwriting Department is to assess and quantify country risk parameters. This enables ECGC, exporters and other stakeholders to effectively comprehend the risk profile of a country.

The Company has an in-house objective scoring system that reviews and maps the risk profile of countries on a seven-fold classification of 'A1' (Insignificant risk), 'A2' (Low Risk), 'B1' (Moderately Low Risk), 'B2' (Moderate Risk), 'C1' (Moderately High Risk), 'C2' (High Risk) and 'D' (Very High Risk). The scoring system evaluates countries based on seven parameters that cover multidimensional risks, including political, socio-economic and financial risks. The resulting country rating has an impact on the calculation of premium, determination of type and terms of cover, and measurement of the capacity to underwrite transactions on export destinations. The Company's products are of 2 main categories based on the duration of cover provided – Short Term (ST) and Medium to Long Term (MLT). The risk profile of a country also changes depending on the time horizon. Therefore, two separate risk scoring models are used – namely the ST and MLT country risk rating models. There are several differences between the two scoring systems including the input variables and the weights assigned to the component parameters.

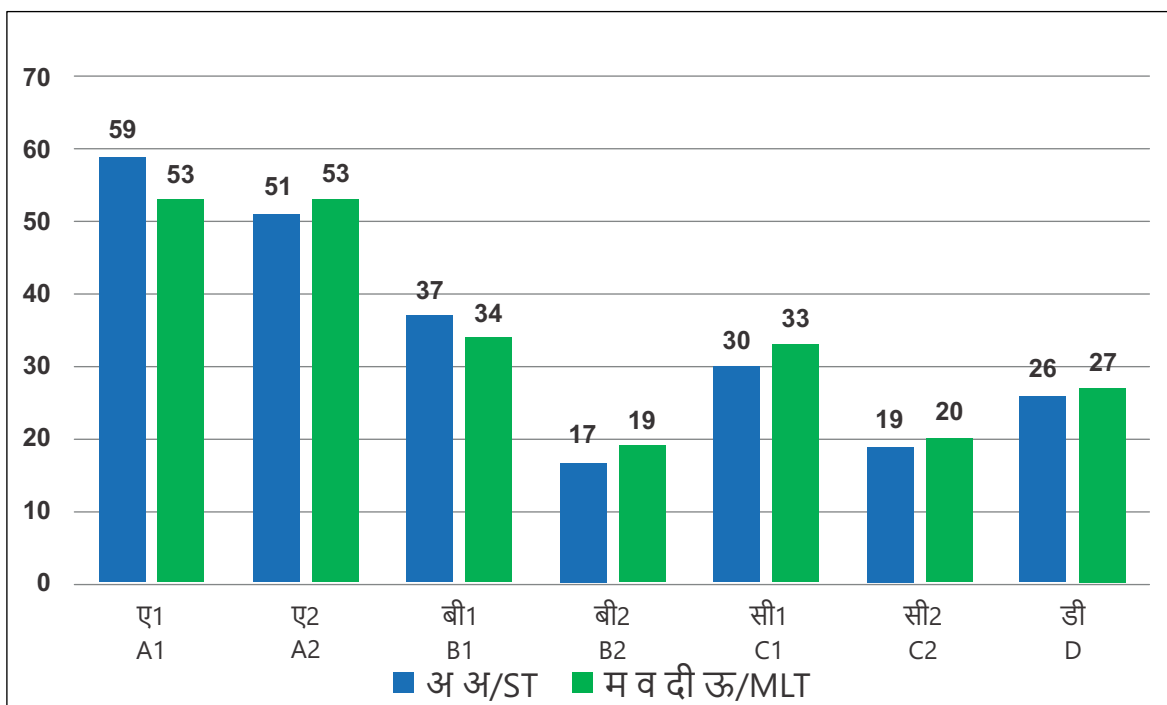
A review of the risk classification of countries is carried out on a yearly, half-yearly and, if necessary, on an ad-hoc basis taking into account the latest economic and political developments. The risk classification of a country impacts the political risk component of the premium in respect of transactions covered on the subject country. Hence, it is essential to ensure that the risk classification accurately reflects the current situation.

Country Risk Classification

- a) The latest annual review was carried out in May 2023 and the half yearly review was conducted in October 2023.
- b) The total number of countries reviewed by the company stood at 239.
- c) The summary of country risk classification as of 31/03/2024 is as follows:



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)



Rating	ए1 A1	ए 2 A2	बी1 B1	बी2 B2	सी1 C1	सी2 C2	डी D
अल्प अवधि ST	59	51	37	17	30	19	26
मध्यम एवं दीर्घावधि* MLT	53	53	34	19	33	20	27

*09.08.2019 से पाकिस्तान म व दी अ रक्षा से बाहर हो गया है।

*Pakistan is off-cover under MLT w.e.f. 09.08.2019

देश रक्षा

इसके अतिरिक्त, 239 देशों को खुला रक्षा श्रेणी, प्रतिबंधित रक्षा श्रेणी- I (जहां परिक्रामी सीमाएं सामान्य रूप से एक वर्ष के लिए मान्य हैं) तथा प्रतिबंधित रक्षा श्रेणी- II (जहां मामला-दर-मामला आधार पर विशिष्ट अनुमोदन दिया जाता है) के अंतर्गत रखा गया है ताकि इन देशों में जोखिम की प्रभावी निगरानी की जा सके। 31.03.2024 तक, 182 देशों को खुली रक्षा में, 31 देशों को प्रतिबंधित रक्षा की श्रेणी- I में तथा 26 देशों को प्रतिबंधित रक्षा श्रेणी- II में रखा गया।

देश जोखिम सीमा

देश जोखिम सीमा (सीईएल) वाणिज्यिक तथा राजनीतिक दोनों जोखिमों के अंतर्गत किसी भी समय किए गए निर्यात के लिए किसी देश पर कंपनी द्वारा स्वीकार की जाने वाली कुल देयता का निर्धारण करती है।

जोखिमों की उचित निगरानी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा अलग-अलग देश-वार सीमा (सीओएल) जारी करने के लिए आवंटित उप-सीमाओं के साथ सीईएल को एक व्यापक सीमा के रूप में परिभाषित किया गया है। देश जोखिम वर्गीकरण में होने वाला कोई भी परिवर्तन, कंपनी की जोखिम क्षमता में होने वाले किसी भी परिवर्तन को दर्शाने तथा ऐसे देशों पर जोखिम की समय-समय पर समीक्षा करने

Country Cover

Further, the 239 countries are placed under Open Cover Category, Restricted Cover Category-I (where revolving limits are approved normally valid for a year) and Restricted Cover Category-II (where Specific Approval is given on a case-to-case basis) for effective monitoring of exposures in these countries. As of 31.03.2024, 182 Countries are placed in Open Cover, 31 countries in Restricted Cover Category-I and 26 countries in Restricted Cover Category-II.

Country Exposure Limit

The Country Exposure Limit (CEL) sets the aggregate liability that the Company accepts on a country for the exports made at any point in time under both commercial and political risks.

The CEL is defined as an all-encompassing limit with sub-limits allotted for issuance of discrete country-wise limits (CoL) by the Company to ensure appropriate monitoring of exposures. The changes in the country risk classification are taken into account to reflect any change in the Company's risk appetite and the need to periodically review exposure on such countries.



की आवश्यकता को ध्यान में रखने की आवश्यकता को दर्शाता है।

सीईएल की वार्षिक एवं साथ ही आवश्यकता के आधार पर, जब अचानक पारिस्थितिक-राजनीतिक परिवर्तनों के आधार पर किसी देश की जोखिम रेटिंग में संशोधन किए जाने पर, समीक्षा की जाती है।

पुनर्बीमा

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी द्वारा मध्यम एवं दीर्घावधि रक्षाओं सहित सम्पूर्ण कारोबार के लिए जीआईसी रे से अनिवार्य 4% पुनर्बीमा (क्यूएस) रक्षा को छोड़ कर (न ही कोटा शेयर – क्यू एस एवं न ही हानि की अधिकता) के लिए किसी प्रकार की पुनर्बीमा व्यवस्था नहीं की गई है। कंपनी द्वारा किसी प्रकार की पुनर्बीमा व्यवस्था नहीं किए जाने का कारण है कि न तो पुनर्बीमाकर्ताओं से प्राप्त प्रस्ताव कंपनी की अपेक्षाओं के अनुरूप थे एवं न ही उनमें कंपनी के बेहतर निष्पादन को देखते हुए उपयुक्त शर्तें शामिल थीं। इस प्रकार, कंपनी द्वारा स्वयं ही 96% जोखिम धारित किया गया है।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन की सीमा में कंपनी द्वारा किए गए जोखिम अंकन के समग्र स्तर की पहचान, माप, निगरानी, नियंत्रण एवं हस्तांतरण शामिल हैं। जोखिम प्रबंधन गतिविधियां कंपनी को अपनी बीमांकन नीति एवं इसकी रक्षा की शर्तों, जोखिम मूल्यांकन, नियामक आवश्यकताओं, वित्तीय व्यवहार्यता तथा दीर्घावधि स्थिरता को सुनिश्चित करने में सहायता करती हैं। छह दशकों से अधिक समय में विकसित, वर्तमान संगठन संरचना एवं प्रथाओं में वे मौलिक संरचनाएं निहित हैं जो जोखिम कार्यों पर स्थापित की जा सकती हैं। कंपनी द्वारा वर्ष 2011 में विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन मानदंड तैयार कर प्रस्तुत किए गए हैं एवं एक निर्यातक, एक निर्यातक समूह, एक खरीदार, एक उद्योग एवं एक देश के लिए निश्चित जोखिम सीमा का निर्धारण किया गया। एक पोर्टफोलियो के जोखिम का प्रबंधन एक निरंतर प्रक्रिया है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी द्वारा बैंकों को जारी किए गए सम्पूर्ण पण्यवर्त रक्षा के अंतर्गत रत्न, आभूषण व हीरा क्षेत्र के लिए नए निर्यात ऋण सीमाओं पर अस्थायी निलंबन को आरंभ करते हुए एवं देश जोखिम सीमा के निर्धारण के लिए मानदंड प्रस्तुत करते हुए जोखिम मानदंडों को संशोधित किया गया। कंपनी की बैंकों के लिए सम्पूर्ण पण्यवर्त निर्यात ऋण बीमा (डब्ल्यूटी-ईसीआईबी) योजना के अंतर्गत रत्न, आभूषण एवं हीरे (जीजेडी) खातों पर रक्षा प्रदान करने हेतु बीमांकन संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया। विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रति निर्यातक / निर्यातक-समूह के लिए, कंपनी की संपूर्ण-पण्यवर्त-निर्यात ऋण बीमा (डब्ल्यूटी-ईसीआईबी) योजना अधीन जीजेडी खातों पर रक्षा हेतु ₹ 100 करोड़ तक की सीमा के अनुमोदन हेतु बीमांकन दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया। इन निर्यातक खातों पर देय प्रीमियम में बिना किसी परिवर्तन के प्रति निर्यातक समूह पर ₹ 100 करोड़ तक की सीमा तक सामान्य रक्षा उपलब्ध की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी द्वारा अल्पावधि पॉलिसियों एवं मध्यम व दीर्घावधि निर्यात संव्यवहार के अंतर्गत खरीदारों/साख पत्र खोलने वाले बैंकों पर जोखिम सीमा के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को आगे पुनः संशोधित किया गया। कंपनी द्वारा अल्पावधि ईसीआईबी योजनाओं के अंतर्गत एकल निर्यातक / निर्यातक समूह के अधीन एवं उद्योग क्षेत्र के लिए जोखिम सीमाओं के मानदंडों की भी समीक्षा की गई। एन ई आई ए ट्रस्ट से नए जोखिमों पर किसी प्रकार की सहायता न

The CEL is reviewed annually as well as on an ad-hoc basis, including the situations when there is a change in the risk rating of a country based on unexpected eco-political changes.

REINSURANCE

For the FY 2023-24, the Company had no Reinsurance arrangement (neither Quota Share-QS nor Excess of Loss) except for the obligatory 4% reinsurance (QS) cover from GIC Re for the entire business including MLT covers. The Company has not taken any reinsurance support as the offers received from reinsurers neither matched the expectations nor did it indicate reasonable terms given the Company's improved performance. Thus, the Company has retained 96% risk.

RISK MANAGEMENT

The scope of Risk Management includes identification, measurement, monitoring, control and transfer of the overall level of risks undertaken by the Company. The risk management activities help the Company decide its underwriting policy and the terms of its cover, risk assessment, regulatory requirements, financial viability and long-term sustainability. The existing organization structure and practices that have evolved over more than six decades incorporate fundamental structures that can be built upon in the risk function. The Company introduced prudential risk management norms in 2011 and fixed exposure limits for a single exporter, an exporter group, a buyer, an industry and a country. Managing the concentration risk of a portfolio is a continuous process.

During FY 2014-15, the exposure norms were modified by introducing temporary suspension of cover on fresh export credit limits to the Gems, Jewellery and Diamond (GJD) sector under WT covers issued to banks and also by introducing criteria for fixing Country Exposure Limits. Based on the experience in the past few years, the underwriting guidelines have been modified for covering GJD accounts under the Whole-Turnover Export credit insurance for Banks (WT-ECIB) scheme of the Company for the limits up to ₹ 100 crore per exporter/exporter-group with effect from FY 2022-23. Normal cover percentage will be extended to these exporter accounts till such time as the total limit remains within ₹100 crore per exporter group, without any change in the premium rates.

During the FY 2022-23, the Company further modified the prudential limits for exposure on Buyers/LC opening banks under Short Term Policies. It also reviewed the exposure limits under individual exporter/group exporter under Short-Term ECIB schemes and the exposure limits for industry sector. The Company also modified the prudential limits under Medium and Long-Term export transactions under various scenarios, as the support from the NEIA trust for fresh exposures is not forthcoming.

During FY 2023-24, the Company had further reviewed and enhanced the exposure limits under ST ECIB



मिल पाने के कारण कंपनी द्वारा अपनी विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के अधीन मध्यम व दीर्घावधि निर्यात समव्यवहारों के अधीन अपने विवेकपूर्ण सीमाओं को संशोधित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी द्वारा एकल/निर्यातकों समूह के लिए अल्पावधि ईसीआईबी योजनाओं के अधीन जोखिम सीमा की समीक्षा की गई एवं उसमें विस्तार किया गया। हालांकि, ऐसे उच्च जोखिमों पर कंपनी के साथ उसके संतोषजनक अनुभव के आधार पर मामला दर मामला आधार पर विचार किया जाएगा, एवं इस प्रकार की वर्धित जोखिम सीमा लौह अयस्क, खनिज एवं कृषि जैसे क्षेत्रों पर लागू अथवा प्रभावी नहीं होगी।

अल्पावधि (अ अ) पॉलिसी रक्षा के अधीन एक सूचित एवं दूरदृष्टि पूर्ण निर्णय हेतु, कंपनी द्वारा निर्यातकों के मूल्यांकन के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्यातक स्कोर कार्ड अंकन मॉडल (ईएससीआरएम) आरंभ किया गया। मॉडल के उपयोगी साबित होने पर नियमित अंतराल पर इसकी समीक्षा की जाती है।

जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा की गई तथा कंपनी के जोखिम प्रबंधन के सीमक्षेत्र को और अधिक विस्तारित किया गया एवं उसे सशक्त किया गया। कंपनी द्वारा अपने आंतरिक जोखिम प्रबंधन संरचना के जरिए जोखिम प्रोफाइल को विनियमित करने के उद्देश्य से एक उद्यम-व्यापी सूचना प्रणाली की स्थापना भी की जा रही है।

कंपनी द्वारा सूचना एवं साइबर सुरक्षा जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने हेतु काफी ध्यान दिया जा रहा है। कंपनी द्वारा कई सशक्त सुरक्षा नियंत्रण लागू किए गए हैं एवं एक व्यापक सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) संरचना को स्थापित किया गया है। कंपनी द्वारा उत्तम रूप से परिभाषित व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) संरचना को भी स्थापित किया गया है। अप्रैल 2023 के आईआरडीआई द्वारा जारी संशोधित सूचना एवं साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुकरण में कंपनी द्वारा वार्षिक साइबर सिक्यूरिटी अश्वोरेंस ऑडिट करने के लिए सर्ट-इन में सूचीबद्ध लेखा परीक्षक को नियुक्त किया गया है।

वसूली

अल्पावधि ईसीआईबी: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भुगतान किए गए दावों एवं लंबित दावों पर पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की ₹ 136.85 करोड़ तुलना में ₹ 124.65 करोड़ की राशि की वसूली की गई।

अल्पावधि पॉलिसी: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अल्पावधि पॉलिसियों के अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की ₹ 10.55 करोड़ की तुलना में, भुगतान किए गए एवं वसूली के लिए लंबित दावों पर ₹ 19.35 करोड़ की वसूली की गई।

मध्यम एवं दीर्घ अवधि (म व दी अ) पॉलिसी: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष की ₹ 22.11 करोड़ की वसूली की तुलना में भुगतान किए गए और वसूली के लिए लंबित दावों के अंतर्गत ₹ 29.90 करोड़ की वसूली हुई।

पॉलिसी एवं ईसीआईबी के अधीन वसूली में सुधार हेतु की गई पहल:

1. पॉलिसी

नई ऋण वसूली एजेंसियों (डीसीए) को सूचीबद्ध किया जा रहा है एवं पहले से ही पैनल में शामिल डीसीए के निष्पादन पर नज़र रखी जा रही है। पॉलिसीधारक जो चूक की रिपोर्ट करते हैं उन्हें डीसीए के साथ

schemes for a single/group of exporters. However, such higher exposure shall be considered on a case-to-case basis where the Company's experience has been satisfactory, and such increased exposure limit shall not be exercised in respect of sectors, namely Iron Ore, Minerals and Agriculture.

In order to facilitate an informed and prudent underwriting decision under ST Policy covers, the Company has introduced the Exporter Score Card Rating Model (ESCRM) in the FY 2020-21, for assessment of exporters. The model is found to be useful and is reviewed at regular intervals.

The Risk Management Policy has been reviewed and the scope of Company's risk management is further enhanced and strengthened. The Company is also establishing an enterprise-wide information system to regulate the risk profile through its internal risk management framework.

The Company is focussed on effectively managing the Information and Cyber Security risks. The Company has implemented robust security controls and established a Comprehensive Information Security Management System (ISMS) framework. The Company has also established a well-defined Business Continuity Management System (BCMS) framework. As per the IRDAI revised Information and Cyber Security guidelines dated April 2023 the Company has appointed Cert-In empanelled auditor for conducting Annual Cyber Security Assurance audit.

RECOVERIES

ST ECIB: During the FY 2023-24, a sum of ₹124.65 crore was recovered against claims paid and pending for recovery compared to ₹ 136.85 crore, for the same period, in the previous FY.

ST-Policy: During the FY 2023-24, a sum of ₹ 19.35 crore was recovered in respect of the claims paid under policy and pending for recovery under Short Term Policies as compared to ₹ 10.55 crore recovered during the same period in the previous FY.

MLT-Policy: During the FY- 2023-24, there was recovery of ₹ 29.90 crore against claims paid as against recovery of ₹ 22.11 crore during the previous FY.

Initiative taken to improve recovery under Policy and ECIB:

1. Policy

New Debt Collection Agencies (DCAs) are being empanelled and performance of already empanelled DCAs is being tracked. Policy holders who report defaults are encouraged to place the cases with DCAs at the default stage itself as this would have a positive impact on improving the recoverability.

2. ECIB

The cases are monitored from the Head Office and in such



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

मामलों को चूक चरण में रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि इससे वसूली में सुधार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

2. ईसीआईबी

प्र का द्वारा सभी मामलों की निगरानी की जा रही है एवं ऐसे मामलों जहाँ बैंकों द्वारा वसूली की जानकारी साझा नहीं की जा रही हैं अथवा मांगी गई जानकारी प्रदान नहीं की जा रही है उन मामलों का हमारे वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करके निपटान किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन कार्यक्रम पर अद्यतित जानकारी

कंपनी द्वारा अपने एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) रिव्यू परियोजना को फरवरी, 2024 से बीटा रन तक आगे बढ़ा दिया गया है। ईसीजीसी के विषय विशेषज्ञों (एसएमई) द्वारा पहले ही अल्पावधि पॉलिसी रक्षा, अल्पावधि ईसीआईबी रक्षा, खरीदार हामीदारी गतिविधियों, देश हामीदारी प्रक्रियाओं एवं लेखांकन गतिविधियों के अंतर्गत महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं के एकीकृत परीक्षण के दो दौर आयोजित किए हैं एवं समाधान के लिए डेवलपर टीम द्वारा परीक्षण फीडबैक पर कार्य किया जा रहा है। अद्यतित योजना के अनुसार, मुख्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं को रक्षित करने वाली स्माइल परियोजना की कुल 64 सेवाओं को पायलट रन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-2025 में जारी किया जाना निर्धारित है।

विपणन एवं जनसंपर्क

राष्ट्रीय विपणन विभाग (एन एम डी) कंपनी की विपणन, विज्ञापन एवं प्रचार व इससे संबंधी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है।

विभाग की ज़िम्मेदारी शाखाओं व क्षेत्रों के लिए कारोबार लक्ष्यों का निर्धारण करना है एवं इसके द्वारा विभिन्न मानदंडों के अधीन निर्धारित लक्ष्यों के साथ निष्पादन की भी निगरानी की जाती है। प्रभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों/विभागों के प्रमुखों के साथ कंपनी के कारोबार निष्पादन की समीक्षा भी करता है जिसकी अध्यक्षता अ प्र नि/का नि द्वारा की जाती है।

कंपनी द्वारा अपने मूल कारोबार पर ध्यान देते हुए, कई निर्यात संवर्धन परिषदों, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गनाइजेशन (एफआईईओ), फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई), भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई) इत्यादि के साथ निर्यात ऋण जोखिम बीमा गतिविधियों को भी जारी रखा जाता है।

cases, where the banks are not sharing recoveries or information sought is not being provided, those cases are pursued by following up with the senior officials of the banks by the department.

Update on Information Technology Implementation Program

The Company has progressed with its Enterprise Resource Planning (ERP) Revamp Project to Beta run from February, 2024. ECGC's Subject Matter Experts (SMEs) have already conducted two rounds of the integrated testing of critical business processes under Short-Term Policy covers, Short-Term ECIB covers, Buyer underwriting activities, Country Underwriting processes and accounting activities and the testing

feedbacks are being worked upon by the developer team for resolution. As per the updated plan, a total of 64 services of the SMILE Project covering the core business processes are scheduled for release in FY 2024-2025 for the pilot run.

MARKETING AND PUBLICITY

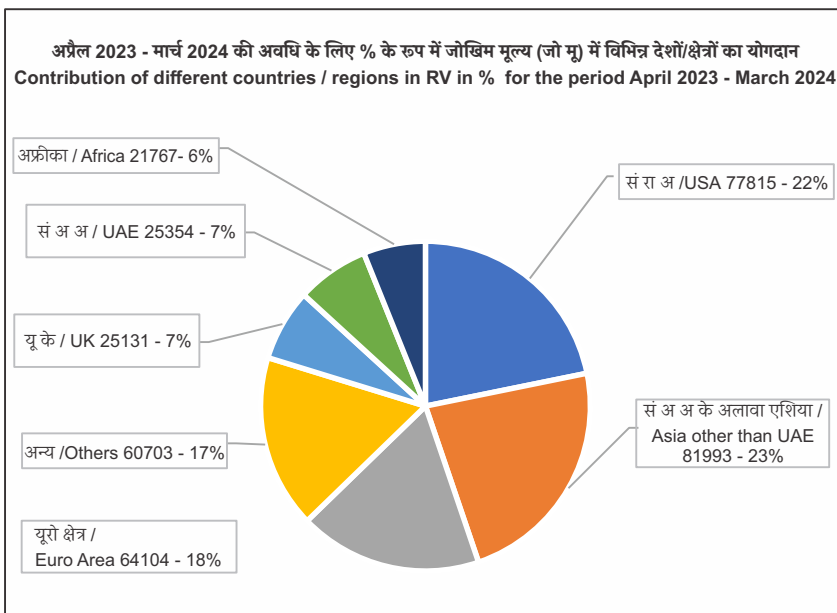
The National Marketing Division (N M D) is responsible for the marketing ,

advertising, publicity and related activities of the Company.

The Division bears the responsibility of fixing business targets for branches and monitoring the performance vis-à-vis the targets fixed under various parameters. The Division reviews the business performance of the Company with the Regional/Branch/Department heads which is presided over by the CMD/ED.

The Company, besides focussing on its core business of export credit risk insurance, also works in close co-ordination with various export promotion agencies like Export Promotion Councils (EPCs), Federation of Indian Export Organisations (FIEO), Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI), Confederation of Indian Industry (CII), etc.

As a part of marketing efforts, besides organizing insurance education/awareness programmes for the benefit of exporters and bankers, skill development programmes, personal visits to clients and potential





विपणन प्रयासों में विस्तार हेतु, निर्यातकों एवं बैंकरों के लिए बीमा शिक्षा / जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के अलावा कौशल विकास कार्यक्रम, कॉर्पोरेट ग्राहकों एवं संभाव्य ग्राहकों से व्यक्तिगत रूप से भेंट भी की गई। वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा ग्राहकों को पॉलिसी की निबंधन एवं शर्तों सहित मुख्य अनुपालनों पर शिक्षित करने के उद्देश्य से 240 से ज्यादा बैठकें आयोजित की गईं। सेवा तंत्र के जरिए 7000 से अधिक ग्राहकों एवं संभाव्य ग्राहकों से निजी रूप से भेंट की गई। विभिन्न व्यापार संगठनों जैसे फियो, सी आई आई, आई सी सी, आई एम सी इत्यादि के साथ 75 से अधिक बैठकें आयोजित की गईं।

प्रमुख समाचार पत्रों जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, मिनट, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन, फाइनेंशियल एक्सप्रेस इत्यादि की वेबसाइट पर कंपनी के विज्ञापन प्रदर्शन के जरिए सक्रिय रूप से डिजिटल मार्केटिंग भी की गई।

कॉर्पोरेट योजना

कॉर्पोरेट योजना की अवधारणा को संसाधनों- वित्तीय, जनशक्ति एवं प्रबंधकीय को योजनाबद्ध तथा व्यवस्थित तरीके से उपयोग करने हेतु निर्देशित करना है। कॉर्पोरेट योजना कंपनी के लिए अगले पांच वर्षों के दौरान उसके लक्ष्य एवं लक्ष्य प्राप्ति की रूपरेखा है। इसमें योजना में कम्पनी का स्वातंत्र्य विश्लेषण एवं कंपनी के निष्पादन की समीक्षा, विदेशी समकक्षों से तुलना, कारोबार प्रवृत्तियाँ एवं अगले पाँच वर्षों के लिए वैश्विक एवं राष्ट्रीय अनुमान शामिल हैं। अनुमानों में मुख्य रूप से कंपनी की प्रीमियम आय में वृद्धि, जोखिम मूल्य कवरेज, दावे के भुगतान एवं कंपनी के विभिन्न व्यवसाय खंडों में वसूली तथा तदनुसार वित्तीय परिणाम शामिल हैं। योजना के सापेक्ष वार्षिक उपलब्धि से कंपनी को व्यावसायिक रणनीतियों की समीक्षा करने तथा उनमें सुधार करने में सहायता मिलती है। कंपनी ने योजना अनुमानों को प्राप्त करने के लिए अपनी रणनीति तैयार की है।

वैकल्पिक विपणन तथा वितरण चैनल

ऋण बीमा उत्पादों के विपणन और वितरण को सशक्त करने एवं भारत में ऋण बीमा की पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय विपणन विभाग (एन एम डी) द्वारा 31 मार्च 2024 तक 225 ब्रोकरों को पैनलबद्ध किया गया है। इस चैनल को सशक्त करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने के लिए प्रयास जारी हैं। एन एम डी, क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा वर्ष के दौरान ब्रोकरों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है जिससे हमारी पॉलिसियों की जानकारी देने, उन्हें बाजार में ईसीजीसी की रक्षाओं के प्रभावी विपणन में सक्षम बनाती हैं जिससे ये निर्यातों के प्रभावपूर्ण संवर्धन में सहायक होती हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ब्रोकरों द्वारा लाए गए कारोबार के जरिए कुल ₹ 217.47 करोड़ रु का प्रीमियम अर्जित किया गया जो कि ₹ 572.01 करोड़ रु के अल्पावधि पॉलिसी प्रीमियम आय का 38% है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी एस आर) पहल तथा संधारणीय विकास (एस डी)

कम्पनी द्वारा सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सी एस आर नीति अपनाई गई है। तदनुसार, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार सी एस आर के अधीन प्रत्येक वर्ष का, पिछले 3 वर्षों के औसत निवल लाभ के कम से कम 2% का व्यय विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जाना अनिवार्य है। कम्पनी के सी एस आर गतिविधियों में स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा, कौशल विकास, संधारणीय विकास, दिव्यांगों के लिए सेवाओं की उपलब्धता तथा आदिवासी समुदाय को सहायता शामिल है। वित्तीय वर्ष 2023-

clients were also undertaken. During the financial year, the Company conducted more than 240 meetings to educate the customers about the major compliance procedures including policy terms and conditions. Personal visits to more than 7000 customers and potential customers were undertaken in the service network. There were more than 75 meetings conducted in association with trade bodies viz. FIEO, CII, ICC, IMC etc.

Digital marketing was actively undertaken through display of the Company's advertisements on websites of prominent newspapers such as Economic Times, Mint, Business Standard, Business Line, Financial Express etc.

CORPORATE PLAN

The concept of a Corporate Plan was introduced to direct the resources-financial, manpower and managerial in a planned and systematic manner. The Corporate Plan is a road map of the Company for the next five years and strategies to achieve its goal. The plan also outlines the Company's SWOT analysis and discusses the performance of the organization, comparison with the overseas counterparts, business trends, global and national environment and projections for the next five-year period. The projections broadly encompass the Company's growth in premium income, risk value coverage, claims pay out and recoveries anticipated under its different product groups and the resultant projection of financial results. Annual achievement vis-à-vis the plan helps the Company in reviewing and improving the business strategies. The Company has drawn up its strategies to achieve the plan projections.

ALTERNATE MARKETING & DISTRIBUTION CHANNELS

In order to strengthen the marketing and distribution of credit insurance products and to increase penetration of credit insurance in India, the National Marketing Division (NMD) has empanelled more than 225 brokers as of March 31, 2024. Continuous efforts are being made to strengthen and expand this channel further. NMD and Regional/Branch Offices conduct workshops for brokers to enable them about the features of various Policies, to enable them to effectively market the Company's insurance covers, thereby protecting and promoting India's exports.

During the FY 2023-24, the premium earned under the business procured through the alternate marketing and distribution channel was ₹ 217.47 crore which constitutes 38% of the ST Policy premium income of ₹ 572.01 crore.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) INITIATIVES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SD)

The Company has adopted the CSR Policy as per the guidelines issued by the Department of Public Enterprises (DPE). Accordingly, it is required to spend at least 2% of its last three years' average net profit every year for various CSR activities as per Section 135 of the Companies Act,



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)



नोएडा शाखा द्वारा पॉलिसीधारक बसंत इंडिया आई.एन.सी. को 3.03 करोड़ रुपये का दावा चेक प्रदान किया गया
Claim cheque of ₹3.03 crore paid to policy holder, Basant India I.N.C by Noida Branch



कानपुर शाखा द्वारा पॉलिसीधारक मिर्ज़ा इंटरनेशनल लिमिटेड को 6.93 करोड़ रुपये का दावा चेक प्रदान किया गया
Claim cheque of ₹6.93 crore paid to policy holder, Mirza International Limited by Kanpur Branch



अहमदाबाद शाखा द्वारा पॉलिसीधारक नाइट्रेक्स केमिकल्स इंडिया लिमिटेड को 3 करोड़ रुपये का दावा चेक प्रदान किया गया
Claim cheque of ₹3 crore paid to policy holder, Nitrex Chemicals India Ltd. by Ahmedabad Branch





ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

इंदौर शाखा द्वारा पॉलिसीधारक सागर न्यूट्रीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को 1.48 करोड़ रुपये का दावा चेक प्रदान किया गया
Claim cheque of ₹1.48 crore paid to policy holder, Sagar Nutriments Pvt Ltd by Indore Branch



गुंटूर शाखा द्वारा पॉलिसीधारक आईटीसी लिमिटेड - एग्री बिजनेस डिवीजन को 9.61 करोड़ रुपये का दावा चेक प्रदान किया गया
Claim cheque of ₹9.61 crore paid to policy holder, ITC LIMITED - Agri Business Division by Guntur Branch



चेन्नई शाखा द्वारा पॉलिसीधारक पी.ए. फुटवियर प्राइवेट लिमिटेड को 6.08 करोड़ रुपये का दावा चेक प्रदान किया गया
Claim cheque of ₹6.08 crore paid to policyholder, P A Footwear Pvt. Ltd. by Chennai Branch



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

24 के दौरान कम्पनी की सी एस आर गतिविधियों के लिए लगभग करोड़ रु ₹ 29.08 व्यय किए गए। इसके अलावा, पहले से शुरू की गई परियोजनाओं के लिए यूसीएसआर खाते में ₹ 2.54 करोड़ का आवंटन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वच्छ भारत कोष (एसबीके) को ₹ 1.80 लाख की राशि का भुगतान किया गया है।

सी एस आर गतिविधियों के प्रमुख कार्यान्वयन जिला कलेक्टर कार्यालय, राजगढ़, मध्य प्रदेश (आकांक्षी जिला), टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस), विवेकानंद केंद्र, स्नेहालय, एसओएस चिल्ड्रेन्स विलेज ऑफ इंडिया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी), एसोचैम फाउंडेशन फॉर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (एएफसीएसआर), सीकेएस फाउंडेशन, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, होप कोलकाता फाउंडेशन, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन, रोटरी तिरुपुर प्राइम ट्रस्ट, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, निमहंस, टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी) नव्या एवं कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन शामिल हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल विकास, दिव्यांगों को सहायता, सशस्त्र सेना प्लेग दिवस निधि में योगदान एवं स्वच्छ भारत कोष में कई सी एस आर पहल की गई। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (टी आई एस एस) के ज़रिए ग्रेटर मुंबई नगर निगम का एम-वार्ड क्षेत्र में छात्रवृत्ति एवं सामुदायिक शिक्षा केंद्र हेतु निधि का योगदान करना जारी रखा गया है। आनंदालय चलाने एवं निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर तथा ओडिशा में विवेकानंद केंद्र के विभिन्न केंद्रों को भी सहायता प्रदान की जाती है। अपनी सीएसआर पहलों के अधीन कंपनी आकांक्षी जिले राजगढ़ के सरकारी स्कूलों में उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा एवं स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्य किया जाता है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

कंपनी भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए काफी सक्रिय है। कंपनी द्वारा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। कम्पनी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तथा राजभाषा के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुंबई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास - उपक्रम) द्वारा कम्पनी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के

2013. The Company's CSR activities relate to health, nutrition, sanitation, primary education, skill development, sustainable development, empowerment of the differently-abled and support to the Scheduled Tribe community. An aggregate amount of ₹ 29.08 crore was spent on CSR activities of the Company during FY 2023-24. Further, allocation of ₹ 2.54 crore has been made in the UCSR account for the projects already initiated and an amount of ₹ 1.80 lakh has been paid to the Swachha Bharat Kosh (SBK) for the FY 2023-24.

The major implementation partners for CSR activities are the Office of the District Collector, Rajgarh, Madhya Pradesh (Aspirational District), the TATA Institute of Social Sciences (TISS), Vivekananda Kendra, Snehalaya, SOS Children's Village of India, Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology (CIPET), Assocham Foundation for Corporate Social Responsibility (AFCSR), CKS foundation, Christian

Medical College, HOPE Kolkata Foundation, Sulabh International Social Service Organisation, Rotary Tirupur Prime Trust, Kendriya Sainik Board, Central Reserve Police Force (CRPF), Centre for Transforming India, NIMHANS, Tata Memorial Centre (TMC) Navya and Cancer Patient aid Association. A number of initiatives have been undertaken in the field of education, health care, nutrition, skill development, support to differently-abled, contribution to the Armed Forces Flag Day Fund and to Swachh Bharat Kosh. The Company continued to support the implementing agency



माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा सशस्त्र सेना झंडा दिवस सीएसआर कॉन्क्लेव 2023 में ईसीजीसी लिमिटेड के कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) व अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) श्री सृष्टिराज अंबाष्ठ को सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) के लिए ईसीजीसी के सहयोग हेतु सम्मानित किया गया

Hon'ble Defence Minister, Shri Rajnath Singh felicitated Shri Sristiraj Ambastha, ED/CMD-Addl. Charge, ECGC Limited at Armed Forces Flag Day CSR Conclave 2023 for ECGC's support towards Armed Forces Flag Day Fund (AFFDF)

TISS for its project related to distribution of scholarships and running of community study centres in M-Ward area of the Municipal Corporation of Greater Mumbai. Support is also provided to various centres of Vivekananda Kendra in the North East and Odisha for running Anandalaya and providing free primary medical assistance. Under its CSR initiatives the Company has also been closely working with the District Administration to provide better infrastructure and SMART classes in the Government schools in the Aspirational District, Rajgarh.

Implementation of Official Language Policy

The Company is proactive in the implementation of the Official Language Policy of the Government of India. The Company has achieved the targets laid down in the



ई सी जी सी लिमिटेड **ECGC Limited**
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

लिए भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान माननीय संसदीय समिति की तीसरी उपसमिति द्वारा कंपनी की जालंधर, रायपुर, कानपुर, वाराणसी, नरीमन पॉइंट एवं बांद्रा स्थित शाखाओं का निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण के उपरांत समिति द्वारा दिये गए निर्देशों का यथासमय अनुपालन किया जा रहा है।

कंपनी द्वारा सितंबर माह को हिन्दी माह के रूप में मनाया जाता है। इसी के अनुकरण में हिन्दी माह (1 सितंबर से 30 सितंबर, 2023 तक हिन्दी माह मनाया गया) के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें प्रत्येक स्तर के अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दिनांक 14 सितम्बर, 2023 को हिन्दी दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा पुणे में अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन माननीय गृह राज्यमंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा द्वारा किया गया। कंपनी द्वारा उक्त समारोह आयोजित करने में अपना योगदान दिया गया है एवं इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी में भी कंपनी द्वारा अपने उत्पादों एवं राजभाषा के कार्यान्वयन से संबंधित उपलब्धियों सहित भाग लिया गया। इस उपलक्ष्य में राजभाषा गतिविधियों के कार्यान्वयन में योगदान के लिए कंपनी को एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

हिंदी माह के समापन के उपलक्ष्य में कंपनी के अधिकारियों के लिए "हिंदी माह समापन समारोह" के दौरान एक "ऑनलाइन कविता पाठ" का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया, जिसमें शाखा कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

कम्पनी में कार्यरत अधिकारियों द्वारा अपने दैनिक कार्य में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू हैं। कंपनी, अधिकारियों को उनके द्वारा हिन्दी में किए जाने वाले कार्यों के लिए नकद पुरस्कार प्रदान करती है। कंपनी की गृह पत्रिका में प्रकाशित प्रथम तीन उत्कृष्ट लेखों के लिए कंपनी के अधिकारियों को विशेष पुरस्कार प्रदान किए गए एवं इसमें लेख प्रदान कर योगदान देने वाले अधिकारियों को नकद प्रोत्साहन प्रदान किए गए।

कर्मियों को उनके दैनिक कार्य में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शाखा कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय के विभागों को राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले "अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक राजभाषा पुरस्कार योजना" में उनके संबंधित कार्यालयों में प्रतिस्पर्धा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

कम्पनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए जाने वाले राजभाषा में पत्राचार में निरंतर वृद्धि हो रही है। कंपनी के सभी कम्प्यूटरों में यूनिकोड फॉन्ट इंस्टाल कर दिए जाने से सभी कर्मियों को राजभाषा में कार्य करने में काफी सुविधा हो रही है। सभी शाखाओं में कार्यरत सभी कर्मियों द्वारा अपने ग्राहकों यथा निर्यातकों व बैंकरों को द्विभाषी में ई मेल भेजे जाते हैं। कंपनी का वेबसाइट द्विभाषी में उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सब स्टाफ सहित शाखाओं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों के लिए कुल 9 कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जो कि सभी द्विभाषी थे। इसमें 369 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राजभाषा नीति के लिए एक अलग सत्र शामिल था।

Annual Rajbhasha Programme for the FY 2023-24 by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India. The Company was conferred the 1st prize of the Rajbhasha Kirti Puraskar, by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs for the FY 2022-23. The Company was also awarded the 1st prize, by the Mumbai Town Official Language Implementation Committee (TOLIC-PSU) for effective implementation of the official language policy for the year 2022-23.

During the financial year 2023-24, the Hon'ble third Sub-Committee of the Parliamentary Committee on Official Language inspected Jalandhar, Raipur, Kanpur, Varanasi, Nariman point and Bandra Branches. The directions given by the above committee have been complied with.

The Company celebrates the month of September as the Hindi Month. Following this, various competitions were organized during the Hindi month (Hindi month was celebrated from September 1 to September 30, 2023) in which officers of every level participated enthusiastically. On September 14, 2023, on the occasion of Hindi Day, a conference of All India Official Language Officers was organized at Pune by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, which was inaugurated by Hon'ble Minister of state for Home Affairs of India Shri Ajay Kumar Mishra. The Company has made its own contribution in organising the function and it also participated in the exhibition related to its products and implementation of official language organised during the occasion. On this occasion, the Company was honoured with a special award for its contribution in the implementation of official language activities.

On the occasion of the conclusion of Hindi Month, "Hindi Maah Samapan Samaroh" a "Online Kavita Paath" was organized for the officers of the Company through virtual medium, in which the officers from various departments of the branch office, regional office and head office of the Company have participated.

Various incentives have been introduced by the Company to encourage and motivate the employees for furtherance of the use of Hindi in their daily office work. The Company also gives cash rewards to the officers of the Company for the work done by them in Hindi. The employees were awarded special prizes for the best three articles published in the Company's in-house magazine and cash incentives were given to all officers who contributed their articles to the magazine.

To encourage employees to use Rajbhasha in their day-to-day official work, employees at Branch Offices, Regional Offices and at Head Office Departments are encouraged to compete every year for the "Chairman and Managing Director's Official Language Award" for the excellent implementation of the official language in their respective offices.

The Company's correspondence in Rajbhasha with its customers has shown a steady growth. Installation of Unicode software in all the computers of the Company is



ई सी जी सी लिमिटेड **ECGC Limited**
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

इसके अलावा, कंपनी के विभिन्न शाखा कार्यालयों एवं विभागों में तैनात हिंदी अधिकारियों के लिए पॉण्डिचेरी में एक अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया गया एवं इसमें विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में तैनात कुल 65 अधिकारियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के दौरान अधिकारियों को राजभाषा नियमों के अनुपालन एवं राजभाषा नीति की विस्तृत जानकारी दी गई।

मुंबई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में, कंपनी के प्रधान कार्यालय द्वारा मुंबई में स्थित सदस्य-सार्वजनिक उपक्रमों के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य-कार्यालयों के 67 सदस्य एवं कंपनी के प्रधान कार्यालय के विभागों तथा मुंबई स्थित शाखाओं के अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

प्रत्येक तिमाही में अखिल भारतीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का भी आयोजन किया जाता है जिसमें कंपनी के वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा प्रधान कार्यालय के विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखा कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर चर्चा की जाती है एवं उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। जहां भी कमियां मिलती हैं, उन्हें दूर करने के उपाय किए जाते हैं। शाखा कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर समुचित ध्यान देने के लिए कंपनी के प्रधान कार्यालय (राजभाषा अधिकारियों) के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा अखिल भारतीय राजभाषा कार्यान्वयन की बैठक होती है। प्रत्येक तिमाही में समिति का भी गठन किया जाता है जिसमें कंपनी के वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा राजभाषा की समीक्षा की जाती है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर प्रधान कार्यालय के विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखा कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा चर्चा की जाती है और वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

कंपनी के प्रधान कार्यालय एवं विभिन्न शाखा कार्यालयों को गृह मंत्रालय तथा संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा पुरस्कृत किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय सम्बन्ध

वर्ष 1957 से, ईसीजीसी बर्न यूनियन (ऋण तथा निवेश बीमाकर्ताओं का अंतर राष्ट्रीय संघ), निर्यात ऋण तथा निवेश बीमाकर्ताओं के लिए अग्रणी अंतर राष्ट्रीय संघ, का एक सक्रिय सदस्य रहा है। बी.यू. निर्यात ऋण एवं निवेश बीमा क्षेत्र में एक प्रमुख वैश्विक इकाई है। ईसीजीसी बर्न यूनियन में शामिल होने वाला पहला एशियन सदस्य है एवं इसकी गतिविधियों से नज़दीक से जुड़ा हुआ है। आपसी समझ बढ़ाने, निर्यात ऋण बीमा में मूल सिद्धांतों को विकसित करने तथा उत्पाद ज्ञान, तकनीकी सहित अन्य क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने में सदस्यों के मध्य वार्तालाप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह निर्यात ऋण बीमा में पारस्परिक समझ को बढ़ावा देने एवं सशक्त सिद्धांतों को तैयार करने में महत्वपूर्ण रहा है। साथ मिलकर, सभी सदस्य प्रत्येक वर्ष लगभग 2.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान जोखिम को रक्षित करते हैं, जो विश्वव्यापी सीमापार व्यापार का लगभग 12% है।

कंपनी, बर्न यूनियन (बीयू) की अल्पावधि (एसटी), मध्यम एवं दीर्घावधि (एमएलटी), तथा निर्यात ऋण एजेंसी (ईसीए) समितियों में सदस्यता रखती है एवं 2023-24 में इन समितियों के लिए विभिन्न व्यक्तिगत बैठकें आयोजित की गईं। इसके अलावा, कंपनी क्षेत्रीय सहयोग समूह (आरसीजी) का अंश है, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बी.यू. सदस्यों के लिए

helpful for employees to work in Hindi. Branch Offices are sending emails in Hindi to its client i.e. exporters and bankers. The Website of the Company is also available in bilingual.

During the financial year 2023-24, a total of 9 workshops and training were conducted for Officers and staff working in Head Office, Regional Offices and Branches, all of which were bilingual, total 369 officers were trained in this. All the programs included a dedicated session on Official Language Policy.

Apart from this, an All-India Official Language Officers' Conference was organized in Pondicherry for Hindi officers posted in various branch offices and departments in the Company and total of 65 officers posted in various departments and offices have participated in it. During this conference, the officers were given detailed information about the compliance of Official Language Rules and Official Language Policy.

Under the aegis of the Mumbai Town Official Language Implementation Committee, a seminar was organized by the Company's Head Office for the member-PSUs located in Mumbai, in which 67 members from the member-offices of the City Official Language Implementation Committee located in Mumbai and the departments of the Company's Head Office and branches located in Mumbai participated.

The meetings of the Official Language Implementation Committee are organized regularly in all the branch offices, regional offices and head office of the Company and the current position of implementation of Official Language Policy is discussed in detail in the respective branch offices, regional offices and departments of the head office. Wherever deficiencies are found, measures are taken to rectify them. In order to give due attention to the implementation of the Official Language Policy in the branch offices and regional offices, inspections are done by the officers of the head office (official language officers) of the Company and the meeting of the all-India Official Language Implementation Committee is also organized in every quarter wherein official language review is done by the senior-most officers of the Company. The implementation of Official Language Policy is discussed by officers in the Head Office Departments, Regional Offices and Branch Offices and proper guidance is provided by the senior most officials.

Head Office and various branch offices of the Company have received awards from various organizations such as the Ministry of Home Affairs and related Town Official Language Implementation Committee.

INTERNATIONAL RELATIONS

The Company has been a proactive participant in the International Union of Credit and Investment Insurers, also known as the Berne Union (BU), since 1957. The BU is a prominent global entity in the export credit and investment insurance sector. The Company holds the distinction of being the first Asian member to join the BU and has been deeply engaged in its operations. Membership in the BU offers the advantage of ongoing dialogue, sharing of insights and best practices. This has been crucial in fostering mutual comprehension and formulating robust principles in export credit insurance. Together, the members offer approximately USD 2.6



ई सी जी सी लिमिटेड **ECGC Limited**
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

एक अनूठा मंच है।

वर्ष 2024 में, क्राड समूह की निर्यात ऋण एजेंसियों (ईसीए), जिसमें भारत, अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, द्वारा ओस्लो में बैठक आयोजित की गई तथा एक संयुक्त सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य सहयोग करना एवं आपूर्ति श्रृंखला की सरल पहुँच को वृद्धि किए जाने के पद्धति को चिन्हित किया जाना था। इसमें क्षेत्रीय व्यापार को समर्थन देना, निवेश में सहायता करना तथा बाजारों में विविधता लाने के प्रयासों को बढ़ावा देना जैसी गतिविधियाँ शामिल थीं। ईसीए द्वारा इस बात पर विचार-विमर्श किया गया कि किस प्रकार उनके समर्थन के जरिए आपूर्ति श्रृंखला के सरल पहुँच को को बढ़ावा देने एवं व्यापक बनाने के लिए अनुभवों तथा सूचनाओं को नियमित रूप से साझा किया जाए। इसमें क्राड साझेदार देशों के व्यवसायों के लिए सहयोग के अवसर भी शामिल थे।

74वीं क्षेत्रीय सहयोग समूह (आरसीजी) बैठक अक्टूबर 2023 में वर्चुअल रूप से आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी एक्सपोर्ट फाइनेंस ऑस्ट्रेलिया (ईएफए) ने की एवं कंपनी का प्रतिनिधित्व अ प्र नि/का नि (पालिसी मामले) द्वारा किया गया। व्यापारिक प्रवृत्तियों, संगठनात्मक अद्यतन, दावों एवं वसूलियों तथा आरसीजी ईसीए के नए उत्पादों पर चर्चा की गई। इसके अलावा, 12वीं आरसीजी सीईओ बैठक दिनांक 19-21 नवंबर 2023 के दौरान बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा प्रतिभागिता की गई। "ईएसजी एवं सफलता के मामलों के लिए उत्पाद" तथा "आरसीजी सदस्यों के मध्य भविष्य में सहयोग" जैसे विषयों पर कई पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं।

कंपनी ब्रिक्स निर्यात ऋण एजेंसी फॉर्म जिसमें ए बी जी फ (ब्राज़ील), एक्सियार (रशिया), ईसीजीसी (भारत), सिनोश्युर (चीन) एवं ई सी आई सी एस ए (दक्षिण अफ्रीका) शामिल हैं। ब्रिक्स टेक्निकल वर्कशॉप, 2024 मास्को, रूस में आयोजित की गई थी एवं कंपनी के प्रतिनिधि, कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व में एक टीम द्वारा किया गया था।

वर्ष 2024 में, ईसीजीसी द्वारा पुनर्बीमा पर ध्यान केंद्रित करते हुए नेक्सि एवं एक्सियार के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय वाणिज्यिक समझौता किया गया। पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी द्वार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निर्यात ऋण एजेंसियों एवं विदेशी सरकारी अधिकारियों के साथ कई द्विपक्षीय चर्चाएं की गईं। इन बैठकों का उद्देश्य सहयोग को तथा व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना था। उल्लेखनीय वार्तालाप में यूलर हर्मिस (जर्मनी), रूस की निर्यात बीमा एजेंसी (एक्सियार), नेक्सी (जापान) एवं यूएस एक्जिम (यूएसए) के साथ बैठकें शामिल थीं। इन चर्चाओं का प्राथमिक एजेंडा अलग-अलग अर्थव्यवस्थाओं के निष्पादन, व्यापार वित्तीय क्षेत्र पर भू-राजनीतिक व्यवधानों के प्रभाव, महामारी के पश्चात आपूर्ति श्रृंखला के पुनरुद्धार एवं भविष्य की व्यावसायिक संभावनाओं को चिन्हित किए जाने के लिए ईसीए के व्यावसायिक आंकड़ों के विश्लेषण का केंद्र रहा।

मानव संसाधन व औद्योगिक सम्बन्ध

दिनांक 31 मार्च 2024 तक कंपनी में कार्मिकों की संख्या 591 थी, जिसमें 568 कार्यपालक स्तर एवं 23 गैर- कार्यपालक स्तर के कार्मिक शामिल थे। इसमें 149 महिला कार्मिक शामिल हैं जो कि कुल कार्यबल के 26% हिस्सा हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 25 परिवीक्षाधीन अधिकारियों (विशेषज्ञ अधिकारियों) की भर्ती के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है, जिसमें

trillion in payment risk protection each year, which equates to about 12% of worldwide cross-border trade.

The Company holds membership in the Short-Term (ST), Medium and Long-term (MLT), and Export Credit Agency (ECA) committees of the Berne Union (BU) and various in-person meetings were held for these committees in 2023-24. Furthermore, the Company is part of the Regional Co-operation Group (RCG), a unique platform for BU members from the Asia-Pacific region.

In 2024, the export credit agencies (ECAs) of the QUAD group, which comprises India, the U.S., Japan, and Australia, convened and inked a joint Memorandum of Cooperation in Oslo. The aim was to collaborate and identify ways to bolster supply chain resilience. This included activities like backing regional trade, aiding investment, and promoting efforts to diversify markets. The ECAs deliberated on how to routinely share experiences and information to foster and broaden supply chain resilience through their support. This also encompassed opportunities for businesses from QUAD partner countries to collaborate.

The 74th Regional Cooperation Group (RCG) meeting was conducted virtually in October 2023, hosted by Export Finance Australia (EFA), and the Company was represented by the CMD/ED (Policy Matters). Discussion was held on business trends, organizational updates, claims and recoveries, and new products of the RCG ECAs. Besides this, the 12th RCG CEO meeting was held in Bangkok, Thailand during 19th-21st November 2023, which was attended by Chairman & Managing Director. Several panel discussions were held on topics such as "Products for ESG and Success cases" and "Future Cooperation among RCG members".

The Company is a member of the BRICS Export Credit Agencies Forum which includes ABGF (Brazil), EXIAR (Russia), ECGC (India), SINOSURE (China) and ECIC SA (South Africa). The BRICS technical workshop, 2024 was held in Moscow, Russia, and the Company was represented by a team led by the Executive Director.

In 2024, ECGC entered into a bilateral commercial agreement with NEXI & EXIAR separately, focusing on Reinsurance. Throughout the fiscal year, the Company engaged in numerous bilateral discussions with various international export credit agencies and foreign government officials. These meetings aimed to foster cooperation and enhance trade relations. Notable interactions included meetings with Euler Hermes (Germany), Russia's Export Insurance Agency (EXIAR), NEXI (Japan), and US EXIM (USA). The primary agenda of these discussions revolved around the performance of individual economies, the impact of geopolitical disruptions on the trade finance sector, the revival of the supply chain post-pandemic, and an analysis of the business data of the ECAs to explore future business prospects.

HUMAN RESOURCES & INDUSTRIAL RELATIONS

The employee strength of the Company as of March 31, 2024 was 591 which consisted of 568 executive-level and 23 non-executive level employees. This includes 149 women employees constituting almost 26 per cent of the total work force.



ई सी जी सी लिमिटेड **ECGC Limited**
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

ग्रुप बी कैडर के 21 (7 + 14) परिवीक्षाधीन अधिकारी वर्ष के दौरान कंपनी में शामिल हुए एवं शेष शामिल होने वाले हैं। कंपनी द्वारा पुनः वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए परिवीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान औद्योगिक संबंधों एवं श्रम कानूनों से संबंधित सभी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया। कंपनी में पूरे वर्ष सामंजस्यपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखा जाता है। कंपनी द्वारा, जहां आवश्यक हो, कर्मिकों के स्वास्थ्य, आर्थिक कल्याण आदि का ध्यान रखने के लिए मौजूदा सुविधाएं जारी रखी गई हैं।

प्रशिक्षण:

इस प्रतिस्पर्धी वातावरण में अधिकारियों के प्रभावी कार्य निष्पादन हेतु उनकी दक्षता को सशक्त एवं उन्नत करने में प्रशिक्षण की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, सभी स्तरों के कर्मिकों को विभिन्न इन हाउस तथा स्पॉन्सरशिप प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया गया। समूह क व ख के अधिकारियों के लिए वर्ष के दौरान पॉलिसी ईसीआईबी तथा जीएफआर दिशानिर्देश तथा जेम से खरीद पर कार्यशालाओं का अखिल भारतीय स्तर पर आयोजन किया गया।

इसके अतिरिक्त कर्मिकों को उनके कार्य के अनुरूप स्पॉन्सरशिप प्रशिक्षण में नामित किया गया। समूह ग व समूह घ के कर्मिकों के लिए व्यावहारिक ज्ञान, मानसिक एवं भौतिक स्वास्थ्य तथा कार्यालयीन व्यवहार विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। समूह क के अधिकारियों को देश के प्रमुख प्रबंधन संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न दीर्घावधि प्रबंधन पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय एवं उन्नत रणनीतिक प्रबंधन में नामांकित किया गया था ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धा एवं कारोबार के रुझानों से अद्यतित रहकर कारोबार नेतृत्व दक्षता विकसित करने में सहायक हो।

दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व:

कंपनी दिव्यांगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत है। दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के रोल में 20 दिव्यांग कर्मिक कार्यरत हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार, 2016 के अंतर्गत प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी में कार्यरत दिव्यांग व्यक्तियों का विवरण अनुलग्नक V में संलग्न है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियाँ तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व:

कंपनी की नियुक्ति में अनु.जा. / अ.ज.जा., अ.पि.जा. एवं आ.पि.व. के आरक्षण से संबंधित सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। प्रबंधक रैंक (स्केल-III) तक पदोन्नति में अनु.जा एवं अ.ज.जा. के कर्मचारियों / अधिकारियों को आरक्षण भी प्रदान किया जाता है। भारत सरकार की ओर से प्राप्त संबंधित निर्देशों के अनुपालन में कंपनी द्वारा 'पद-आधारित रोस्टर प्रणाली' अपनाई गयी है। विभिन्न स्तरों पर सीधी भर्ती द्वारा अनु.जा, अ.ज.जा, अ.पि.जा एवं आ.पि.व. कोटे के अंतर्गत भरी गयी आरक्षित रिक्तियों का विवरण अनुलग्नक VI में उल्लिखित है। दिनांक 31 मार्च, 2024 तक अनु.जा, अ.ज.जा, अ.पि.जा एवं आ.पि.व. के प्रतिनिधित्व का विवरण अनुलग्नक VII में उल्लिखित है।

सामान्य प्रशासन

कंपनी का राजस्व एवं पूंजी व्यय निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित वार्षिक बजट से नियंत्रित एवं संचालित होता है। सभी शाखा कार्यालयों

Recruitment examination to onboard 25 Probationary Officers (specialist officers) for Financial Year 2023-24 was conducted of which 21 (7 + 14) Probationary Officers in Group B cadre joined the Company during the year and remaining are slated to join. The Company has once again initiated the process of recruitment of Probationary Officers for the Financial Year 2024-25.

All statutory provisions pertaining to industrial relations and labour laws were complied with during the Financial Year 2023-24. Harmonious and cordial industrial relations were maintained throughout the year in the Company. The Company continued, where necessary, the existing facilities to take care of the employees' health, economic wellbeing, etc.

TRAINING:

The role of training has assumed critical importance in today's competitive environment in strengthening and upgrading the skills of officers for efficient performance in their roles. During the Financial Year 2023-24, employees at all levels were nominated to various in-house and sponsored training programs. A training on Credit Management at SBI Academy, Gurugram was organised for Group A and Group B officers.

Apart from this, officers were sponsored for various trainings as per their functional area of work. Training was also conducted for Group "C" and Group "D" employees on mental health and wellness and importance of record keeping etc.

REPRESENTATION OF PERSONS WITH DISABILITY:

The Company endeavours to provide employment to Persons with Disabilities. As of March 31, 2024, the Company had 20 employees on its roll belonging to the category of Persons with Disabilities. Details of Persons with Disabilities in the service of Company, in pursuance of the relevant provisions under The Rights of Persons with Disabilities, 2016, are furnished in **Annexure V**.

REPRESENTATION OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES, OTHER BACKWARD CLASSES AND ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS:

The Company strictly adheres to relevant rules relating to Reservation for SC/ST, OBC and EWS in recruitment. SC and ST employees/ officers are also given reservation in promotion up to Manager rank (Scale-III). In adherence to the relevant instructions from the Government of India, the Company has adopted a 'Post-based Roster system'. Details of 'Reserved vacancies filled in by direct recruitment at different level under reservation for SC, ST, OBC, EWS are furnished in **Annexure VI**. Representation of SCs, STs, OBCs, and EWSs in the total manpower in various cadres as of March 31, 2024 is furnished in **Annexure VII**.

GENERAL ADMINISTRATION

Revenue and Capital expenditure of the Company are properly controlled and incurred within the annual budget approved by the Board of Directors. Branch Offices / Regional Offices of the Company are advised frequently to take necessary steps to implement the Government of India's Policy regarding procurement through Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Government of India Public Procurement Policy framed in



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

/ क्षेत्रीय कार्यालयों को भारत सरकार की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एम एस एम ई) से खरीद की पॉलिसी को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये गए हैं। अप्रैल 2012 में सभी एमएसएमई के लिए तैयार की गई भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति में यह अनिवार्य किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की वार्षिक आवश्यकता का 25% खरीद सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से किया जाएगा। भारत सरकार ने महिला उद्यमों से वस्तुओं और सेवाओं की 3% और एससी/एसटी उद्यमियों से 4% खरीद का उप-लक्ष्य भी निर्धारित किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, मार्च, 2024 के अंत में कंपनी की कुल खरीद ₹ 13.25 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 7.58 करोड़ (57.26%) एमएसएमई के माध्यम से की गई और एमएसएमई के अंतर्गत ₹ 0.14 करोड़ (1.85%) की खरीद एससी/एसटी उद्यमियों के माध्यम से की गई और ₹ 0.43 करोड़ (5.74%) की खरीद महिला उद्यमियों के माध्यम से की गई।

कंपनी ने उन वस्तुओं और सेवाओं की एक सूची तैयार की है जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर एमएसएमई से खरीदा जा सकता है। एमएसएमई को भुगतान में देरी का कोई मामला सामने नहीं आया है।

कंपनी ने ई-प्रकाशन नीति का भी अनुपालन किया है जो भारत सरकार की वर्ष 2012 की ई-खरीद नीति का एक हिस्सा है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से खरीद के संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, कंपनी द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए जेम पोर्टल में पंजीकरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, जेम पोर्टल के माध्यम से ₹ 3.70 करोड़ की खरीद की गई, जो कंपनी द्वारा की गई कुल खरीद का 27.92% है, वहीं वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुल खरीद ₹ 11.34 थी। निर्देशानुसार, मार्च, 2024 तक मासिक खरीद डेटा एमएसएमई सम्बन्ध पोर्टल पर अद्यतित किया गया है।

भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन

आई आर डी ए आई द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2022 के पत्र संख्या: 100/2/इंड ए एस-मिशन मोड/2022-23 एवं दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 के पत्र संख्या: 100/2/इंड ए एस-मिशन मोड/2022-23 के माध्यम से यह सूचित किया गया कि बीमा क्षेत्र में इंड ए एस के कार्यान्वयन से इंड ए एस के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, प्रक्रियाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है एवं इस प्रकार इन परिवर्तनों के कार्यान्वयन से पूर्व अच्छी तरह से नियोजित, प्रबंधित, परीक्षण एवं निष्पादित करने की आवश्यकता है। आई आर डी ए आई के परामर्श के अनुसार इंड ए एस के कार्यान्वयन के लिए संचालन समिति का गठन किया गया है ताकि कार्यान्वयन, मुद्दे/चुनौतियों की दिशा में की गई प्रगति की समीक्षा कर इसे कम करने हेतु कार्रवाई की जा सके। कंपनी ने एक भारतीय लेखा मानक परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए निविदा जारी की थी जो भारतीय लेखा मानक के कार्यान्वयन में सहायता करेगा।

कृते निदेशक मंडल

सृष्टिराज अम्बाष्ठ
कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआईएन 10375617

स्थान : मुंबई
दिनांक : 16 मई, 2024

April 2012, for all MSMEs mandates that 25% of procurement of annual requirement of goods and services by Public Sector Undertaking will be from Micro and Small Enterprises (MSEs). The Government of India has also prescribed a sub-target of 3% procurement of goods and services from women enterprises and 4% from SC/ST entrepreneurs. During the Financial Year 2023-24, the total procurement of the Company at the end of March, 2024 stood at ₹ 13.25 crore, out of which ₹ 7.58 crore (57.26%) was procured through MSMEs and within MSME procurement worth ₹ 0.14 crore (1.85%) was done through SC/ ST entrepreneurs and ₹ 0.43 crore (5.74%) was done through women entrepreneurs.

The Company has identified a list of goods and services which may be procured from MSMEs as and when need arises. There have been no reported cases of delayed payment to MSMEs.

The Company has also complied with e-publishing policy which is a part of e-procurement policy of 2012 of the Government of India. As per the directions received from the Ministry of Commerce & Industry regarding procurement through Government e-Marketplace (GeM), the Company has registered with the GeM portal for on-line procurement of commodities and services. During the FY 2023-24, procurement done through the GeM Portal amounted to ₹ 3.70 crore which is 27.92% of the total procurement done by the Company, whereas during the Financial Year 2022-23 the total procurement was amounting to ₹ 11.34 crore. As per the directive, the monthly procurement data up to March, 2024 has been uploaded on MSME Sambandh Portal.

IMPLEMENTATION OF INDIAN ACCOUNTING STANDARDS

The IRDAI has vide its letter No.:100/2/Ind AS-Mission Mode/2022-23 dated: 14th July, 2022 and 100/2/Ind AS-Mission Mode/2022-23 dated 31st October, 2022, on implementation of Ind AS in insurance sector stated that Ind AS implementation is likely to significantly impact the financial reporting systems, processes and, as such, these changes need to be planned, managed, tested and executed well in advance of the implementation. The steering committee for implementation of Ind AS has been formed as advised by IRDAI to review the progress made towards implementation, issue/challenges and course of action to mitigate the same. The Company had floated a tender for appointment of an Ind AS consultant who will help in the implementation of Ind AS.

For and on behalf of the Board of Directors

Sristiraj Ambastha
Executive Director (Policy Matters)
Chairman-cum-Managing Director
(Additional Charge)
DIN 10375617

Place: Mumbai
Date: May 16, 2024



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)



ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा दिनांक 30.07.2023 को ईसीजीसी भवन, मुंबई में 67वां स्थापना दिवस मनाया गया
ECGC Limited celebrated 67th Foundation Day on 30.07.2023 at ECGC Bhawan, Mumbai



श्री पीयूष गोयल, माननीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा
दिनांक 15 मार्च, 2024 को निर्यातकों के लिए ईसीजीसी फेसलेस इंटरफेस का उद्घाटन किया गया
Shri Piyush Goyal, Hon'ble Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and
Public Distribution inaugurated ECGC Faceless Interface for Exporters on 15th March, 2024



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)



ईसीजीसी लिमिटेड को ईटी फाइनेंशियल फ्रंटियर्स: बेस्ट बीएफएसआई पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया
ECGC Limited has been awarded with the ET Financial Frontiers: Best BFSI Award 2024



वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा के हाथों, कंपनी के कार्यपालक निदेशक व अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) श्री सुनील जोशी, "ख" क्षेत्र के अधीन राजभाषा कीर्ति-प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए

Shri Sunil Joshi, Executive Director (Policy Matters) and Chairman cum Managing Director (Additional Charge) of the Company, receiving the Rajbhasha Kirti-Pratham Award under Region "B" for excellent implementation of the Official Language Policy for the financial year 2022-23 from Hon'ble Minister of State for Home Affairs, Shri Ajay Kumar Mishra



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)



ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा दिनांक 21.06.2023 को गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया
ECGC Limited celebrated 9th International Yoga Day on 21.06.2023 at Gateway of India, Mumbai



ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस - दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को एकता दौड़ का आयोजन किया गया
ECGC Limited conducted Ekta Run on National Unity Day - 31st October 2023



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)



ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर, 2023 से 31 अक्टूबर, 2023 की अवधि के दौरान विशेष अभियान
3.0 - स्वच्छता अभियान में भाग लिया गया
ECGC Limited participated in Special Campaign 3.0 – Cleanliness Drive during the period
1st October, 2023 to 31st October, 2023



मैसूर की महारानी श्रीमती प्रमोदा देवी वाडियार द्वारा ईसीजीसी लिमिटेड को सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएँ (विप्स) के
लिए सर्वश्रेष्ठ उद्यम पुरस्कार प्रदान किया गया
Best Enterprises Award, Women in Public Sector (WIPS) conferred to ECGC Limited by Her
Highness Smt. Pramoda Devi Wadiyar, Maharani of Mysore



लम्बित सीएजी पैरा एवं प्रबंधन के प्रत्युत्तर

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त सीएजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट			
क्र. सं.	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	लेखापरीक्षा पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
1.	भाग – II ख, वर्ष 2017-18 का पैरा 2	पुनर्बीमाकर्ता से ₹171.79 करोड़ का पुनर्बीमा अंश प्राप्त करने में विलम्ब।	2016-17 की अवधि के लिए ईसीजीसी लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय की सम्यक्वहार लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट। 02.01.2018 से 25.01.2018 के दौरान लेखापरीक्षा की गई। सीएजी द्वारा दिनांक 26.02.2018 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से उठाए गए प्रश्न/पैरा। वर्तमान स्थिति: कंपनी ने अपने पत्र दिनांक 29.12.2023 के माध्यम से सीएजी को सूचित किया कि नवंबर 2023 में महाप्रबंधक स्तर की चर्चा हुई थी, जिसके बाद कंपनी के कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) - अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के साथ कार्यपालक निदेशक (परिचालन), महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन विभाग) और उप महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन विभाग) द्वारा 12.12.2023 को भेट की गई। जीआईसी ने हमें इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का आश्वासन दिया है। मामले के बारे में सी ए जी द्वारा कोई और प्रश्न नहीं पूछा नहीं गया है एवं इस पैरा पर सी ए जी से आगे की प्रतिक्रिया दिनांक 31.03.2024 तक प्रतीक्षित है।

PENDING CAG PARAS AND MANAGEMENT REPLIES

CAG Audit Report received during FY 2017-18			
S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
1.	Part – IIB Para 2 of year 2017 - 18.	Delay in receiving the reinsuran-ce share of ₹171.79 crore from Reinsurer.	Transaction Audit Inspection Report of Corporate Office of ECGC Ltd. for the period 2016-17. Audit conducted during 02.01.2018 to 25.01.2018. Query/Para raised by the CAG vide letter/report dated 26.02.2018. Current Status: The Company vide its letter dated 29.12.2023 informed the CAG that a General Manager Level discussion was held in Nov. 2023 followed by a visit by the Company's Executive Director (Policy Matters) – Chairman-cum-Managing Director (Additional Charge) along with Executive Director (Operations), General Manager (Risk Management Department) and Deputy General Manager (Risk Management Department) on 12.12.2023. GIC has assured us to resolve the issue amicably. In view of the above, the Company has requested the CAG to drop the para. No further queries have been raised by the CAG in the matter and further response from the CAG on the para is awaited as of 31.03.2024.

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त सीएजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट			
क्र. सं.	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	लेखापरीक्षा पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
2.	वर्ष 2019-20 के भाग-II ख का पैरा 1	पुनर्बीमाकर्ताओं से नकदी प्राप्त करने में देरी के कारण ₹11.67 करोड़ के ब्याज की हानि।	2017-18 की अवधि के लिए ईसीजीसी लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय की सम्यक्वहार लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट। 11.02.2019 से 18.02.2019 एवं 15.03.2019 से 29.03.2019 के दौरान लेखापरीक्षा की गई। सीएजी द्वारा दिनांक 15.04.2019 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से उठाए गए प्रश्न/पैरा।

CAG Audit Report received during FY 2019-20			
S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
2.	Part – IIB, Para 1 of the year 2019 – 20.	Delay in calling cash from reinsurers resulting into loss of interest amounting to ₹11.67 crore	Inspection report on Transaction Audit of ECGC Ltd. – Corporate Office for the year 2017-18. Audit conducted during the period from 11.02.2019 to 18.02.2019 and 15.03.2019 to 29.03.2019. Query/Para raised by the CAG vide letter/report dated 15.04.2019.



वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त सीएजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट			
क्र. सं.	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	लेखापरीक्षा पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
			वर्तमान स्थिति: कंपनी ने अपने दिनांक 29.12.2023 को जारी पत्र के माध्यम से सीएजी को सूचित किया कि विलंब इसलिए हुई क्योंकि खातों को एक्सेल में अलग से संरक्षित कर रखा गया था। तदोपरान्त, शाखाओं और पुनर्बीमा टीमों को स्थिति की बारीकी से और नियमित आधार पर निगरानी करने के लिए संवेदनशील बनाया गया है, परिणामस्वरूप आज तक ऐसी विलम्ब की घटना पुनः नहीं हुई है। कंपनी ने यह भी सूचित किया कि उसे विकसित किए जा रहे नए सॉफ्टवेयर से भी सहायता मिलेगी, जिससे कैश कॉल की समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित होगी। उपरोक्त को देखते हुए, कंपनी ने सीएजी से पैरा हटाने का अनुरोध किया है। इस मामले में सीएजी द्वारा कोई और प्रश्न नहीं उठाया गया है तथा पैरा के संबंध में सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया 31.03.2024 तक प्रतीक्षित है।

CAG Audit Report received during FY 2019-20			
S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
			Current Status: The Company vide its letter dated 29.12.2023 informed the CAG that the delays occurred because the accounts were maintained separately in Excel. Subsequently, branches and reinsurance teams have been sensitized to monitor the position closely and on regular basis which has resulted in non – recurring of such delays till date. The Company also informed that it would also get assistance from the new software being developed which would ensure timely reporting of the Cash Calls. In view of the above, the Company has requested the CAG to drop the para. No further queries have been raised by the CAG in the matter and further response from the CAG on the para is awaited as of 31.03.2024.

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त सीएजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट			
क्र. सं.	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	लेखापरीक्षा पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
3	वर्ष 2020-21 के भाग-II ख का पैरा 3	ओटीएस निपटान में कंपनी को हानि।	वर्ष 2018-19 से 2019-20 के लिए ईसीजीसी - कॉर्पोरेट कार्यालय, निवेश, विपणन और पुनर्बीमा के सम्व्यवहार लेखा परीक्षा पर निरीक्षण रिपोर्ट। 01.12.2010 से 18.02.2021 के दौरान लेखापरीक्षा की गई। सीएजी द्वारा दिनांक 17.03.2021 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से उठाए गए प्रश्न/पैरा। वर्तमान स्थिति: कंपनी ने अपने विभिन्न पत्रों के माध्यम से वसूली की वर्तमान स्थिति के बारे में सीएजी को अद्यतित जानकारी प्रदान की है। सीएजी को इस मामले में नवीनतम अद्यतित जानकारी 30.03.2024 को प्रदान की गई तथा पैरा को बंद करने का अनुरोध किया गया। इस मामले में सीएजी द्वारा कोई और प्रश्न नहीं उठाया गया है तथा पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया 31.03.2024 तक प्रतीक्षित है।

CAG Audit Report received during FY 2020-21			
S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
3.	Part IIB, Para 3 of year 2020 – 21.	Loss to the Company in OTS settlement.	Inspection report on Transaction Audit of ECGC — Corporate Office, Investment, Marketing and Reinsurance for the year 2018-19 to 2019-20. Audit conducted during the period from 01.12.2020 to 18.02.2021. Query/Para raised by the CAG vide letter/report dated 17.03.2021. Current Status: The Company vide its various letters, has updated the CAG about the current status of recovery. The latest update in the matter was provided to the CAG on 30.03.2024 and a request was made for closure of the para. No further queries have been raised by the CAG in the matter and further response from the CAG on the para is awaited as of 31.03.2024.



वित्तीय 2020-21 के दौरान प्राप्त सीएजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट			
क्र. सं.	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	लेखापरीक्षा पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
4.	वर्ष 2020-21 के भाग-II ख का पैरा 4	ओटीएस निपटान में कंपनी को हानि।	वर्ष 2018-19 से 2019-20 के लिए ईसीजीसी - कॉर्पोरेट कार्यालय, निवेश, विपणन और पुनर्बीमा के सम्यवहार लेखा परीक्षा पर निरीक्षण रिपोर्ट। 01.12.2010 से 18.02.2021 के दौरान लेखापरीक्षा की गई। सीएजी द्वारा दिनांक 17.03.2021 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से उठाए गए प्रश्न/पैरा। वर्तमान स्थिति: कंपनी ने अपने विभिन्न पत्रों के माध्यम से वसूली की वर्तमान स्थिति के बारे में सीएजी को अद्यतित जानकारी प्रदान की है। सीएजी को इस मामले में नवीनतम अद्यतित जानकारी 27.03.2024 को प्रदान की गई तथा पैरा को बंद करने का अनुरोध किया गया। इस मामले में सीएजी द्वारा कोई और प्रश्न नहीं उठाया गया है तथा पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया 31.03.2024 तक प्रतीक्षित है।

CAG Audit Report received during FY 2020-21			
S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
4.	Part IIB, Para 4 of year 2020 – 21.	Loss to the Company in OTS settlement.	Inspection report on Transaction Audit of ECGC — Corporate Office, Investment, Marketing and Reinsurance for the year 2018-19 to 2019-20. Audit conducted during the period from 01.12.2020 to 18.02.2021. Query/Para raised by the CAG vide letter/report dated 17.03.2021. Current Status: The Company vide its various letters, has updated the CAG about the current status of recovery. The latest update in the matter was provided to the CAG on 27.03.2024 and a request was made for closure of the para. No further queries have been raised by the CAG in the matter and further response from the CAG on the para is awaited as of 31.03.2024.

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट			
क्र. सं.	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	लेखापरीक्षा पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
5.	वर्ष 2021-22 के भाग-II ख का पैरा 1	ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा पुनर्बीमा कमीशन पर जीएसटी का भुगतान न करना।	वर्ष 2020-21 हेतु ईसीजीसी - बांद्रा बैंक कारोबार शाखा, मुंबई, सूरत शाखा एवं आगरा शाखा सहित कॉर्पोरेट विभाग के सम्यवहार लेखा परीक्षा पर निरीक्षण रिपोर्ट। 15.11.2021 से 29.11.2021 एवं 05.01.2022 से 21.01.2022 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा की गई। सीएजी द्वारा दिनांक 18.02.2022 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से उठाए गए प्रश्न/पैरा। वर्तमान स्थिति: कंपनी ने सीएजी को सूचित किया है कि पुनर्बीमा पर दिए गए कमीशन पर जीएसटी के अंतर्गत कर का प्रावधान नहीं है। कंपनी ने सीएजी को बताया है कि निर्यात ऋण बीमा से प्राप्त प्रीमियम को राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 12/2017-केंद्रीय कर (दर) क्रम संख्या 35 (जी) के अनुसार

CAG Audit Report received during FY 2021 – 22			
S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
5.	Part IIB, Para 1 of the year 2021-22.	Non-Payment of GST on reinsurance commission by ECGC Ltd.	Inspection report on Transaction Audit of ECGC — Corporate Department including Bandra Bank Business Branch, Mumbai, Surat Branch and Agra Branch for the year 2020-21. Audit conducted during the period from 15.11.2021 to 29.11.2021 & 05.01.2022 to 21.01.2022. Query/Para raised by the CAG vide letter/report dated 18.02.2022. Current Status: The Company has explained to the CAG that commission on reinsurance ceded is not liable to tax under GST. The Company has informed the CAG that the premium received from the export credit insurance was exempted (June 2017) from Goods and Service Tax (GST) by the Department of Revenue,



वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट			
क्र. सं.	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	लेखापरीक्षा पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
			वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट प्रदान की गई थी (जून 2017)। प्रका - लेखा विभाग द्वारा दिनांक 31/10/2023 को अंतिम बार सीएजी को पूर्ण तर्क सहित पैरा को हटाने का आग्रह किया था। इसके उपरांत, 29 फरवरी 2024 को सीएजी, ईसीजीसी एवं कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के मध्य एक त्रिपक्षीय बैठक हुई। बैठक में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), कार्यपालक निदेशक (संचालन) सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक के दौरान, सीएजी का ध्यान अन्य पैरा सहित "ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा पुनर्बीमा कमीशन पर जीएसटी का भुगतान न करने" पैरा को हटाने की ओर आकर्षित किया गया। इस मामले में सीएजी द्वारा कोई अन्य प्रश्न नहीं उठाया गया है तथा पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया 31.03.2024 तक प्रतीक्षित है।

CAG Audit Report received during FY 2021 – 22			
S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
			Ministry of Finance, as per Notification No. 12/2017-Central Tax (Rate) Sl. No. 35 (g). HO-Accounts had lastly communicated to C&AG to drop the para with complete justification on 31/10/2023. Subsequent to this, there was a tripartite meeting held amongst the C&AG, ECGC and Joint Statutory Auditors of the Company on 29th Feb 2024. The Chairman and Managing Director (Additional Charge), Executive Director (Operations), along with other senior officials were present for the meet. During this meeting, the attention of C&AG was drawn for dropping the paras including "Non-payment of GST on reinsurance commission by ECGC Ltd". No further queries have been raised by the CAG in the matter and further response from the CAG on the para is awaited as of 31.03.2024.

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट			
क्र. सं.	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	लेखापरीक्षा पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
6.	वर्ष 2021-22 के भाग-II ख का पैरा 1	अंधेरी में कॉर्पोरेट कार्यालय भवन और आवासीय परिसर के निर्माण के लिए परिकल्पित उद्देश्यों की पूर्ति न होना।	2021-22 की अवधि के लिए ईसीजीसी लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय की सम्यक्वहार लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट। 20.12.2022 से 10.01.2023 एवं 06.02.2023 से 28.03.2023 के दौरान लेखापरीक्षा की गई। सीएजी द्वारा दिनांक 27.04.2023 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से उठाए गए प्रश्न/पैरा। वर्तमान स्थिति: कंपनी ने दिनांक 24.05.2023 के पत्र के माध्यम से सीएजी को सूचित किया कि हम वाणिज्यिक परिसर में स्थानांतरित हो गए हैं और 10.11.2022 से भवन कार्यात्मक हो गया है। कंपनी ने यह भी बताया कि उसने

CAG Audit Report received during FY 2023 – 24			
S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
6.	Part IIB, Para 1 of the year 2021 – 22.	Non achievement of the objectives envisaged for construction of Corporate Office building and Residential complex at Andheri.	Inspection report on Transaction Audit of ECGC Ltd – Corporate Office for the year 2021-22. Audit conducted during the period from 20.12.2022 to 10.01.2023 and 06.02.2023 to 28.03.2023. Query/Para raised by the CAG vide letter/report dated 27.04.2023. Current Status: The Company vide letter dated 24.05.2023 informed the CAG that the commercial premises is occupied and has become functional w.e.f. 10.11.2022. The Company also



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

क्र. सं.	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	लेखापरीक्षा पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
			एक्सप्रेस टावर्स में लीज पर लिया गया कार्यालय परिसर सरेडर कर दिया है तथा सीएजी से पैरा हटाने का अनुरोध किया है। इस मामले में सीएजी द्वारा कोई अन्य प्रश्न नहीं उठाया गया है तथा पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया 31.03.2024 तक प्रतीक्षित है।

CAG Audit Report received during FY 2023 – 24

S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
			informed that it has surrendered the leased office accommodation at Express Towers and requested the CAG to drop the para. No further queries have been raised by the CAG in the matter and further response from the CAG on the para is awaited as of 31.03.2024.

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

क्र. सं.	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	लेखापरीक्षा पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
7.	वर्ष 2021-22 के भाग-II ख का पैरा 2	पॉलिसी दावा	2021-22 की अवधि के लिए ईसीजीसी लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय की सम्यक्वहार लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट। 20.12.2022 से 10.01.2023 एवं 06.02.2023 से 28.03.2023 के दौरान लेखापरीक्षा की गई। सीएजी द्वारा दिनांक 27.04.2023 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से उठाए गए प्रश्न/पैरा। वर्तमान स्थिति: कंपनी ने अपने दिनांक 09.10.2023 के पत्र में सीएजी को स्पष्टीकरण दिया है कि दावे का निपटान मौजूदा दिशानिर्देशों और पॉलिसी की शर्तों के अनुरूप किया गया था और पैरा को हटाने का अनुरोध किया गया था। इस मामले में सीएजी द्वारा कोई अन्य प्रश्न नहीं उठाया गया है तथा पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया 31.03.2024 तक प्रतीक्षित है।

CAG Audit Report received during FY 2023 – 24

S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
7.	Part IIB, Para 2 of the year 2021 – 22.	Policy Claim	Inspection report on Transaction Audit of ECGC Ltd. – Corporate Office for the year 2021-22. Audit conducted during the period from 20.12.2022 to 10.01.2023 and 06.02.2023 to 28.03.2023. Query/Para raised by the CAG vide letter/report dated 27.04.2023. Current Status: The Company in its recent letter dated 09.10.2023 has provided clarifications to the CAG that the claim was settled as per the guidelines in place as well as the terms and conditions of the policy and a request was made for closure of the para. No further queries have been raised by the CAG in the matter and further response from the CAG on the para is awaited as of 31.03.2024.



वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

क्र. सं.	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	लेखापरीक्षा पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
8.	वर्ष 2021-22 के भाग-II ख का पैरा 4	वर्ष 2021-2023 के दौरान विज्ञापन संबंधी गतिविधि के लिए विज्ञापन एजेंसी को पैनल में नियुक्त करने सम्बंधी अनियमितताएं।	2021-22 की अवधि के लिए ईसीजीसी लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय की सम्भवहार लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट। 20.12.2022 से 10.01.2023 एवं 06.02.2023 से 28.03.2023 के दौरान लेखापरीक्षा की गई। सीएजी द्वारा दिनांक 27.04.2023 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से उठाए गए प्रश्न/पैरा। वर्तमान स्थिति: कंपनी ने सीएजी को निवर्तमान में प्रेषित अपने पत्र में स्पष्टीकरण दिया है कि वस्तु, सेवाओं और कार्यों की खरीद के लिए नीति और दिशानिर्देश कंपनी द्वारा जारी किए गए हैं और पैरा को बंद करने का अनुरोध किया गया है। इस मामले में सीएजी द्वारा कोई और प्रश्न नहीं उठाया गया है तथा पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया 31.03.2024 तक प्रतीक्षित है।

CAG Audit Report received during FY 2023 – 24

S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
8.	Part IIB, Para 4 of the year 2021 – 22.	Irregularities in empanelment of Advertisement agency for advertisement related activity for the year 2021-2023.	Inspection report on Transaction Audit of ECGC Ltd. – Corporate Office for the year 2021-22. Audit conducted during the period from 20.12.2022 to 10.01.2023 and 06.02.2023 to 28.03.2023. Query/Para raised by the CAG vide letter/report dated 27.04.2023. Current Status: The Company in its recent communication made to the CAG has provided clarifications that the policy & guidelines for procurement of Goods, Services and Works has been issued by the Company and a request was made for closure of the para. No further queries have been raised by the CAG in the matter and further response from the CAG on the para is awaited as of 31.03.2024.

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

क्र. सं.	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	लेखापरीक्षा पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
9.	वर्ष 2021-22 के भाग-II ख का पैरा 5	कार्यालयीन कार का उपयोग।	2021-22 की अवधि के लिए ईसीजीसी लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय की सम्भवहार लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट। 20.12.2022 से 10.01.2023 एवं 06.02.2023 से 28.03.2023 के दौरान लेखापरीक्षा की गई। सीएजी द्वारा दिनांक 27.04.2023 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से उठाए गए प्रश्न/पैरा। वर्तमान स्थिति: कंपनी ने सीएजी को भेजे अपने अंतिम पत्र में स्पष्टीकरण दिया है कि कार्यालय वाहन के उपयोग की नीति तथा कार्यालय आर्बाटिंट कारों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए वसूली की दर को कंपनी द्वारा संशोधित किया गया है तथा इस पैरा को बंद करने का अनुरोध किया गया है। इस मामले में सीएजी द्वारा कोई अन्य प्रश्न नहीं उठाया गया है तथा पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया 31.03.2024 तक प्रतीक्षित है।

CAG Audit Report received during FY 2023 – 24

S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
9.	Part IIB, Para 5 of the year 2021 – 22.	Usage of Staff Car.	Inspection report on Transaction Audit of ECGC Ltd. Corporate Office for the year 2021-22. Audit conducted during the period from 20.12.2022 to 10.01.2023 and 06.02.2023 to 28.03.2023. Query/Para raised by the CAG vide letter/report dated 27.04.2023. Current Status: The Company in its recent communication made to the CAG has provided clarifications that the policy for usage of office vehicle and rate of recovery for personal usage of office allotted cars have since then been revised by the Company and a request was made for closure of the para. No further queries have been raised by the CAG in the matter and further response from the CAG on the para is awaited as of 31.03.2024.



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

क्र. सं.	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	लेखापरीक्षा पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
10.	वर्ष 2021-22 के भाग-II ख का पैरा 6	लक्ष्य एवं उपलब्धियां	2021-22 की अवधि के लिए ईसीजीसी लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय की सम्बन्धित लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट। 20.12.2022 से 10.01.2023 एवं 06.02.2023 से 28.03.2023 के दौरान लेखापरीक्षा की गई। सीएजी द्वारा दिनांक 27.04.2023 के पत्र/रिपोर्ट के माध्यम से उठाए गए प्रश्न/पैरा। वर्तमान स्थिति: कंपनी ने हाल ही में सीएजी को प्रेषित अपने पत्र के जरिए कंपनी द्वारा प्राप्त लक्ष्यों और उपलब्धियों के सम्बंध में स्पष्टीकरण दिया है। कंपनी ने यह भी सूचित किया है कि कंपनी के लिए विस्तृत वार्षिक व्यवसायिक योजना, जिसे उसके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, आईआरडीएआई को प्रस्तुत की गई है। पैरा को हटाने हेतु भी अनुरोध किया गया है। इस सम्बंध में सीएजी द्वारा कोई अन्य प्रश्न नहीं उठाया गया है तथा पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया 31.03.2024 तक प्रतीक्षित है।

CAG Audit Report received during FY 2023 – 24

S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Audit Para	Reporting Status
10.	Part IIB, Para 6 of the year 2021 – 22.	Targets and achievements.	Inspection report on Transaction Audit of ECGC Ltd. – Corporate Office for the year 2021-22. Audit conducted during the period from 20.12.2022 to 10.01.2023 and 06.02.2023 to 28.03.2023. Query/Para raised by the CAG vide letter/report dated 27.04.2023. Current Status: The Company in its recent communication made to the CAG has provided clarifications with regards to the Targets and achievements made by the Company. The Company has also informed that the detailed Annual Business plan for the Company duly approved by its board has been submitted to the IRDAI. A request was also made for closure of the para. No further queries have been raised by the CAG in the matter and further response from the CAG on the para is awaited as of 31.03.2024.

सूचना का अधिकार (आर टी आई)

कंपनी के पास मुंबई में प्रधान कार्यालय में स्थित एक आर टी आई कक्ष है जिसका नेतृत्व एक सहायक महाप्रबंधक सम्वर्ग के अधिकारी द्वारा किया जाता है। मुंबई में प्रधान कार्यालय में प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (एफ ए ए) का नेतृत्व उप महाप्रबंधक द्वारा किया जाता है। आर टी आई अधिनियम के अधीन प्राप्त आवेदनों की प्राप्ति पर आवेदनों का उत्तर आर टी आई अधिनियम के अधीन अनुमत समय सीमा के भीतर दिया जाता है। निपटाए गए आवेदनों की संख्या की रिपोर्ट तिमाही आधार पर केंद्रीय सूचना आयोग (सी आई सी) की वेबसाइट पर अद्यतित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 207 आवेदनों पर कार्यवाही की गयी। कंपनी द्वारा प्राप्त आर टी आई आवेदनों के संबंध में सभी नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है।

RIGHT TO INFORMATION (RTI)

The Company has an RTI Cell at its Head Office in Mumbai which is headed by an officer of the rank of Assistant General Manager. The First Appellate Authority (FAA) at the Head Office in Mumbai is headed by a Deputy General Manager. The applications received under the RTI Act are responded to as and when received within the timeline permitted under the RTI Act. The report of number of applications handled is updated on the Central Information Commission's (CIC) website on a quarterly basis. A total of 207 applications were handled during the FY 2023-24. The Company has complied with all the regulatory requirements in respect of the RTI applications received.



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

अनुलग्नक V

दिनांक 31.03.2024 को कंपनी में सेवारत दिव्यांग कर्मियों का प्रतिनिधित्व

समूह	ईसीजीसी में दिव्यांगों के आंकड़े				कुल
	दृ बा	श्र बा	अ वि	चतुर्थ श्रेणी	
क	3	1	5	0	9
ख	4	1	2	2	9
ग	0	0	1	0	1
घ	1	0	0	0	1
कुल	8	2	8	2	20

दृ बा	दृष्टि बाधित
श्र बा	श्रव्य बाधित
अ वि	अस्थि दिव्यांगता
चौथी श्रेणी	(i) सीखने की विशिष्ट अक्षमता (एस एल डी) अथवा दृ बा, श्र बा, अ वि अथवा चौथी श्रेणी सहित एकाधिक अक्षमता

Annexure V

Representation of Persons with Disabilities in the Services of the Company as of 31.03.2024

Group	Data of persons with disabilities in ECGC				Total
	VI	HI	OC	4th Category	
A	3	1	5	0	9
B	4	1	2	2	9
C	0	0	1	0	1
D	1	0	0	0	1
Total	8	2	8	2	20

VI	Visually Impaired
HI	Hearing Impaired
OC	Orthopaedically Challenged
4th Category	(i) Specific Learning Disability (SLD) or Multiple disabilities including VI, HI, OC and 4th Category

अनुलग्नक VI

वर्ष 2023-24 में भर्ती से संबन्धित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व

समूह	नियुक्त कुल कर्मियों की सं	नियुक्त अनु जा के कर्मियों की सं	नियुक्त अनु जन जा के कर्मियों की सं	नियुक्त अ पि व के कर्मियों की सं	नियुक्त आ पि व के कर्मियों की सं
क	0	0	0	0	0
ख	23	4	0	9	1
ग	0	0	0	0	0
घ	0	0	0	0	0
कुल	23	4	0	9	1

Annexure VI

Representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Section pertaining to recruitment in the Company-2023 24

Group	Total no of Employees recruited	No. of SC Employees recruited	No. of ST Employees recruited	No. of OBC Employees recruited	No. of EWS Employees recruited
Group A	0	0	0	0	0
Group B	23	4	0	9	1
Group C	0	0	0	0	0
Group D	0	0	0	0	0
TOTAL	23	4	0	9	1

नोट:

उपरोक्त डेटा वित्तीय वर्ष 2023-24 में आयोजित भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत कंपनी में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाता है तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान और अधिक उम्मीदवार कंपनी में शामिल होंगे।

NOTE:

The data above reflects the number of candidates who joined the Company for recruitment exercise conducted in FY 2023 - 24 and more candidate will join the Company in FY 2024-25



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

अनुलग्नक / Annexure VII

दिनांक 31/03/2024 के अनुसार कंपनी के श्रम बल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व

Representation of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes / Other Backward Classes in the Company's workforce as on 31.03.2024

समूह Group	कुल कर्मियों की सं Total Number of Employees	अनु जा के कर्मियों की सं No. of SC Employees	अनु जा के कर्मियों का % % of SC employees	अनु जन जा के कर्मियों की सं No. of ST Employees	अनु जन जा के कर्मियों का % % of ST employees	अ पि व के कर्मियों की सं No. of OBC Employees	अ पि व के कर्मियों का % % of OBC employees
Group क / A	258	46	17.8%	19	7.4%	68	26.4%
Group ख / B	310	52	16.8%	24	7.7%	75	24.2%
Group ग / C	19	3	16%	3	16%	0	0%
Group घ / D	4	1	25%	0	0%	1	25%
कुल / Total	591	102	17.3%	46	7.8%	144	24.4%

अनुलग्नक VIII

Annexure VIII

फार्म सं. एओसी -2

FORM NO. AOC -2

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) एवं कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में।

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण हेतु प्रपत्र, जिसमें तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कुछ निश्चित अंतरण भी शामिल हैं

Form for disclosure of particulars of contracts/ arrangements entered into by the Company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arm's length transactions under third proviso thereto

भौतिक अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं या समुचित दूरी के आधार पर हुए अंतरण का विस्तृत विवरण:

Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis:

- क) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति: मेसर्स कुमार इंटरनेशनल, जिसमें श्री अमित कुमार अग्रवाल, गैर-आधिकारिक निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड भागीदारों में से एक हैं।
- ख) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/अंतरण की प्रकृति: दो एकल खरीदार जोखिम (एसबीई) पॉलिसियों के नवीकरण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।
- ग) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/अंतरण की अवधि: 09/08/2023 से 08/08/2024 तक।
- घ) मूल्य सहित, अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा अंतरण की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो:

- (a) Name(s) of the related party and nature of relationship: M/s Kumar International wherein Shri Amit Kumar Agarwal, Non-Official Director, ECGC Ltd. is one of the partners.
- (b) Nature of contracts/arrangements/transactions: Renewal of two Single Buyer Exposure (SBE) Policies proposal received
- (c) Duration of the contracts/arrangements/ transactions: 09/08/2023 to 08/08/2024.
- (d) Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any:



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

क्रम सं. S.No.	खरीदर का नाम एवं देश Buyer Name & Country	मांगी गई हानि सीमा Loss Limit Sought	देय प्रीमियम Premium Payable	प्रसंस्करण शुल्क Processing Fee
1	लेनिन एंड मूर प्रोपराइटी लिमिटेड, ऑस्ट्रेलिया (ख/को-1000664444) Linen And Moore Pty Ltd, Australia (B/C- 1000664444)	₹15.00 लाख/Lakh	₹19,238.00	₹2,000.00
2	ऑलिवर बोनस लिमिटेड, यूके (ख/को- 1000437247) Oliver Bonas Ltd., UK (B/C- 1000437247)	₹25.00 लाख/Lakh	₹32,063.00	₹2,000.00
	कुल/Total	₹40.00 लाख/Lakh	₹51,301.00	₹4,000.00

च) निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तारीख(या तारीखें), यदि कोई हो: **लागू नहीं**
(छ) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो: **₹51,301.00 (प्रीमियम) + ₹4000.00 (प्रसंस्करण शुल्क)**

(e) Date(s) of approval by the Board, if any: NA
(f) Amount paid as advances, if any: **₹ 51,301.00 (Premium) + ₹4000.00 (Processing Fee)**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

For and on behalf of the Board of Directors

सृष्टिराज अम्बष्ठ
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक(अतिरिक्त प्रभार)
डी आई एन - 10375617

Sristiraj Ambastha
Chairman-cum-Managing Director (Additional Charge)
DIN 10375617

स्थान : मुंबई
दिनांक : 16 मई, 2024

Place: Mumbai
Date: May 16, 2024



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

वित्तीय विवरण / FINANCIAL STATEMENTS

वित्तीय विवरणों का प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल के समक्ष स्वीकृत एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें कोई गलत अथवा भ्रामक बयान अथवा आंकड़े नहीं हैं एवं किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा नहीं गया है, जो इसमें उल्लेखित कथनों अथवा आंकड़ों को भ्रामक बना सकता हो।

Certificate on Financial Statements

This is to certify that the financial statements of the company for the year ended 31st March, 2024 placed before the Board of Directors for adoption and approval do not contain any false or misleading statements or figures and do not omit any material fact which may make the statements or figures contained therein misleading.

(अभिषेक जैन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(सृष्टिराज अम्बष्ठ)
कार्यपालक निदेशक/
अप्रति-अतिरिक्त प्रभार
डीआईएन - 10375617

(Abhishek Jain)
Chief Financial Officer

(Sristiraj Ambastha)
Executive Director/
CMD Addl. Charge
DIN - 10375617

स्थान : मुंबई
दिनांक : 16 मई, 2024

Place : Mumbai
Date : 16th May, 2024



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

फॉर्म बी- आर ए / FORM B-RA
ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन: यू U74999एमएच1957जीओआई010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु राजस्व खाता

REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

पंजीकरण संख्या 124
Registration No. 124

पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर, 2002
Date of Registration : 27th September, 2002

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited(₹'000)	पूर्व अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited(₹'000)
1	अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Premiums earned (Net)	1	1079,76,42.63	938,72,21.76
2	निवेश की बिक्री/शोधन से लाभ Profit on Sale/Redemption of Investment		29,52,66.81	42,63,03.15
3	निवेश की बिक्री/शोधन से हानि Loss on Sale/Redemption of Investment		-	-
4	अन्य / Others			
	- शुल्क / Fee		1,63,72.53	1,59,18.54
	- विविध आय / Miscellaneous Income		63,83.74	28,40.61
	- संपत्ति की बिक्री से लाभ / Profit on Sale of Asset		12,31.41	18,34.13
5	ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल Interest, Dividend & Rent - Gross		438,06,28.56	524,28,42.67
	कुल (क) / TOTAL (A)		1549,75,25.68	1507,69,60.86
1	उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net)	2	(974,47,47.18)	(702,92,04.79)
2	कमीशन / Commission	3	19,05,47.55	(4,41,15.93)
3	बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय Operating Expenses related to Insurance Business	4	338,13,23.02	297,83,49.63
4	अन्य / Others			
	- प्रीमियम की कमी / Premium Deficiency		-	(308,52,00.00)
	- निवेश पर व्यय / Expenses towards Investments		7,73,53.04	10,39,97.34
	- प्रावधान, निवेशों पर बट्टे खाते में डाली गई राशि Provision, Write Off - Investments		(2,70,70.86)	(1,18.00)
	कुल (ख) / TOTAL (B)		(612,25,94.43)	(707,62,91.75)
	विविध कारोबार परिचालन से लाभ/(हानि) ग = (क-ख) Operating Profit/(Loss) from Miscellaneous Business C =(A-B)		2162,01,20.11	2215,32,52.61
	विनियोजन/ APPROPRIATIONS			
	शेयरधारकों के खाते में अंतरण / Transfer to Shareholder's Account		2162,01,20.11	2215,32,52.61
	आकस्मिक प्रारक्षित निधि में अंतरण/Transfer to Catastrophe Reserve		-	-
	अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Other Reserves		-	-
	कुल (ग) / TOTAL (C)		2162,01,20.11	2215,32,52.61



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ तथा लेखा की टिप्पणियाँ राजस्व खाते के अविभाज्य अंश बनते हैं
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts form integral part of the Revenue Account

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40 ग(2) की आवश्यकता अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के लेखा बहियों की हमारी जाँच से यह ज्ञात होता है कि निर्यात ऋण बीमा कारोबार के संबंध में प्रबंधन के सभी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष व्ययों को जब भी व जहाँ भी आवश्यक हुआ, व्ययों के रूप में राजस्व खाते में डाला गया है।
As required by section 40C(2) of the Insurance Act 1938, we certify that, to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, and as far as it appears from our examination of Company's books of account, all expenses of management, wherever incurred, whether directly or indirectly in respect of the Export Credit Insurance Business have been fully debited to the Revenue Account as expenses.

(सृष्टिराज अम्बष्ठ)

कार्यपालक निदेशक /अ प्र नि -अतिरिक्त प्रभार
(SRISTIRAJ AMBASTHA)
Executive Director/CMD-Addl.Charge
डीआईएन/DIN – 10375617

(सिद्धार्थ महाजन)

निदेशक
(SIDDHARTH MAHAJAN)
Director
डीआईएन/DIN - 03349759

(हर्षा बंगारी)

निदेशक
(HARSHA BANGARI)
Director
डीआईएन/DIN - 01807838

(अमित कुमार अग्रवाल)

निदेशक
(AMIT KUMAR AGARWAL)
Director
डीआईएन / DIN - 05333909

(पलनियप्पन मुत्तु)

निदेशक
(PALANIAPPAN MUTHU)
Director
डीआईएन / DIN - 10200176

(अभिषेक जैन)

मुख्य वित्तीय अधिकारी
(ABHISHEK JAIN)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)

कंपनी सचिव
(SMITA PANDIT)
Company Secretary

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached

कृते के बी डी एस एंड कंपनी

सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 323288E
For KBDS & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 323288E

कृते एम एल पुरी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002312N
For M. L. Puri & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 002312N

(दशरथ कुमार सिंह)

भागीदार - एम. नं. 060030
(DASHRATH KUMAR SINGH)
Partner - M.No. 060030

(राजेश चंद गुप्ता)

भागीदार - एम. नं. 095584
(RAJESH CHAND GUPTA)
Partner - M.No. 095584

स्थान : मुंबई
दिनांक : 16 मई, 2024
Place : Mumbai
Date : 16th May, 2024



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

फॉर्म बी- पी एल/ FORM B-PL

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन: यू U74999एमएच1957जीओआई010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खाता

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

पंजीकरण संख्या 124
Registration No. 124

पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर, 2002
Date of Registration : 27th September, 2002

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited(₹'000)	पूर्व अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited(₹'000)
1	परिचालन लाभ / (हानि) OPERATING PROFIT/(LOSS) (क) अग्नि बीमा / (a) Fire Insurance (ख) मरीन बीमा / (b) Marine Insurance (ग) विविध बीमा / (c) Miscellaneous Insurance		- - 2162,01,20.11	- - 2215,32,52.61
2	निवेशों से आय INCOME FROM INVESTMENTS (क) ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल (a) Interest, Dividend & Rent -Gross (ख) निवेश की बिक्री से लाभ (b) Profit on Sale of Investments घटाएँ : निवेश की बिक्री पर हानि Less: Loss on Sale of Investments		685,17,52.36 46,18,27.57 - -	524,28,42.67 42,63,03.15 - -
3	अन्य आय/ OTHER INCOME (क) किराया एवं अन्य प्राप्तियाँ / (a) Rent & Other receipts (ख) अन्य ब्याज आय / (b) Other Interest Income (ग) अन्य विविध आय एवं फैक्टरिंग आय (c) Other Miscellaneous Income and Factoring Income		21,29.99 1,29,49.54 2,03,70.05	19,97.20 1,24,19.13 2,28,07.88
	कुल (क) / TOTAL (A)		2896,91,49.62	2785,96,22.64
4	प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) PROVISIONS (Other than Taxation) (क) निवेश के मूल्य में क्षरण हेतु (a) For diminution in the value of investments (ख) प्रावधान, निवेशों पर बट्टे खाते में डाली गई राशि (b) Provision, Write Off - Investments - मानक संपत्ति / Standard Asset - उप मानक संपत्ति / Sub Standard Asset - संदिग्ध संपत्ति / Doubtful Asset - हानि संपत्ति - Loss Assets (ग) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान/(c) Provision for Doubtful Debts		- - - - (4,23,41.60) - 24.25	- - - - (1,18.00) - 6.21



5	अन्य व्यय / OTHER EXPENSES			
	(क) बीमा व्यवसाय से संबंधित व्यय के अतिरिक्त अन्य व्यय		-	-
	(a) Expenses other than those related to Insurance Business			
	- निवेश हेतु व्यय / Expenses towards Investments		12,09,88.09	10,39,97.34
	- कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व हेतु व्यय		30,10,00.00	14,40,00.12
	Expenses towards Corporate Social Responsibility			
	- विविध व्यय / Miscellaneous Expense		(0.01)	0.63
	(ख) अन्य - फैक्टरिंग व्यय /		0.88	-
	(b) Others - Factoring expenses			
	कुल (ख) / TOTAL (B)		37,96,71.61	24,78,86.31
	कर पूर्व लाभ (क - ख) / Profit Before Tax (A - B)		2858,94,78.01	2761,17,36.34
	घटाएँ : / Less:			
	(क) कराधान हेतु प्रावधान / (a) Provision for Taxation			
	- आस्थगित कर / Deferred Tax		51,61.34	(43,47.10)
	- वर्तमान कर / Current Tax		700,00,00.00	598,00,00.00
	(ख) पूर्व अवधि समायोजन / (b) Prior Period Adjustments		(32,03.70)	11.57.77
	(ग) कर समायोजन - पूर्व के वर्षों का		(29,44.18)	(76.12.79)
	(c) Tax Adjustments - Earlier years			
	विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ		2159,04,64.55	2164,25,38.46
	Profit available for appropriation			
	विनियोग / APPROPRIATIONS			
	(क) वर्ष के दौरान प्रदत्त अंतरिम लाभांश		-	-
	(a) Interim Dividends Paid During the Year			
	(ख) अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर		-	-
	(b) Dividend Distribution Tax on Interim Dividend			
	(ग) प्रस्तावित अंतिम लाभांश		-	-
	(c) Proposed Final Dividend			
	(घ) प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर		-	-
	(d) Dividend Distribution Tax on Proposed Dividend			
	(इ) फैक्टरिंग योजना के लिए रिजर्व में स्थानांतरण		-	-
	(e) Transfer to Reserve for Factoring Scheme			
	(च) जनरल रिजर्व में स्थानांतरण		1725,24,64.55	1730,45,38.46
	(f) Transfer to General Reserve			
	पिछले वर्ष से आगे लाया गया लाभ/हानि शेष			
	Balance of profit/loss brought forward from last year			
	तुलन पत्र को अग्रेषित किया गया शेष		433,80,00.00	433,80,00.00
	Balance carried forward to Balance Sheet			



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

(सृष्टिराज अम्बष्ठ)

कार्यपालक निदेशक /अ प्र नि -अतिरिक्त प्रभार
(SRISTIRAJ AMBASTHA)
Executive Director/CMD-Addl.Charge
डीआईएन/DIN – 10375617

(सिद्धार्थ महाजन)

निदेशक
(SIDDHARTH MAHAJAN)
Director
डीआईएन/DIN - 03349759

(हर्षा बंगारी)

निदेशक
(HARSHA BANGARI)
Director
डीआईएन/DIN - 01807838

(अमित कुमार अग्रवाल)

निदेशक
(AMIT KUMAR AGARWAL)
Director
डीआईएन / DIN - 05333909

(पलनियप्पन मुत्तु)

निदेशक
(PALANIAPPAN MUTHU)
Director
डीआईएन / DIN - 10200176

(अभिषेक जैन)

मुख्य वित्तीय अधिकारी
(ABHISHEK JAIN)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)

कंपनी सचिव
(SMITA PANDIT)
Company Secretary

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached

कृते के बी डी एस एंड कंपनी

सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 323288E
For KBDS & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 323288E

कृते एम एल पुरी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002312N
For M. L. Puri & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 002312N

(दशरथ कुमार सिंह)

भागीदार - एम. नं. 060030
(DASHRATH KUMAR SINGH)
Partner - M.No. 060030

(राजेश चंद गुप्ता)

भागीदार - एम. नं. 095584
(RAJESH CHAND GUPTA)
Partner - M.No. 095584

स्थान : मुंबई
दिनांक : 16 मई, 2024
Place : Mumbai
Date : 16th May, 2024



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

फार्म बी - बीएस / FORM B-BS

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन: यू U74999एमएच1957जीओआई010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक का तुलन पत्र

Balance sheet as at March 31, 2024

पंजीकरण संख्या 124
Registration No. 124

पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर, 2002
Date of Registration : 27th September, 2002

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Year Audited(₹'000)	पिछला वर्ष लेखा परीक्षित Previous Year Audited(₹'000)
I	निधियों के स्त्रोत SOURCES OF FUNDS			
	शेयर पूंजी Share Capital	5	4338,00,00.00	4338,00,00.00
	प्रारक्षित निधियाँ एवं अधिशेष Reserves and Surplus	6	7503,88,52.13	5778,63,87.58
	उचित मूल्य परिवर्तन खाता - शेयरधारक Fair Value Change Account - Shareholder		940,29,63.07	343,51,87.12
	उचित मूल्य परिवर्तन खाता - पॉलिसीधारक Fair Value Change Account - Policyholder		601,17,30.48	343,51,87.12
	ऋण Loans Borrowings	7	-	-
	आस्थगित कर देयता Deferred Tax Liability		-	-
	कुल / Total		13383,35,45.68	10803,67,61.82
II	निधियों का प्रयोग APPLICATION OF FUNDS			
	निवेश - शेयरधारक Investments - Shareholder	8	10030,60,24.49	7323,80,87.73
	निवेश - पॉलिसीधारक Investments - Policyholder	8A	6413,00,81.22	7323,80,87.73
	ऋण Loans		-	-
	अचल संपत्ति Fixed Assets	9	405,67,54.34	373,47,88.41
	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ Deferred Tax Assets	10	43,80,76.63	44,32,37.97
	वर्तमान परिसंपत्तियाँ Current Assets			
	नकद व बैंक शेष Cash and Bank Balances	11	1261,97,05.72	1623,64,39.25
	अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ Advances and Other Assets	12	1221,57,54.85	1195,38,47.96
	उप कुल (क) / Sub Total (A)		2483,54,60.57	2819,02,87.21
	वर्तमान देयताएँ Current Liabilities	13	5213,23,19.04	6392,40,47.52
	प्रावधान Provisions	14	780,05,32.53	688,36,79.71
	उप कुल (ख) / Sub Total (B)		5993,28,51.57	7080,77,27.23



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Year Audited(₹'000)	पिछला वर्ष लेखा परीक्षित Previous Year Audited(₹'000)
	शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ (ग) = (क-ख) Net Current Assets (C) = (A-B) विविध व्यय Miscellaneous Expenditure (उस सीमा तक जिसे बट्टे खाते में न डाला गया हो अथवा समायोजित न किया गया हो) (to the extent not written off or adjusted) लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष Debit Balance in Profit & Loss Account	15	(3509,73,91.00) - -	(4261,74,40.02) - -
	कुल / Total		13383,35,45.68	10803,67,61.82
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	16		
	लेखे के भाग के रूप में टिप्पणियाँ NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS	17		

(सृष्टिराज अम्बष्ठ)

कार्यपालक निदेशक /अ प्र नि -अतिरिक्त प्रभार
(SRISTIRAJ AMBASTHA)
Executive Director/CMD-Addl.Charge
डीआईएन/DIN – 10375617

(सिद्धार्थ महाजन)

निदेशक
(SIDDHARTH MAHAJAN)
Director
डीआईएन/DIN - 03349759

(हर्षा बंगारी)

निदेशक
(HARSHA BANGARI)
Director
डीआईएन/DIN - 01807838

(अमित कुमार अग्रवाल)

निदेशक
(AMIT KUMAR AGARWAL)
Director
डीआईएन / DIN - 05333909

(पलनियप्पन मुत्तु)

निदेशक
(PALANIAPPAN MUTHU)
Director
डीआईएन / DIN - 10200176

(अभिषेक जैन)

मुख्य वित्तीय अधिकारी
(ABHISHEK JAIN)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)

कंपनी सचिव
(SMITA PANDIT)
Company Secretary

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached

कृते के बी डी एस एंड कंपनी

सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 323288E
For KBDS & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 323288E

(दशरथ कुमार सिंह)

भागीदार - एम. नं. 060030
(DASHRATH KUMAR SINGH)
Partner - M.No. 060030

कृते एम एल पुरी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002312N
For M. L. Puri & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 002312N

(राजेश चंद गुप्ता)

भागीदार - एम. नं. 095584
(RAJESH CHAND GUPTA)
Partner - M.No. 095584

स्थान : मुंबई

दिनांक : 16 मई, 2024

Place : Mumbai

Date : 16th May, 2024



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची - 1 / SCHEDULE - 1

अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / PREMIUM EARNED (NET)

विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
सीधे कारोबार से प्रीमियम Premium from Direct Business Written	1270,76,53.05	1197,52,85.83
जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Add : Premium on Reinsurance Accepted	-	-
घटाएँ : सौंपे गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम Less: Premium on Reinsurance Ceded	91,14,10.14	219,85,63.16
शुद्ध प्रीमियम Net Premium	1179,62,42.91	977,67,22.67
असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधियों में परिवर्तन हेतु समायोजन Adjustment for change in Reserve for Unexpired Risks	(99,86,00.28)	(38,95,00.91)
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Total Premium Earned (Net)	1079,76,42.63	938,72,21.76

अनुसूची - 2 / SCHEDULE - 2

उपगत दावे (शुद्ध) / CLAIMS INCURRED (NET)

विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
प्रदत्त दावे / Claims Paid		
सीधे / Direct	450,30,54.61	763,04,85.84
जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा / Add : Reinsurance accepted	-	-
घटाएँ: सौंपा गया पुनर्बीमा / Less : Reinsurance ceded	90,23,46.47	246,47,85.46
घटाएँ / Less :		
वर्ष के दौरान वसूल किए गए / Recovered during the year	173,91,36.27	169,50,60.10
जोड़ें: प्रदत्त दावों की वसूली पर प्राप्त ब्याज Add : Interest received on Recovery of Claims Paid	44,30.26	24,62,27.18
घटाएँ: पुनर्बीमाकर्ता हिस्सा Less : Share of reinsurer	69,37,63.46	38,29,31.31
104,98,03.07	104,98,03.07	155,83,55.97
शुद्ध प्रदत्त दावे (क) / Net Claims paid (A)	255,09,05.07	360,73,44.41
जोड़ें: वर्ष के अंत तक बकाया दावे (पुनर्बीमा का शुद्ध) Add : Claims Outstanding at the end of the year (net of reinsurance)	4699,74,56.98	5929,31,09.23



विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
घटाएँ : वसूली के लिए प्रावधान (पुनर्बीमा का शुद्ध) Minus provision for recovery (net of reinsurance)	-	-
(ख) / (B)	4699,74,56.98	5929,31,09.23
घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे (पुनर्बीमा का शुद्ध) Less : Claims Outstanding at the beginning (net of reinsurance)	5929,31,09.23	6992,96,58.43
वसूली के लिए किए गए प्रावधान को घटाएँ (पुनर्बीमा का शुद्ध) Minus Provision for recovery (net of reinsurance)	-	-
(ग)/(C)	5929,31,09.23	6992,96,58.43
कुल उपगत दावे (क + ख + ग) / Total Claims Incurred (A + B - C)	(974,47,47.18)	(702,92,04.79)

अनुसूची - 3 / SCHEDULE - 3

कमीशन / COMMISSION

विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
प्रदत्त कमीशन / Commission Paid		
सीधे / Direct	31,31,76.79	25,91,79.76
कुल (क) / TOTAL (A)	31,31,76.79	25,91,79.76
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन Add : Commission on Reinsurance Accepted	-	-
घटाएँ : सौंपे गए पुनर्बीमा पर कमीशन Less: Commission on Re-insurance Ceded	12,26,29.24	30,32,95.69
शुद्ध कमीशन / Net Commission	19,05,47.55	(4,41,15.93)
नोट : लाभ/कमीशन, यदि कोई है तो स्वीकृत पुनर्बीमा या सौंपे गए पुनर्बीमा के आंकड़ों में शामिल किया जाए। अधोलिखित विवरण के अनुसार कारोबार के उपार्जन के लिए किए गए व्यय (सकल) का ब्योरा: Note: The profit/commission, if any are to be combined with the Re-insurance accepted or Re-insurance ceded figures. Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below:		
एजेंट / Agents	-	-
ब्रोकर / Brokers	31,31,76.79	25,91,79.76
कॉर्पोरेट एजेंसी / Corporate Agency	-	-
अन्य (कृपया विवरण दें) / Others (pl. specify)	-	-
कुल (ख) / TOTAL (B)	31,31,76.79	25,91,79.76
नोट: उपरोक्त (क) व (ख) के जोड़ का मिलान होना चाहिए। Note: Total (A) and (B) above should tally.		



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

अनुसूची - 4 / SCHEDULE - 4

बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	कर्मचारी परिलब्धियाँ व कल्याण सुविधाएं Employees' Remuneration and Welfare benefits	230,60,69.18	190,59,34.26
2	यात्रा, परिवहन तथा वाहन व्यय Travel, Conveyance and Vehicle running expenses	10,33,66.38	11,05,36.15
3	प्रशिक्षण व्यय / Training expenses	2,33,69.99	1,99,68.48
4	किराया, दर व कर / Rent, Rates & Taxes	9,85,02.82	22,16,17.12
5	मरम्मत / Repairs	27,12,60.38	20,58,80.49
6	प्रिंटिंग व स्टेशनरी / Printing & Stationery	2,45,03.93	2,18,22.71
7	सूचना व्यय / Communication	1,09,80.47	1,42,09.72
8	कानूनी व व्यवसायिक प्रभार / Legal & Professional charges	10,92,85.10	10,30,76.49
9	लेखा परीक्षकों का शुल्क, व्यय आदि / Auditors' fees, expenses etc.		
	(क) लेखा परीक्षक के रूप में / (a) As auditor	79,72.03	76,77.51
	(ख) निम्न के संबंध में परामर्शदाता अथवा किसी अन्य सेवा के रूप में (b) As adviser or in any other capacity, in respect of		
	(I) कराधान मामले / (i) Taxation matters	14,82.71	16,48.66
	(ii) बीमा मामले / (ii) Insurance matters	-	-
	(iii) प्रबंधन सेवाएँ / (iii) Management services	-	-
	(ग) किसी अन्य सेवा के लिए / (C) In any other capacity	1,02,93.06	98,63.07 /
10	विज्ञापन व प्रचार / Advertisement and Publicity	9,63,22.87	10,55,04.66
11	ब्याज अथवा बैंक प्रभार / Interest and Bank Charges	8,90.38	7,44.47
12	अन्य - विविध व्यय अथवा अन्य व्यय Others - Miscellaneous Expenses and Other Expenses	20,10,13.71	15,66,23.21
13	मूल्यहास / Depreciation	11,60,10.01	9,32,42.63
	कुल / TOTAL	338,13,23.02	297,83,49.63



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

अनुसूची - 5 / SCHEDULE - 5
शेयर पूंजी / SHARE CAPITAL

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	प्राधिकृत पूंजी / Authorised Capital 100 रु प्रत्येक के 1,00,00,00,000 इक्विटी शेयर 1,00,00,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each (पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 1,00,00,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous Period 1,00,00,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each)	10000,00,00.00	10000,00,00.00
2	निर्गमित पूंजी / Issued Capital 100 रु प्रत्येक के 4338,00,000 इक्विटी शेयर 4338,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each (पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 4338,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous Period 4338,00,000 Equity Shares of Rs 100 each)	4338,00,00.00	4338,00,00.00
3	अभिदत्त पूंजी / Subscribed Capital 100 रु प्रत्येक के 4338,00,000 इक्विटी शेयर 4338,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each (पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 4338,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous Period 4338,00,000 Equity Shares of Rs 100 each)	4338,00,00.00	4338,00,00.00
4	मांगी गई व चुकता पूंजी / Called up & Paid up Capital 100 रु प्रत्येक के 4338,00,000 इक्विटी शेयर 4338,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each (पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 4338,00,000 इक्विटी शेयर) (Previous Period 4338,00,000 Equity Shares of Rs 100 each) जोड़ें : जब्त किए गए इक्विटी शेयर (मूल रूप से चुकता राशि) Add : Equity Shares forfeited (Amount originally paid up) घटाएँ : पुनः खरीदे गए इक्विटी शेयरों का सं मूल्य Less : Par Value of Equity Shares bought back घटाएँ : आरंभिक व्यय Less : Preliminary Expenses शेयरों के बीमांकन अथवा अभिदान पर कमीशन अथवा ब्रोकरेज सहित व्यय Expenses including commission or brokerage on Underwriting or subscription of shares	4338,00,00.00 - - - -	4338,00,00.00 - - - -
	कुल / TOTAL	4338,00,00.00	4338,00,00.00



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

अनुसूची - 5क / SCHEDULE - 5A

शेयर धारण का नमूना/ PATTERN OF SHAREHOLDING

(प्रबंधन द्वारा प्रमाणन के अनुसार) / (As Certified by the Management)

शेयरधारक Shareholder	वर्तमान अवधि Current Period		पिछली अवधि Previous Period	
	शेयरों की संख्या No. of Shares	धारिता का % % of holding	शेयरों की संख्या No. of Shares	धारिता का % % of holding
प्रवर्तक / Promoters				
भारतीय / Indian				
भारत के राष्ट्रपति एवं उनके नामित President of India & His Nominees	43,38,00,000	100.00	43,38,00,000	100.00
विदेशी / Foreign	-	-	-	-
अन्य / Others	-	-	-	-
कुल / Total	43,38,00,000	100.00	43,38,00,000	100.00

अनुसूची - 6/ SCHEDULE - 6

प्रारक्षित निधियाँ व अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	पूंजीगत प्रारक्षित निधि / Capital Reserve	-	-
2	पूंजीगत शोधन प्रारक्षित निधि / Capital Redemption Reserve	-	-
3	शेयर प्रीमियम / Share Premium	-	-
4	सामान्य प्रारक्षित निधि - प्रारंभिक जमा / General Reserve - Opening Balance	5284,83,87.58	3554,38,49.12
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during year	1725,24,64.55	1730,45,38.46
		7010,08,52.13	5284,83,87.58
	वर्ष के दौरान कटौती / Deduction during year	-	-
		7010,08,52.13	5284,83,87.58
5	आकस्मिक प्रारक्षित निधि / Catastrophe Reserve	-	-
6	फैक्टरिंग योजना प्रारक्षित निधि / Factoring Scheme Reserve	60,00,00.00	60,00,00.00
7	लाभ व हानि खाता में शेष / Balance in Profit & Loss Account	433,80,00.00	433,80,00.00
	कुल / TOTAL	7503,88,52.13	5778,63,87.58



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

अनुसूची - 7/ SCHEDULE - 7

उधार / BORROWINGS

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	डिबेंचर/ बॉन्ड / Debentures/Bonds	-	-
2	बैंक / Banks	-	-
3	वित्तीय संस्थान / Financial Institutions	-	-
4	अन्य / Others	-	-
	कुल / TOTAL	-	-

अनुसूची -8 / SCHEDULE -8

निवेश (शेयर धारक) / INVESTMENTS (SHAREHOLDER)

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	दीर्घावधि निवेश / LONG TERM INVESTMENTS		
	सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं ट्रेजरी बिल सहित सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	4033,62,23.53	2994,73,31.82
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other approved Securities	312,71,12.85	259,41,92.56
3	अन्य निवेश / Other Investments		
	क. शेयर		
	(a) Shares		
	कक. इक्विटी	1784,48,14.50	971,27,89.63
	(aa) Equity		
	खख. अधिमानित शेयर	-	-
	(bb) Preference Shares		
	ख. म्यूचुअल फंड	46,96,50.79	29,60,57.67
	(b) Mututal Funds		
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र	-	-
	(c) Derivative Instruments		
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड	1265,54,68.34	1085,23,47.05
	(d) Debentures/Bonds		
	ङ. अन्य प्रतिभूतियाँ (ट्रेप्स, सीपी, सीडी)	-	-
	(e) Other Securities (TREPS, CP, CD)		
	च. अनुषंगी संस्थाएं	-	-
	(f) Subsidiaries		
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन	-	-
	(g) Investment Properties-Real Estate		



क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	1757,99,56.11	1490,71,97.29
5	अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त Other than Approved Investments	92,25,73.93	84,78,72.62
	कुल (क) / Total (A)	9293,58,00.05	6915,77,88.64
	अल्पावधि निवेश / SHORT TERM INVESTMENTS		
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं ट्रेजरी बिल सहित सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	126,25,08.57	111,22,81.11
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	3,66,12.67	22,07,59.80
3	अन्य निवेश / Other Investments		
	क. शेयर (a) Shares		
	कक. इक्विटी (aa) Equity	-	-
	खख. अधिमानित शेयर (bb) Preference Shares	-	-
	ख. म्यूचुअल फंड (b) Mutual Funds	256,26,30.76	55,80,89.88
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र (c) Derivative Instruments	-	-
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड (d) Debentures/Bonds	136,16,27.37	56,62,73.96
	ङ. अन्य प्रतिभूतियाँ (ट्रेप्स, सीपी, सीडी) (e) Other Securities (TREPS, CP, CD)	39,62,91.54	66,48,20.40
	च. अनुषंगी संस्थाएं (f) Subsidiaries	-	-
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन (g) Investment Properties-Real Estate	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	115,25,35.06	65,81,89.86
5	अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त Other than Approved Investments	59,80,18.47	29,98,84.08
	कुल (ख) / Total (A)	737,02,24.44	408,02,99.09
	कुल (क + ख) / Total (A + B)	10030,60,24.49	7323,80,87.73
	नोट :- अनुसूची 8 एवं 8 अ की परिसंपत्तियों के लिए अनुसूची 14 के अंतर्गत दर्शाए गई संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Note:- Provision made for Doubtful Assets shown under Schedule 14 against Assets in Schedule 8 and Schedule 8A	98,49,81.11	105,43,93.57



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

अनुसूची - 8 अ / SCHEDULE - 8 A

निवेश (पॉलिसीधारक)/ INVESTMENTS (SHAREHOLDER)

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
	दीर्घावधि निवेश/LONG TERM INVESTMENTS		
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं ट्रेज़री बिल सहित सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	2578,87,33.08	2994,73,31.82
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other approved Securities	199,93,01.65	259,41,92.56
3	अन्य निवेश / Other Investments		
	क. शेयर (a) Share		
	कक. इक्विटी (aa) Equity	1140,89,79.77	971,27,89.63
	खख. अधिमानित शेयर (bb) Preference Shares	-	-
	ख. म्यूचुअल फंड (b) Mutual Funds	30,02,68.54	29,60,57.67
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र (c) Derivative Instruments	-	-
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड (d) Debentures/Bonds	809,12,01.07	1085,23,47.05
	ङ. अन्य प्रतिभूतियाँ (ट्रेप्स, सीपी, सीडी) (e) Other Securities (TREPS, CP, CD)	-	-
	च. अनुषंगी संस्थाएं (f) Subsidiaries	-	-
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन (g) Investment Properties-Real Estate	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	1123,96,44.07	1490,71,97.29
5	अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त Other than Approved Investments	58,98,42.35	84,78,72.62
	कुल (क) / Total (A)	5941,79,70.53	6915,77,88.64
	अल्पावधि निवेश / SHORT TERM INVESTMENTS		
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं ट्रेज़री बिल सहित सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	80,71,77.61	111,22,81.11
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other approved Securities	2,34,08.10	22,07,59.80
3	अन्य निवेश / Other Investments		
	(क) शेयर (a) Shares		
	(कक) इक्विटी (aa) Equity	-	-



क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
	(खख) अधिमानित शेयर (bb) Preference Shares	-	-
	ख. म्यूचुअल फंड (b) Mututal Funds	163,84,03.28	55,80,89.88
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र (c) Derivative Instruments	-	-
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड (d) Debentures/Bonds	87,05,48.64	56,62,73.96
	ङ. अन्य प्रतिभूतियाँ (ट्रेप्स, सीपी, सीडी) (e) Other Securities (TREPS, CP, CD)	25,33,66.72	66,48,20.40
	च. अनुषंगी संस्थाएं (f) Subsidiaries	-	-
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन (g) Investment Properties-Real Estate	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	73,68,66.67	65,81,89.86
5	अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त Other than Approved Investments	38,23,39.67	29,98,84.08
	कुल (ख) / Total (B)	471,21,10.69	408,02,99.09
	कुल (क + ख) / TOTAL (A + B)	6413,00,81.22	7323,80,87.73

अनुसूची - 9 / SCHEDULE - 9

ऋण / LOANS

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	प्रतिभूतिवार वर्गीकरण / SECURITY-WISE CLASSIFICATION		
	जमानती / Secured		
	(क) संपत्ति को बंधक रखने पर (a) On mortgage of property		
	(कक) भारत में / (aa) In India	-	-
	(खख) भारत के बाहर / (bb) Outside India	-	-
	(ख) शेयरों, बॉन्डों, सरकारी प्रतिभूतियों पर (b) On Shares, Bonds, Government Securities	-	-
	(ग) अन्य (c) Others	-	-
	गैर जमानती / Unsecured	-	-
	कुल / TOTAL	-	-



क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
2	लेनदारवार वर्गीकरण / BORROWER-WISE CLASSIFICATION		
	(क) केंद्र व राज्य सरकार (a) Central and State Governments	-	-
	(ख) बैंक व वित्तीय संस्थान (b) Banks and Financial Institutions	-	-
	(ग) अनुषंगी (c) Subsidiaries	-	-
	(घ) औद्योगिक उपक्रम (d) Industrial Undertakings	-	-
	(इ) अन्य (e) Others	-	-
	कुल / TOTAL	-	-
3	निष्पादनवार वर्गीकरण / PERFORMANCE-WISE CLASSIFICATION		
	(क) मानक के रूप में वर्गीकृत ऋण (a) Loans classified as standard		
	(कक) भारत में / (aa) In India	-	-
	(खख) भारत के बाहर / (bb) Outside India	-	-
	(ख) प्रावधानों को घटाकर अनर्जक ऋण (b) Non-performing loans less provisions		
	(कक) भारत में / (aa) In India	-	-
	(खख) भारत के बाहर / (bb) Outside India	-	-
	कुल / TOTAL	-	-
4	परिपक्वता आधारित वर्गीकरण / MATURITY -WISE CLASSIFICATION		
	(क) अल्पावधि / (a) Short Term	-	-
	(ख) दीर्घावधि / (b) Long Term	-	-
	कुल / TOTAL	-	-


अनुसूची 10 / SCHEDULE 10
अचल परिसंपत्तियाँ / FIXED ASSETS

आंकड़े ₹ '000 में / Figures in ₹ '000

क्र. सं. S. No.		विवरण Particulars	सकल ब्लॉक / Gross Block				मूल्यहास / Depreciation				निवल ब्लॉक / Net Block	
		प्रारंभिक Opening	परिवर्धन Additions	कटौतियाँ Deductions	अंतिम Closing	31.03.2023 तक Up to 31.03.2023	वर्ष के लिए For the Year	बिक्री पर/समायोजन On Sale / Adjustments	दिनांक तक To date	31.03.2024 तक As at 31.03.2024	31.03.2023 तक As at 31.03.2023	
1		साख / Good Will	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2		अमूर्त Intangibles	8,15,57.81	-	-	8,15,57.81	48,15.67	-	7,51,55.76	64,02.05	1,12,17.72	
3		भूमि-पूर्ण स्वामित्व वाली Land - Free Hold	74,81,52.33	-	-	74,81,52.33	-	-	-	74,81,52.33	74,81,52.33	
4		पट्टे पर ली गई संपत्ति / Leasehold Property	60,58,30.10	-	-	60,58,30.10	1,88,44.43	-	11,57,86.59	49,00,43.51	50,88,87.94	
5		भवन / Building	157,85,12.22	6,27,32.31	-	164,12,44.53	2,76,27.86	(3,10.99)	21,00,38.96	143,12,05.57	139,64,12.11	
6		फर्नीचर तथा फिटिंग Furniture and Fittings	27,23,64.01	6,33,19.14	2,30,78.24	31,26,04.91	2,07,95.20	2,24,39.51	13,52,02.37	17,74,02.54	13,55,17.33	
7		सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण Information Technology Equipment	15,29,22.48	1,60,38.84	1,64,52.95	15,25,08.37	1,81,07.62	1,64,52.95	12,00,77.95	3,24,30.42	3,44,99.20	
8		वाहन / Vehicles	9,33,03.03	-	14,74.11	9,18,28.92	2,79,27.04	14,74.11	3,73,41.24	5,44,87.68	6,53,75.99	
9		कार्यालयीन उपकरण Office Equipment	8,54,86.17	1,74,72.66	64,73.37	9,64,85.46	61,76.81	64,61.55	7,15,75.72	2,49,09.74	1,36,25.71	
10		विद्युत स्थापना एवं यंत्र Electrical Installations and Equipment	9,10,62.68	-	-	9,10,62.68	87,54.11	35,42.71	1,22,96.82	7,87,65.86	8,39,77.26	
कुल / Total		370,91,90.83	15,95,62.95	4,74,78.67	382,12,75.11	71,15,25.24	11,60,10.01	5,00,59.84	77,74,75.41	304,37,99.70	299,76,65.59	
प्रगतिरत कार्य Work in Progress										101,29,54.64	73,71,22.82	
कुल योग / Grand Total		370,91,90.83	15,95,62.95	4,74,78.67	382,12,75.11	71,15,25.24	11,60,10.01	5,00,59.84	77,74,75.41	405,67,54.34	373,47,88.41	
पिछले वर्ष Previous Year		247,22,12.70	136,28,61.92	12,58,83.79	370,91,90.83	74,34,49.44	9,32,42.63	12,51,66.83	71,15,25.24	373,47,88.41	326,53,19.69	



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

अनुसूची - 11 / SCHEDULE - 11

नकदी व बैंक शेष / CASH AND BANK BALANCES

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	नकद (चेक, ड्राफ्ट अथवा स्टैम्प सहित) Cash (including cheques, drafts and stamps)	1,59.98	58,74.09
2	बैंक शेष / Bank Balances		
	(क) जमा खाते (a) Deposit Accounts		
	(कक) अल्पावधि (12 महीनों के भीतर देय): (aa) Short Term (due within 12 months):		
	बैंकों के पास / With Banks	1127,80,00.00	1614,24,00.00
	वित्तीय संस्थानों के पास / With Financial Institutions	-	-
	(खख) अन्य (bb) Others		
	बैंकों के पास / With Banks	103,00,00.00	-
	वित्तीय संस्थानों के पास / With Financial Institution	-	-
	(ख) चालू खाता (b) Current Accounts	31,14,45.74	8,80,65.16
	(ग) अन्य - भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष (c) Others - Balance with Reserve Bank of India	1,00.00	1,00.00
	कुल/TOTAL	1261,97,05.72	1623,64,39.25

अनुसूची - 12 / SCHEDULE - 12

अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ / ADVANCES AND OTHER ASSETS

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
	अग्रिम / ADVANCES		
1	सीडिंग कंपनियों के पास जमा प्रारक्षित निधियाँ Reserve deposits with ceding companies	-	-
2	निवेशों के लिए आवेदन राशि Application money for investments	-	-
3	समय पूर्व भुगतान Prepayments	7,94,17.43	11,57,04.72
4	निदेशकों को अग्रिम Advance to Directors	-	-
5	प्रदत्त अग्रिम कर तथा स्रोत पर कर (कराधान के लिए शुद्ध प्रावधान) Advance Tax paid and taxes deducted at source (Net of provision for taxation)	255,55,92.50	269,22,97.74
6	कर्मचारियों को अग्रिम Advances to Employees	20,85,32.58	22,18,80.74



क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
7	व्ययों के लिए अग्रिम Advance for Expenses	3,97,35.59	18,05,00.07
	कुल (क) / TOTAL (A)	288,32,78.10	321,03,83.27
	अन्य परिसंपत्तियाँ / OTHER ASSETS		
1	निवेशों पर उपार्जित आय Income accrued on Investments	382,60,14.89	365,62,84.47
2	बकाया प्रीमियम / Outstanding Premiums	-	-
3	एजेंटों के शेष / Agents' Balances	-	-
4	विदेशी एजेंसियों के शेष / Foreign Agencies Balances	-	-
5	बीमा कारोबार करने वाली (पुनर्बीमा सहित) अन इकाइयों से देय Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers)	217,19,97.96	210,01,84.89
6	अनुषंगी/धारक इकाइयों से देय Due from subsidiaries/holding	-	-
7	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा (बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अनुरूप) Deposit with Reserve Bank of India (Pursuant to section 7 of Insurance Act, 1938)	-	-
8	आवास ऋण पर उपार्जित ब्याज Interest accrued on Housing Loan	1,00,93.84	1,22,27.74
9	विविध देनदार- / Sundry Debtors-		
	मानक परिसंपत्तियाँ / Standard Asset	2,14,06.30	1,53,44.28
	घटाएँ : मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Less : Provision for Standard Asset	85.63	61.38
	(I)	2,13,20.67	1,52,82.90
	अवमानक परिसंपत्तियाँ Sub - Standard Asset	-	-
	घटाएँ : अवमानक परिसंपत्तियों हेतु प्रावधान Less : Provision for Sub - Standard Asset	-	-
	(II)	-	-
	संदिग्ध परिसंपत्तियाँ / Doubtful Asset	7,04,26.80	7,04,26.80
	घटाएँ : संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Less : Provision for Doubtful Asset	7,04,26.80	7,04,26.80
	(III)	-	-
	(I + II + III)	2,13,20.67	1,52,82.90
10	अन्यों से वसूली योग्य राशि Amount Recoverable from others	161,90,81.46	133,42,26.06
	घटाएँ : संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान Less: Provision for Doubtful Recovery	94,71.30	94,71.30
		160,96,10.16	132,47,54.76



क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
11	विविध जमाएँ / Sundry Deposits 78,21,97.57 घटाएँ : सदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान - Less : Provision for Doubtful Debts		74,41,13.32 -
	78,21,97.57	78,21,97.57	74,41,13.32
12	पॉलिसीधारकों की परिसंपत्तियों हेतु अदावित राशि 1,54,94.64 Unclaimed Amount for Policyholder Assets जोड़ें : पॉलिसी धारकों की परिसंपत्तियों की अदावित राशि पर ब्याज 69,03.74 Add: Interest earned on Unclaimed Amount for Policyholder Assets		1,54,94.65 53,83.93
	2,23,98.38	2,23,98.38	2,08,78.58
13	भारत सरकार की ओर से ए टी आई भागीदारी ATI Participation on behalf of Govt. of India	88,88,43.28	86,97,38.03
	कुल (ख) / TOTAL (B)	933,24,76.75	874,34,64.69
	कुल (क+ख) / TOTAL (A+B)	1221,57,54.85	1195,38,47.96

अनुसूची - 13 / SCHEDULE - 13

वर्तमान देयता / CURRENT LIABILITIES

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	एजेंटों का शेष / Agents' Balances	-	-
2	अन्य बीमा कंपनियों को देय शेष Balances due to other Insurance Companies	82,38,63.70	80,66,45.93
3	सौंपे गए पुनर्बीमा पर जमा / Deposits held on re-insurance ceded	-	-
4	अग्रिम प्राप्त प्रीमियम / Premiums received in advance	233,94,43.38	234,10,32.83
5	अनाबंटित प्रीमियम / Unallocated Premium	43,38,46.38	38,88,10.85
6	पॉलिसीधारकों की अदावित राशि 1,11,64.57 Unclaimed Amount of Policyholders जोड़ें : पॉलिसी धारकों की अदावित राशि से अर्जित ब्याज 49,66.24 Add: Interest earned on Unclaimed Amount of Policyholders		1,40,10.74 43,39.68
	1,61,30.81	1,61,30.81	1,83,50.42
7	विविध लेनदार / Sundry Creditors	86,93,04.57	79,92,94.81
8	अनुषंगी/धारक कंपनी को देय / Due to subsidiaries/holding company	-	-
9	बकाया दावे / Claims outstanding	4699,74,56.98	5929,31,09.23
10	कर्मचारियों को देय / Due to Employees	45,08,78.15	10,56,49.00
11	अन्य / Others		
	- एन ई आई ए / - NEIA	11,38,57.00	12,81,97.53
	- फ़ैक्टरिंग / - Factoring	40,27.15	28,34.60
	- विविध / - Miscellaneous	7,23,92.43	3,09,70.59
	- जी एस टी/सेवा कर देयता / - GST Liability	1,11,18.49	91,51.73
	कुल / TOTAL	5213,23,19.04	6392,40,47.52



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

अनुसूची -14 / SCHEDULE -14
प्रावधान / PROVISIONS

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित Reserve for Unexpired Risk	589,81,21.46	489,95,21.18
2	प्रीमियम में कमी के लिए प्रारक्षित Reserve for Premium Deficiency	-	-
3	कराधान के लिए For Taxation		
	-आय कर(अग्रिम कर को घटा कर) - Income Tax (Net of Advance Tax)	-	-
4	प्रस्तावित लाभांशों के लिए For Proposed Dividends	-	-
5	लाभांश वितरण कर के लिए For Dividend distribution Tax	-	-
6	सेवानिवृत्ति सुविधाओं के लिए For Retirement Benefits		
	- छुट्टी का नकदीकरण एवं लंबी सेवा - Leave Encashment & Long Service	61,10,51.58	56,66,73.75
	- ग्रेच्युटी - Gratuity	1,66,35.51	1,43,21.58
	- पेंशन - Pension	28,97,42.87	34,87,69.63
7	कम कारोबार वाले शेयरों के लिए For Thinly Traded Shares	-	-
8	निवेश परिसम्पत्तियों के लिए For Investment Assets	98,49,81.11	105,43,93.57
	कुल / TOTAL	780,05,32.53	688,36,79.71

अनुसूची -15 / SCHEDULE -15
विविध व्यय / MISCELLANEOUS EXPENDITURE

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पूर्व की अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	शेयर/डिबेंचरों को जारी करने के लिए मंजूर छूट Discount Allowed in issue of shares/debentures	-	-
2	अन्य / Others	-	-
	कुल / TOTAL	-	-



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

अनुसूची 16 / SCHEDULE 16

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ / SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. लेखा प्रणाली

1.1 ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के साथ पढ़े जाने वाले बीमा अधिनियम 1938 की धारा 11(1) के नियामक प्रावधानों, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के अधीन निर्मित विनियमों के अनुसरण में तैयार किए गए हैं। ये वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा ना कहा जाए, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करने) विनियमन 2002 के अनुपालन में प्रचलित लागत प्रथा एवं उपचयित आधार पर तैयार किए गए हैं तथा कंपनी (लेखा) नियम के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम 2013 के अनुभाग 133 एवं बीमा उद्योग में प्रचलित प्रथाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

1.2 अनुमानों का उपयोग:

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन को अनुमान व पूर्वानुमान करने होते हैं, जिनका प्रभाव, रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों तथा देयताओं की राशि तथा वित्तीय विवरणों की तारीख तक आकस्मिक देयताओं से संबंधित प्रकटनों व रिपोर्ट अवधि के दौरान, रिपोर्ट किए गए राजस्व व व्ययों की राशि पर पड़ेगा। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न भी हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम तथा अनुमानों के मध्य के अंतर का पता तब चलेगा, जब इनके परिणाम ज्ञात होंगे / सामने आएंगे।

2. अचल संपत्ति तथा मूल्य हास

- 2.1 अचल संपत्तियों का अंकन अधिग्रहण के मूल्य में से संचित मूल्य हास को कम किया गया है।
- 2.2 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार प्रासंगिक दरों पर सीधी कटौती प्रणाली आधार पर मूल्य हास की गणना की गई है। वर्ष के दौरान शामिल की गई/ निपटान की गई परिसंपत्तियों के मूल्य हास की गणना उन्हें शामिल किए जाने / निपटान की तारीख के संदर्भ में यथानुपातिक आधार पर की गई है। परिसंपत्तियों का पूर्ण मूल्य हास उनका उपयोग की गई अवधि के दौरान हुआ है।
- 2.3 पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों का परिशोधन पट्टे की अवधि के दौरान किया गया है।
- 2.4 वह कंप्यूटर हार्डवेयर जिसमें कि सॉफ्टवेयर पहले से अपलोडेड है वह हार्डवेयर का अभिन्न अंग होते हैं तथा नए खरीदे गए हार्डवेयर को लोड करने के लिए खरीदे गए सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के साथ पूंजीकृत किया गया है।
- 2.5 कंपनी के लेखा मानक नियम 2006 द्वारा जारी ए एस - 26 - अमूर्त परिसंपत्तियाँ - के मान्यताप्राप्त मानदंडों को पूर्ण करने वाले सॉफ्टवेयर विकास तथा अधिग्रहण मूल्य, को "अमूर्त" शीर्ष के अधीन पूंजीकृत किया गया है तथा उसे 5 वर्षों की अधिकतम अवधि के अधीन परिसंपत्तियों के उपयोग किए गए समय के दौरान सीधी कटौती प्रणाली पर परिशोधित किया गया है।
- 2.6 चालू स्थिति वाली परियोजनाओं को पूंजीकृत कार्य प्रगति पर

1. ACCOUNTING CONVENTION

1.1 The financial statements are drawn up in accordance with the Regulatory provisions of section 11(1) of the Insurance Act, 1938; regulations framed under Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, read with the applicable provisions of the Companies Act, 2013. These financial statements prepared under the historical cost convention and on accrual basis, comply with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of financial statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation 2002 and are in conformity with the requirements of Accounting Standards prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and conform to practices prevailing in the credit insurance industry unless otherwise stated.

1.2 USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosures relating to contingent liabilities as at the date of financial statements and reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from these estimates. Difference between the actual result and estimates are recognized in periods in which the results are known / materialised.

2. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

- 2.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition less depreciation.
- 2.2 Depreciation is provided on straight-line method at the relevant rates as per Schedule II to the Companies Act, 2013. Assets added/disposed off during the year are depreciated on a pro-rata basis with reference to the date of addition/disposal. Assets are depreciated fully during the course of its useful life.
- 2.3 Leased Assets are amortised over the period of lease.
- 2.4 The computer software forming integral part of hardware which comprises pre-loaded software and the software procured for loading in the newly bought-out hardware is capitalized along with the hardware.
- 2.5 The Software development and acquisition costs which meet the recognition criteria of AS 26 Intangible Assets issued by Companies Accounting



(सीडबल्यूआईपी) के रूप में दर्शाया गया है जो कि अग्रिम एवं प्रत्यक्ष लागत सहित ठेकेदारों को किए गए भुगतानों को दर्शाते हैं।

3. हानि

हानि के किसी भी संकेत की जानकारी प्राप्त करने के लिए परिसम्पत्तियों पर वहन की जाने वाली राशि की प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को समीक्षा की जाती है। हानि का संकेत प्राप्त होने पर संपत्ति पर वसूली योग्य राशि की गणना की जाती है। यदि संपत्ति पर वहन की जाने वाली कोई भी राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है, तो इसे हानि माना जाता है।

4. निवेश

- 4.1 अल्ट्रावधि मुद्रा बाज़ार उपकरण यथा वाणिज्यिक पत्रों एवं जमा प्रमाण पत्रों को उनकी छूट प्राप्त कीमत पर दर्शाया गया है एवं अर्जित आय में से अधिग्रहण लागत तथा छूट कीमत को समय के आधार पर विभाजित किया गया है।
- 4.2 शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर इत्यादि की खरीद एवं बिक्री के लिए संविदा को लेनदेन की तारीख पर "निवेश" के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।
- 4.3 निवेश की लागत में अधिग्रहण पर प्रीमियम, ब्रोकरेज, स्थानांतरण टिकट, स्थानांतरण शुल्क इत्यादि शामिल हैं एवं यह, उस पर प्राप्त प्रोत्साहन / शुल्क, यदि कोई हो तो, का निवल है।
- 4.4 लाभांश को घोषणा वर्ष में आय में शामिल किया गया है। वसूली पर आपत्ति / सुपुर्दगी के लिए लंबित शेयर्स पर लाभांश / डिबेंचरों पर ब्याज की गणना की गई है। अन्तरिम लाभांश की गणना 31 मार्च अथवा उससे पहले के वारंटों के लिए की गई है।
- 4.5 निवेशों की आय पर लाभ / हानि का आंकलन, सरकार की प्रतिभूतियों, जिन्हें परिपक्वता अवधि तक रखा जाता है के अलावा उन निवेशों के मूल्य को भारित औसत बही मूल्य के आधार पर किया गया है तथा इस प्रकार के निवेशों पर लाभ / हानि की गणना क्रय क्रम मूल्यन विधि (फिफो) के आधार पर की गई है।
- 4.6 सरकार की प्रतिभूतियों, ऋण प्रतिभूतियों तथा प्रतिदेय अधिमान शेयरों को परिपक्वता तक रखने योग्य माना गया है व उनकी गणना मूल्य लागत तक आँका गया है। तथापि बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण विनियमों की शर्तों के अधीन प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय अदा किए गए प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की अवशिष्ट अवधि के लिए किया गया है।
- 4.7 क) म्युचुअल फंडों में निवेशों की गणना वर्ष के अंत तक निवल आस्ति मूल्य (एन ए वी) पर की गई है तथा मूल्य / बही मूल्य तथा एन ए वी के मध्य के अंतर की गणना उचित मूल्य परिवर्तन खाते में की गई है। तथापि यदि मूल्य में किसी प्रकार की हानि पाई गई तो उसे राजस्व से प्रभारित किया गया है तथा निवेश के बही मूल्य को तदनुसार घटाया गया है। यदि पहले पाई गई हानि में किसी प्रकार का प्रत्यावर्तन पाया गया तो उसे पहले पाई गई हानि में कटौती की सीमा तक राजस्व में शामिल किया जाएगा।
- ख) तुलन पत्र की तारीख तक यदि एन ए वी उपलब्ध न हो तो निवेश को लागत मूल्य तक दर्शाया गया है।
- 4.8 क) इक्विटी / इक्विटी संबन्धित साधनों के संबंध में निवेश पोर्टफोलियो को बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण

Standard Rules, 2006 are capitalised under the head "Intangibles" and amortised on a straight-line basis over the useful life of the Asset subject to a maximum period of 5 years.

- 2.6 Projects under commissioning are carried forward at cost as Capital Work-in-Progress (CWIP) and represents payments made to contractors including advances and directly attributable cost.

3. IMPAIRMENTS

The carrying amounts of assets are reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any indications exist, the assets recoverable amount is estimated. An impairment loss is recognized wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.

4. INVESTMENTS

- 4.1 Short Term Money Market Instruments such as Commercial Papers and Certificate of Deposit, are shown at their discounted value and the difference between the acquisition cost and the redemption value is apportioned on time basis and recognised as accrued income.
- 4.2 Contracts for purchase and sale of shares, bonds, debentures, etc., are accounted for as "Investments" as on date of Transaction.
- 4.3 The cost of investments include premium on acquisition, expenses like brokerage, transfer stamps, transfer charges, etc., and is net of incentive/fee if any, received thereon.
- 4.4 Dividend is accounted for as income in the year of declaration. Dividend on shares/interest on debentures under objection/pending delivery is accounted for, on realisation. Interim dividend is accounted where the warrants are dated 31st March or earlier.
- 4.5 Profit/Loss on realisation of investments is computed by taking Weighted Average Book Value as cost of investments except Government Securities which are held to maturity and profit/loss on such investments are worked out on First In First Out Basis (FIFO).
- 4.6 Investment in Government Securities, debt securities and redeemable preference shares are considered as held till maturity and valued at cost. However, in terms of Insurance Regulatory and Development Authority Regulations the premium paid at the time of acquisition of securities is amortised over the residual period of maturity.
- 4.7 a) Investments in Mutual Fund/s are valued at Net Asset Value (NAV) at the year-end and the difference between cost/book value and NAV is accounted in Fair Value Change Account. However, if there is impairment in value, the same is charged to Revenue and the book value of investment is reduced accordingly. Any reversal of impairment loss



विनियमों द्वारा निर्धारित अनुसार वृद्धिशील व्यापारित एवं अल्प व्यापारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एन एस ई तथा बी एस ई दोनों में मार्च माह के दौरान किए गए संव्यवहारों के आधार पर शेयरों को अल्प व्यापारित माना गया है।

- ख) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी / इक्विटी संबंधित साधनों के मूल्य का अंकन आई आर डी ए के दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाएगा। इक्विटी निवेशों के मूल्यांकन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एन एस ई) जो कि प्राथमिक एक्सचेंज माना गया है, पर अंतिम मूल्य कोट के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी साधन को एन एस ई में कोट नहीं किया गया है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बी एस ई) (गौण एक्सचेंज) में लगे अंतिम कोट को मूल्यांकन के लिए आधार लिया जाएगा। भारत औसत मूल्य तथा कोट किए गए मूल्य के मध्य के अंतर को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लिया जाता है।
- 4.9 अल्प व्यापारित इक्विटियों तथा असूचीबद्ध इक्विटियों में किए गए निवेशों को लागत मूल्य में दर्शाया गया है। तथापि लागत व विश्लेषित लागत के अंतर का प्रावधान मूल्य में कमी किया गया है। यह भी कि पिछले तीन लेखा वर्षों के लिए अल्प व्यापारित/ असूचीबद्ध शेयरों के लिए प्रावधान करने की तारीख के तत्काल पहले असूचीबद्ध कंपनियों के प्रकाशित लेखे उपलब्ध नहीं हैं अथवा विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो सम्पूर्ण मूल्य के लिए प्रावधान किया गया है।
- 4.10 सूचीबद्ध इक्विटियों / इक्विटी संबंधित साधनों / अधिमानित शेयरों के रूप में लगातार तीन वर्षों से हानिग्रस्त कंपनियों में किया गया निवेश पूंजी का हास हो रहा हो, तो ऐसे निवेशों को मूल्य में हानि माना गया है। यदि लगातार पिछले तीन लेखा वर्षों की समाप्ति पर अथवा मूल्य में हानि के मूल्यांकन की तारीख के तत्काल पूर्व के कंपनी के प्रकाशित लेखे उपलब्ध न होने की स्थिति में निवेशों के मूल्य की पूर्ण हानि मानी गई है तथा 1/- रु प्रति कंपनी के हिसाब से नाम मात्र मूल्य पर उसे बढ़े खाते में डाला गया है।
- 4.11 क) निवेशों के मूल्यांकन को मूल्य में हानियुक्त मानते हुए उनकी निम्नानुसार गणना की गई :
- अ) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी शेयर्स के संबंध में:- लागत मूल्य की न्यूनतम राशि, बाजार मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य बशर्ते कि विश्लेषित मूल्य धनात्मक है। तथापि यदि विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है, तो प्रति कंपनी का नाम मात्र मूल्य 1/- रु लिया गया है।
- आ) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी शेयर्स के अलावा अन्य के संबंध में :- लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य की न्यूनतम राशि, बशर्ते कि विश्लेषित मूल्य धनात्मक हो। तथापि यदि विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो प्रति कंपनी का नाम मात्र मूल्य 1/- रु लिया गया।
- इ) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी शेयर्स के अलावा अन्य के संबंध में :- लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य की न्यूनतम राशि, बशर्ते कि विश्लेषित मूल्य धनात्मक हो। तथापि यदि विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो प्रति कंपनी का नाम मात्र मूल्य 1/- रु लिया गया।
- ई) अधिमानित शेयर्स के मामले में, यदि पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभांश प्राप्त नहीं हुआ हो तो :- अधिमानित शेयर्स के मूल्य हास की गणना उनके अंकित मूल्य के आधार उसी अनुपात में किया

earlier recognised, shall be taken to revenue to the extent of reduction in impairment recognised earlier.

- b) In case of non-availability of NAV as at the Balance Sheet date, investment is shown at cost.
- 4.8 a) Investment Portfolio in respect of Equity/Equity related instruments are segregated into Actively Traded and Thinly Traded as prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority Regulations. The shares are treated as thinly traded by taking into consideration transactions in the month of March on both NSE and BSE.
- b) Actively Traded Equity/Equity related instruments will be valued as per IRDA guidelines. The equity investments will be valued at the last quoted closing prices on the National Stock Exchange (NSE) which will be the primary exchange. If any of the instruments is not quoted on NSE, then the last quoted closing price on the Bombay Stock Exchange (BSE) (as secondary exchange) will be taken for valuation. The difference between weighted average cost and quoted value is accounted in Fair Value Change Account.
- 4.9 Investment in thinly traded Equity shares and unlisted equity shares are shown at cost. However, difference between cost and break-up value is provided for as diminution in value. Further, if the published accounts of an unlisted Company are not available for last three accounting years ending on or immediately preceding the date of working out provision for thinly/unlisted shares or if the break-up value is negative then the provision is made for the entire cost.
- 4.10 Investment in Listed Equity/Equity related instruments/Preference shares made in those Companies, which are making losses continuously for last three years and where capital is eroded, are considered to have Impairment in value. Further, if the published accounts of a Company are not available for last three accounting years ending on or immediately preceding the date of working out Impairment in value, it is presumed that the value of investments is fully impaired and is written off to a nominal value of Re 1/- per Company.
- 4.11 A) Valuation of investments considered to have impairment in value is done as under:
- a) In respect of Actively Traded Equity shares: - Least of Cost Price, Market Price or Break-up Value provided Break-up Value is positive. However, if the Break-up Value is negative the nominal value is taken at Rs. 1/- per Company.
- b) In respect of Other Than Actively Traded Equity Shares: - Lower of Cost Price or Break-up Value provided Break-up Value is positive. However, if Break-up Value is negative the nominal value is taken at Rs. 1/- per Company.



जाएगा जिस अनुपात में इक्विटी शेयर्स के अंकित मूल्य के आधार पर मूल्य की गणना की गई / इक्विटी शेयर्स के मूल्यहास के मूल्य की गणना की जाती। तथापि यदि इक्विटी शेयर्स को 1/- रु प्रति कंपनी के हिसाब से बढ़े खाते में डाला गया है, तो अधिमानित शेयर्स को भी 1/- रु प्रति कंपनी के हिसाब से बढ़े खाते में डाला जाएगा।

ख) एक बार जब उपरोक्त उल्लिखित नीति के अनुसार सूचीबद्ध शेयर/ इक्विटी संबंधित साधनों / अधिमानित शेयर्स में निवेशों के मूल्य हानि की गणना की गई हो, तो इस प्रकार की हानियों के प्रत्यावर्तन को केवल तब राजस्व / लाभ व हानि खाते में शामिल किया गया जब निवेश की गई कंपनियों की हानियाँ पूर्ण रूप से समाप्त हो गई हों व उपलब्ध नवीनतम प्रकाशित लेखों के अनुसार अथवा प्रत्यावर्तन के तत्काल पहले की तारीख को उसकी पूंजी पुनः स्थापित की गई।

4.12 रिवर्स रेपो संव्यवहारों को सुरक्षित ऋण संव्यवहार माना जाता है तथा तदनुसार वित्तीय विवरणों में उनका प्रकटन किया गया है। संव्यवहारों के प्रथम (1ले) व द्वितीय (2रे) चरण के कुल आगम के अंतर को आय माना गया है।

4.13 "ट्राई पार्टी रेपो प्रणाली (ट्रेप्स)", जिसे अंकित मूल्य में छूट पर जारी किया जाता है, को भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार मुद्रा बाज़ार का उपकरण माना जाता है। ट्रेप्स के जरिए ऋण पर अर्जित छूट को आय में दर्शाया गया है तथा उसका सामयिक आधार पर प्रभाजन किया गया है।

4.14 क) अप्राप्त लाभ, सूचीबद्ध इक्विटी शेयर्स के अंकित मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण उत्पन्न हानि को "अंकित मूल्य परिवर्तन खाता" शीर्ष में शामिल किया गया है तथा उसकी उगाही पर उसे लाभ व हानि खाते में रिपोर्ट किया गया है।

ख) उगाही के लिए लंबित, "अंकित मूल्य परिवर्तन खाता" में ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

4.15 "शेयरधारकों" एवं "पॉलिसीधारकों" की निधियों में निवेशों का आबंटन :- महत्वपूर्ण लेखा नीति (पैरा सं) 10.2 में उल्लिखित अनुसार वित्तीय वर्ष के आरंभ में कंपनी के निवेशों को अनुसूची 8 व 8क में क्रमशः "शेयरधारकों की निधियाँ" व "पॉलिसीधारकों की निधियाँ" शीर्ष "शेयरधारकों" व "पॉलिसीधारकों" की निधि में आबंटित किया गया है।

4.16 कंपनी द्वारा आस्ति वर्गीकरण, आय की मान्यता तथा ऋणों/ अग्रिमों / डिबेंचरों से संबंधित प्रावधान के संबंध में बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई)/ भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन किया जाता है।

5. प्रीमियम आय

कंपनी द्वारा भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण आई आर डी ए आई के निर्देशों के अनुसार अपने पत्र संख्या एफएनए/जीईसी/एलआर/001/2013-14/12, दिनांक 30 जनवरी, 2014, का पालन करते हुए के अनुसार मार्च के माह के दौरान निर्यातकों द्वारा किए गए पोटलदानों/ बैंकों द्वारा वितरित निर्यात ऋण से संबंधित जोखिम एवं प्रीमियम आय की चिन्हित आगामी वर्ष दौरान की गई है।

6. असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधि

वर्ष के दौरान असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षण निवल

c) In respect of preference shares, if the dividend is not received for the last three years: - The preference shares are written down to a value which will bear to its face value, the same proportion as value taken/which would have been taken for writing down equity shares bears to the face value of the equity shares. However, if the equity shares are written off to Re.1/- per Company, preference shares also will be written off to a nominal value of Re. 1/- per Company.

B) Once the value of investment in listed equity/equity related instruments/preference shares is impaired in accordance with the above mentioned policy, the reversal of such impairment losses are recognised in revenue/profit & loss account only when the accumulated losses of such investee companies are completely wiped out and capital is fully restored as per the latest available published accounts on or immediately preceding the date of working out the reversal.

4.12 REVERSE REPO Transactions are treated as secured lending transactions and accordingly disclosed in the financial statements. The difference between total consideration at the 1st and 2nd leg of the transaction is treated as income.

4.13 "TriParty Repo System (TREPS), which is issued at Discount to the Face Value, is treated as Money Market Instrument as per Reserve Bank of India Notification. Discount earned at the time of lending through TREPS is shown as income, which is apportioned on time basis.

4.14 a) Unrealised gain, losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares are taken under the head "Fair Value Change Account" and on realisation reported in profit and loss account. b) Pending realisation, the credit balance in the "Fair Value Change Account" is not available for distribution.

4.15 "Allocation of Investments into Shareholders' & Policyholders' Funds": Investments of the Company are allocated to Shareholders' and Policyholders' funds as presented in schedule 8 and 8a in the ratio of Shareholders' Fund and Policyholders' Fund respectively as at the beginning of the financial year as stated in Significant Accounting Policy (para) No.10.2

4.16 The Company follows the prudential norms prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA)/related Reserve Bank of India (RBI) guidelines as regards asset classification, recognition of income and provisioning pertaining to loans/ advances/debentures.

5. PREMIUM INCOME

Premium Income is recognised on assumption of



प्रीमियम आय के 50% का प्रावधान किया गया है।

7. प्रीमियम में कमी

प्रीमियम में कमी उस समय पहचानी जाती है जब अपेक्षित दावा मूल्य तथा संबन्धित व्ययों का योग असमाप्त जोखिमों के लिए निर्धारित प्रारक्षित निशियों से अधिक हो।

8. बकाया दावों के लिए आरक्षित निधियाँ

8.1 अल्पावधि रक्षा (एसटी) के अंतर्गत संसाधित बकाया दावों एवं मध्यम तथा दीर्घावधि रक्षा के अंतर्गत सभी बकाया दावों के मामले में रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया दावों के लिए आरक्षित राशि को देय अनुमानित राशि के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अल्पावधि रक्षा के अंतर्गत उन बकाया दावों के लिए जिन पर प्रक्रिया शेष हो पूर्ववर्ती वर्षों के दावे के भुगतान के अनुभव के बीमांकिक विश्लेषण के आधार, पर औसत आवक दर पर प्रावधान किया जाएगा। इस प्रकार के प्रावधान को आगे की जानकारी/समर्थक दस्तावेजों की जांच की उपलब्धता पर उपयुक्त परिवर्तनों के लिए उत्तरोत्तर संशोधित किया जाता है।

8.2 इसके अतिरिक्त, दावे किए गए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए (आई बी एन आर) के लिए प्रावधान, दावे किए गए लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं (आई बी एन ई आर) के लिए प्रावधान का वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार गणना की जाती है।

8.3 निम्नलिखित दावों के लिए किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है जिन्हें आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है:

(i) कंपनी द्वारा नामंजूर किए गए एवं ऐसे दावों जिन पर प्रतिकूल निर्णय लिया गया है, जिनके संबंध में कानूनी कार्रवाई एवं/अथवा मध्यस्थता प्रारंभ की गई है, को ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। दावित अथवा प्रदत्त अथवा वित्तीय वर्ष के अंत तक लागू ब्याज, जैसे भी मामला हो, को कंपनी द्वारा आकस्मिक देयता माना जाएगा।

(ii) बैंकों द्वारा अधिमानित उनके द्वारा पुष्टि किए गए दावे जहां बकाया राशि की वसूली के लिये समझौता प्रस्तावों पर चर्चा चल रही हो, ऐसे दावों के लिए दावा प्रावधान नहीं किया गया है।

9. पुनर्बीमा

कंपनी द्वारा भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण आई आर डी ए आई के निर्देशों के अनुसार अपने पत्र संख्या एफएनए/जीईसी/एलआर/001/2013-14/12, दिनांक 30 जनवरी, 2014, का पालन करते हुए के अनुसार मार्च के माह के दौरान निर्यातकों द्वारा किए गए पोतलदानों / बैंकों द्वारा वितरित निर्यात ऋण से संबंधित जोखिम एवं प्रीमियम आय की चिन्हित आगामी वर्ष दौरान की गई है।

9.1 जोखिम के अधिग्रहण पर बीमा प्रीमियम का निर्धारण जोखिम के आरंभ होने वाले वर्ष से किया गया है। सौंपे गए प्रीमियम में किसी भी अनुवर्ती संशोधन को ऐसे संशोधन के वर्ष में मान्यता प्रदान की जाती है। पॉलिसियों को रद्द करने पर उत्पन्न होने वाले पुनर्बीमा प्रीमियम के समायोजन को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष के दौरान इसे रद्द किया जाता है।

9.2 सौंपे गए पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि में आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जिस वर्ष के दौरान पुनर्बीमा प्रीमियम की अदायगी की जाती है।

risk. The assumption of risk and the premium income, relating to shipments made by the exporters/export credits disbursed by banks in the month of March is recognised in the subsequent year as per the directions of IRDAI vide its letter no. FNA/GEC/LR/001/2013-14/12 dated 30th January, 2014, and the same is consistently followed.

6. RESERVE FOR UNEXPIRED RISKS

Reserve for unexpired risks is created at 50% of net premium income for the year.

7. PREMIUM DEFICIENCY

Premium deficiency is recognised when the sum of expected claim costs and related expenses exceed the reserve for un-expired risks.

8. RESERVE FOR OUTSTANDING CLAIMS

8.1 In case of processed outstanding claims under Short Term (ST) covers and in case of all outstanding claims under Medium and Long Term covers the reserve for outstanding claims on the reporting date is recognised as the amount estimated as payable. For the outstanding claims that are yet to be processed under ST covers, a provision will be made on an average rate arrived on the basis of actuarial analysis of earlier years claim paid experience. Such provision is progressively modified for changes as appropriate on availability of further information/scrutiny of supporting documents.

8.2 Further, the provision for Claims Incurred But Not Reported (IBNR), Provision for Claims Incurred But Not Enough Reported (IBNER) are accounted for as per actuarial valuation as at end of the year.

8.3 No provision is made for following claims which are treated as Contingent Liability:

(i) Claims rejected by the Company and not acknowledged as debts in respect of which legal action and/or arbitration has been initiated including cases of adverse ruling where the Company has continued legal action and/or arbitration. The Company shall provide for contingent liability including the interest claimed or awarded or applicable as of end of a financial year, if any, as the case may be.

(ii) Claims preferred by Banks where, as confirmed by them, compromise proposals for recovery of dues are under negotiation and therefore not provided for claim provision.

9. REINSURANCE

9.1 Insurance premium on ceding of the risk is recognised in the year in which the risk commences. Any subsequent revision to premium ceded is recognised in the year of such revision. Adjustment to reinsurance premium arising on cancellation of policies is recognised in the year in which it is cancelled.



9.3 पुनर्बीमा संधियों के अधीन प्राप्त लाभ कमीशन, जहां भी लागू हो, की लाभ निर्धारण के अंतिम वर्ष व पुनर्बीमाकर्ता द्वारा प्रदान सूचना के अनुसार गणना की गई है।

9.4 पुनर्बीमा समझौते के निबंधन व शर्तों के अधीन पुनर्बीमाकर्ताओं से प्राप्त / प्राप्ति योग्य राशियों की गणना दावे की गणना के साथ ही की गई है।

10. प्रबंधन व्यय

10.1 कंपनी के कारोबार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े प्रबंधन व्यय के अतिरिक्त कंपनी द्वारा किए गए व्यय की गणना बीमा कारोबार से संबंधित व्यय के रूप में की गई है तथा अतः उसे राजस्व खाते के शीर्ष में रखा गया है। निवेशों से संबंधित व्यय को राजस्व तथा लाभ व हानि खाते के मध्य उसी अनुपात में प्रभाजित किया गया है जैसा की महत्वपूर्ण लेखनीति सं 10.2 में उल्लिखित है।

10.2 वित्तीय वर्ष के आरंभ में निवेश आय को लाभ व हानि खाता एवं राजस्व खाते में क्रमशः "शेयरधारक निधि " व " पॉलिसीधारक निधि " के रूप में प्रभाजित किया गया है। "शेयरधारक" निधि में शेयर पूंजी, सामान्य प्रारक्षित निधियाँ तथा पूंजी प्रारक्षित निधियाँ शामिल हैं। "पॉलिसीधारक" की निधि में असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधि, बकाया दावों आदि के लिए प्रारक्षित निधि शामिल हैं।

10.3 प्रिंटिंग व स्टेशनरी को खरीद के वर्ष में ही उपयोग में लाया गया मान लिया गया है।

11. कार्मिक अनुलाभ

11.1 कंपनी द्वारा सभी पात्र कार्मिकों के लिए एक निश्चित लाभ योजना, ग्रेच्युटी, प्रदान किया जाता है। यह योजना पात्र कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर अथवा रोजगार की समाप्ति पर संबंधित कर्मों के वेतन तथा कंपनी के साथ रोजगार के वर्षों के आधार पर एकमुश्त भुगतान प्रदान की जाती है। कंपनी बीमा कंपनी द्वारा निर्मित ग्रेच्युटी फंड में अपना अंशदान करती है। वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अंशदान की राशि निर्धारित की जाती है। इस प्रकार के अंशदान को राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है।

11.2 परिकल्पित इकाई ऋण विधि के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन में पाई गई कमियों तथा तुलन पत्र की तारीख तक बीमा कंपनी के निधिक शेषों के मध्य के अंतर के लिए प्रावधान किए गए हैं।

11.3 कंपनी की नीति के अनुसार, कुछ निबंधन व शर्तों के अधीन कार्मिक अपने त्यागपत्र / सेवानिवृत्ति के समय अपने खाते में जमा छुट्टियों का नकदीकरण कर सकते हैं। तुलन पत्र की तारीख को कर्मचारियों के खाते में जमा शेष छुट्टी की अनुमानित उपलब्धता के आधार पर अल्पावधि प्रतिपूर्ति योग्य अनुपस्थितियों के लिए प्रावधान किया गया है। दीर्घावधिक प्रतिपूर्ति योग्य अनुपस्थितियों के लिए तुलन पत्र की तारीख पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उक्त प्रावधान किया गया है।

11.4 भविष्य निधि निश्चित लाभ योजना है। निधि में किए जाने वाले कंपनी का अंशदान राजस्व खाते में प्रभारित है। यदि भविष्य निधि ट्रस्ट की आधारभूत निधि की प्राप्ति संवैधानिक रूप से निर्धारित न्यूनतम निधि से कम हो तो उस कमी की भरपाई कंपनी को करनी होगी।

11.5. कार्मिक निश्चित लाभ योजना के जरिए भविष्य निधि की

9.2 Commission received on reinsurance ceded is recognized as income in the period in which reinsurance premium is ceded.

9.3 Profit commission under re-insurance treaties, wherever applicable, is recognized in the year of final determination of the profits and as intimated by re-insurer.

9.4 Amounts received/receivable from the re-insurers, under the terms of the reinsurance arrangement, are recognized together with the recognition of the claim.

10. EXPENSES OF MANAGEMENT

10.1 Management expenses, other than those directly related to other businesses of the Company, incurred by the Company are considered as expenses relating to the insurance business and are therefore charged to revenue account. Expenses relating to investment are apportioned between Revenue and Profit & Loss Account in the same proportion as stated in Significant Accounting Policy No.10.2.

10.2 Investment Income is apportioned between Profit & Loss Account and Revenue Accounts in the ratio of Shareholders' Funds and Policyholders' Funds respectively at the beginning of the financial year. Shareholders' Fund consists of Share Capital, General Reserves and Capital Reserves. Policyholders' Fund consists of Reserve for Un-expired Risk, Reserve for Outstanding Claims etc.

10.3 Printing and Stationery items are treated as consumed in the year of purchase.

11. EMPLOYEE BENEFITS

11.1 The Company provides for gratuity, a defined benefit plan covering all eligible employees. The plan provides a lump sum payment to eligible employees on retirement or on termination of employment based on the salary of the respective employee and the years of employment with the Company. The Company contributes to a gratuity fund maintained by Insurance Company. The amount of contribution is determined based upon actuarial valuations as at the year end. Such contributions are charged off to the Revenue Account.

11.2 Provision is made for the shortfall between the actuarial valuation as per Projected Unit Credit Method and the funded balance with the Insurance Company as at the Balance Sheet date.

11.3 As per Company's policy, employees are eligible to encash leave standing to the credit of employees at the time of resignation/retirement subject to terms and conditions. Provision for short-term compensated absences is made on the basis of an estimate of availment of the leave balance to the credit of the employees as at the Balance Sheet date. Long-term compensated absences are provided for based on actuarial valuation as at Balance Sheet date.



सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र होते हैं जिसमें, आवरित कार्मिक अपने मूल वेतन के 10% के हिसाब से कार्मिक अपना अंशदान करते हैं। कंपनी द्वारा, उन पात्र कार्मिकों जिन्होंने दिनांक 31.03.2010 को अथवा उससे पहले कंपनी में कार्य ग्रहण किया हो व पेंशन का विकल्प नहीं चुना हो, के मामले में समान राशि का अंशदान किया जाता है। कंपनी द्वारा भविष्य निधि ट्रस्ट की स्थापना की गई है जिसमें भविष्य निधि के लिए प्रत्येक माह किए जाने वाले अंशदानों को जमा किया जाता है। भविष्य निधि ट्रस्ट में किए जाने वाले अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है। कंपनी द्वारा आवधिक आधार पर ऐसे अंशदानों पर निश्चित दर पर प्राप्ति की गारंटी प्रदान की गई है। प्राप्ति में यदि कोई कमी हुई तो, उसकी भरपाई कंपनी द्वारा की जाएगी।

- 11.6 कार्मिक निश्चित लाभ योजना के जरिए पेंशन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं, जिसमें रक्षित कर्मचारियों के मूल वेतन के 10% के हिसाब से कंपनी अपना अंशदान करते हैं। वे कार्मिक जिन्होंने दिनांक 31.03.2010 को अथवा उससे पहले कंपनी की सेवाएँ ग्रहण की व पेंशन का विकल्प चुना है पेंशन योजना के अधीन पेंशन सुविधा प्राप्त करने के पात्र हैं। कंपनी ने पेंशन ट्रस्ट की स्थापना की है जिसमें प्रत्येक माह पेंशन के लिए अंशदान किया जाता है। पेंशन निधि में किए जाने वाले अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है। कंपनी दायित्वों की पूर्ति के लिए दायित्व के बीमांकिक मूल्यांकन तथा परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य के आधार पर निवल देयता का मूल्यांकन करेगी तथा तुलन पत्र के आधार पर उसके लिए प्रावधान करेगी।
- 11.7 जिन कर्मचारियों ने दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके पश्चात कंपनी की सेवाएँ ग्रहण की वे निश्चित अंशदान योजना (नई पेंशन योजना) के सदस्य होने के लिए पात्र हैं जिसमें कार्मिक अपने मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते (डी ए) के 10% के हिसाब से अपना मासिक अंशदान करते हैं। पात्र कर्मचारियों के मामले में कंपनी समान राशि का अंशदान करता है। कंपनी के अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है।
- 11.8 अन्य सभी दीर्घावधि लाभों का प्रावधान बीमांकिक आधार पर किया गया है।
- 11.9 कार्मिक लाभों पर बीमांकिक लाभ / हानि, तत्काल राजस्व खाते में अंकित की जाती है।

12. आय कर

- 12.1 कर के लिए प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार चालू लेखा अवधि के लिए अभिकलित कर योग्य लाभों के आधार पर किया जाता है। न्यूनतम वैकल्पिक कर (एम ए टी) कर नियमों के अनुसार अदा किया जाता है, जो भविष्य की आयकर देयता पर जमा कर के रूप में भावी लाभों में वृद्धि करेगा, जिसे, व उसकी गणना तुलन पत्र में परिसंपत्ति के रूप में माना गया है यदि कंपनी द्वारा यह प्रमाण प्रस्तुत किया जाए कि उसके द्वारा भविष्य में सामान्य कर की अदायगी की जाएगी तथा परिणामी परिसंपत्ति कंकण विश्वसनीयता पूर्वक किया जाएगा।
- 12.2 आस्थगित कर की गणना तुलन पत्र की तारीख तक निर्धारित कर दरों तथा अधिनियमों तथा पर्याप्त रूप में अधिमानित कानूनों के आधार पर की जाती है तथा यह गणना उनकी उत्पत्ति की अवधि

11.4. Provident Fund is a Defined Benefit Plan. Company's contribution towards the fund is charged to the Revenue Account. In case the return of the Provident Fund Trust's corpus is below the Statutory Prescribed Minimum, the Company will have to fund the shortfall.

11.5. Employees are eligible to receive Provident Fund benefits through a defined benefit plan in which employees make monthly contributions to the plan, @ 10%, of the covered employees' basic salary. The Company contributes an equal amount in case of the eligible employees who have joined the Company on or before 31/03/2010 and have not opted for pension benefit. The Company has established a Provident Fund Trust to which contributions towards Provident Fund are made and contributions towards Provident Fund are charged to the Revenue Account on an accrual basis. The Company guarantees the specified rate of return on such contributions on a periodical basis. The Company will meet the shortfall in the return, if any.

11.6 Employees are eligible to receive Pension benefits through a defined benefit plan to which the Company contributes to the plan, @ 10%, of the covered employee's basic salary. Employees who have joined the Company on or before 31/03/2010, and have opted to receive Pension benefit are covered under the Pension Plan. The Company has established a Pension Fund Trust to which contributions towards Pension are made each month. Contributions towards Pension Fund are charged to the Revenue Account on an accrual basis. The Company will evaluate the net liability based on an actuarial valuation of the Obligation and the Fair Value of the Assets to meet the obligation and provides for the same as on the date of Balance Sheet.

11.7 Those employees who have joined the Company on or after 01.04.2010 are eligible to be the members of a Defined Contribution Plan (New Pension Scheme) in which employees make monthly contributions to the plan @ 10% of the their basic salary and Dearness Allowance (DA). The Company contributes an equal amount in case of the eligible employees. The Company's contributions are charged to the Revenue Account on an accrual basis.

11.8 All other Long Term Benefits are provided for on Actuarial Basis.

11.9 The actuarial gains/losses on the employee benefits are immediately recognized in the Revenue Account.

12. INCOME TAX

12.1 Provision for Tax is made on the basis of taxable profits computed for the current accounting period in accordance with the Income Tax Act, 1961. MAT paid in accordance with the Tax Laws, which gives rise to future economic benefits in form of tax credit against future Income Tax liability, is recognised as an asset in the balance sheet if there is convincing evidence



के आधार पर अलग अलग समय में की जाती है व इसे बाद की अवधियों के लिए एक अथवा अधिक बार उलटाया भी जा सकता है। जहां, आगे ले जाई जाने वाली कारोबार हानियाँ अथवा मूल्यहास की गणना नहीं की गई हो तो (अनवशेषित), आस्थगित कर परिसंपत्तियों की गणना की जाएगी बशर्ते कि इस प्रकार की परिसंपत्तियों की वसूली सुनिश्चित हो। अन्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक स्वीकार किया गया है, जहां भविष्य में उनकी वसूली पर्याप्त रूप से सुनिश्चित हो।

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ:

13.1 प्रावधान को तभी स्वीकृति दी जाती है जब किसी उद्यम का वर्तमान दायित्व किसी भूतपूर्व घटना के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ हो तथा इस प्रकार के दायित्व के निपटान के लिए स्रोतों का बहिर्गमन संभव हो व जिसके लिए उचित अनुमान किए जा सकते हैं। प्रावधान करते समय उनके वर्तमान मूल्य से किसी प्रकार की रियायत नहीं किए जाते बल्कि तुलन पत्र की तारीख को दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को इनकी समीक्षा की गई है तथा वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को परिलक्षित करने के लिए समायोजित किए गए हैं।

13.2 आकस्मिक देयताओं का प्रकटन तब किया जाता है जब कंपनी के संभावित अथवा वर्तमान दायित्व उपलब्ध हों तथा यह संभव हो कि दायित्वों के निपटान के लिए नकदी की आवश्यकता नहीं होगी।

13.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों की वित्तीय विवरणों में न तो चिन्हित की गई है न ही उनका प्रकटन किया गया है।

14. फैक्ट्रिंग

14.1 ब्याज सहित फैक्ट्रिंग सेवा शुल्क की गणना जब भी वे उत्पन्न हुए हैं, तब से की गई है।

14.2 फैक्टर किए गए ऋणों को चालू परिसंपत्ति शीर्ष में विविध देनदार के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार के देनदारों को आई आर डी ए द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अर्जक तथा अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अर्जक देनदारों को मानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जक देनदारों को आई आर डी ए द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर निम्न मानक, संदिग्ध तथा हानि परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

14.3 फैक्टर किए गए ऋणों तथा वसूली पर ग्राहकों को देय राशि के मूल्य के अदत्त शेषों को चालू देयताओं में शामिल किया गया है तथा वे फैक्ट्रिंग मार्जिन खाते में परिलक्षित हैं।

14.4 निपटान / मुद्रागत परिसंपत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन पर विदेशी मुद्रा दरों में अंतर के कारण होने वाले लाभ तथा हानि ग्राहकों पर प्रभारित की जाती है।

14.5 समय समय पर अधिसूचित आई आर डी ए मानदंडों के अनुसार फैक्ट्रिंग ऋणों के लिए प्रावधान किए गए। इस प्रकार के प्रावधानों में मानक परिसंपत्तियों पर 0.40% की दर से किए गए प्रावधान शामिल हैं। विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान किए गए हैं जो कि आई आर डी ए द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधानों के अधीन है:-

that the Company will pay normal tax in future years and the resulting asset can be measured reliably.

12.2 Deferred Tax is calculated at the tax rates and laws that have been enacted or substantially enacted as of the Balance Sheet date and is recognized on timing difference that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Where there is unabsorbed carry forward business losses or depreciation, deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realisation of such assets. Other deferred tax assets are recognised only to the extent that there is a reasonable certainty of realisation in future.

13. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES & CONTINGENT ASSETS

13.1 A provision is recognised when an enterprise has a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to its present value and are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates.

13.2 Contingent Liabilities are disclosed when the Company has a possible obligation or a present obligation and it is probable that a cash outflow will not be required to settle the obligation.

13.3 Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

14. FACTORING

14.1 Factoring Service Charges including interest are accounted as and when accrued.

14.2 Debts Factored are included under the head Current Assets as Sundry Debtors. Such debtors are classified as performing and non-performing assets, based on the guidelines issued by the IRDA. Performing debtors are classified as Standard assets, Non-Performing debtors are classified into sub-standard, doubtful and loss assets, based on the classification criteria stipulated by IRDA

14.3 The unpaid balances of the price of debts factored and due to the clients on collection are included under Current Liabilities and are reflected in the form of Factoring Margin Account.

14.4 Gain and loss arising on account of differences in foreign exchange rates on settlement/translation of monetary assets and liabilities are charged to clients

14.5 Provision for factoring debts is made as per IRDA norms notified from time to time. Such provision includes provision at the rate of 0.40% on standard assets. Provisions are made for NPAs as per the guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below by the IRDA:



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

निम्नमानक परिसंपत्तियाँ :	i. 10% का सामान्य प्रावधान ii. आरंभ में असुरक्षित जोखिमों के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहां वसूली योग्य प्रतिभूति का मूल्य आरंभिक मूल्य के 10% से अधिक न हो)	Substandard Assets:	i. A general provision of 10% ii. Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (where realisable value of security is not more than 10 % ab- initio)
संदिग्ध परिसंपत्ति :		Doubtful Assets:	
सुरक्षित अंश :	i. एक वर्ष तक – 20%	Secured portion:	i. Upto one year – 20%
	ii. एक से तीन वर्ष तक – 30%		ii. One to three years – 30%
	iii. तीन वर्षों से अधिक – 100%		iii. More than three years – 100%
असुरक्षित अंश	100 %	Unsecured portion	100 %
हानि परिसंपत्ति :	100 %	Loss Assets:	100 %

15. एन ई आई ए ट्रस्ट खाता

एन ई आई ए ट्रस्ट से प्राप्त प्रशासनिक प्रभारों को पूरी रक्षा अवधि के दौरान समान रूप से आबंटित किया गया है।

16. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

- 16.1 आरंभिक मान्यता – विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को संव्यवहार की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा तथा विदेशी मुद्रा के मध्य के विनिमय दर के अनुसार गणना कर रिपोर्टिंग मुद्रा रिकॉर्ड किया गया है।
- 16.2 संपरिवर्तन - विदेशी मुद्रा राजकोषीय मदों को समापन दर का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया गया है। गैर मुद्रागत उपकरणों, जिनकी गणना पारंपरिक लागत अंकन के आधार पर विदेशी मुद्रा में की गई है, को संव्यवहार की तारीख को विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया गया है।
- 16.3 विनिमय अंतर – मुद्रागत मदों के निपटान अथवा परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतर को उनके उत्पन्न होने की अवधि में आय अथवा व्यय के रूप में माना गया है व राजस्व उन्हें खाते में प्रभारित किया गया है।

15. NEIA TRUST ACCOUNT

The administrative charges received from NEIA Trust is being allocated equally throughout the cover period.

16. FOREX TRANSACTIONS

- 16.1 Initial Recognition – Foreign currency transactions are recorded in the reporting currency, by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency approximately at the date of the transaction.
- 16.2 Conversion – Foreign currency monetary items are reported using the closing rate. Non-monetary items, which are carried in terms of historical cost denominated in a foreign currency, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.
- 16.3 Exchange Differences – Exchange differences arising on the settlement or conversion of monetary items, are recognized as income or as expenses in the period in which they arise and are charged to revenue account.



अनुसूची 17 / SCHEDULE 17

लेखाओं के साथ संलग्न एवं उनका अंश बनाने वाले टिप्पणियाँ: NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS:

1. वित्तीय विवरण तैयार करना

संलग्न वित्तीय विवरण, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई) (वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षाओं की रिपोर्ट) विनियमन 2002 एवं वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में जारी परिपत्र एवं/अथवा दिशानिर्देश; कंपनी अधिनियम 2013 तथा बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2. वर्णित राशियों की प्राप्ति

प्रबंधन की राय में, व्यवसाय के सामान्य प्रवाह में चालू परिसंपत्तियों, ऋण एवं अग्रिमों के अंतर्गत आने वाली मदें वसूली पर कम से कम उस राशि के बराबर मूल्य धारित करती हैं, जिस पर उन्हें तुलन पत्र में दर्शाया गया है एवं सभी ज्ञात देयताएँ एवं संदिग्ध सम्पत्तियों के लिए प्रावधान किया गया है।

3. अचल संपत्ति:

अचल संपत्ति के अधीन "बिल्डिंग" के अंतर्गत एक संपत्ति (जुहु गीतांजलि वास्तुशिल्प सी एच एस), जिसका मूल्य ₹3,98.47 हजार (पिछले वर्ष ₹3,98.47 हजार) है, का स्टैम्प ड्यूटी शुल्क का भुगतान किया गया था परंतु पंजीकरण की औपचारिकता लंबित है, जिसमें जुहु गीतांजलि वास्तुशिल्प सी एच एस के सदस्यों के साथ मिलकर प्रापर्टी डेवलपर के साथ पुनर्विकास समझौता भी शामिल है। इसके अतिरिक्त इसमें ₹5,77,43.90 हजार (पिछले वर्ष ₹5,77,43.90 हजार) की संपत्ति शामिल है जिसका स्टैम्प अनुबंध गुम हो गया है एवं वर्तमान में कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है। हालांकि, इन सम्पत्तियों के संबंध में को-ऑपरेटिव संस्थानों के शेयर प्रमाण पत्र कंपनी के पास उपलब्ध हैं।

4. अग्रिम तथा अन्य संपत्तियाँ:

4(क) अग्रिमों एवं अन्य सम्पत्तियों में शामिल है: कंपनी के विरुद्ध दायर किए गए दावा वाद के लिए न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में ₹69,32,10.59 हजार की राशि (पिछले वर्ष ₹66,63,60.05 हजार) कोर्ट में जमा की गई है, जिसके संबंध में अंतिम निर्णय प्रतीक्षित है। उक्त को विविध जमा के अंतर्गत दर्शाया गया है।

4(ख) कार्मिकों को आवास ऋण पर ब्याज की गणना उपचय आधार पर की जाती है। आवश्यक समायोजन, यदि कोई हो, अंतिम निपटान के समय किया जाता है।

4(ग) सू प्रौ विक्रेता से वर्षांत के लिए वसूली योग्य राशि ₹17,23,92.70 को अग्रिम एवं अन्य सम्पत्तियों (अनुसूची 12) सहित "अन्य से वसूली योग्य राशि" के रूप में दर्शाया गया है। उक्त मामला मध्यस्थता के अधीन है क्योंकि कंपनी द्वारा मांग की गई राशि ₹29,17,48.34 हजार के लिए विक्रेता द्वारा ₹146,98,02.40 हजार का प्रतिदावा दायर किया गया है। आकस्मिक देयता में ₹146,98,02.40 हजार को भी शामिल किया गया है। (निम्न नोट का अवलोकन करें)

4(घ) अग्रिमों एवं अन्य सम्पत्तियों (अनुसूची 12) में पुनर्बीमाकर्ता के

1. PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The accompanying financial statements have been prepared as per the provisions of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation, 2002 and circulars and/or guidelines issued in the context of preparation of the financial statements; Companies Act, 2013 and the Insurance Act, 1938.

2. REALISABILITY OF STATED AMOUNTS

In the opinion of the Management, the items under the Current Assets, Loans and Advances have value on realization in the ordinary course of business, at least equal to the amount at which they are stated in the balance sheet and provision for all known liabilities and doubtful assets have been made.

3. FIXED ASSETS:

"Buildings" under Fixed Assets include a property (Juhu Geetanjali Vastushilp CHS) costing ₹3,98.47 thousand (previous year ₹3,98.47 thousand) where stamp duty has been paid but registration formalities are pending including redevelopment agreement entered by the Company along with fellow society members of Juhu Geetanjali Vastushilp CHS with the property developer. Further, it also includes a property (The Metropolitan BKC, Mumbai) costing ₹5,77,43.90 thousand (previous year ₹5,77,43.90 thousand) where stamped agreements are lost and presently not available with the Company. However, the Company is in the possession of the share certificates of the co-operative institution in respect of these properties.

4. ADVANCES AND OTHER ASSETS:

4(a) Advances and other assets include: An amount of ₹69,32,10.59 thousand (previous year ₹66,63,60.05 thousand) is deposited with the Courts in pursuance of Court Orders for claim suits filed against the Company and in respect of which final decisions are awaited. The same is disclosed under Sundry Deposits.

4(b) Interest on housing loans to employees is accounted for on accrual basis. Adjustments required, if any, are carried out at the time of final settlement.

4(c) Advances and Other Assets (Schedule 12) includes ₹17,23,92.70 thousand for the year ended (previous year ₹17,23,92.70 thousand) recoverable from an IT Vendor and is mentioned as "Amount Recoverable from Others". This matter is under arbitration as the Vendor has filed a counter claim of ₹146,98,02.40 thousand as against Company's demand of ₹29,17,48.34 thousand. The amount of ₹146,98,02.40 thousand is also included in Contingent Liability (refer note below).



समक्ष प्रस्तुत दावों के संबंध में जून 2014 से अधिक हानि (एक्स ओ एल) के कारण पुनर्बीमाकर्ता से प्राप्य के रूप में ₹ 160,69,69.18 हजार (पिछले वर्ष ₹ 161,89,42.9 हजार) भी शामिल हैं। उक्त पुनर्बीमाकर्ता कंपनी को पुनर्स्थापन प्रीमियम भी देय है। कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों से वसूली की गई थी एवं इसे पुनर्बीमाकर्ता के साथ साझा किया जाना है। कंपनी द्वारा पुनर्बीमा कंपनी के साथ कई दौर की सकारात्मक चर्चा की गई एवं इस बात की अत्यधिक संभावना है कि राशि की वसूली की जाएगी। ₹ 35,46,73.33 हजार (पिछले वर्ष ₹ 35,79,32.16 हजार) के पुनर्स्थापन प्रीमियम को समायोजित करने के पश्चात शुद्ध प्राप्य राशि ₹ 125,22,95.85 हजार (पिछले वर्ष ₹ 126,10,10.79 हजार) होगी।

4 (इ) अग्रिम एवं अन्य संपत्तियों में भारत सरकार की ओर से अफ्रीकन व्यापार बीमा में ₹ 88,88,43.28 हजार (पिछले वर्ष ₹ 86,97,38.03 हजार) के पूंजीकरण भी शामिल है। ए टी आई द्वारा ₹ 1,91,05.25 हजार (₹ 2,31.69 हजार अमेरिकन डॉलर) का लाभांश प्रदान किया गया, जिसे वर्तमान वर्ष के दौरान पूंजीकृत किया गया है।

5. वर्तमान देयताएँ:

5(क) वर्तमान देयताओं में ₹ 45,290.00 हजार (पिछले वर्ष ₹ 616,00.00 हजार) भी शामिल है, जो कि कार्मिकों को उत्पादकता आधारित एकमुश्त राशि योजना (पी एल एल आई), जो कि प्रशासनिक मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए जाने वाले वार्षिक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के अधीन अधीन 31 मार्च 2024 तक कंपनी के अंतिम रेटिंग पर आधारित हैं।

5(ख) कंपनी द्वारा प्रचलित उद्योग प्रथाओं के आधार पर अपने कार्मिकों के लिए वेतन संशोधन के अंतर्गत ₹ 36,38,69.00 हजार का प्रावधान किया गया है, जिसमें दिनांक 1 अगस्त 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए ₹ 14,07,93.00 हजार का अंतर प्रावधान शामिल है एवं यह वेतन संशोधन वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन के पश्चात कार्मिकों को देय होगा।

5(ग) कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखा पद्धति के अनुसार, दायर किए गए एवं लंबित दावों के पर देयताओं का प्रावधान व्यक्तिगत दावों के आकलन के आधार पर किया गया है। इस प्रकार के दावों के लिए देयताओं का निर्धारण वर्षांत पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया जाता है। प्रबंधन की राय में, नियुक्त बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उक्त के प्रभाव, यदि कोई हो तो, को वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए एवं अपर्याप्त रिपोर्ट किए गए (आई बी एन आर एवं आई बी एन ई आर) दावों के समग्र प्रावधान तथा लंबित दावों के लिए अतिरिक्त प्रावधान का आकलन करते समय ज्ञात किया जा सकता है। तदनुसार, रिपोर्ट नहीं किए गए एवं अपर्याप्त रूप से रिपोर्ट किए गए दावों (आई बी एन आर एवं आई बी एन ई आर) के प्रति अनुमानित देयता के रूप में ₹ 4550,64,56.96 हजार (पिछले वर्ष ₹ 5572,29,75.28 हजार) की राशि को मान्यता प्रदान की गई है।

5(घ) कंपनी द्वारा एक पॉलिसी धारक के दावे को खारिज किया गया है, जिसके लिए पॉलिसी धारक (पी एच) द्वारा कंपनी के विरुद्ध अनुबंध पूर्ण करने संबंधी मुकदमा दायर किया गया है एवं दि. 31/03/2024 तक मामला विचाराधीन है। अनुसूची 13 के

4(d) Advances and Other Assets (Schedule 12) includes ₹ 160,69,69.18 thousand (previous years ₹ 161,89,42.95 thousand) as receivables from a Reinsurer on account of Excess of Loss (XOL) Treaty since June 2014 in respect of a claim filed with them. The reinstatement premium is also payable to the said reinsurer company. The Company had made recovery from its customers and the same needs to be shared with the Reinsurer. The Company had several rounds of positive discussions with reinsurance Company and there is a high probability that the amount shall be recovered. The net amount receivable will be ₹ 125,22,95.85 thousand (previous year ₹ 126,10,10.79 thousand) after adjusting reinstatement premium of ₹ 35,46,73.33 thousand. (Previous year ₹ 35,79,32.16 thousand)

4(e) Advances and Other Assets (Schedule 12) includes amount of ₹ 88,88,43.28 thousand (previous years ₹ 86,97,38.03 thousand) capitalised in African Trade Insurance (ATI) on behalf of the Govt. of India. ATI has declared dividend of ₹ 1,91,05.25 thousand (USD 2,31.69 thousand) and the same is capitalised during the current year.

5. CURRENT LIABILITIES:

5(a) Current Liabilities include ₹ 4,52,90.00 thousand (previous year ₹ 6,16,00.00 thousand) towards Productivity Linked Lump Sum Incentive (PLLI) payable to the employees which has been accounted for based on the provisional rating of the Company as on 31st March, 2024 under the annual Memorandum of Understanding (MOU) signed with the Administrative Ministry, pending final rating to be conveyed by the Administrative Ministry.

5(b) The Company has made a provision of ₹ 36,38,69.00 thousand towards wage revision during the year due to its employees based on prevalent Industry practices which includes differential provision of ₹ 14,07,93.00 thousand attributable to the period 1st August, 2022 to 31st March, 2023 and the same will be payable to the employees upon approval from Ministry of Commerce, Government of India

5(c) As per the Accounting practice followed by the Company, liability towards claims preferred and outstanding is provided for based on the assessment of individual claims. Liabilities towards such claims have been recognized based on information available up to the year end. In the opinion of management, the impact if any, of the above has been considered during the year while assessing the overall provision of unreported and not enough reported (IBNR & IBNER) claims and additional provision for outstanding claims which is arrived at based on actuarial valuation by the Appointed Actuary. Accordingly, an amount of ₹ 4550,64,56.96 thousand (previous year ₹ 5572,29,75.28 thousand) has been recognized as estimated liability towards unreported and not enough reported claims (IBNR & IBNER).

5(d) The Company has rejected the claim of a Policy



अंतर्गत अग्रिम प्रीमियम की प्राप्ति – वर्तमान देयताओं में ₹2,32,44.55 हजार की ऐसी देयताएं शामिल हैं, जो कि पॉलिसीधारक की ओर से घोषणापत्र प्राप्त नहीं होने के कारण समायोजित नहीं की गई हैं। कंपनी द्वारा जारी पॉलिसी, दिनांक 31 अगस्त 2009 को समाप्त हो गई है। पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, पॉलिसीधारक कंपनी को न्यूनतम प्रीमियम के रूप में ₹2,40,00.00 हजार के भुगतान हेतु प्रतिबद्ध हैं एवं शेष राशि को गैर-उपयोगिता के कारण पॉलिसी धारक को वापस किया जाना है। चूंकि पॉलिसी दस्तावेज के अंतर्गत प्रीमियम की वापसी अथवा समायोजन का विकल्प उपलब्ध नहीं है तथा मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, अतः ₹2,32,44.55 हजार की सम्पूर्ण राशि (न्यूनतम प्रीमियम से ₹30,00.00 हजार की अधिक राशि सहित) को विविध लेनदारों - अनुसूची 13 के शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

5(ड) इसके अतिरिक्त, “अनुसूची 13-वर्तमान देयताएं” के अंतर्गत “विभिन्न लेनदार” मद में विभिन्न बैंकों को प्रदान की गई उन रक्षाओं के विस्तार हेतु प्रीमियम के रूप में प्राप्त ₹24,61.77 हजार (पिछले वर्ष ₹24,61.77 हजार) शामिल हैं, जो कि बैंकों द्वारा निर्यातक-खरीदार को प्रदान की गई गारंटी के अंतर्गत उपलब्ध की गई थी। कंपनी द्वारा उक्त राशि को स्वीकार नहीं किया गया है एवं बैंकों को रक्षा प्रदान करने में अपनी असमर्थता के विषय में सूचित किया गया है। कंपनी द्वारा उक्त प्रीमियम राशि बैंकों को वापस की गई है, कुछ बैंकों द्वारा धन वापसी को स्वीकार नहीं किया गया है। तदनुसार, कंपनी द्वारा उक्त राशि को ‘विविध लेनदारों’ शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. प्रावधान

₹105,00,00.00 हजार (पिछले वर्ष ₹105,00,00.00 हजार) के अंकित मूल्य वाले ऋणपत्रों में निवेश किया गया, जिसका लेखा मूल्य ₹104,97,70.60 हजार (पिछले वर्ष ₹109,97,70.60 था) है। उक्त में से वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ₹6,94,12.45 हजार प्राप्त किए गए एवं शेष लेखा मूल्य ₹98,03,58.15 के ऋणपत्रों के निवेश को संदिग्ध माना गया है एवं आई आर डी ए आई के दिशानिर्देशों के अनुसार इसकी जानकारी पिछले वर्ष के लेखा खातों में उपलब्ध कराई गई है। इसे सम्पत्तियों के निवेश के प्रावधान – अनुसूची 14 के अंतर्गत दर्शाया गया है।

7. फ़ैक्टरिंग

कंपनी द्वारा मानक परिसंपत्तियों के लिए ₹85.63 हजार (पिछले वर्ष ₹61.38 हजार) का प्रावधान किया गया है, जबकि आई आर डी ए आई के मानदंडों के अनुसार संदिग्ध सम्पत्तियों के संबंध में कंपनी द्वारा पूर्व में ₹7,04,26.80 हजार का प्रावधान किया गया है।

8. पुनर्बीमा

भारतीय सामान्य बीमा कंपनियों को जारी किए गए आई आर डी ए आई के दिशानिर्देशों के अंतर्गत कंपनी द्वारा सम्पूर्ण कारोबार के 4% (अल्पावधि तथा मध्यम एवं दीर्घावधि कारोबार) का अनिवार्य सेशन किया गया है। इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कोई भी अन्य संधि नहीं की गई थी। पूर्व में किए गए पुनर्बीमा कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

Holder against which the Policy Holder (PH) has filed a suit against the Company for performance of the contract and as on 31/03/2024 the matter is sub-judice. Premium Received in advance under Schedule 13 – Current Liabilities includes an amount of ₹2,32,44.55 thousand of premium not adjusted due to non-receipt of declaration from the PH. The Policy issued by the Company has expired on August 31, 2009. As per the terms of the policy, the PH committed ₹2,40,00.00 thousand as the minimum premium to the Company and the balance is to be refunded to the PH in case the same is not utilized. As the policy documentation gives the option of refund or adjusting the premium and the issue being sub-judice, the entire amount of ₹2,32,44.55 thousand (including amount of ₹30,00.00 thousand being over and above the minimum premium) is shown under the head Sundry Creditors – Schedule 13.

5(e) Further, ‘Sundry Creditors’ under ‘Schedule 13 - Current Liabilities’ includes an amount of ₹24,61.77 thousand (previous year ₹24,61.77 thousand) on account of premium received from various banks, towards extension of cover to be given by the Company to various banks on account of guarantees provided by the banks to an exporter - borrower. The Company has not accepted the said amount and has communicated to the banks about its inability to extend the cover. The Company has refunded the said premium amount to the bankers however, some of the banks have not accepted the refund. Accordingly, the Company has reflected the said amount under the head ‘Sundry Creditors’.

6. PROVISIONS

Investment in Debentures accounts to ₹105,00,00.00 thousand Face Value (previous year ₹105,00,00.00 thousand) and has a Book Value of ₹104,97,70.60 thousand (previous year ₹109,97,70.60 thousand). Out of the above, the Company has received ₹6,94,12.45 thousand during the year and the remaining book value of ₹98,03,58.15 thousand is treated as doubtful and fully provided in the Books of accounts in the earlier years in line with IRDAI norms. It is shown under the head Provision for Investment Assets – Schedule 14.

7. FACTORING

The Company has made provision of ₹85.63 thousand (previous year ₹61.38 thousand) on account of standard assets, whereas in relation to doubtful assets the company in the past has made a provision of ₹7,04,26.80 thousand in line with IRDAI norms.

8. REINSURANCE

The Company has ceded obligatory cession of 4% (previous year 4%) of the entire business of the Company (Short-Term as well as Medium and Long-Term business) as required under the IRDAI guidelines to General Insurance Company of India. The company does not have any other treaty cession for the FY 2023-24. The re-insurance programme for the earlier year was as under:



वित्तीय वर्ष	कोटा शेयर		हानि की अधिकता (अल्पावधि)
	अनिवार्य	संधि (अल्पावधि)	
2007-08 (केवल अल्पावधि)	15%	20%	एक्स ओ एल उपलब्ध नहीं
2008-09	10%	10%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2009-10	10%	15%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2010-11	10%	NIL	एक्स ओ एल उपलब्ध नहीं
2011-12	10%	13%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2012-13	10%	12%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2013-14	5%	15%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2014-15 (पॉलिसी)	5%	20%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2014-15 (ईसीआईबी)	5%	13%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2015-16 (पॉलिसी)	5%	25%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2015-16 (ईसीआईबी)	5%	25%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2016-17 (पॉलिसी)	5%	25%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2016-17 (ईसीआईबी)	5%	25%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2017-18 (पॉलिसी)	5%	27%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2017-18 (ईसीआईबी)	5%	23%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2018-19 (पॉलिसी)	5%	26%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2018-19 (ईसीआईबी)	5%	21.5%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2019-20 (पॉलिसी)	5%	26%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2019-20 (ईसीआईबी)	5%	14.5%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2020-21 (पॉलिसी)	5%	15%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2020-21 (ईसीआईबी)	5%	8%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2021-22 (पॉलिसी)	5%	19.24%	एक्स ओ एल उपलब्ध

Financial year	Quota Share		XOL (ST)
	Obligatory	Treaty (ST)	
2007-08 (Only ST)	15%	20%	XOL not available
2008-09	10%	10%	XOL available
2009-10	10%	15%	XOL available
2010-11	10%	NIL	XOL not available
2011-12	10%	13%	XOL available
2012-13	10%	12%	XOL available
2013-14	5%	15%	XOL available
2014-15 (Policy)	5%	20%	XOL available
2014-15 (ECIB)	5%	13%	XOL available
2015-16 (Policy)	5%	25%	XOL available
2015-16 (ECIB)	5%	25%	XOL available
2016-17 (Policy)	5%	25%	XOL available
2016-17 (ECIB)	5%	25%	XOL available
2017-18 (Policy)	5%	27%	XOL available
2017-18 (ECIB)	5%	23%	XOL available
2018-19 (Policy)	5%	26%	XOL available
2018-19 (ECIB)	5%	21.5%	XOL available
2019-20 (Policy)	5%	26%	XOL available
2019-20 (ECIB)	5%	14.5%	XOL available
2020-21 (Policy)	5%	15%	XOL available
2020-21 (ECIB)	5%	8%	XOL available
2021-22 (Policy)	5%	19.24%	XOL available



2021-22 (ईसीआईबी)	5%	8.85%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2022-23 (पॉलिसी)	4%	21%	एक्स ओ एल उपलब्ध नहीं
2022-23 (ईसीआईबी)	4%	10%	एक्स ओ एल उपलब्ध नहीं

2021-22 (ECIB)	5%	8.85%	XOL available
2022-23 (Policy)	4%	21%	XOL Not available
2022-23 (ECIB)	4%	10%	XOL Not available

9. वैकल्पिक जोखिम अंतरण समझौते (ए आर टी)

भारत सरकार द्वारा स्थापित एन ई आई ए ट्रस्ट के साथ कंपनी द्वारा मध्यम एवं दीर्घावधि रक्षाओं के अंतर्गत कुछ कुछ उच्च मूल्य के जोखिमों के लिए जोखिम साझा अनुबंध हस्ताक्षर किया गया है। जुलाई 2022 से हेडरूम की अनुपलब्धता के कारण एन ई आई ए के सहायता की अनुपलब्धता के कारण कंपनी द्वारा जोखिम मानदंडों का पालन करते हुए पूर्ण जोखिम प्रतिधारण के साथ ये रक्षाएँ जारी की जा रही हैं।

10. प्रीमियम आय

प्रीमियम आय को जोखिम की धारणा पर मान्यता प्रदान की जाती है। लेखा नीति के अनुसार, मार्च माह में निर्यातकों द्वारा किए गए पोतलदान / बैंक द्वारा जारी किए गए निर्यात ऋण के संदर्भ में जोखिम एवं प्रीमियम आय का अनुमान आगामी माह में ही लगाया जा सकता है। आई आर डी ए आई द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2014 को जारी पत्र संख्या- एफ एन ए / जी ई सी / एल आर / 001 / 2013-14 / 12 के जरिए कंपनी द्वारा स्थापना के पश्चात, लगातार अपनाई जाने वाली प्रीमियम लेखा पद्धति से सहमति व्यक्त की गई है। कंपनी द्वारा माह मार्च 2024 में किए गए पोतलदान / अनुमोदित अग्रिम के संबंध में उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसी प्रीमियम आय के रूप में ₹59,20,15.28 हजार (पिछले वर्ष ₹19,01,16.81 हजार) का अनुमान लगाया गया है, जिसे अगले आने वाले वर्ष में आय माना जाएगा।

11. एन ई आई ए ट्रस्ट

एन ई आई ए ट्रस्ट से प्रशासनिक शुल्क के रूप में कंपनी को प्राप्त ₹2,08,14.02 हजार (पिछले वर्ष ₹7,92,14.26 हजार) की प्राप्तियां अन्य आय में शामिल हैं। प्रशासनिक शुल्क के रूप में प्राप्त ₹11,38,57.00 हजार (पिछले वर्ष ₹12,81,97.53 हजार) के अग्रिम, वर्तमान देयताओं - अन्य - एनईआईए ट्रस्ट में शामिल हैं।

12. कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली मानक प्रथाओं के अनुसार, कंपनी के विभिन्न अधिकारियों द्वारा, जिसमें प्रधान कार्यालय दावा समिति (एच सी सी) भी शामिल है, अपनी प्रत्यायोजित अधिकारों के भीतर प्रस्तुत दावों में कुछ खामियों को माफ कर दावों का निपटान किया जाता है। निपटाए गए इन सभी दावों को कंपनी के व्यवसाय के सामान्य क्रम में निपटाया गया माना जाता है।

9. ALTERNATE RISK TRANSFER AGREEMENTS (ART)

The company had risk sharing arrangement for some high value exposures under Medium and Long Term (MLT) covers with the NEIA Trust set up by Government of India. In the absence of NEIA support due to non-availability of headroom since June 2022, the covers are being issued with complete risk retention by the Company following the exposure norms in place.

10. PREMIUM INCOME

Premium income is recognised on assumption of risk. As per the accounting policy, the assumption of risk and the premium income, relating to shipments made by the exporters / export credits disbursed by banks in the month of March is recognised in the subsequent year. IRDAI vide its letter No. FNA/GEC/LR/001/2013-14/12 dated 30th January, 2014, has concurred with the method of Premium accounting consistently followed by the Company since inception. The Company has estimated such premium income, based on available information relating to shipments made / advances granted in the month of March 2024 at ₹59,20,15.28 thousand (previous year ₹19,01,16.81 thousand) which is recognised in subsequent year.

11. NEIA TRUST

The administrative charges receivable by the Company from the NEIA Trust is ₹2,08,14.02 thousand (previous year ₹7,92,14.26 thousand). Administrative charges received in advance of ₹11,38,57.00 thousand (previous year ₹12,81,97.53 thousand), are included in Current Liabilities – Others – NEIA Trust.

12. As per the Standard Practice followed by the Company, claims are settled by various officials of the Company including the Head Office Claims Committee (HCC) within their delegated powers by condoning some lapses in the claims preferred. All these claims settled are considered to have been settled in the normal course of business of the Company.



13. पूर्व अवधि में किए गए समायोजनों में शामिल हैं:

डेबिट:

(₹ '000)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
प्रीमियम	-	64.24
अन्य	3.56	2,77.96
किराया, दर एवं कर	40.00	5,47.80
मरम्मत एवं रखरखाव	-	2,46.27
मूल्यहास	3,29.97	-
एजेंसी कमीशन	-	21.50
कुल	3,73.53	11,57.77

13. Prior Period Adjustments Include:

Debits:

(₹ '000)

Particulars	Current Year	Previous Year
Premium	-	64.24
Others	3.56	2,77.96
Rent, rates, and Taxes	40.00	5,47.80
Repair and Maintenance	-	2,46.27
Depreciation	3,29.97	-
Agency Commission	-	21.50
Total	3,73.53	11,57.77

क्रेडिट:

(₹ '000)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अन्य	34.52	-
मूल्यहास	35,42.71	-
कुल	35,77.23	-
पूर्व अवधि समायोजन में शुद्ध नामे / (क्रेडिट)	(32,03.70)	11,57.77

Credits:

(₹ '000)

Particulars	Current Year	Previous Year
Others	34.52	-
Depreciation	35,42.71	-
Total	35,77.23	-
Net Debit / (Credit) in prior Period Adjustments	(32,03.70)	11,57.77

14. विदेशी विनिमय में आय एवं व्यय:

(₹ '000)

आय	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
पुनर्बीमा*	3,21,72.80	30,77,18.51
अन्य प्राप्तियां	5,04.23	6,47.30

(₹ '000)

Earnings	Current Year	Previous Year
Re-insurance*	3,21,72.80	30,77,18.51
Other Receipt	5,04.23	6,47.30

व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
सदस्यता शुल्क एवं अन्य व्यय	36,79.07	42,00.33
परामर्श शुल्क	61,61.25	-
स्थिति जांच शुल्क	86,03.24	1,18,52.00
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	17,96.92	34,48.22
यात्रा व्यय	12,81.81	23,91.67

Expenditure	Current Year	Previous Year
Membership Fees and other expenses	36,79.07	42,00.33
Consultancy Charges	61,61.25	-
Status Enquiry Fees	86,03.24	1,18,52.00
Books and periodicals	17,96.92	34,48.22
Travelling Expenses	12,81.81	23,91.67

*पुनर्बीमा आय प्रदत्त दावों की विदेशी मुद्रा में वसूली एवं पुनर्बीमा प्रीमियम का निवल है।

*Reinsurance earning is the recoveries in foreign currency for claims paid net off reinsurance premium.

15. कंपनी का डेरिवेटिव अनुबंधों एवं वायदा अनुबंधों में कोई जोखिम नहीं है। कंपनी का विदेशी मुद्रा (असुरक्षित) में कोई जोखिम नहीं है।

15. The Company does not have any exposure in derivative contracts and forward contracts. The Company has no exposure in foreign currency (un-hedged).

**16. खंडवार रिपोर्ट (लेखा मानक 17)**

कंपनी मुख्यतः 'निर्यात ऋण बीमा के क्षेत्र में कार्यरत है।' कंपनी द्वारा निर्यातकों को फैक्ट्रिंग सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। वर्ष के दौरान कुल बिल ₹4,58,76.39 हजार (पिछले वर्ष ₹3,61,47.94 हजार) था। वर्ष के दौरान कुल राजस्व ₹7,17.47 हजार (पिछले वर्ष ₹6,05.57 हजार) रहा। चूंकि फैक्ट्रिंग राजस्व, लाभ अथवा हानि एवं संपत्ति, कुल खंड गतिविधि के 10% से कम है, अतः यह ए एस 17 के अनुसार रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं है।

17. लेखा मानक सं 18 के अनुकरण में संबंधित पार्टि प्रकटन:**(i) मुख्य प्रबंधन कार्मिक:****16. Segmental Reporting (Accounting Standard 17)**

The Company operates mainly in 'Export Credit Insurance'. The Company also provide factoring activities to exporters. Total bill factored during the year amounting to ₹4,58,76.39 thousand (previous year ₹3,61,47.94 thousand) Total revenue during the year is ₹7,17.47 thousand (previous year ₹6,05.57 thousand). Since factoring revenue, profit or loss and assets are less than 10% of total segment activity, therefore, it is not reportable segment as per AS 17.

17. Related Party Disclosures pursuant to Accounting Standard No. 18:**(i) Key Management Personnel:**

क्रम सं S. No.	नाम Name	पदनाम Designation	श्रेणी Category	दिनांक- 31/03/2024 के अनुसार As of 31.03.2024
1	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ Shri Sristiraj Ambastha	कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) Executive Director (Policy Matters)	कार्यकारी निदेशक – कार्यपालक Functional Director - Executive	दिनांक 01-11-2023 से नियुक्त Appointed w.e.f. 01-11-2023
		अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) Chairman-cum- Managing Director (Addl. Charge)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी Chief Executive Officer	दिनांक 01-11-2023 से नियुक्त Appointed w.e.f. 01-11-2023
2	श्री सुबीर कुमार दास Shri Subir Kumar Das	कार्यपालक निदेशक Executive Director	कार्यकारी निदेशक – (परिचालन) Executive Director - (Operations)	दिनांक 01-11-2023 से नियुक्त Appointed w.e.f. 01-11-2023
3	श्री पी एल ठाकुर Shri P. L. Thakur	महाप्रबंधक General Manager	मुख्य विपणन अधिकारी Chief Marketing Officer	दिनांक 08-06-2023 से नियुक्त Appointed w.e.f. 08-06-2023
4	श्री ईशनाथ झा Shri Ish Nath Jha	महाप्रबंधक General Manager	(i) मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी (i) Chief of Internal Audit	(i) दिनांक 09-11-2023 से नियुक्त (I) Appointed w.e.f. 09-11-2023
			(ii) मुख्य सतर्कता अधिकारी (ii) Chief Vigilance Officer	(ii) दिनांक 15-09-2023 से नियुक्त (ii) Appointed w.e.f. 15-09-2023
5	सुश्री प्रिसिल्ला सिन्हा Smt. Priscilla Sinha	नियुक्त बीमांकिक Appointed Actuary	नियुक्त बीमांकिक Appointed Actuary	दिनांक 27-01-2020 से नियुक्त Appointed w.e.f. 27-01-2020
6	सुश्री स्मिता पंडित Smt. Smita Pandit	महाप्रबंधक General Manager	कंपनी सचिव एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी Company Secretary & Chief Compliance Officer	दिनांक 04-06-2013 से नियुक्त Appointed w.e.f. 04-06-2013
7	श्री आनंद सिंह Shri Anand Singh	महाप्रबंधक General Manager	मुख्य हामीदारी अधिकारी (ईसीआईबी-अल्पावधि) Chief Underwriting Officer (ECIB-ST)	दिनांक 08-06-2023 से नियुक्त Appointed w.e.f. 08-06-2023



8	श्री अभिषेक कुमार जैन Shri Abhishek Kumar Jain	महाप्रबंधक General Manager	मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer	दिनांक 07-06-2023 से नियुक्त Appointed w.e.f. 07-06-2023
9	श्री गौरव अंशुमान Shri Gaurav Anshuman	महाप्रबंधक General Manager	महाप्रबंधक-मानव संसाधन विकास एवं प्रशासन विभाग General Manager Human Resource Development and Administration Department	दिनांक 01-09-2023 से नियुक्त Appointed w.e.f. 01-09-2023
			मुख्य जोखिम अधिकारी Chief Risk Officer	दिनांक 02-11-2023 से नियुक्त Appointed w.e.f. 02-11-2023
10	सुश्री अर्पिता सेन Smt. Arpita Sen	महाप्रबंधक General Manager	(i) मुख्य हामीदारी अधिकारी (पॉलिसी) (i) Chief Underwriting Officer (Policy)	(i), (ii) दिनांक 01-11-2023 से नियुक्त (i),(ii) Appointed w.e.f. 01-11-2023
			(ii) मुख्य हामीदारी अधिकारी (एम एल टी) (ii) Chief Underwriting Officer (MLT)	
11	श्री सब्यसाची दाश Shri Sabyasachi Dash	महाप्रबंधक General Manager	मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी Chief Technology Officer	दिनांक 25-09-2023 से नियुक्त Appointed w.e.f. 25-09-2023
12	श्री यशवंत ब्रीद Shri Yashwant Breed	उप महाप्रबंधक Deputy General Manager	मुख्य निवेश अधिकारी Chief Investment Officer	दिनांक 09-09-2021 से नियुक्त Appointed w.e.f. 09-09-2021

(ii) वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को प्रदत्त पारिश्रमिक:

(₹ '000)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
वेतन एवं भत्ते	6,19,16.01	4,78,50.93
नियुक्त बीमांकिक	1,07,38.46	94,99.02

(ii) Remuneration paid to Key Management Personnel during the year:

(₹ '000)

Particulars	Current Year	Previous Year
Salary and Allowances	6,19,16.01	4,78,50.93
Appointed Actuary	1,07,38.46	94,99.02

(iii) वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन:

(iii) Transactions during the year with related parties:

एन ई आई ए ट्रस्ट

(₹ '000)

क्र.सं.	संव्यहार का प्रकार	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1	वर्ष के लिए प्राप्त प्रशासनिक प्रभार	2,08,14.02	7,92,14.26
2	अग्रिम रूप से प्राप्त प्रशासनिक शुल्क (आज की तिथि तक शेष)	11,38,57.00	12,81,97.53
3	एन ई आई ए को किए गए पूर्व प्रदत्त व्यय (आज की तिथि तक शेष)	3,58,17.30	5,35,67.19

NEIA Trust

(₹ '000)

S. No.	Nature of Transactions	Current Year	Previous Year
1	Administrative Charges Received for the Year	2,08,14.02	7,92,14.26
2	Administrative Charges received in advance (Balance as on date)	11,38,57.00	12,81,97.53
3	Prepaid Expenses paid to NEIA (Balance as on date)	3,58,17.30	5,35,67.19



4	वर्ष के अंत तक बकाया राशि – डेबिट शेष	92,27,34.24	112,61,49.57
5	गारंटी शुल्क का भुगतान	1,77,49.89	2,23,19.68

4	Outstanding Dues as at year end – Debit Balance	92,27,34.24	112,61,49.57
5	Guarantee Fees paid	1,77,49.89	2,23,19.68

मेसर्स कुमार इन्टरनेशनल

(₹ '000)

क्र.सं.	संव्यवहार का प्रकार	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1	अग्रिम प्रीमियम के रूप में प्राप्त राशि	55.30	87.00

M/s Kumar International

(₹ '000)

S. No.	Nature of Transactions	Current Year	Previous Year
1	Amount Received for Advance Premium	55.30	87.00

18. आस्थगित कर लेखांकन

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा लेखा मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर का गणना किया गया है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान ₹51,61.34 हजार की राशि का निवल आस्थगित कर जमा हुआ है (पिछले वर्ष नामे ₹43,47.10 हजार)। वर्ष के अंत में शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ ₹43,80,76.63 हजार (पिछले वर्ष आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ ₹44,32,37.97 हजार) हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं का विवरण निम्नानुसार है।

18. DEFERRED TAX ACCOUNTING

During the year the Company has accounted for the Deferred Tax in accordance with the Accounting Standard 22. This has resulted in a Net Deferred Tax Credit during the year amounting to ₹ 51,61.34 thousand (previous year Debit ₹43,47.10 thousand). The Net Deferred Tax Assets at the end of the year amounts to ₹ 43,80,76.63 thousand (previous year Deferred Tax Assets ₹ 44,32,37.97 thousand). The breakup of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities is as under:

विवरण	दिनांक 01-04-2023 को प्रारम्भ	वर्ष के दौरान व्यय/ क्रेडिट	दिनांक 31-03-2024 को समाप्त
देयता			
मूल्यहास	3,46,95.67	1,21,79.07	4,68,74.74
कुल	3,46,95.67	1,21,79.07	4,68,74.74
परिसंपत्तियाँ			
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	14,26,20.45	1,11,69.01	15,37,89.46
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	28,54,93.98	(1,74,63.63)	26,80,30.35
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	1,27.16	15,49.76	16,76.92
कर देयता के लिए प्रावधान	3,40,52.22	55,55.39	3,96,07.61
एन पी एस	1,36.34	41.29	1,77.63
पी एल एल आई	1,55,03.49	(41,04.90)	1,13,98.59
वेतन संशोधन (पीएफ एवं अवकाश नकदीकरण)	-	1,02,70.81	1,02,70.81
कुल	47,79,33.64	70,17.73	48,49,51.37
आस्थगित कर परिसंपत्ति / (देयता)	44,32,37.97	(51,61.34)	43,80,76.63

Particulars	Opening at 01-04-2023	Charge/ Credit during the year	Closing at 31-03-2024
Liability			
Depreciation	3,46,95.67	1,21,79.07	4,68,74.74
Total	3,46,95.67	1,21,79.07	4,68,74.74
Assets			
Provision for leave encashment	14,26,20.45	1,11,69.01	15,37,89.46
Provision for doubtful debts	28,54,93.98	(1,74,63.63)	26,80,30.35
Provision for gratuity	1,27.16	15,49.76	16,76.92
Provision for Tax Liability	3,40,52.22	55,55.39	3,96,07.61
NPS	1,36.34	41.29	1,77.63
PLLI	1,55,03.49	(41,04.90)	1,13,98.59
Wage Revision (PF & Leave Encashment)	-	1,02,70.81	1,02,70.81
Total	47,79,33.64	70,17.73	48,49,51.37
Deferred Tax Asset /(Liability)	44,32,37.97	(51,61.34)	43,80,76.63



19. प्रति शेयर आय की गणना निम्नानुसार की जाती है:

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
(क)	अंश: लाभ एवं हानि खाते के अनुसार निवल लाभ (₹ '000)	2159,04,64.55	2164,25,38.46
(ख)	हर: वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या	43,38,00,000	40,03,15,068
(ग)	प्रति शेयर आय: मूल (₹)	49.77	54.06
(घ)	शेयरों का नाममात्र मूल्य (₹)	100.00	100.00

कंपनी के पास कोई भी बकाया डायल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयर नहीं है। नतीजतन, कंपनी की प्रति शेयर मूल डायल्यूटिव आय समान रहती है।

20. आकस्मिक देयताएं

(₹ '000)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1	आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश	शून्य	शून्य
2	पॉलिसियों के अलावा अन्य दावे, जिन्हें कंपनी द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है	170,83,44.00	170,83,17.00
3	कंपनी पर पॉलिसी एवं ईसीआईबी दावे कों ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है	2907,55,66.00	2126,63,60.00
4	कंपनी द्वारा अथवा उसकी ओर से दी गई गारंटी	शून्य	शून्य
5	आयकर	71,43,25.55	824,57,00.00

21. पूंजी प्रतिबद्धताएं

बकाया पूंजी प्रतिबद्धता राशि ₹ 87,28,94.39 हजार (पिछले वर्ष ₹ 204,23,49.85 हजार) है।

22. नियुक्त बीमांकिक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर आई आर डी ए आई की आवश्यकताओं के अनुसार कोई प्रीमियम न्यूनता रिजर्व प्रदान नहीं किया जाता है।

23. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु प्रारक्षित निधि:

कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 एवं धारा 198 के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए सी एस आर प्रावधान का गणना किया गया है। प्रारंभिक प्रारक्षित निधि, किए गए भुगतान एवं अंतिम प्रारक्षित निधि का विवरण निम्नानुसार है:

19. Earnings Per Share is calculated as under:

S. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
(a)	Numerator: Net Profit as per Profit & Loss A/c (₹ '000)	2159,04,64.55	2164,25,38.46
(b)	Denominator: Weighted Average Number of Shares Outstanding during the year	43,38,00,000	40,03,15,068
(c)	Earnings per share: Basic (₹)	49.77	54.06
(d)	Nominal Value of Shares(₹)	100.00	100.00

The Company does not have any outstanding dilutive potential equity shares. Consequently, the basic and diluted earnings per share of the Company remain the same.

20. CONTINGENT LIABILITIES

(₹ '000)

S. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Partly paid-up investments	Nil	Nil
2	Claims, other than against policies, not acknowledged as debts by the Company	170,83,44.00	170,83,17.00
3	Policies and ECIB claims against the Company not acknowledged as debt	2907,55,66.00	2126,63,60.00
4	Guarantees given by or on behalf of the Company	Nil	Nil
5	Income Tax	71,43,25.55	824,57,00.00

21. CAPITAL COMMITMENTS

Amount of capital commitments outstanding is ₹ 87,28,94.39 thousand (previous year ₹ 204,23,49.85 thousand).

22. Based on the actuarial valuations by the Appointed Actuary, no premium deficiency reserve is provided as per IRDAI requirements.

23. RESERVE FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

The Company has computed CSR provision for the year 2023-24 as per section 135 and section 198 of the Companies Act, 2013. The details of opening reserve, payments made and closing reserve is as follows:



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

(₹ '000)

(क) (a)	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय किए जाने हेतु सकल राशि: Gross amount required to be spent by the Company during the year:	31,64,91.16
(ख) (b)	निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि: Amount approved by the Board to be spent during the year:	30,10,00.00
(ग) (c)	वर्ष के दौरान व्ययित राशि: Amount spent during the year on:	
	(i) किसी भी परिसंपत्ति के निर्माण / अधिग्रहण के लिए / Construction / acquisition of any asset	शून्य / NIL
	(ii) उपरोक्त (i) के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य से / (ii) On purposes other than (i) above	29,08,46.01
(घ) (d)	संबंधित पक्ष प्रकटीकरण, लेखा मानक (ए एस) 18 के अनुसार संबंधित पक्ष लेन-देन विवरण, जैसे सी एस आर व्यय के संबंध में ट्रस्ट/सोसायटी/कंपनी द्वारा नियंत्रित धारा 8 कंपनी को किया गया अंशदान Details of Related Party Transactions, e.g., contribution to a trust/society/ section 8 company controlled by the company in relation to CSR expenditure as per Accounting Standard (AS) 18, Related Party Disclosures.	शून्य / NIL
(ङ) (e)	निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि: The details as per section 135(5) and section 135(6) are given below:	

धारा 135(5) अव्ययित राशि / Section 135(5) Unspent Amount

प्रारंभिक शेष Opening Balance	अनुसूची VII के निर्दिष्ट कोष में 6 माह के भीतर जमा की गई राशि Amount Deposited in Specified Fund of Schedule VII within 6 Months	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि Amount Required to be Spent During the Year	वर्ष के दौरान व्ययित राशि Amount Spent during the Year	अंतिम शेष Closing Balance
1,54,91.16	3,68.66	30,10,00.00	29,04,77.35	2,56,45.15

धारा 135(5) व्ययित अतिरिक्त राशि / Section 135(5) Excess Amount Spent

प्रारंभिक शेष Opening Balance	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि Amount Required to be Spent During the Year	वर्ष के दौरान व्ययित राशि Amount Spent during the Year	अंतिम शेष Closing Balance

लागू नहीं / Not Applicable

धारा 135(6) जारी परियोजना / Section 135(6) Ongoing Project

वर्ष Years	प्रारंभिक शेष Opening Balance		व्यय की जाने वाली राशि Amount Required to be Spent	वर्ष के दौरान व्ययित राशि Amount Spent During the Year		अंतिम शेष Closing Balance	
	कंपनी के साथ With Company	पृथक सी एस आर अव्ययित खाते में In Separate CSR Unspent A/c		कंपनी के बैंक खाते से From Company's Bank A/c	पृथक सीएसआर अव्ययित खाते से From Separate CSR Unspent A/c	कंपनी के साथ With Company	पृथक सी एस आर अव्ययित खाते में In Separate CSR Unspent A/c
2022-23	3,68.66*	1,51,22.50	-	3,68.66*	1,51,22.50	-	-
2023-24	-	-	30,10,00.00	27,53,54.85	-	180.37*	2,54,64.78



*वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए किसी भी परियोजना से संबंधित नहीं होने वाली रुपये 3,68.66 हजार की अव्ययित राशि (स्वच्छता कार्य योजना एवं प्रशासनिक व्यय से संबंधित शेष अव्ययित राशि) को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान स्वच्छ भारत कोष में अंतरित किया गया।

**वर्तमान वर्ष के लिए रुपये 1,80.37 हजार की अव्ययित राशि, जो किसी भी परियोजना से संबंधित नहीं होने वाली (शेष अव्ययित राशि स्वच्छता कार्य योजना एवं प्रशासनिक व्यय से संबंधित) को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान स्वच्छ भारत कोष में अंतरित करने का प्रस्ताव है।

24. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियमन, 2002 के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण को अनुलग्नक - 1 ए एवं 1 बी के अनुरूप संलग्न किए गए हैं।

25 **केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (अनुसूची 8) अंतर्गत शामिल है:**

- (क) कंपनी द्वारा किए गए 'द्वितीयक बाजार' लेनदेन के लिए मार्जिन के रूप में "7.54% 2036" भारत सरकार के बांड जिनका बही मूल्य ₹5,02,37.00 हजार है (पिछले वर्ष ₹4,99,25.00 हजार, "7.16% 2023" भारत सरकार बांड) 'क्लियरिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड' को प्रभारित किया गया।
- (ख) कंपनी द्वारा संपार्श्विक ऋण एवं ऋण देयता के लिए मार्जिन के रूप में "7.54% 2036" भारत सरकार के बांड जिनका, बही मूल्य ₹ 1,00,47.00 हजार है (पिछले वर्ष ₹ 93,17.00 हजार 8.24% 2027 भारत सरकार के बांड) को क्लियरिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्रभारित किया गया।
- (ग) कंपनी द्वारा दर्ज किए गए द्वितीयक बाजार इक्विटी लेनदेन हेतु मार्जिन के लिए "7.95% 2032" भारत सरकार बांड, जिनका अंकित मूल्य ₹40,00,00.00 हजार है (पिछले वर्ष 7.95% 2032 भारत सरकार के बांड, ₹40,00,00.00 हजार) को नियामक अपेक्षाओं के अनुसार 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड' को प्रभारित किया गया।

26. निवेश

- (क) वर्ष 2018-19 में कंपनी द्वारा सॉल्वेंसी मार्जिन के अतिरिक्त शेयरधारक निधि हेतु ₹ 290,58,37.42 हजार बही मूल्य (अंकित मूल्य ₹ 275,00,00.00 हजार) को पृथक वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि पैरा 4(ई) में उल्लिखित है, अफ्रीकन ट्रेड इश्योरेंस को अंतरण किए जाने के पश्चात दिनांक 31 मार्च, 2024 तक सॉल्वेंसी मार्जिन के अतिरिक्त शेयरधारक निधि में शेष राशि ₹ 288,70,07.36 हजार, जिसका बही मूल्य (अंकित मूल्य ₹ 279,69,31.79 हजार) है।
- (ख) माननीय एनसीएलटी द्वारा एमटेक ऑटो लिमिटेड के लिए अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार कंपनी ₹48,58.96 हजार की राशि प्राप्त करने की पात्रता थी। उपरोक्त में से, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 2,35.99 हजार प्राप्त हुए हैं एवं शेष प्राप्य राशि ₹ 46,22.97 हजार थी, जो सम्पूर्ण रूप से पहले ही प्रदान की जा चुकी है।

*Unspent amount of Rs.3,68.66 thousand not relating to any project (Balance unspent amount related to Swachta Action Plan and Administrative Expenses) for FY 2022-23 was transferred to Swachh Bharat Kosh during the FY 2023-24.

**Unspent amount of Rs.1,80.37 thousand not relating to any project (Balance unspent amount related to Swachta Action Plan and Administrative Expenses) for the current year proposed for transfer to Swachh Bharat Kosh during the FY 2024-25.

24. Disclosures as required under the Insurance Regulatory and Development Authority (preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation, 2002 are enclosed herewith as per Annexure – 1A & 1B.

25. Investment in Central Government Securities (Schedule 8) includes:

- (a) 7.54% 2036 Government of India bonds having book value of ₹5,02,37.00 thousand (previous year ₹4,99,25.00 thousand 7.16% 2023 Government of India bonds) charged to Clearing Company of India Limited towards margin for secondary market transactions entered into by the Company.
- (b) 7.54% 2036 Government of India bonds having book value of ₹ 1,00,47.00 thousand (previous year ₹ 93,17.00 thousand 8.24% 2027 Government of India bonds) charged to Clearing Company of India Limited towards margin for collateral borrowing and lending obligations by the Company.
- (c) 7.95% 2032 Government of India bonds having face value of ₹ 40,00,00.00 thousand (previous year 7.95% 2032 Government of India bonds ₹40,00,00.00 thousand) is charged to National Stock Exchange Limited towards margin for secondary market equity transactions entered into by the company as per the regulatory requirement.

26. Investments

- (a) In the year 2018-19, Company has segregated ₹ 290,58,37.42 thousand Book Value (Face Value ₹ 275,00,00.00 thousand) for Shareholders Fund in excess of solvency margin. After transfer to the African Trade Insurance as mentioned in para 4(e), balance in the Shareholders fund in excess of Solvency Margin as on March 31, 2024 is ₹ 288,70,07.36 thousand Book Value (Face Value ₹ 279,69,31.79 thousand).
- (b) As per the resolution plan approved by the Hon'ble NCLT for Amtek Auto Limited, the Company was entitled to receive an amount of ₹ 48,58.96 thousand. Out of above, the Company has received ₹ 2,35.99 thousand during the financial year 2022-23 and balance receivable amount is ₹ 46,22.97 thousand which has already been fully provided.

**27. कार्मिक लाभ:**

- (क) परिभाषित लाभ पेंशन योजना का विस्तार उन सभी कार्मिकों को शामिल करने के उद्देश्य से किया गया है, जो दिनांक 31/03/2010 को अथवा उससे पहले कंपनी में शामिल हुए हैं। जो कार्मिक दिनांक 01/04/2010 को अथवा उसके बाद कंपनी में शामिल हुए हैं, वे परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं।
- (ख) कंपनी द्वारा प्रत्येक पात्र कार्मिक के लिए पेंशन निधि प्रशासक को मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता/व्यक्तिगत भत्ते का 10% का भुगतान किया जाता है।
- (ग) ऐसे कार्मिकों के मामले में, जो परिभाषित लाभ पेंशन योजना के लिए पात्र हैं, कंपनी द्वारा पेंशन निधि ट्रस्ट में अंशदान भेजा जाता है। ऐसे कार्मिकों के लिए, जो परिभाषित लाभ पेंशन योजना अथवा परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, कंपनी द्वारा उनके लिए भविष्य निधि ट्रस्ट में कंपनी का अंशदान भेजा जाता है।
- (घ) आई सी ए आई द्वारा जारी लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) के कार्यान्वयन के संदर्भ में मार्गदर्शन टिप्पणी में बताया गया है कि नियोक्ता द्वारा स्थापित भविष्य निधि, जिसके लिए नियोक्ता द्वारा ब्याज की न्यूनता को पूर्ण करने की आवश्यकता होती है, उसे परिभाषित लाभ योजना के रूप में माना जाना चाहिए।
- (ङ) चूंकि भविष्य निधि कोष एवं उससे होने वाली आय, भविष्य निधि पर देय ब्याज की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त होती है, इसलिए इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है एवं खाते में प्रावधान के संबंध में कोई विशिष्ट प्रकटीकरण नहीं किया गया है। हालांकि, कंपनी द्वारा पिछले वर्ष 2022-23 के ब्याज की न्यूनता को पूर्ण करने के लिए वर्ष के दौरान भविष्य निधि ट्रस्ट को ₹ 44,18.30 हजार का भुगतान किया गया है।
- (च) कंपनी की पॉलिसी के अनुसार कंपनी के कार्मिक, छुट्टी एवं दीर्घकालीन सेवा लाभ के पात्र हैं। लेखा वर्ष के अंतिम दिन पर 'संचित छुट्टी' एवं दीर्घकालीन सेवा लाभ के कारण होने वाली देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तुलन पत्र की तिथि पर परिभाषित दायित्व के वर्तमान मूल्य पर मान्यता प्रदान की जाती है।

27. EMPLOYEE BENEFITS:

- (a) The Defined Benefit Pension Scheme has been extended to include all employees who have joined the Company on or before 31/03/2010. The employees who have joined the Company on or after 01/04/2010 are covered by the New Pension Scheme (NPS) under the Defined Contribution Scheme.
- (b) The Company pays 10% of basic salary & dearness allowance/ personal allowance to a Pension Fund administrator for each eligible employee.
- (c) In case of employees who are eligible for the Defined Benefit Pension Scheme, the Company remits the contribution to the Pension Fund Trust. For those employees, who are not covered under Defined Benefit Pension Scheme or Defined Contribution Pension Scheme, the Company remits the Company's share to the Provident Fund Trust.
- (d) The Guidance note on implementing AS 15 (Revised 2005), issued by ICAI, states that provident funds set-up by employers, which require interest shortfall to be met by the employer, need to be treated as a defined benefit plan.
- (e) As the corpus of the Provident Fund and earnings thereon are sufficient to meet the requirement of the interest payable on the Provident Fund, no provision for the same and no specific disclosure on account of provision is made in the account. However, the Company has paid ₹ 44,18.30 thousand during the year to the Provident Fund Trust to meet the shortfall of Interest for the previous year 2022-23.
- (f) The employees of the Company are entitled to leave and long service benefits as per the policy of the Company. The liability on account of accumulated leave and long service benefits as on last day of the accounting year is recognised at present value of the defined obligation at the balance sheet date based on the actuarial valuation.

(₹ '000)

क्र.सं.	श्रेणी	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1	तुलन पत्र में स्वीकृत		
	'परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य	61,10,51.58	56,66,73.75
	वर्ष के आरंभ में देयता	56,66,73.75	56,16,24.84
	तुलन पत्र में स्वीकृत अतिरिक्त देयता	4,43,77.83	50,48.91

(₹ '000)

S. No.	Category	Current Year	Previous Year
1	Recognized in the Balance Sheet		
	Present Value of the Defined Benefit Obligation	61,10,51.58	56,66,73.75
	Liability at the beginning of the year	56,66,73.75	56,16,24.84
	Additional Liability recognised in the Balance Sheet	4,43,77.83	50,48.91



(छ) उपदान (ग्रेच्युटी) एवं अधिवर्षिता के रूप में वित्तपोषित किए जाने वाले “परिभाषित कार्मिक लाभ योजना” के अंतर्गत कार्मिक लाभ का विवरण निम्नानुसार है:

(g) The details of employee benefits under “defined employee benefit plans” for the period on account of gratuity and superannuation which are funded are as under.

पेंशन		(₹ '000)	
क्र.सं.	श्रेणी	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1	लाभ देयता में परिवर्तन		
	वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ देयता	416,44,75.49	390,71,88.52
	ब्याज लागत	31,35,85.00	28,95,22.67
	वर्तमान सेवा लागत	10,51,98.78	10,56,89.80
	अंतरित देयता		
	प्रदत्त लाभ	(48,25,86.95)	(43,25,19.15)
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	21,29,45.59	29,45,93.65
	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ देयता	431,36,17.92	416,44,75.49
2	योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन		
	वर्ष के आरंभ में उचित मूल्य पर योजनागत परिसंपत्तियाँ	381,57,05.87	361,12,30.94
	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	28,73,22.65	26,75,92.21
	योगदान	38,88,00.04	33,79,96.25
	अंतरित परिसंपत्तियाँ--	-	-
	प्रदत्त लाभ	(48,25,86.95)	(43,25,19.15)
	बीमांकिक लाभ / (हानि)	1,46,33.44	3,14,05.62
	वर्ष के अंत में उचित मूल्य पर योजना परिसंपत्तियाँ	402,38,75.05	381,57,05.87
3	तुलन पत्र में स्वीकृत		
	परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य	431,36,17.92	416,44,75.49
	वर्ष के अंत में उचित मूल्य पर योजना परिसंपत्तियाँ	402,38,75.05	381,57,05.87
	तुलन पत्र में स्वीकृत देयता	28,97,42.87	34,87,69.62

Pension		(₹ '000)	
S. No.	Category	Current Year	Previous Year
1	Change in Benefit Obligations		
	Projected benefit obligations at the beginning of the year	416,44,75.49	390,71,88.52
	Interest Cost	31,35,85.00	28,95,22.67
	Current Service Cost	10,51,98.78	10,56,89.80
	Liability Transferred		
	Benefits paid	(48,25,86.95)	(43,25,19.15)
	Actuarial (Gain) / Loss	21,29,45.59	29,45,93.65
	Projected Benefit Obligations at the end of the year	431,36,17.92	416,44,75.49
2	Change in Plan Assets		
	Plan Assets at the beginning of the year at fair value	381,57,05.87	361,12,30.94
	Expected return on Plan Assets	28,73,22.65	26,75,92.21
	Contributions	38,88,00.04	33,79,96.25
	Assets Transferred in	-	-
	Benefits paid	(48,25,86.95)	(43,25,19.15)
	Actuarial Gain / (Loss)	1,46,33.44	3,14,05.62
	Plan Assets at the end of the year at fair value	402,38,75.05	381,57,05.87
3	Recognized in the Balance Sheet		
	Present Value of the Defined Benefit Obligation	431,36,17.92	416,44,75.49
	Plan Assets at the end of the year at fair value	402,38,75.05	381,57,05.87
	Liability recognised in the Balance Sheet	28,97,42.87	34,87,69.62



4	वर्ष के लिए लागत		
	वर्तमान सेवा लागत	10,51,98.78	10,56,89.80
	ब्याज लागत (योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल शामिल)	2,62,62.35	2,19,30.46
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	19,83,12.14	26,31,88.03
	राजस्व खाते में स्वीकृत व्यय	32,97,73.27	39,08,08.29

1	Cost for the year		
	Current Service Cost	10,51,98.78	10,56,89.80
	Interest Cost (Includes Expected return on Plan Assets)	2,62,62.35	2,19,30.46
	Actuarial (Gain) / Loss	19,83,12.14	26,31,88.03
	Expense recognised in the Revenue account	32,97,73.27	39,08,08.29

ग्रेच्युटी

(₹ '000)

क्र.सं.	श्रेणी	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1	लाभ देयता में परिवर्तन		
	वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ देयता	40,58,55.39	41,27,38.89
	ब्याज लागत	3,03,98.57	3,02,53.76
	वर्तमान सेवा लागत	84,00.00	79,82.27
	पिछली सेवा लागत-निहित लाभ		
	प्रदत्त लाभ	(4,12,67.33)	(4,76,90.92)
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	1,75,44.68	25,71.39
	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ देयता	42,09,31.31	40,58,55.39
2	योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन		
	वर्ष के आरंभ में उचित मूल्य पर योजना परिसंपत्तियाँ	39,15,33.81	36,60,55.74
	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	2,93,25.88	2,68,31.39
	योगदान	2,44,63.99	4,50,18.40
	अंतरित परिसंपत्तियाँ	-	-
	प्रदत्त लाभ	(4,12,67.33)	(4,76,90.92)
	बीमांकिक लाभ / (हानि)	2,39.45	13,18.70
	वर्ष के अंत में उचित मूल्य पर योजना परिसंपत्तियाँ	40,42,95.80	39,15,33.81
3	तुलन पत्र में स्वीकृत		

Gratuity

(₹ '000)

S. No.	Category	Current Year	Previous Year
1	Change in Benefit Obligations		
	Projected Benefit Obligations at the beginning of the year	40,58,55.39	41,27,38.89
	Interest Cost	3,03,98.57	3,02,53.76
	Current Service Cost	84,00.00	79,82.27
	Past Service Cost – Vested Benefit		
	Benefits paid	(4,12,67.33)	(4,76,90.92)
	Actuarial (Gain) / Loss	1,75,44.68	25,71.39
	Projected Benefit Obligations at the end of the year	42,09,31.31	40,58,55.39
2	Change in Plan Assets		
	Plan Assets at the beginning of the year at fair value	39,15,33.81	36,60,55.74
	Expected return on Plan Assets	2,93,25.88	2,68,31.39
	Contributions	2,44,63.99	4,50,18.40
	Assets Transferred in		-
	Benefits paid	(4,12,67.33)	(4,76,90.92)
	Actuarial Gain / (Loss)	2,39.45	13,18.70
	Plan Assets at the end of the year at fair value	40,42,95.80	39,15,33.81
3	Recognized in the Balance Sheet		



	परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य	42,09,31.31	40,58,55.39
	वर्ष के अंत में उचित मूल्य पर योजना परिसंपत्तियाँ	40,42,95.80	39,15,33.81
	तुलन पत्र में स्वीकृत देयता	1,66,35.51	1,43,21.58
4	वर्ष के लिए लागत		
	वर्तमान सेवा लागत	84,00.00	79,82.27
	ब्याज लागत (योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल शामिल है)	10,72.69	34,21.67
	बीमांकिक (लाभ) / हानि	1,73,05.23	12,52.69
	पिछली सेवा लागत - निहित लाभ		
	राजस्व खाते में स्वीकृत व्यय	2,67,77.92	1,26,56.63
	श्रेणी	पेंशन	उपदान
5	मान्यताएँ		
	छूट के लिए ब्याज दर	7.25% (7.53%)	7.21% (7.49%)
	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की अनुमानित दर	7.25% (7.53%)	7.21% (7.49%)
	वेतन वृद्धि	7.00% (7.00%)	7.00% (7.00%)
	कार्मिक पण्यावर्त की दर	0.50%	0.50%
6	मूल्यांकन की विधि	पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट विधि	
	योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की अपेक्षित दर निर्धारित करने हेतु आधार।	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल दर 'परिसंपत्तियों के वर्तमान पोर्टफोलियो, निवेश रणनीति एवं बाजार परिदृश्य' पर आधारित होते हैं। पूंजी की सुरक्षा एवं स्वीकार्य जोखिम मापदंडों के भीतर प्रतिफल को अनुकूलित करने के लिए, योजना परिसंपत्तियों को उत्कृष्ट प्रकार से विविधीकृत किया जाता है।	

	Present Value of the Defined Benefit Obligation	42,09,31.31	40,58,55.39
	Plan Assets at the end of the year at fair value	40,42,95.80	39,15,33.81
	Liability recognised in the Balance Sheet	1,66,35.51	1,43,21.58
4	Cost for the year		
	Current Service Cost	84,00.00	79,82.27
	Interest Cost (Includes Expected return on Plan Assets)	10,72.69	34,21.67
	Actuarial (Gain) / Loss	1,73,05.23	12,52.69
	Past Service Cost – Vested Benefit		
	Expense Recognised in the Revenue account	2,67,77.92	1,26,56.63
	Category	Pension	Gratuity
5	Assumptions		
	Interest rate for Discounting	7.25% (7.53%)	7.21% (7.49%)
	Estimated rate of return on Plan Assets	7.25% (7.53%)	7.21% (7.49%)
	Salary Escalation	7.00% (7.00%)	7.00% (7.00%)
	Rate of Employee Turnover	0.50%	0.50%
6	Method of Valuation	Projected Unit Credit Method	
	Basis used to determine the expected rate of return on Plan Assets.	The expected rate of return on plan assets is based on the current portfolio of the assets, investment strategy and the market scenario, in order to protect capital and optimize returns within acceptable risk parameters; the Plan Assets are well diversified.	

**28. परिचालित पट्टे**

कंपनी के पास विभिन्न स्थानों पर कार्यालय परिसर एवं आवासीय फ्लैटों के लिए परिचालन पट्टे हैं, जिन्हें आवधिक आधार पर नवीनीकृत किया जा सकता है एवं एक माह से छह महीने तक की नोटिस अवधि देकर रद्द किया जा सकता है। किराया वृद्धि के प्रावधान अनुबंध दर अनुबंध अलग - अलग होते हैं। परिचालन पट्टों के लिए राजस्व खाते में शामिल किराया व्यय ₹6,28,21.03 हजार (पिछले वर्ष ₹16,52,21.70 हजार) है। लेखा मानक-19 "पट्टों" के अनुसार परिचालन पट्टों के लिए न्यूनतम भावी भुगतान की राशि ₹21,60,56.98 हजार (पिछले वर्ष ₹24,26,86.66 हजार) है।

29. एम एस एम ई डी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार:

- (क) देय तिथि तक आपूर्तिकर्ता को अदत्त मूल राशि एवं उस पर देय ब्याज: ₹ शून्य (पिछला वर्ष ₹ शून्य)
- (ख) विलंबित भुगतान के कारण खरीदार द्वारा प्रदत्त ब्याज राशि: ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)
- (ग) विलंब की अवधि के लिए नियत तिथि के पश्चात देय मूल राशि एवं ब्याज: ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)
- (घ) प्रत्येक वर्ष के अंत में अर्जित एवं अदत्त ब्याज राशि: ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)
- (ङ) अतिरिक्त ब्याज राशि: ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)
- (च) शेष बकाया एवं देय, यहां तक कि आगामी वर्षों में भी उस तिथि तक जब तक कि देय ब्याज वास्तव में एमएसएमई को भुगतान नहीं किया जाता: ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)
30. पिछले वर्षों (अनुसूची 2) में प्रदत्त दावों की वसूली को कंपनी द्वारा लगातार अपनाई जाने वाली प्रथा के अनुसार, ऐसी वसूली पर किए गए वसूली कमीशन, बैंक प्रभार आदि जैसे व्ययों को घटाकर निवल रूप में गणना किया गया है, जो कि ₹173,91,36.27 हजार (पिछले वर्ष ₹169,50,60.10 हजार) रहा है।
31. आई आर डी ए आई द्वारा जारी परिपत्र संख्या 067 / आई आर डी ए / एफ एंड ए / सी आई आर / एम ए आर -08, दिनांक 28/03/2008 के अनुसार नियामक अपेक्षाओं के अनुसार अतिरिक्त प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

28. OPERATING LEASES

The Company has operating leases for office premises and residential flats at various locations that are renewable on a periodic basis and are cancellable by giving a notice period ranging from one month to six months. Rent escalation clauses vary from contract to contract. Rent expenses included in Revenue Account towards operating leases are ₹6,28,21.03 thousand (previous year ₹16,52,21.70 thousand). As per AS-19 "Leases" amount of minimum future payments for operating leases is ₹21,60,56.98 thousand (previous year ₹24,26,86.66 thousand).

29. As per the provisions of the MSMED Act, 2006:

- (a) The principal amount and the interest due thereon remaining unpaid to the supplier till the appointed date: ₹ NIL (previous year ₹ NIL)
- (b) The amount of interest paid by the buyer on account of delayed payments: ₹ NIL (previous year ₹ NIL)
- (c) The principal amount and interest due beyond the appointed date for the period of delay: ₹ NIL (previous year ₹ NIL)
- (d) The amount of interest accrued and remained unpaid at the end of each year: ₹ NIL (previous year ₹ NIL)
- (e) The amount of further interests: ₹ NIL (previous year ₹ NIL)
- (f) Remaining due and payable even in succeeding years, until such date when the interest due is actually paid to the MSMEs: ₹ NIL (previous year ₹ NIL)
30. The recoveries of claims paid in earlier years (Schedule 2) are accounted net of expenses at ₹173,91,36.27 thousand (previous year ₹169,50,60.10 thousand) such as recovery commission, bank charges, etc. incurred on such recoveries as per the practice consistently followed by the Company.
31. Pursuant to the regulatory requirement vide IRDAI circular no. 067/IRDA/F&A/CIR/MAR-08 dt. 28/03/2008 the additional disclosure is given as under:

(₹ '000)

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
I	आउटसोर्सिंग व्यय	37,15,74.21	40,88,37.81
II	कारोबार विकास	1,86,90.31	1,87,22.39
III	विपणन सहायता	7,71,99.44	8,67,82.27

(₹ '000)

S. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
I	Outsourcing Expenses	37,15,74.21	40,88,37.81
II	Business Development	1,86,90.31	1,87,22.39
III	Marketing Support	7,71,99.44	8,67,82.27



32. गैर-जीवन बीमा कंपनियों के लिए अनुपात

अनुपातों के संबंध में जानकारी, संलग्न अनुलग्नक-2 के अनुसार है।

33. जोखिम को बनाए रखने एवं पुनर्बीमा किए जाने की सीमा निम्नानुसार है (आपदा पुनर्बीमा के अतिरिक्त)

(₹ '000)

अप्रैल 2023 से मार्च 2024 की अवधि के लिए प्रीमियम आँकड़े					
वित्तीय वर्ष	प्रीमियम	प्रतिधारण	%	आर आई सीडिंग	%
2023-24	1270,76,53.05	1179,62,42.91	92.83%	91,14,10.14	7.17%
2022-23	1197,52,85.83	977,67,22.67	81.64%	219,85,63.16	18.36%

34. आई आर डी ए आई के मास्टर परिपत्र संख्या-आई आर डी ए / एफ एंड ए / सी आई आर / विविध / 282 / 11 / 2020, दिनांक 17/11/2020 के अनुसार पॉलिसीधारकों की अघोषित राशि का अवधि-वार विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण अनुलग्नक-3ए एवं 3बी के अंतर्गत प्रस्तुत है।

35. आई आर डी ए आई के परिपत्र संख्या- 005 / आई आर डी ए / एफ एंड ए / सी आई आर / मई-09, दिनांक 7/05/2009 के अनुसार नियामक आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त प्रकटीकरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:

क्र. सं.	प्राधिकरण	गैर-अनुपालन/उल्लंघन	राशि ₹'000 में		
			भारत मुआवजा	प्रदत्त मुआवजा	जुर्माने से छूट प्रदान की गई / न्यूनीकृत की गई
1.	भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	जी एस टी / सेवा कर प्राधिकरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आयकर प्राधिकारी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कोई अन्य कर प्राधिकरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	प्रवर्तन निदेशालय / न्याय निर्णायक प्राधिकरण / न्यायाधिकरण अथवा फेमा के अंतर्गत कोई प्राधिकरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

32. RATIOS FOR NON – LIFE COMPANIES

Information in respect of ratios is as per Annexure – 2 attached.

33. Extent of risk retained and reinsured is set out below (excluding catastrophe reinsurance)

₹'000

Premium Statistics for the Period April 2023 to March 2024					
FY	Premium	Retention	%	RI Ceding	%
2023-24	1270,76,53.05	1179,62,42.91	92.83%	91,14,10.14	7.17%
2022-23	1197,52,85.83	977,67,22.67	81.64%	219,85,63.16	18.36%

34. Statement showing Age-wise Analysis of un-claimed amount of the policy-holders as per IRDAI Master Circular no. IRDA/F&A/CIR/Misc/282/11/2020 dated 17/11/2020 is given in Annexure – 3A & 3B.

35. Pursuant to the regulatory requirement vide IRDAI circular no. 005/IRDA/F&A/CIR/MAY-09 dt. 7/05/2009 the additional disclosure is given as under:

S. No	Authority	Non-Compliance/ Violation	Amount in ₹'000		
			Penalty Levied	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced
1.	Insurance Regulatory and Development Authority of India	NIL	NIL	NIL	NIL
2.	GST/Service Tax Authorities	NIL	NIL	NIL	NIL
3.	Income Tax Authorities.	NIL	NIL	NIL	NIL
4.	Any other Tax Authorities	NIL	NIL	NIL	NIL
5.	Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA	NIL	NIL	NIL	NIL



6.	कंपनी रजिस्ट्रार / एन सी एल टी / सी एल बी / कॉर्पोरेट कार्य विभाग अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कोई प्राधिकरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय / न्यायाधिकरण द्वारा भारित मुआवजा, जिसमें दावा निपटान शामिल है परंतु मुआवजा शामिल नहीं है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड	यह लागू नहीं है क्योंकि कंपनी एक सूचीबद्ध इकाई नहीं है			
9.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	कोई अन्य केंद्रीय / राज्य / स्थानीय शासन / सांविधिक प्राधिकरण	*महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958	4,46.71	शून्य	शून्य

6.	Registrar of Companies/ NCLT/CLB/ Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 2013	NIL	NIL	NIL	NIL
7.	Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation	NIL	NIL	NIL	NIL
8.	Securities and Exchange Board of India	Not Applicable as the Company is not a Listed Entity			
9.	Competition Commission of India	NIL	NIL	NIL	NIL
10.	Any other Central/State/ Local Government / Statutory Authority	*The Maharashtra Stamp Act. 1958	4,46.71	NIL	NIL

टिप्पणी:

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958: स्टाम्प कार्यालय, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य, द्वारा अपने पत्र, दिनांक 06 जनवरी, 2015 के जरिए परियोजना कौन्ट्रैक्टर, यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ दिनांक 07 अप्रैल, 2012 को किए गए निर्माण अनुबंध समझौते पर देय ₹7,20,500/- (सात लाख बीस हजार पांच सौ रुपये मात्र) के स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं किए जाने पर ₹4,46,710/- (चार लाख छियालीस हजार सात सौ दस रुपये मात्र) का मुआवजा भारित किया गया है।

हालाँकि, कंपनी द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2015 को मुआवजे से छूट प्रदान के लिए पंजीकरण उप महानिरीक्षक के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत किया गया था एवं मामले पर शीघ्र निर्णय के लिए संबंधित प्राधिकारी के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

वर्तमान तिथि तक, यह अपील मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकारी एवं पंजीकरण महानिरीक्षक (अपीलीय प्राधिकारी), महाराष्ट्र राज्य, पुणे के समक्ष आदेशार्थ लंबित है एवं मामले में सुनवाई की कोई अगली तारीख नियत नहीं की गई है।

36. आय एवं व्यय का आबंटन

निवेश आय एवं व्यय को पॉलिसीधारकों के निधि एवं शेयरधारकों के निधि के प्रारंभिक शेष के आधार पर राजस्व खाते एवं लाभ एवं हानि खाते के मध्य आनुपातिक रूप से आवंटित किया जाता है एवं इस प्रथा का निरंतर पालन किया गया

Note:

The Maharashtra Stamp Act, 1958: Stamp Office, Mumbai, Maharashtra State, vide its letter dated January 06, 2015, has imposed a penalty of ₹4,46,710/- (Rupees four lakh forty-six thousand seven hundred and ten only), for non-payment of stamp duty of ₹7,20,500/- (Rupees seven lakh twenty thousand and five hundred only) payable on the construction contract agreement entered with Project Contractor, Unity Infra Projects Limited on April 07, 2012.

However, the Company had represented its case on January 22, 2015 to the Deputy Inspector General of Registration for waiver of penalty and the matter is being continuously followed up with the respective authority for early decision.

The Appeal is pending as of date for orders with the Chief Controlling Revenue Authority and Inspector General of Registration (Appellate Authority), Maharashtra State, Pune, and no next date of hearing is assigned in the matter.

36. ALLOCATION OF INCOME AND EXPENSES

Investment incomes and expenses are allocated pro-rata between the Revenue Account and the Profit & Loss Account on the basis of opening balances of Policyholders' Fund and Shareholders' Fund which practice has been followed consistently.



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

है। यह आई आर डी ए आई द्वारा मास्टर परिपत्र संख्या- आई आर डी ए / एफ एंड आई / सी आई आर / एफ एंड ए / 231 / 10 / 2012, दिनांक 5 अक्टूबर, 2012 एवं दिनांक 3 जुलाई, 2013 को जारी शुद्धिपत्र-आई आर डी ए / एफ एंड ए / सी आई आर / एफ ए / 126 / 07 / 2013 द्वारा निर्धारित प्रकटीकरण मानदंड के अनुरूप है, जो वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रभावी है।

37. निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में कंपनी के प्रति शेयर ₹10 का लाभांश प्रस्तावित किया है, जो आगामी वार्षिक साधारण बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। कंपनी लेखा मानक नियम 2016 में संशोधन के जरिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित लेखा मानक ए एस-4 तुलन-पत्र तिथि के पश्चात होने वाली आकस्मिकताएं एवं घटनाएं के अनुसार, कंपनी द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाते से ₹433,80,00.00 हजार की प्रस्तावित लाभांश राशि को विनियोजित नहीं किया गया है।
38. पिछली अवधि / वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहीकृत / पुनः वर्गीकृत किया गया है, ताकि उन्हें वर्तमान अवधि / वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

This is in line with the disclosure norm set by IRDAI by its master circular No IRDA/F&I/CIR/F&A/231/10/2012 dated 5th October, 2012 and corrigendum IRDA/F&A/CIR/FA/126/07/2013 issued dated 3rd July, 2013 effective from FY 2013-14.

37. The Board of Directors at their meeting has proposed a dividend of ₹10 per share of the Company subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. In terms of revised Accounting Standard AS-4 'Contingencies and Events occurring after the Balance Sheet date' as notified by the Ministry of Corporate Affairs through the amendments to the Companies Accounting Standard Rules 2016, the Company has not appropriated proposed dividend amounting to ₹433,80,00.00 thousand from the Profit Loss Account for the year ended on March 31, 2024.
38. The figures for the previous period/year have been re-grouped/re-classified wherever necessary to make them comparable with the current period's/year's figures.

(सृष्टिराज अम्बष्ठ)

कार्यपालक निदेशक /अ प्र नि -अतिरिक्त प्रभार
(SRISTIRAJ AMBASTHA)
Executive Director/CMD-Addl.Charge
डीआईएन/DIN – 10375617

(सिद्धार्थ महाजन)

निदेशक
(SIDDHARTH MAHAJAN)
Director
डीआईएन/DIN - 03349759

(हर्षा बंगारी)

निदेशक
(HARSHA BANGARI)
Director
डीआईएन/DIN - 01807838

(अमित कुमार अग्रवाल)

निदेशक
(AMIT KUMAR AGARWAL)
Director
डीआईएन / DIN - 05333909

(पलनियप्पन मुत्तु)

निदेशक
(PALANIAPPAN MUTHU)
Director
डीआईएन / DIN - 10200176

(अभिषेक जैन)

मुख्य वित्तीय अधिकारी
(ABHISHEK JAIN)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)

कंपनी सचिव
(SMITA PANDIT)
Company Secretary

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached

कृते के बी डी एस एंड कंपनी

सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 323288E
For KBDS & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 323288E

(दशरथ कुमार सिंह)

भागीदार - एम. नं. 060030
(DASHRATH KUMAR SINGH)
Partner - M.No. 060030

कृते एम एल पुरी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002312N
For M. L. Puri & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 002312N

(राजेश चंद गुप्ता)

भागीदार - एम. नं. 095584
(RAJESH CHAND GUPTA)
Partner - M.No. 095584

स्थान : मुंबई
दिनांक : 16 मई, 2024
Place : Mumbai
Date : 16th May, 2024



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन / CIN.: U74999MH1957GOI010918

वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन

DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 में अनुबंध - 1 (क) / Annexure - 1 (a) to Schedule 17

क्र. सं. S. No.	विवरण Particular	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछला वर्ष Previous Year (₹ '000)
1	कंपनी की परिसंपत्तियों की परिलब्धियों के विवरण निम्नानुसार हैं The details of encumbrances to the assets of the Company are as under		
	क) भारत में a) In India	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
	ख) भारत के बाहर b) Outside India	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
2	बकाया दायित्व (प्रबंधन द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार) Commitments Outstanding (as per the data provided by the management)		
	क) ऋणों व निवेशों के लिए की गई व बकाया प्रतिबद्धता a) Commitments made and outstanding for loans and investments	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
	ख) अचल परिसंपत्तियों के लिए की गई प्रतिबद्धता (अग्रिमों का निवल) b) Commitments made for Fixed Assets (Net of advances)	87,28,94.39 87,28,94.39	204,23,49.85 204,23,49.85
3	दावेदारों को अदा किए गए दावे, पुनर्बीमा को घटाकर Claims, less reinsurance, paid to claimants		
	क) भारत में a) In India	360,07,08.14	516,57,00.38
	ख) भारत के बाहर b) Outside India	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
4	दावों के प्रति दायित्व जहां दावे की अवधि चार वर्षों से अधिक है, Claim liabilities where claim payment period exceeds four years	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
5	छः महीनों से अधिक के बकाया दावे (सकल - भारतीय) Claims outstanding for more than six months (Gross - Indian)		
	दावों की संख्या / Number of Claims	31	27
	राशि / Amount	36,31,09.09	99,94,47.82
	छः महीनों से कम के बकाया दावे (सकल - भारतीय) Claims outstanding for less than six months (Gross - Indian)		
	दावों की संख्या / Number of Claims	114	183
	राशि / Amount	142,61,71.47	342,52,65.93
	कुल बकाया दावों की संख्या (सकल - भारतीय) Total Number of Claims outstanding (Gross - Indian)	145	210
	राशि / Amount	178,92,80.56	442,47,13.75



क्र. सं. S. No.	विवरण Particular	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछला वर्ष Previous Year (₹ '000)
6	कारोबार से प्राप्त प्रीमियम, पुनर्बीमा को घटाकर Premiums, less reinsurance, written from business		
	भारत में In India	1179,62,42.91	977,67,22.67
	भारत के बाहर Outside India	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
7	घोषित लेखागत नीति के अनुसार प्रीमियम को आय के रूप में स्वीकार किया गया है। निवल प्रीमियम आय के 50% पर असमाप्त जोखिम के लिए प्रारक्षित निधि निर्मित की गई है Premium is recognised as Income as per the declared accounting policy. A reserve for un-expired risks is created at 50% of net premium.	589,81,21.46	489,95,21.18
8	निवेशों के संबंध में निविदा के विवरण, Details of contracts in relation to investments for,		
	क) खरीद जहाँ सुपुर्दगी लंबित है a) Purchase where deliveries are pending	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
	ख) बिक्री जहाँ भुगतान देय हो b) Sales where payments are due	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
9	ऋण बीमा कारोबार संबंधी सम्पूर्ण परिचालन व्यय The entire operating expenses pertain to credit insurance business.		
10	घोषित लेखा नीति के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया गया है। Investments are valued in accordance with the declared accounting policy.		
11	सीमांत पारिश्रमिक की गणना : सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 462 के अंतर्गत जी एस आर 463 के जरिए इससे छूट प्रदान की गई है Computation of Managerial Remuneration: The Company is exempted vide notification: GSR 463 u/s 462 of the Companies Act, 2013, being a Government Company.		
12	निवेशों के मूल्य ह्रास के लिए ऋण प्रतिभूति परिशोधन के आधार पर प्रावधान Basis of amortisation of debt securities	महत्वपूर्ण लेखा नीति का बिन्दु संख्या 4.6 का संदर्भ लें Refer Point no. 4.6 of Significant Accounting Policy	महत्वपूर्ण लेखा नीति का बिन्दु संख्या 4.6 का संदर्भ लें Refer Point no. 4.6 of Significant Accounting Policy
	निवेशों के मूल्य ह्रास का आधार Provision for diminution in the value of the investments	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
13	क) उचित मूल्य परिवर्तन खाते के अंतर्गत सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण अप्राप्त लाभ और हानि a) Unrealised gains and losses due to changes in fair value of listed equity shares under Fair value change a/c	1541,46,93.55	687,03,74.24
	ख) उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लंबित प्राप्तियाँ ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है b) Pending realisation, credit balance in Fair value change a/c not available for distribution	1541,46,93.55	687,03,74.24



क्र. सं. S. No.	विवरण Particular	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछला वर्ष Previous Year (₹ '000)
14	कंपनी ने "रीयल स्टेट निवेश संपत्ति" में किसी भी प्रकार का निवेश नहीं किया है The Company does not have investment in 'Real Estate Investment Property.'		
15 क) A	तुलन पत्र की तारीख तक अदा किए गए व छः महीने से अधिक के लिए लंबित दावे निम्नानुसार हैं Claims settled and remaining unpaid for a period more than six months as on balance sheet date are as under		
	दावों की संख्या / Number of claims	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	राशि / Amount	शून्य / Nil	शून्य / Nil
ख B	वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली सभी महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ अलग से प्रकट की गई हैं All Significant accounting policies forming part of the financial statements are disclosed separately.		
ग/क 1	वैधानिक अपेक्षाओं के अनुसार किए गए जमा निम्नानुसार हैं Deposits made in accordance with statutory requirements are as under		
	क) भारत में - बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अधीन (अंकित मूल्य 1000.00 लाख) a) In India- under Section 7 of the Insurance Act 1938 (Face Value 1000.00 lacs)	लागू नहीं N.A	लागू नहीं N.A
	ख) भारत के बाहर b) Outside India	लागू नहीं N.A	लागू नहीं N.A
2	निवेशों का अर्जक निवेश व अनर्जक निवेशों में वर्गीकरण निम्नानुसार है Segregation of Investments into performing and non-performing investments is as under		
	अर्जक (मानक) निवेश Performing(Standard) Investments	17575,91,24.60	16156,39,52.48
	अनर्जक निवेश Non Performing Investments	98,49,81.11	105,46,22.97
	कुल अंकित मूल्य(अंतिम मूल्य) Total Book Value(Closing Value)	17674,41,05.71	16261,85,75.45
3	क्षेत्रवार कारोबार का प्रतिशत Percentage of business sectorwise जैसा कि निगम केवल निर्यातकों को सेवाएँ प्रदान करता है, अलग से क्षेत्रों की पहचान नहीं की गई है As the company caters to exporters only, no such sectors are specifically identifiable.		
4	5 वर्षों के वित्तीय विवरण का सारांश संलग्न है। A summary of financial statements for 5 years is enclosed.	अनुलग्नक 1ख के अनुसार As per Annexure 1b	अनुलग्नक 1ख के अनुसार As per Annexure 1b



क्र. सं. S. No.	विवरण Particular	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछला वर्ष Previous Year (₹ '000)	Growth %
5	विभिन्न वित्तीय अनुपात (प्रबंधन के समेकन के अनुसार) (प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विशिष्ट अनुपात न होने पर कुछ महत्वपूर्ण अनुपातों का उल्लेख किया गया है) (वर्ष के अंत तक अथवा जब तक कि उल्लेख नहीं किया गया हो) Various Financial Ratios (as compiled by the management) (in the absence of specific ratios prescribed by the authority, some of the important ratios are given.) (Year-end unless otherwise stated)			
	सकल प्रीमियम / Gross Premium	1270,76,53.05	1197,52,85.83	6.12
	निवल प्रीमियम / Net Premium	1179,62,42.91	977,67,22.67	20.66
	निवल प्रतिधारण अनुपात (%) निवल प्रीमियम/सकल प्रीमियम) Net Retention Ratio (%) (Net Premium/Gross Premium)	92.83	81.64	13.70
	शेयर पूंजी पर कर पूर्व लाभ (%) Profit before Tax to Share Capital (%)	65.90	63.65	3.54
	कर पूर्व लाभ से निवल मालियत (%) Profit before Tax to Networth (%)	24.14	27.29	-11.54
	कर पश्चात लाभ से निवल मालियत (%) Profit after Tax to Networth (%)	18.23	21.39	-14.77
	सकल प्रीमियम की तुलना में प्रबंधन व्यय (%) Expenses of Management to Gross Premium (%)	29.68	27.90	6.38
	कुल रोजगार पर पी बी डी आई टी PBDIT to Total Employment	4,85,72.55	4,64,08.25	4.66
	निवल प्रीमियम पर तकनीकी प्रारक्षण Technical Reserves to Net Premium			
	असमाप्त जोखिम प्रारक्षण / Unexpired Risks Reserve	589,81,21.46	489,95,21.18	20.38%
	बकाया दावे / Outstanding Claims	4699,74,56.98	5929,31,09.23	-20.74%
	कुल तकनीकी प्रारक्षण / Total Technical Reserves	5289,55,78.44	6419,26,30.41	- 17.60%
	निवल प्रीमियम / Net Premium	1179,62,42.91	977,67,22.67	20.66%
	अनुपात / Ratio	4.48	6.57	-31.71



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन / CIN:: U74999MH1957GOI010918

वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन

DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 में अनुबंध - 1 (ख) / Annexure - 1 (b) to Schedule 17

(₹ '000)

क्र. सं. S. No.	विवरण Particular	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
	परिचालन परिणाम OPERATING RESULTS					
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	1270,76,53.05	1197,52,85.83	1106,61,67.81	1062,28,19.61	1075,47,39.68
2	निवल अर्जित प्रीमियम Net Earned Premium	1179,62,42.91	977,67,22.67	902,00,40.54	862,32,31.91	792,28,95.24
3	निवेशों से आय (निवल) Income from Investments (Net)	459,85,42.33	556,51,48.48	587,77,84.61	566,17,10.29	507,97,46.56
4	अन्य आय (शुल्क और प्राप्तियाँ) Other Income(Fee & Other Receipts)	2,39,87.68	2,05,93.28	3,06,12.44	1,10,74.60	2,04,07.18
5	कुल आय / Total Income	1641,87,72.92	1536,24,64.43	1492,84,37.59	1429,60,16.80	1302,30,48.98
6	कमीशन (निवल) (ब्रोकरेज सहित) Commission (Net) (Including Brokerage)	19,05,47.55	(4,41,15.93)	(31,37,84.39)	(26,19,85.99)	(37,15,68.81)
7	परिचालन व्यय Operating Expenses	335,42,52.16	297,82,31.63	281,32,81.11	270,92,57.55	314,08,13.26
8	शुद्ध उपगत दावे Net Incurred Claim	(974,47,47.18)	(702,92,04.79)	546,19,29.35	884,52,05.49	958,41,52.78
9	असमाप्त जोखिम प्रारक्षित निधि में परिवर्तन / Change in Unexpired Risk Reserve	(99,86,00.28)	(38,95,00.91)	(19,84,04.32)	(35,01,68.34)	38,86,55.95
10	परिचालन लाभ / (हानि) Operating Profit / (Loss)	2162,01,20.11	2215,32,52.61	684,88,07.20	159,09,71.41	86,91,07.70
	गैर परिचालन परिणाम NON OPERATING RESULTS					
11	शेयरधारकों के खाते के अंतर्गत कुल आय / Total Income under Shareholders' account	696,93,57.90	545,84,83.73	475,98,36.22	428,99,99.01	313,10,81.51
12	कर पूर्व लाभ / (हानि) Profit / (Loss) before tax	2858,94,78.01	2761,17,36.34	1160,86,43.42	588,09,70.42	400,01,89.21
13	कर के लिए प्रावधान Provision for tax	699,90,13.46	596,91,97.88	285,70,23.57	127,79,21.46	76,17,91.80



(₹ '000)

क्र. सं. S. No.	विवरण Particular	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
14	कर पश्चात लाभ/ (हानि) Profit / (Loss) after tax	2159,04,64.55	2164,25,38.46	875,16,19.85	460,30,48.96	323,83,97.41
	विविध / MISCELLANEOUS					
15	पॉलिसीधारक खाता* Policyholders' Account*					
	कुल निधियाँ / Total Funds	6736,59,94.21	8339,63,97.28	8627,45,43.68	8027,76,02.10	7644,96,74.89
	कुल निवेश # Total Investments#	6893,02,01.23	8130,92,87.73	8523,15,27.47	7892,22,17.77	7144,83,19.52
	निवेश पर प्रतिफल Yield on Investments	7.83	7.81	8.12	8.52	8.29
16	शेयरधारक का खाता* Shareholders' Account *					
	कुल निधियाँ / Total Funds	10536,73,24.28	8339,63,97.28	7058,82,63.01	6056,02,96.32	5312,60,45.27
	कुल निवेश# Total Investments#	10781,39,04.48	8130,92,87.73	6973,48,86.11	5953,78,13.41	4965,05,27.13
	निवेश पर प्रतिफल Yield on Investments	7.83	7.81	8.12	8.52	8.29
17	प्रदत्त इक्विटी पूंजी Paid up Equity Capital	4338,00,00.00	4338,00,00.00	3950,00,00.00	3190,00,00.00	2500,00,00.00
18	निवल मालियत Net Worth	11841,88,52.13	10116,63,87.58	7840,88,49.12	6365,22,29.27	5214,91,80.31
19	कुल परिसंपत्तियाँ Total Assets	19376,63,97.25	17884,44,89.05	16929,71,23.07	15303,60,21.60	13422,97,91.57
20	कुल निवेशों पर प्रतिफल Yield on Total Investments	7.83	7.81	8.12	8.52	8.29
21	प्रति शेयर आय (रु) Earnings Per Share (Rs.)	49.77	54.06	25.59	16.01	14.09
22	प्रतिशेयर आंकित मूल्य (रु) Book Value per share (Rs.)	272.98	233.21	198.50	199.54	208.60
23	कुल लाभांश Total Dividend	-	433,80,00.00	276,50,00.00	159,50,00.00	-
24	प्रति शेयर लाभांश (रु) Dividend per share (Rs.)	-	10.00	7.00	5.00	-

* ऊपर दर्शाई गई कुल निधियों व कुल निवेश वर्ष के अंत के हैं। पॉलिसी धारक व शेयर धारक शीर्षों के अधीन वर्ष के आरंभ में उपलब्ध कुल के अनुपात में, निधियों व निवेशों को पॉलिसीधारकों व शेयरधारकों के खातों में विभक्त किया गया है।

* Total funds & total investments shown above are as of year end. Funds & investments has been divided into Policyholders(PH) & Shareholders(SH) accounts in the ratio of total funds available at the start of year under PH & SH account.

अनुसूची 11-नकद व बैंक शेषों के अंतर्गत निवेशों में सावधि जमाएँ शामिल हैं।

Investments includes Fixed deposits under Sch 11 - Cash & Bank Balances.



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन / CIN.: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु विश्लेषक अनुपात
Analytical Ratios for the period ended on 31st March 2024

अनुसूची 17 का संलग्न 2 / Annexure 2 to Schedule 17

क्रसं Sl. No	विवरण Particular	31 मार्च 2024 31 March 2024	31 मार्च 2023 31 March 2023
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर / Gross Direct Premium Growth Rate		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम / Gross Direct Premium	1270,76,53.05	1197,52,85.83
	वृद्धि / Growth	6.12%	8.22%
2	निवल मालियत के अनुपात में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (गुना) Gross Direct Premium to Net Worth Ratio (Times)		
	कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम / Total Gross Direct Premium	1270,76,53.05	1197,52,85.83
	निवल मालियत (समापन) / Net Worth (Closing)	11841,88,52.13	10116,63,87.58
	अनुपात (गुना) / Ratio (times)	0.11	0.12
3	निवल मालियत की वृद्धि दर / Growth Rate of Net Worth		
	निवल मालियत (प्रारंभिक) / Net Worth (Opening)	10116,63,87.58	7840,88,49.12
	निवल मालियत (समापन) / Net Worth (Closing)	11841,88,52.13	10116,63,87.58
	निवल मालियत की वृद्धि दर / Growth rate of Net Worth	17.05%	29.02%
4	निवल प्रतिधारण अनुपात / Net Retention Ratio		
	निवल प्रीमियम / Net Premium	1179,62,42.91	977,67,22.67
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम / Gross Direct Premium	1270,76,53.05	1197,52,85.83
	निवल प्रतिधारण अनुपात / Net Retention Ratio	92.83%	81.64%
5	निवल कमीशन अनुपात / Net Commission Ratio		
	निवल कमीशन / Net Commission	19,05,47.55	(4,41,15.93)
	निवल प्रीमियम / Net Premium	1179,62,42.91	977,67,22.67
	अनुपात / Ratio	1.62%	-0.45%
6	प्रबंधन व्यय की तुलना में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात Expenses of Management to Gross Direct Premium Ratio		
	प्रबंधन व्यय / Expenses of Management	377,18,52.85	334,15,26.73
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम / Gross Direct Premium	1270,76,53.05	1197,52,85.83
	अनुपात / Ratio	29.68%	27.90%
7	प्रबंधन व्यय की तुलना में शुद्ध लिखित प्रीमियम अनुपात Expenses of Management to Net Written Premium Ratio		
	प्रबंधन व्यय / Expenses of Management	377,18,52.85	334,15,26.73
	निवल लिखित प्रीमियम / Net Written Premium	1179,62,42.91	977,67,22.67
	अनुपात / Ratio	31.98%	34.18%
8	निवल अर्जित प्रीमियम की तुलना में शुद्ध उपगत दावे Net Incurred Claims to Net Earned Premium		
	निवल उपगत दावे / Net Incurred Claims	(974,47,47.18)	(702,92,04.79)
	निवल अर्जित प्रीमियम / Net Earned Premium	1079,76,42.63	938,72,21.76
	अनुपात / Ratio	-90.25%	-74.88%



क्र.सं. Sl. No	विवरण Particular	31 मार्च 2024 31 March 2024	31 मार्च 2023 31 March 2023
9	सम्मिलित अनुपात / Combined ratio		
	निवल उपगत दावे / Net Incurred Claims	(974,47,47.18)	(702,92,04.79)
	निवल अर्जित प्रीमियम / Net Earned Premium	1079,76,42.63	938,72,21.76
	अनुपात (क) / Ratio (a)	-90.25%	-74.88%
	प्रबंधन व्यय / Expenses of management	364,92,23.61	303,82,31.04
	निवल अर्जित प्रीमियम / Net Written Premium	1179,62,42.91	977,67,22.67
	अनुपात (ख) / Ratio (b)	30.94%	31.08%
	सम्मिलित अनुपात (क + ख) / Combined Ratio (a + b)	-59.31%	-43.80%
10	तकनीकी आरक्षित निधियों की तुलना में शुद्ध प्रीमियम अनुपात (गुना) Technical Reserves to Net Premium Ratio (Times)		
	बकाया दावों के लिए आरक्षित / Reserve for Outstanding Claims	4699,74,56.98	5929,31,09.23
	असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित / Reserve For Un-expired Risks	589,81,21.46	489,95,21.18
	प्रीमियम में कमी के लिए आरक्षित / Reserve for Premium Deficiency	-	-
	कुल / Total	5289,55,78.44	6419,26,30.41
	निवल प्रीमियम / Net Premium	1179,62,42.91	977,67,22.67
	अनुपात (गुना) / Ratio (Times)	4.48	6.57
11	बीमांकन शेष अनुपात / Underwriting Balance Ratio		
	बीमांकन लाभ / Underwriting Profit	1697,05,19.24	1656,73,92.85
	निवल प्रीमियम / Net Premium	1079,76,42.63	938,72,21.76
	अनुपात / Ratio	157.17%	176.49%
12	परिचालन लाभ अनुपात / Operating Profit Ratio		
	बीमांकन लाभ / Underwriting Profit	1697,05,19.24	1656,73,92.85
	निवेश आय / Investment Income	462,56,13.19	556,52,66.48
	राजस्व खाते में अन्य आय / Other Income in Revenue account	2,39,87.68	2,05,93.28
	परिचालन लाभ / Operating Profit	2162,01,20.11	2215,32,52.61
	निवल अर्जित प्रीमियम / Net Earned Premium	1079,76,42.63	938,72,21.76
	अनुपात / Ratio	200.23%	235.99%
13	देयता की तुलना में चल परिसंपत्तियां : (बीमाकृत की चल परिसंपत्तियाँ भागित पॉलिसीधारकों की देयताएँ) (गुना) Liquid assets to liabilities ratio: (Liquid assets of the insurer divided by the policy holders' liabilities) (Times)		
	चल परिसंपत्तियाँ / Liquid Assets	2470,19,40.85	2439,69,37.43
	पॉलिसी धारकों की देयताएँ / Policy Holder Liabilities	5289,55,78.44	6419,26,30.41
	अनुपात (गुना) / Ratio (Times)	0.47	0.38
14	निवल अर्जन अनुपात / Net earnings ratio		
	कर पश्चात लाभ / Profit After Tax	2159,04,64.55	2164,25,38.46
	निवल प्रीमियम / Net Premium	1179,62,42.91	977,67,22.67
	अनुपात / Ratio	183.03%	221.37%
15	निवल मालियत पर प्राप्ति / Return on net worth		
	कर पश्चात लाभ / Profit After Tax	2159,04,64.55	2164,25,38.46
	निवल मालियत / Net Worth	11841,88,52.13	10116,63,87.58
	अनुपात / Ratio	18.23%	21.39%



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

क्रसं Sl. No	विवरण Particular	31 मार्च 2024 31 March 2024	31 मार्च 2023 31 March 2023
16	आवश्यक शोधन क्षमता मार्जिन की तुलना में उपलब्ध शोधन क्षमता (गुना) Available Solvency to Required Solvency Margin Ratio (Times)		
	उपलब्ध शोधन क्षमता / Available Solvency Margin	11292,75,23.00	9394,14,59.00
	आवश्यक शोधन क्षमता / Required Solvency Margin	235,92,48.60	195,98,08.40
	अनुपात(गुना) / Ratio (Times)	47.87	47.93
17	अनर्जक खाता अनुपात / NPA Ratio		
	निवेश: / Investment:	0.557%	0.649%
	फैक्टरिंग / Factoring:	76.78%	82.18%

वर्तमान एवं पिछले वर्ष के अनुपातों की गणना आई आर डी ए आई के मास्टर परिपत्र IRDA/F&I/CIR/F&A/231/10/2012 दिनांक 5 अक्टूबर 2012 एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रभावी, 3 जुलाई को जारी उसके शुद्धि पत्र IRDA/F&A/CIR/FA/126/07/2013 के आधार पर की गयी है।

Ratios for the Current Year & Previous Year calculated as per IRDA's Master circular IRDA/F&I/CIR/F&A/231/10/2012 dated 5th October 2012 and corrigendum IRDA/F&A/CIR/FA/126/07/2013 issued dated 3rd July 2013 effective from FY 2013-14.

(सृष्टिराज अम्बष्ठ)

कार्यपालक निदेशक /अ प्र नि -अतिरिक्त प्रभार

(SRISTIRAJ AMBASTHA)

Executive Director/CMD-Addl.Charge

डीआईएन/DIN - 10375617

(सिद्धार्थ महाजन)

निदेशक

(SIDDHARTH MAHAJAN)

Director

डीआईएन/DIN - 03349759

(हर्षा बंगारी)

निदेशक

(HARSHA BANGARI)

Director

डीआईएन/DIN - 01807838

(अमित कुमार अग्रवाल)

निदेशक

(AMIT KUMAR AGARWAL)

Director

डीआईएन / DIN - 05333909

(पालनियप्पन मुत्तु)

निदेशक

(PALANIAPPAN MUTHU)

Director

डीआईएन / DIN - 10200176

(अभिषेक जैन)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

(ABHISHEK JAIN)

Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)

कंपनी सचिव

(SMITA PANDIT)

Company Secretary

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date attached

कृते के बी डी एस एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 323288E

For KBDS & Co.

Chartered Accountants

Firm Registration No. 323288E

(दशरथ कुमार सिंह)

भागीदार - एम. नं. 060030

(DASHRATH KUMAR SINGH)

Partner - M.No. 060030

कृते एम एल पुरी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 002312N

For M. L. Puri & Co.

Chartered Accountants

Firm Registration No. 002312N

(राजेश चंद गुप्ता)

भागीदार - एम. नं. 095584

(RAJESH CHAND GUPTA)

Partner - M.No. 095584

स्थान : मुंबई

दिनांक : 16 मई, 2024

Place : Mumbai

Date : 16th May, 2024



ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन / CIN.: U74999MH1957GOI010918

31-मार्च-2024 तक पॉलिसीधारकों द्वारा दावा न की गई राशि का समय वार विश्लेषण का विवरण

Statement showing the Age-wise Analysis of the Unclaimed Amount of the Policyholders as on 31-March-2024

अनुसूची 17 का अनुबंध 3 क / Annexure 3(A) to Schedule 17

राशि ₹ '000 में / Amount in ₹ '000

क्रं सं Sl. No	विवरण / Particulars	कुल राशि Total Amount	समय - वार विवरण / AGE-WISE ANALYSIS							
			0-6 माह months	7-12 माह months	13-18 माह months	19-24 माह months	25-30 माह months	31-36 माह months	37-120 माह months	120 माह से अधिक More than 120 months
1	दावों का निपटान किया गया परंतु बीमा/पॉलिसीधारकों की ओर से मुकदमा किए जाने के कारण को छोड़कर किन्हीं कारणों की वजह से दावों का भुगतान पॉलिसीधारकों/बीमाधारकों को नहीं किया गया। Claims settled but not paid to the policyholders/ beneficiaries due to any reasons except under litigation from the policyholders/ beneficiaries	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	परिपक्वता पर या अन्य कारण से बीमा/पॉलिसीधारकों को देय राशि Sum due to the policyholders/ beneficiaries on maturity or otherwise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	प्रीमियम/कर अथवा कोई अन्य अतिरिक्त वसूली शुल्क जो पॉलिसी की शर्तों अथवा कानून अथवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पॉलिसीधारकों को वापस लौटना है, परंतु अभी तक लौटाया नहीं गया है Any excess collection of the premium / tax or any other charges which is refundable to the policyholders/ beneficiaries either as terms of conditions of the policy or as per law or as may be directed by the Authority but not refunded so far	67,29.05	3,00.00	8,56.35	86.15	5.43	25.46	7,55.41	45,06.39	1,93.86
4	चेक जारी किए गए परंतु पॉलिसीधारक/बीमाधारकों द्वारा भुनाए नहीं गए हैं। Cheques issued but not encashed by the policyholder/ beneficiaries	44,35.52	2,43.00	21.86	3,26.95	2,92.24	11.58	3.59	34,62.19	74.11
	कुल / Total	1,11,64.57	5,43.00	8,78.21	4,13.10	2,97.67	37.04	7,59.00	79,68.58	2,67.97

नोट: उपरोक्त मद संख्या 4 के अधीन चेक जारी किए गए हैं परंतु उन्हें भुनाया नहीं गया है, जिसमें केवल वैधता समाप्त जारी चेकों की राशि शामिल है। अन्य जारी किए गए लेकिन गैर समाशोधित चेकों के संबंध में, प्रबंधन की राय है कि पॉलिसीधारक चेक की वैधता तक किसी भी समय चेक भुनाने के लिए कानूनी रूप से पात्र है। तदनुसार ऐसे चेक की राशि को दावा न की गई राशि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

Note : Cheques issued but not encashed under point no 4 above includes only the amount on account of cheques issued whose validity has expired. In respect of other cheques issued but not cleared, the management is of the opinion that the policyholder is legally entitled to encash the cheque anytime till the validity of cheque. Accordingly the amount of such cheques need not be classified as unclaimed.



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन / CIN:: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च 2024 तक दावा न की गई राशि एवं उस पर निवेश आय का विवरण

Details of Unclaimed Amounts and Investment Income thereon as on 31-March-2024

अनुसूची 17 का अनुबंध 3 (ख) / Annexure 3(B) to Schedule 17
राशि ₹ ' 000 में / Amount in ₹ '000

विवरण Particular	वर्तमान वर्ष (2023-24) Current Year (2023-24)		पिछले वर्ष (2022-23) Previous Year (2022-23)	
	पॉलिसी बकाया Policy Dues	उपचित आय Income Accrued	पॉलिसी बकाया Policy Dues	उपचित आय Income Accrued
आरंभिक शेष Opening Balance	1,40,10.74	43,39.68	1,53,50.33	39,87.39
जोड़ें : अदावित निधि में अंतरित राशि Add: Amount transferred to Unclaimed Fund	15,53.01	-	23,85.57	
जोड़ें : अदावित राशि में से जारी चेक , परंतु पॉलिसी धारकों द्वारा अनाहरित (केवल तब ही शामिल किया जाये जब चेकों की अवधि समाप्त हो चुकी हो) Add: Cheques issued out of the unclaimed amount but not encashed by the policyholders (To be included only when the cheques are stale)	-	-	2,85.64	
जोड़ें : अदावित निधि से अर्जित निवेश आय Add: Investment Income on Unclaimed Fund	-	14,76.94	-	10,99.33
घटाएँ : तिमाही के दौरान अदा किए गए दावे Less: Amount of claims paid during the quarter	21,94.74	10.20	26,47.96	7,47.04
घटाएँ : एस सी डबल्यू एफ को अंतरित राशि (पूर्व में अंतरित राशियों के संबंध में दावों का निवल) Less: Amount transferred to SCWF (net of claims paid in respect of amounts transferred earlier)	22,04.43	8,40.19	13,62.84	
अदावित निधि की राशि का अंतिम शेष Closing Balance of Unclaimed Amount Fund	1,11,64.57	49,66.24	1,40,10.74	43,39.68



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन / CIN:: U74999MH1957GOI010918

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान खाता / नकद प्रवाह विवरण - (प्रत्यक्ष विधि)

Receipts & Payments Account / Cash Flow Statement - (Direct Method) for the year ended 31st March 2024

(₹ '000)

क्र.सं. S.No.	विवरण / Particulars	2023-24	2022-23
क A	परिचालन गतिविधि से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITY		
1	अग्रिम रसीदों सहित पॉलिसीधारक से प्राप्त प्रीमियम Premium received from policyholder including advance receipts	1256,93,35.78	1149,27,30.45
2	अन्य रसीदें / वसूली / शुल्क Other Receipts / Recoveries / Fees	124,43,98.74	167,44,89.29
3	कमीशन एवं दावों के निवल का पुनर्बीमाकर्ताओं को भुगतान Payments to reinsurers net of commission and claims	(34,42,15.25)	(36,26,37.09)
4	दावों का भुगतान Payments of Claims	(450,30,54.61)	(763,04,85.84)
5	कमीशन एवं ब्रोकरेज का भुगतान Payments of Commission & Brokerage	(25,10,17.94)	(16,77,92.73)
6	अन्य परिचालन व्ययों का भुगतान Payments of Other operating expenses	(268,19,55.53)	(236,74,25.24)
7	जमा, अग्रिम एवं कर्मचारी ऋण Deposits, Advances & Staff Loan	11,33,40.92	(46,34,50.71)
8	प्रदत्त आयकर(निवल) Income Tax Paid (Net)	(693,80,70.12)	(615,62,92.18)
9	प्रदत्त जीएसटी GST Paid	(3,14,87.16)	(4,49,12.13)
10	अन्य भुगतान / संग्रह (निवल) Other Payments/Collection (net)	(12,45,52.49)	(22,05,47.16)
	असाधारण वस्तुओं से पहले नकदी प्रवाह Cash Flow before extra ordinary items	(94,72,77.66)	(424,63,23.34)
11	अतिरिक्त साधारण परिचालन से नकदी प्रवाह Cash Flow from extra ordinary operations	-	-
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (क) Net Cash Flow from Operating Activities (A)	(94,72,77.66)	(424,63,23.34)
ख B	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
1	अचल सम्पत्तियों को जोड़ना (प्रगति में पूंजी संबन्धित गतिविधि में प्रगति सहित) Addition to Fixed Assets (including capital work in progress)	(2,42,29.45)	(10,28,07.45)
2	अचल सम्पत्तियों की बिक्री से आय Proceeds from Sale of Fixed Assets	11,60.87	15,79.58



क्र.सं. S.No.	विवरण / Particulars	2023-24	2022-23
3	निवेश की खरीद एवं बिक्री की शुद्ध राशि Net of Purchase and Sale of Investments	(930,18,77.14)	(1069,94,17.21)
4	प्राप्त किराया / ब्याज / लाभांश Rent / Interest / Dividends Received	1099,58,37.16	(1036,70,58.54)
5	मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स एवं लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में निवेश Investments in money market instruments and in liquid mutual funds	-	-
6	निवेश से संबंधित व्यय Expenses related to investments	(24,14.59)	(21,31.43)
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख) Net Cash Flow from Investing Activities (B)	166,84,76.85	(43,57,17.97)
ग C	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
1	शेयर पूँजी जारी किए जाने से प्राप्ति (प्राप्त अग्रिम सहित) Proceeds from issuance of share capital (Includes Advance Received for Share Capital)	-	388,00,00.00
2	प्रदत्त ब्याज / लाभांश Interest / Dividend paid	(433,80,00.00)	(276,50,00.00)
3	लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax	-	-
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग) Net Cash Flow from Financing Activities (C)	(433,80,00.00)	111,50,00.00
घ	नकद एवं नकद समकक्ष, निवल पर विदेशी विनिमय दरों का प्रभाव Effect of foreign exchange rates on Cash and Cash equivalents, net	67.28	(70.97)
	शुद्ध नकदी प्रवाह (क + ख + ग + घ) Net Cash Flow (A+B+C+D)	(361,67,33.53)	(356,71,12.28)
च	नकद एवं नकद समकक्षों में निवल वृद्धि: Net increase in Cash and Cash equivalents:		
1	-- वर्ष के प्रारम्भ में -- at the beginning of the year	1623,64,39.25	1980,35,51.53
2	-- वर्ष के अंत में -- at the end of the year	1261,97,05.72	1623,64,39.25
	नकद एवं नकद समकक्ष में परिवर्तन Change in Cash and Cash equivalent	(361,67,33.53)	(356,71,12.28)



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

(सृष्टिराज अम्बष्ठ)

कार्यपालक निदेशक /अ प्र नि -अतिरिक्त प्रभार

(SRISTIRAJ AMBASTHA)

Executive Director/CMD-Addl.Charge

डीआईएन/DIN – 10375617

(हर्षा बंगारी)

निदेशक

(HARSHA BANGARI)

Director

डीआईएन/DIN - 01807838

(अमित कुमार अग्रवाल)

निदेशक

(AMIT KUMAR AGARWAL)

Director

डीआईएन / DIN - 05333909

(पलनियप्पन मुत्तु)

निदेशक

(PALANIAPPAN MUTHU)

Director

डीआईएन / DIN - 10200176

(अभिषेक जैन)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

(ABHISHEK JAIN)

Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)

कंपनी सचिव

(SMITA PANDIT)

Company Secretary

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date attached

कृते के बी डी एस एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 323288E

For KBDS & Co.

Chartered Accountants

Firm Registration No. 323288E

(दशरथ कुमार सिंह)

भागीदार - एम. नं. 060030

(DASHRATH KUMAR SINGH)

Partner - M.No. 060030

कृते एम एल पुरी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 002312N

For M. L. Puri & Co.

Chartered Accountants

Firm Registration No. 002312N

(राजेश चंद गुप्ता)

भागीदार - एम. नं. 095584

(RAJESH CHAND GUPTA)

Partner - M.No. 095584

स्थान : मुंबई

दिनांक : 16 मई, 2024

Place : Mumbai

Date : 16th May, 2024



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

प्रबंधन की रिपोर्ट / MANAGEMENT REPORT

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण एवं लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम 2002 की अनुसूची 'बी' के भाग IV में अपेक्षित प्रबंधन रिपोर्ट

- हम पुष्टि करते हैं कि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया पंजीकरण, वर्ष के दौरान वैध है। इसे वर्ष 2023-24 के लिए नवीनीकृत किया गया था।
 - हम पुष्टि करते हैं कि सांविधिक प्राधिकरणों को देय सभी बकाया राशि का विधिवत भुगतान / प्रावधान किया गया है।
 - हम पुष्टि करते हैं कि शेयरधारिता पैटर्न एवं शेयरों का अंतरण सांविधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप है।
 - हम पुष्टि करते हैं कि भारत में जारी पॉलिसियों के धारकों के निधि को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बाहर निवेश नहीं किया गया है।
 - हम पुष्टि करते हैं कि आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन बनाए रखा गया है।
 - हम प्रमाणित करते हैं कि तुलन पत्र को तैयार किए जाने की तिथि पर सभी परिसंपत्तियों के मूल्य की समीक्षा की गई है एवं हमारे सर्वोत्तम विश्वास में तुलन पत्र में दर्शित परिसंपत्तियाँ को विभिन्न शीर्षकों - "ऋण", "निवेश", "विविध ऋणी", "नकद" एवं "चालू परिसंपत्तियों" के अंतर्गत निर्दिष्ट विभिन्न मदों के अंतर्गत कुल राशि को उनकी वसूली योग्य अथवा बाजार मूल्य से अधिक नहीं हैं।
 - वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 09.03.2022 को जारी पत्र के जरिए 150000,00,00 हजार की बढ़ी हुई अधिकतम देयता की तुलना में कंपनी का कुल जोखिम 118010,21,63 हजार रुपये है।
 - हमारा कोई विदेशी परिचालन नहीं है।
 - पिछले पांच वर्षों के दौरान बकाया दावों की अवधि अनुलग्नक I के अनुरूप संलग्न है।
 - पिछले पांच वर्षों के दौरान 'औसत दावा निपटान समय' की प्रवृत्ति दर्शाने हेतु दावों की अवधि अनुलग्नक II के अनुरूप संलग्न है।
 - हम प्रमाणित करते हैं कि निवेश का मूल्यांकन भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है।
 - सभी निवेश परिसंपत्तियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा परिसंपत्तियों को आई आर डी ए आई मानदंडों के आधार पर निष्पादित एवं गैर-निष्पादित के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
 - हम पुष्टि करते हैं कि
- क. वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लागू लेखा मानकों, सिद्धांतों एवं नीतियों का अनुपालन किया गया है।

AS REQUIRED IN PART IV OF SCHEDULE 'B' OF INSURANCE REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT INSURANCE COMPANIES) REGULATION 2002.

- We confirm that the registration granted by the Insurance Regulatory & Development Authority of India is valid during the year. The same was renewed for the year 2023-24.
- We confirm that all dues payable to the statutory authorities have been duly paid / provided for.
- We confirm that the shareholding pattern and transfer of shares are in accordance with statutory and regulatory requirements.
- We confirm that the funds of the holders of policies issued in India have not been directly or indirectly invested outside India.
- We confirm that required solvency margins have been maintained.
- We certify that the value of all the assets have been reviewed on the date of the Balance Sheet and in the best of our belief the assets set forth in Balance Sheet are shown in the aggregate amounts not exceeding their realisable or market value under several headings – "Loans", "Investments", "Sundry Debtors", "Cash", and the several items specified under 'Current Assets'.
- The overall exposure of the Company is Rs.118010,21,63 thousand against the enhanced Maximum Liability of Rs.150000,00,00 thousand by Ministry of Commerce & Industry vide letter dated 09.03.2022.
- We do not have any overseas operations.
- Ageing of claims outstanding during the preceding five years is as per **Annexure I**.
- Ageing of claims indicating the trend in average claims settlement time during the preceding five years is as per **Annexure II**.
- We certify that the Investments have been valued according to the guidelines issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India.
- All Investment assets are reviewed periodically and assets are classified into performing and non-performing based on IRDAI norms.
- We hereby confirm:
 - That in preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

- ख. प्रबंधन द्वारा लेखांकन नीतियों को अपनाया गया है तथा उन्हें आई आर डी ए आई विनियमों के अनुसार किए गए परिवर्तनों के अतिरिक्त, निरंतर रूप से लागू किया है तथा समुचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं अनुमान लगाए हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति तथा वर्ष के लिए कंपनी के परिचालन लाभ एवं निवल लाभ के संदर्भ में सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके।
- ग. प्रबंधन द्वारा कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उन्हें चिन्हित किए जाने हेतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव के लिए समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
- घ. प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरण को चालू कारोबार के आधार पर तैयार किया गया है।
- ड. प्रबंधन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली मौजूद है एवं प्रभावी ढंग क्रियाशील है।
14. व्यवसाय के सामान्य क्रम में किए गए लेन-देन के अतिरिक्त ऐसी व्यक्तिगत फर्मों, कंपनियों एवं संगठनों को कोई भुगतान नहीं किया गया है, जिसमें कंपनी के निदेशकों की रुचि है।
- कृते ईसीजीसी लिमिटेड

policies have been followed.

- b. That the management has adopted accounting policies and applied them consistently, apart from changes made as per IRDAI Regulations, and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the operating profit and net profit of the Company for the year.
- c. That the management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and Companies Act, 18 of 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- d. That the management has prepared the financial statements on a going concern basis.
- e. That the management has ensured that the internal audit system commensurate with the size and nature of business exists and is operating effectively.
14. There are no payments made to individual firms, companies and organizations in which Directors of the Company are interested except the transactions carried out in the ordinary course of business.

For ECGC Limited.

(सृष्टिराज अम्बष्ठ)

कार्यपालक निदेशक /अ प्र नि -अतिरिक्त प्रभार
(SRISTIRAJ AMBASTHA)
Executive Director/CMD-Addl.Charge
डीआईएन/DIN – 10375617

(सिद्धार्थ महाजन)

निदेशक
(SIDDHARTH MAHAJAN)
Director
डीआईएन/DIN - 03349759

(हर्षा बंगारी)

निदेशक
(HARSHA BANGARI)
Director
डीआईएन/DIN - 01807838

(अमित कुमार अग्रवाल)

निदेशक
(AMIT KUMAR AGARWAL)
Director
डीआईएन / DIN - 05333909

(पलनियप्पन मुत्तु)

निदेशक
(PALANIAPPAN MUTHU)
Director
डीआईएन / DIN - 10200176

स्थान : मुंबई

दिनांक : 16 मई, 2024

Place : Mumbai

Date : 16th May, 2024



अनुलग्नक I
Annexure I

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दिनांक 31 मार्च को दावा निपटान के संदर्भ में अवधिवार विवरण
Ageing of Claim Outstanding as on 31st March of each Financial Years

(₹ '000)

अवधि Period	2023-24		2022-23		2021-22		2020-21		2019-20	
	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved	No. No.	शामिल राशि Amount Involved
30 दिन 30 Days	38	40,45,79.42	67	159,11,26.48	80	111,06,18.22	107	105,22,75.43	102	144,39,15.20
30 दिन से 6 माह 30 Days to 6 Months	76	102,15,92.05	116	183,41,39.45	149	452,50,16.77	322	514,08,48.88	377	618,84,38.87
6 माह से 1 वर्ष 6 Months to 1 Year	18	10,51,31.01	22	61,21,75.35	93	239,05,30.53	150	262,34,73.89	200	775,84,21.04
1 वर्ष से 5 वर्ष 1 year to 5 years	13	25,79,78.08	5	38,72,72.47	63	334,26,02.09	111	658,87,57.42	132	1028,84,36.72
5 वर्ष एवं अधिक 5 years & above	-	-	-	-	3	15,28,70.97	-	-	-	-
कुल / Total	145	178,92,80.56	210	442,47,13.75	388	1152,16,38.58	690	1540,53,55.62	811	2567,92,11.83



अनुलग्नक II
Annexure II

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दिनांक 31 मार्च को बकाया दावे के संदर्भ में अवधिवार विवरण
Ageing of Claim Settlement during each Financial Years

(₹ '000)

अवधि Period	2023-24		2022-23		2021-22		2020-21		2019-20	
	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved	सं. No.	शामिल राशि Amount Involved
30 दिन 30 Days	97	27,80,27.91	62	18,54,25.32	51	11,89,46.04	46	8,29,16.25	41	7,05,56.70
30 दिन से 6 माह 30 Days to 6 Months	400	356,21,98.49	348	248,27,80.81	329	142,32,75.88	430	257,86,14.47	424	184,52,13.31
6 माह से 1 वर्ष 6 Months to 1 Year	37	64,61,09.13	103	335,03,34.52	223	258,49,51.22	177	168,36,24.40	77	154,75,50.96
1 वर्ष से 5 वर्ष 1 year to 5 years	4	1,67,19.08	38	161,19,45.19	78	274,48,70.13	81	612,22,50.57	11	62,08,00.65
5 वर्ष एवं अधिक 5 years & above	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल / Total	538	450,30,54.61	551	763,04,85.84	681	687,20,43.27	734	1046,74,05.69	553	408,41,21.62



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE
FINANCIAL STATEMENTS OF ECGC LIMITED FOR THE YEAR
ENDED 31 MARCH 2024**

The preparation of financial statements of ECGC LIMITED for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 16 May 2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of ECGC LIMITED for the year ended 31 March 2024 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(BIREN D. PARMAR)
Director General of Audit (Shipping), Mumbai

Place : Mumbai
Date : 12.08.2024



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट / AUDITORS' REPORT

के बी डी एस एंड कंपनी सनदी लेखाकार बी-405, जुपिटर चौथा क्रॉस लेन, लोखंडवाला, अंधेरी पश्चिम मुंबई- 400053	एम. एल. पुरी एंड कंपनी सनदी लेखाकार 904, योगा गुलमोहर क्रॉस रोड सं. 12 जुहू सर्कल के पास, जुहू मुंबई- 400049	KBDS & CO Chartered Accountants B-405, Jupiter 4th Cross Lane, Lokhandwala, Andheri West Mumbai – 400053	M. L. Puri & Co. Chartered Accountants 904, Yoga Gulmohar Cross Road No. 12 Near Juhu circle, Juhu Mumbai - 400049
--	--	---	--

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

प्रति,

ईसीजीसी लिमिटेड के सदस्य,
वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमारे द्वारा ईसीजीसी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया गया है, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2024 तक के तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ एवं हानि खाता, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण (प्राप्तियां एवं भुगतान खाता) तथा वित्तीय विवरणों के टिप्पणियाँ शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का सारांश शामिल है, जिसमें भारत में स्थित छियालीस शाखाओं एवं चार क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रतिफल शामिल हैं, जिनमें से पैतालीस शाखाओं एवं चार क्षेत्रीय कार्यालयों का लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है।

हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं मतानुसार तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण बीमा अधिनियम, 1938, यथा संशोधित बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 ("बीमा अधिनियम"), भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 ("आई आर डी ए आई अधिनियम"), भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना एवं लेखा परीक्षक विनियम) विनियम 2002, (आई आर डी ए आई वित्तीय विवरण विनियम), भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश / दिशानिर्देश / परिपत्र, लागू सीमा तक, कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ अन्य प्रचलित लेखा प्रथाएँ एवं पॉलिसियों सहित कंपनी अधिनियम 2013 तथा भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30-09-2021 को जारी परिपत्र संख्या आई आर डी ए आई / एफ एंड ए / परि /

To,

The Members of ECGC Limited,
Report on Audit of Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of the ECGC Ltd. ("the Company") which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2024, the Revenue Account, the Profit and Loss Account, the Cash Flow Statement (Receipts and Payments Account) for the year ended on that date and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are incorporated returns of forty-six branches and four regional offices situated in India out of which forty-five branches and four regional offices audited by branch auditors appointed by Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Insurance Act, 1938 as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 ("the Insurance Act"), the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 ("the IRDAI Act"), the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 ("the IRDAI Financial Statements Regulations"), orders/directions/circulars issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India ("IRDAI"/ "the Authority") to the extent applicable, the Companies Act, 2013 ("the Act") including the Accounting Standard specified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 with other recognized accounting practices and policies and Circular No. IRDAI/ F&A/CIR/MISC/256/09/2021



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

विविध / 256 / 09 / 2021 में निर्धारित विनियमों के अनुसार आवश्यक हो एवं आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हों एवं कंपनी के मामलों की स्थिति पर दिनांक 31 मार्च, 2024 को उचित एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण उपलब्ध कराने में सक्षम हों, जो संबन्धित हैं:

- तुलन पत्र के मामले में, दिनांक 31 मार्च 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति
- राजस्व खाते के मामले में, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष;
- लाभ एवं हानि खाते के मामले में, उस दिन को समाप्त वर्ष के लिए लाभ;
- नकद प्रवाह विवरण (प्राप्तियां एवं भुगतान खाते) के मामले में, उस तिथि को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्तियां एवं भुगतान।

राय का आधार

हमारे द्वारा अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्दिष्ट लेखा परीक्षण के मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की गई है। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए उन मानकों के अधीन हमारी जिम्मेदारियों को लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों के अंतर्गत वर्णित किया गया है। हम अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण में आवश्यक नैतिक आवश्यकताओं एवं बनाए गए नियम, बीमा अधिनियम, 1938 बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 एवं नियम, के साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं एवं हमारे द्वारा इन आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूर्ण किया गया है। हम मानते हैं कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में एवं उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था एवं हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमारे द्वारा निम्न वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया गया है:

dated 30-09-2021 on 'Public Disclosures by Insurers' issued by Insurance Regulatory Development Authority ("the IRDA"), in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2024 in so far as it relates to:

- In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2024
- In the case of Revenue Account, of the surplus for the year ended on that date;
- In the case of Profit and Loss Account, of the Profit for the year ended on that date;
- In the case of Cash Flow Statement (Receipts and Payments Account), of the receipts and payments during the year ended on that date.

Basis of Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the audit of the financial statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under provision of Act and the Rules made thereunder, the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 and the regulations made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the financial statements.

Key Audit Matter

Key Audit Matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

मुख्य लेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
निवेश	
निवेशों का वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं आवंटन, राजस्व मान्यता तथा गैर-निष्पादित निवेशों को चिह्नित किया जाना अथवा प्रावधान (अनुसूची 16 के खण्ड सं. 4 को वित्तीय विवरण की अनुसूची 17 के टिप्पण 25 एवं 26 के साथ पढ़ें)। निवेश में कंपनी द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांड, डिबेंचर, शेयर, म्यूचुअल फंड एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों एवं निवेशों में किया गया निवेश शामिल हैं। कंपनी की कुल संपत्ति में निवेश का अंश 81.90 प्रतिशत है। ये आर बी आई एवं आई आर डी ए आई के परिपत्रों तथा निर्देशों द्वारा शासित हैं। आर बी आई एवं आई आर डी ए आई के ये निर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ, निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों को चिह्नित किया जाना, आय की तदनुसूची गैर-मान्यता एवं उनके प्रावधान को शामिल किया गया है। सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी शेयरों एवं ई टी एफ का मूल्यांकन एन एस ई के समापन भाव पर किया जाता है। यदि ऐसी प्रतिभूति एन एस ई पर सूचीबद्ध नहीं है / समापन दिवस पर कारोबार नहीं किया जाता है, तो बी एस ई के समापन मूल्य पर विचार	आर बी आई एवं आई आर डी ए आई के परिपत्रों / निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखा परीक्षा दृष्टिकोण में निवेश से संबंधित मूल्यांकन, वर्गीकरण, राजस्व चिह्नित किया जाना, गैर-निष्पादित निवेश (एन पी आई) की चिह्नित किया जाना, प्रावधान / मूल्यहास से संबंधित मूल्यांकन, वर्गीकरण, राजस्व की गणना के संबंध में आंतरिक नियंत्रण एवं मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की समझ शामिल है। विशेष रूप से: - एन पी आई के आवंटन, वर्गीकरण, मूल्यांकन, राजस्व गणना व चिह्नित किया जाना एवं प्रावधान प्रक्रिया पर प्रमुख आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन एवं परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण करना। - आर बी आई एवं आई आर डी ए आई के विवेकपूर्ण मानदंडों के संदर्भ में इन निवेशों के उचित मूल्य, मूल्यांकन के विधियों की उपयुक्तता, राजस्व गणना एवं एन पी आई के प्रावधान के निर्धारण के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन एवं मूल्यांकन

KEY AUDIT MATTERS	AUDITOR'S RESPONSE
INVESTMENTS	
Classification, Valuation & Allocation of Investments, Revenue Recognition and Identification of and provisioning for Non-Performing Investments (Clause no. 4 of Schedule 16 read with Note 25 & 26 of Schedule 17 to the financial statements). Investments include investments made by the Company in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Mutual Funds and other approved securities & Investments. Investments constitute 81.90% of the Company's total assets. These are governed by the circulars and directives of the RBI and IRDAI. These directions of RBI and IRDAI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against. Valuation of actively traded equity shares and ETFs is made on the closing price of NSE. If such security is not listed/ not traded on NSE on closing day, the closing price of BSE is considered. Valuation of Mutual Funds	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI and IRDAI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, revenue recognition, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments. In particular: - Test the design, implementation and operating effectiveness of key internal financial controls over allocation, classification, valuation, revenue recognition and identification & provisioning process of NPIs. - Assess & evaluate the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments, appropriateness of the valuation methodologies, revenue recognition & provisioning of NPIs with reference to prudential norms of RBI and IRDAI.



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

किया जाता है। म्युचुअल फंड का मूल्यांकन वर्ष के अंत में समापन एन ए वी पर किया जाता है, जो हानि परीक्षण के अधीन होता है। सरकारी प्रतिभूतियों एवं प्रतिदेय वरीयता शेयरों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों का आंकलन ऐतिहासिक मूल्य पर किया गया है, जो शेष अवधि में भुगतान किए गए प्रीमियम के परिशोधन के अधीन है। मूल्यांकन, लेन-देन की मात्रा, उपलब्ध निवेश एवं विनियामक फोकस की डिग्री में शामिल जटिलताओं एवं निर्णय की सीमा को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों को चिह्नित किया जाना एवं निवेशों से संबंधित प्रावधान पर केंद्रित रही।	करना। - हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया तथा आर बी आई एवं आई आर डी ए आई परिपत्र / निर्देशों के अनुसार प्रस्तुति एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण किया एवं मूल्यांकन के साथ-साथ इन निवेशों के वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं राजस्व गणना की मैपिंग की शुद्धता का निर्धारण किया एवं एन पी आई के चिह्नित किए जाने तथा प्रावधान की प्रक्रिया का मूल्यांकन किया गया।	is made on the closing NAV of the year end subject to impairment test. All debts securities including government securities and redeemable preference shares have been measured at historical cost subject to amortization of premium paid over residual period. Considering the complexities and extent of judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has been determined as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments.	- We selected samples from the investments of each category and tested for ensuring compliance with the presentation & disclosure requirements as per RBI and IRDAI Circular/directions and determining correctness of mapping of investments, classification, valuation and revenue recognition of these investments along-with assessed and evaluated the process of identification & provisioning of NPIs.
सूचना प्रौद्योगिकी		INFORMATION TECHNOLOGY	
मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) सिस्टम जिसे इंटरनेट एवं इंटेलेक्ट कहा जाता है, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। बड़ी मात्रा में दैनिक आधार पर संसाधित किए जाने वाले संव्यवहार के कारण कंपनी की परिचालन एवं वित्तीय प्रक्रियाएं आई टी प्रणालियों पर निर्भर हैं एवं इसलिए, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में माना जाता है, जिसकी	हमने मूल्यांकन किया एवं प्रमुख आई टी अनुप्रयोगों, डेटाबेस एवं ऑपरेटिंग सिस्टम को चिह्नित किया, जो हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं तथा मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) सिस्टम को चिह्नित किया गया है, जिसे इंटरनेट एवं इंटेलेक्ट सिस्टम कहा जाता है, जो मुख्य रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रासंगिक है। हमारी लेखा परीक्षा दृष्टिकोण में सामान्य आई टी नियंत्रणों के	Key Information Technology (IT) systems called Intranet & Intellect used in financial reporting process. Company's operational and financial processes are dependent on IT systems due to large volume of transactions that are processed on daily basis and hence, considered as a key audit matter, correctness &	We conducted an assessment and identified key IT applications, databases and operating systems that are relevant to our audit and have identified Key Information Technology (IT) systems called Intranet & Intellect System primarily as relevant for financial reporting. Our audit approach consisted understanding & testing of the design



शुद्धता एवं प्रभावशीलता मुख्य रूप से प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) प्रणालियों जिन्हें इंटरनेट एवं इंटेलेक्ट कहा जाता है के साथ-साथ अन्य संबद्ध प्रणालियों / पैकेजों पर निर्भर करती है। आय निर्धारण, प्रावधान, फैक्ट्रिंग, पुनर्बीमा एवं निवेश के संबंध में आई आर डी ए दिशानिर्देशों के अनुरूप ऐसे अन्य वित्तीय लेखांकन एवं रिपोर्टिंग के साथ रिकॉर्ड एवं लेनदेन हेतु हमने प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) प्रणालियों एवं अन्य संबद्ध प्रणालियों / पैकेजों के सुसंगत एवं सटीक कामकाज पर भरोसा किया है।	डिजाइन एवं परिचालन प्रभावशीलता की समझ एवं परीक्षण शामिल है: - लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के आई टी नियंत्रण वातावरण, आई टी अवसंरचना अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम एवं डेटाबेस तथा आई टी नीतियों की जानकारी प्राप्त की गई। - कंपनी के सामान्य आई टी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन एवं परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की गई, जिसमें परीक्षण जांच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण एप्लिकेशन एवं एक्सेस नियंत्रण शामिल हैं। - आई एस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा की गई एवं प्रमुख आई एस नियंत्रणों के अनुपालन पर आई एस विभाग के साथ चर्चा की गई। - परीक्षण जांच के आधार पर लेखापरीक्षा अवधि के लिए डिजाइन एवं परिचालन प्रभावशीलता के लिए सामान्य, अनुप्रयोग एवं एक्सेस आई टी नियंत्रण का परीक्षण करें	effectiveness of which are mainly dependent on the Key Information Technology (IT) systems called Intranet & Intellect along-with other allied systems/packages. We have relied upon the consistent and accurate functioning of Key Information Technology (IT) systems & other allied systems/packages with respect to Income Recognition, Provisioning, Factoring, Reinsurance & Investments in conformity with the IRDA guidelines along with such other financial accounting and reporting records & transactions.	and operating effectiveness of the general IT controls as follows: - Obtained understanding of the Company's IT control environment, IT infrastructure i.e. operating systems and databases and IT policies during the audit period. - Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Company's general IT controls including application & access controls that are critical to financial reporting on test check basis. - Reviewed the IS Audit Reports and discussed with IS Department on compliance to key IS Controls. - Test the general, application and access IT controls for design and operating effectiveness for the audit period on test check basis
---	---	---	---



ई सी जी सी लिमिटेड **ECGC Limited**
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

मामलों पर ध्यानाकर्षण

हम निम्न की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे:

- (क) अनुसूची 17 के नोट 3 (क) के अनुसार जहां उचित प्राधिकरणों के साथ संपत्ति संबंधी पंजीकरण औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई हैं एवं संपत्ति से संबंधित समझौते गुम हो गए हैं / वर्तमान में कंपनी के पास उपलब्ध नहीं हैं, यद्यपि कंपनी मूल शेयर प्रमाणपत्रों के कब्जे में है, जो संपत्तियों के कानूनी स्वामित्व के साथ कंपनी को निहित करती है।
- (ख) अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 4 (घ) के अनुसार पुनर्बीमा कंपनी से प्राप्य राशि, जो कि जून 2014 से बकाया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है।

वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त जानकारी एवं उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, परंतु इसमें वित्तीय विवरण एवं हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के पश्चात हमें उपलब्ध कराई जाएगी।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है एवं हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को अध्ययन किए जाने की है तथा ऐसा करने में, इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि क्या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी अथवा हमें प्राप्त जानकारी, कहीं मुख्य विषयों में असंगत तो नहीं है अथवा मुख्य विषयों में अन्यथा तो नहीं है।

हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का महत्वपूर्ण विषय पर गलत विवरण है, तो हमें संबंधित कार्यों के प्रबंधन से जुड़े प्राधिकारियों को इस विषय में सूचना देनी होगी एवं लागू कानूनों व विनियमों के अधीन निर्धारित कार्यवाही करनी होगी।

वित्तीय विवरण पर प्रशासन हेतु प्रभारियों एवं प्रबंधन का दायित्व

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के धारा 134 (5), बीमा अधिनियम 1938 यथा संशोधित बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 (बीमा अधिनियम) एवं बीमा विनियामक व विकास अधिनियम 1999 (आई आर डी ए अधिनियम) बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों एवं बीमा कंपनियों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) विनियम

Emphasis of Matter

We draw attention to the following:

- Note no. 3 to Schedule 17 regarding properties where registration formalities with appropriate authorities have not been completed and properties where agreements are lost/presently not available with the Company, though the Company is in possession of original share certificates which vests with the Company, with legal ownership of the properties.
- Note no. 4 (d) to Schedule 17 regarding amount receivable from Reinsurance Company, which is outstanding since June 2014.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Information other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual Report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to communicate the matters to those charged with governance and determine the actions under the applicable laws and regulations.

Management's Responsibility and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the Insurance Act 1938 as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 ('the Insurance Act'), the Insurance Regulatory and Development Authority Act,



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

2002 (आई आर डी ए आई) वित्तीय विवरण विनियमन) कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट मानक लेखा नीति के अनुपालन में कंपनी की उचित एवं सटीक वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकद प्रवाह की जानकारी प्रदान करने हेतु वित्तीय विवरणों की तैयारी में कंपनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है।

इन दायित्वों में, बीमा अधिनियम 1938, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 व कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु बनाए गए अधिनियम एवं धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को चिन्हित किया जाने व बचाव के लिए बने गए अधिनियम; उचित लेखा नीतियों के चुनाव एवं अनुप्रयोग, निर्णय व अनुमान जो कि सही हों एवं पर्याप्त अन्तरिम वित्तीय नियंत्रण का डिज़ाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव शामिल है ताकि सटिक एवं उचित वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किया जा सके एवं धोखाधड़ी अथवा किसी चूक के कारण किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण बयानों से मुक्त वित्तीय विवरणों की सटीकता एवं पूर्णता को सुनिश्चित किया जा सके।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के दौरान, प्रबंधन, लाभकारी संस्थान के रूप में कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए, लेखांकन के आधार पर प्रबंधन या तो कंपनी को बंद करने अथवा परिचालन को रोकने अथवा ऐसा करने के लिए उसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, जैसा भी मामला हो, आवश्यकता होने पर संस्थान से संबंधित मामलों को प्रकट करने का दायित्व है।

कंपनी की वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया की निगरानी का उत्तरदायित्व निदेशक मंडल का है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां:

हमारा उद्देश्य है कि उचित आश्वासन के साथ, पूर्ण वित्तीय विवरण किसी भी धोखाधड़ी अथवा चूक से मुक्त रखते हुए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है परंतु यह गारंटी नहीं है कि एस ए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में त्रुटिपूर्ण जानकारी को निश्चित रूप से चिन्हित किया जा सके। त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करना किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि का परिणाम हो सकता है तथा यदि ऐसा पाया जाता है तो उसे संदेहजनक माना जाएगा, यदि व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर यह माना जा सकता है कि वे उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय को प्रभावित

1999 ('the IRDAI Act'), the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 (the IRDAI Financial Statements Regulations), the Companies Act, 2013 ('the Act') including the Accounting Standard specified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with Insurance Act 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 and the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with **SAs** will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

कर सकते हैं।

लेखा परीक्षा में शामिल होने के कारण हम सम्पूर्ण लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय को बनाए रखते हैं व व्यवसायिक निर्णय लेते हैं। साथ ही हम:

- वित्तीय विवरण के मिथ्या विवरण होने के जोखिम को चिन्हित किया जाना व मूल्यांकन करना, चाहे वह किसी धोखाधड़ी और डिजाइन में त्रुटि के कारण हो और उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रिया का सञ्चालन करना और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त। चूक की अपेक्षा, धोखाधड़ी के कारण होने वाली मिथ्या जानकारी की समय पर चिन्हित कर पाना, अधिक जोखिम का कार्य है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की जाने वाली चूक, त्रुटिपूर्ण बयान एवं आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकते हैं।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को निर्धारण हेतु लेखा परीक्षा के लिए परिस्थितियों के अनुरूप प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत हम कंपनी में स्थापित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एवं इस प्रकार के नियंत्रण पर प्रभावशील परिचालन पर अपनी राय देने हेतु भी उत्तरदायी होते हैं।
- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटनों की तर्कशीलता का मूल्यांकन किया जाता है।
- व्याप्त अनिश्चितता एवं ऐसी घटनाएँ के होने जो कंपनी का लाभकारी संस्थान बने रहने की क्षमता पर संदेह उत्पन्न करती है प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर एवं लेखांकन को लाभकारी संस्था के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता व्याप्त है, तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों के लिए हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है अथवा हमारी राय को संशोधित करने के लिए इस प्रकार के प्रकटन अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाओं अथवा परिस्थितियों के कारण कंपनी की स्थिति एक लाभकारी संस्था के रूप में समाप्त हो सकती है।
- प्रकटन सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना व तथ्यों का मूल्यांकन करना तथा यह निर्धारण करना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन एवं घटनाओं को इस प्रकार से दर्शाते हैं, जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्रदान कर सके। वित्तीय विवरण में त्रुटिपूर्ण जानकारी, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से

statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
 - Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 18 of 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial control system in place and operating effectiveness of such controls.
 - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
 - Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
 - Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Materiality is the magnitude of misstatement in the financial statement that, individually or in aggregate,



प्रदान की गई हो अथवा समग्र रूप से, के कारण वित्तीय विवरण के यथोचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों के प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। हम मात्रात्मक भौतिकता एवं गुणात्मक कारकों को ध्यान में रखते हुए (i) अपने लेखा परीक्षा के कार्य के सीमाक्षेत्र का निर्धारण एवं अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन; एवं (ii) वित्तीय विवरणों में पाए गए त्रुटिपूर्ण विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं।

हम अन्य मामलों एवं महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के साथ साथ प्रशासन हेतु प्राधिकृत व्यक्ति के साथ, लेखा परीक्षा के योजनाबद्ध आयाम के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिसे हमने अपने लेखा परीक्षा के दौरान पाया हो, की चर्चा करते हैं।

हम प्रशासन हेतु प्राधिकृत व्यक्तियों को अपना विवरण भी प्रस्तुत करते हैं, जिसमें उल्लेख रहता है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है एवं उन सभी संबंधों व अन्य मामलों, जिससे हमारी स्वतंत्रता प्रभावित हो, एवं जहां भी ऐसा करना आवश्यक हो, के साथ संबंधित विषय को साझा करने हेतु सुरक्षा उपाय किए हैं।

प्रशासन हेतु प्राधिकृत व्यक्तियों को प्रस्तुत किए गए मामलों में, हम ऐसे अत्यधिक महत्वपूर्ण मामले निर्धारित करते हैं जो कि वर्तमान वर्ष के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा हेतु हैं एवं मुख्य लेखा परीक्षा मामले हैं। हम ऐसे मामले अपनी लेखा परीक्षा में शामिल करते हैं, जब तक कि निर्धारित विधियों अथवा विनियमों द्वारा ऐसे मामलों के प्रकटन को अवरुद्ध किया गया हो अथवा जब कि, अत्यंत दुर्लभ मामलों में, हम ऐसा पाते हैं कि ये मामले हमारी रिपोर्ट में शामिल नहीं किए जाएँ क्योंकि इन्हें शामिल करने से इनसे होने वाले दुष्प्रभाव जनहित से ज्यादा होंगे।

अन्य मामले

(क) हमने, उन छियालीस शाखाओं (गुवाहाटी उपशाखा सहित) एवं चार क्षेत्रीय कार्यालय के वित्तीय विवरणों की जांच नहीं की है जिनके विवरण 31 मार्च 2024 तक कंपनी के वित्तीय विवरणों / वित्तीय जानकारी में परिलक्षित रु. 1502,28,78.62 की कुल परिसंपत्तियों तथा सम तारीख को समाप्त वर्ष के दौरान प्रीमियम के रूप में रु. 1229,48,50.20 के कुल परिचालन राजस्व तथा कुल रु. 441,27,82.42 के प्रदत्त दावों को दर्शाते हुए तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण के रूप में पैतालीस शाखाओं एवं चार क्षेत्रीय कार्यालयों के वित्तीय विवरण/ जानकारी की लेखा परीक्षा शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है एवं एक शाखा जिसकी लेखा परीक्षा नहीं की गई है कि रिपोर्टों को प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है। हमारी राय में इन शाखाओं के संबंध में

makes it probable that the economic decisions of reasonably knowledgeable user of the financial statement may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period and are therefore the Key Audit Matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

a. We did not audit the financial statements/information of Forty-six branches (including Guwahati sub office) and Four regional offices included in the financial statements of the Company whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs.1502,28,78.62 thousands as at 31st March, 2024, total operating revenues in terms of Premium of Rs.1229,48,50.20 thousands and Claims paid of Rs.441,27,82.42 thousands for the year ended on that date, as considered in the financial statements. The financial statements/information of forty-five branches and four regional offices have been audited by the branch auditors, whose reports have been furnished to us, and one unaudited branch whose returns have been furnished to us by the management. Our opinion



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

शामिल राशियों एवं प्रकटन मुख्य रूप से शाखाओं के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत विवरण पर आधारित है।

- (ख) दिनांक 31 मार्च 2024 को उपगत एवं रिपोर्ट नहीं किए गए दावों (आई बी एन आर), उपगत एवं पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए दावों (आई बी एन ई आर) एवं प्रीमियम में कमी पर देयता के बीमांकिक मूल्यांकन पर अनुसूची 17 के नोट संख्या 5 (ख) एवं 22 के संबंध में इसका दायित्व कंपनी के नियुक्त बीमांकिक (नियुक्त बीमांकिक) का है। नियुक्त बीमांकिक द्वारा दिनांक 31 मार्च 2024 को उक्त देयताओं आई बी एन आर, आई बी एन ई आर एवं प्रीमियम में कमी को विधिवत प्रमाणित किया गया है एवं उनकी राय में इन मूल्यांकनों के लिए उनके द्वारा लगाए गए अनुमान, आई आर डी ए आ ई एवं आई आर डी ए आई की सहमति से भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों एवं नियमों के अनुसार हैं। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करने के लिए हमने उक्त विषय पर नियुक्त बीमांकिक के प्रमाण पत्र पर विश्वास किया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में किसी प्रकार का संशोधन नहीं है।

अन्य विधिक व विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट:

- (क) दिनांक 31 मार्च 2024 तक वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार बीमा अधिनियम 1938 भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- (ख) विनियमों के अधीन आवश्यक अनुसार हमने दिनांक 16 मई 2024 को अलग प्रमाण पत्र जारी करते हुए, आई आर डी ए आई की अनुसूची सी के पैरा 3 एवं 4 में उल्लिखित विषयों को प्रमाणित किया गया है।
- (ग) इस रिपोर्ट में भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिनियम की धारा 143(11) की शर्तों में कंपनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2016 के पैरा 3 में उल्लिखित मामलों पर किसी प्रकार का विवरण उपलब्ध नहीं है क्योंकि हमारी राय में एवं हमें उपलब्ध कारवाई गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार यह आदेश कंपनी पर लागू नहीं होता है।

अधिनियम की धारा 143 (3) की आवश्यकतानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- (क) हमने, हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक सम्पूर्ण जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं;
- (ख) हमारी राय में व हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें प्रदान किए

in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches, is based solely on the report of such branch auditors and returns furnished to us by the management.

- b. Note No. 5cc and 22 to Schedule 17 regarding the Actuarial Valuation of liabilities in respect of claims Incurred But Not Reported (IBNR), Incurred But Not Enough Reported (IBNER) and Premium Deficiency as at 31st March, 2024 which is the responsibility of the Company's Appointed Actuary ('the Appointed Actuary'). The Appointed Actuary has duly certified the actuarial valuation of these liabilities IBNR, IBNER and Premium Deficiency as at March 31, 2024 and in her opinion the assumptions considered by her for such valuation are in accordance with the guidelines and norms prescribed by the IRDAI and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the IRDAI. We have relied upon the Appointed Actuary's Certificate in this regard for forming our opinion on the Financial Statements of the Company.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- a) The financial statements as at March 31, 2024 have been prepared in accordance with the requirements of the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 and the regulations made thereunder and the Companies Act, 2013.
- b) As required by the Regulations, we have issued a separate Certificate on May 16, 2024 certifying the matters specified in paragraphs 3 and 4 of Schedule C to the IRDAI Financial Statements Regulations.
- c) This report does not include a statement on the matters specified in paragraph 3 of the Companies (Auditors' Report) order 2020, ("the order"), issued by the Central Government of India in terms of section 143(11) of the Act, since in our opinion and according to the information and explanation given to us, the Order is not applicable to the Company.

As required by section 143(3) of the Act, we report that;

- a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- b) In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, proper books of account, as required by law, have been kept



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

गए स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी द्वारा कानूनी रूप से आवश्यक सभी लेखा बहियों की जांच के उपरांत यह पाया गया है कि कंपनी द्वारा लेखा बहियों का उचित रखरखाव किया गया है; एवं जांच के पश्चात यह भी पाया गया है कि वे लेखा बहियाँ एवं उचित विवरण (लेखापरीक्षित एवं प्रमाणित) छियालीस शाखाओं (गुवाहाटी उप कार्यालय सहित) एवं चार क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त की गई हैं, जिनका हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है;

- (ग) कंपनी की पैतालीस शाखाओं एवं चार क्षेत्रीय कार्यालयों के खातों पर शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित रिपोर्ट एवं एक अलेखापरीक्षित शाखा के प्रतिफल हमें भेजे गए हैं, इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमने उन पर उचित रूप से विचार किया है;
- (घ) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ व हानि तथा नकद प्रवाह विवरण (प्राप्तियाँ व भुगतान खाता) उन शाखाओं से प्राप्त लेखा बहियों तथा प्राप्तियों के अनुरूप है, जिनका दौरा हमारे द्वारा नहीं किया गया है;
- (ङ) हमारी राय में वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप हैं।
- (च) सरकारी कंपनी होने के कारण, कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी अधिसूचना संख्या जी एस आर 463 (ई) के अनुपालन में कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 164 के उपखंड (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते;
- (छ) कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संदर्भ में एवं इन नियंत्रणों पर परिचालन प्रभावशीलता की जानकारी हेतु हमारी पृथक रिपोर्ट "अनुलग्नक क" का संदर्भ लें। हमारी रिपोर्ट में कंपनी के वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता एवं परिचालन प्रभावशीलता पर स्वतंत्र राय व्यक्त की गई है।
- (ज) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षकों) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने योग्य अन्य मामलों के संबंध में हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में:
- कंपनी द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया गया है। कृपया वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के मद संख्या 20 का संदर्भ लें;
 - कंपनी द्वारा किए गए डेरिवेटिव करारों सहित दीर्घावधि करारों के कारण कोई भावी महत्वपूर्ण हानि की संभावना नहीं है;
 - कंपनी को निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि में जमा की जाने वाली राशि के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुई है;
 - (क) प्रबंधन वर्ग द्वारा सूचित किया गया है कि उसके सर्वोत्तम

by the Company, so far as appears from our examination of those books and proper returns (audited/certified) have been received from the Forty-six branches (including Guwahati sub Office) and Four regional offices, not visited by us;

- The reports on the accounts of the forty-five branches and four regional offices of the Company audited under Section 143(8) of the Act by branch auditors and returns of one unaudited branch have been sent to us, have been properly dealt with by us in preparing this report;
- The balance sheet, the revenue account, the statement of profit and loss, and the cash flow statement (Receipts and Payments Account) dealt with by this Report are in agreement with the books of account and returns received from the branches not visited by us;
- In our opinion financial statements of the Company comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Act.
- Being a Government Company, pursuant to the Notification No. G.S.R 463 (E) dated 05.06.2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, provisions of sub-section (2) of section 164 of the Companies Act, 2013, are not applicable to the Company.
- With respect to the adequacy of internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure A". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over the financial statements.
- With respect to other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 as amended in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements. Refer to Note No. 20 to Schedule 17 to the financial statements;
 - The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses;
 - There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की निधि का किसी ऐसे व्यक्ति (यों) अथवा विदेशी इकाइयों (मध्यस्थों) सहित किसी भी इकाई (यों) में, इस जानकारी के साथ कंपनी द्वारा (अंतिम हिताधिकारी) की ओर से निर्धारित व्यक्ति अथवा इकाइयों, जिनके द्वारा लिखित रूप में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अंतिम हिताधिकारी (कंपनी) की ओर से किसी भी प्रकार की सुरक्षा अथवा गारंटी दावा किया गया हो, में अग्रिम तौर पर अथवा ऋण प्रदान अथवा निवेश नहीं किया गया है।

(ख) प्रबंधन वर्ग द्वारा सूचित किया गया है कि उसके सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार कंपनी को किसी ऐसे व्यक्ति (यों) अथवा विदेशी इकाइयों (फंडिंग पार्टियां) सहित किसी भी इकाई (यों) द्वारा इस जानकारी के साथ फंडिंग पार्टी द्वारा (अंतिम हिताधिकारी) की ओर से निर्धारित व्यक्ति अथवा इकाइयों जिनके द्वारा लिखित रूप में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में फंडिंग पार्टी (अंतिम हिताधिकारी) की ओर से किसी भी प्रकार की सुरक्षा अथवा गारंटी दावा किया गया हो, अग्रिम तौर पर अथवा ऋण के रूप में अथवा निवेश के रूप में कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) हमारी राय तर्कसंगत एवं उचित परिस्थितियों उपयुक्त समझी जाने वाली लेखा परीक्षा पर आधारित है एवं हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे हमें यह प्रतीत हो, कि उक्त उप शर्त (क) एवं (ख) में कोई त्रुटिपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया गया हो।

v. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुपालन में कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान लाभांश की घोषणा की गई अथवा अदायगी की गई।

vi. हमारी जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा अपने खाता बही को सुचारु बनाए रखने हेतु निवेश परिचालन के लिए लाइसेंस सॉफ्टवेयर सहित ई आर पी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा सहित रिकॉर्ड करने की सुविधा है एवं सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए परिचालन (सक्षम) किया जा रहा है। हालाँकि, कंपनी द्वारा अपने ई आर पी सॉफ्टवेयर के लिए दिनांक 1 अक्टूबर, 2023 से ऑडिट ट्रेल सुविधा सक्षम किया गया है।

हमारे लेखा परीक्षा के दौरान, हमें ऑडिट ट्रेल फीचर के साथ अतिरेक का कोई उदाहरण मौजूद नहीं हैं।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अधीन भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम निम्नानुसार कंपनी के लेखों के वित्तीय विवरणों पर वित्तीय प्रभाव एवं कृत कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं:

and Protection Fund by the Company;

iv. (a) The management has represented that, to the best of it's knowledge and belief, no funds have been advanced or loaned or invested by the company to or in any other person(s) or entity(ies) including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other person or entities identified in any manner whatsoever by or in behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or like on behalf of the Ultimate Beneficiary.

(b) The management has represented that, to the best of it's knowledge and belief, no funds have been received by the Company from any person(s) or entity(ies) including foreign entities ("Funding Parties") with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or like on behalf of the Ultimate Beneficiary.

(c) In our opinion based on such audit procedures that were considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (a) and (b) above contain any material misstatement.

v. The dividend declared or paid during the year by the company is in compliance with section 123 of Companies Act, 2013.

vi. Based on our examination, the Company has been using ERP Software including license software for Investment operation for maintaining its books of account which has a feature of recording Audit Trail (edit log) facility and has been operating (enabled) for all relevant transactions recorded in the Software. However, the Company has enabled the Audit Trail facility from 1st October, 2023 for its ERP Software.

During the course of our audit, we did not come across any instance of audit trail feature being tampered with.

With regards to the Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India u/s 143(5) of the Companies Act, 2013, based on our audit, we report hereunder on the action taken and the financial impact on the accounts of the financial statements of the Company:



क्र.सं.	निर्देश	उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास सू प्रौ प्रणाली के जरिए सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभावों के साथ- साथ खातों के एकीकरण पर सू प्रौ प्रणाली से बाह्य लेखांकन संव्यवहार की प्रक्रिया के वित्तीय प्रभावों को, यदि कोई हो, तो दर्शाएँ।	i) कंपनी के पास निम्नलिखित को छोड़कर सू प्रौ सिस्टम के जरिए सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए निम्नलिखित प्रणाली उपलब्ध है: • पुनर्बीमा व्यवसाय का कार्य, अचल संपत्तियों का मूल्यहास कार्य, फैक्ट्रिंग एवं 'अभी संसाधित होने वाले' (वाई टी बी पी) दावों के प्रावधान की गणना। हालाँकि मैनुअल नियंत्रण उपलब्ध हैं, परंतु वे पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, इसलिए पुनर्बीमा, अचल संपत्ति, फैक्ट्रिंग एवं 'अभी संसाधित होने वाले' (वाई टी बी पी) दावों को भी सिस्टम के जरिए रूट किया जाना आवश्यक है। • निवेश सॉफ्टवेयर मुख्य सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत नहीं है एवं निवेश विभाग के मुख्य परीक्षण शेष को सू प्रौ प्रणाली में समेकन के लिए बनाए गए मुख्य परीक्षण शेष में मैनुअल रूप से शामिल किया जाता है। • यद्यपि कंपनी का निवेश परीक्षण शेष मुख्य परीक्षण शेष को शामिल करने में नियंत्रण रखा गया है लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं है एवं निवेश सॉफ्टवेयर का भी मुख्य सू प्रौ प्रणाली में विलय किया जाना चाहिए।

S. No.	DIRECTIONS	ANSWER
1.	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	i) The Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system except for the following: • Working of Reinsurance Business, Depreciation Working of Fixed Assets, Factoring and calculation of provision of 'Yet to be processed' (YTBP) claims. Though manual controls are available, they may not suffice hence Reinsurance, Fixed Assets, Factoring and 'Yet to be processed' (YTBP) claims are also required to be routed through system. • Investment software is not integrated with the main IT system, and the final Trial Balance of Investment Department is manually incorporated in the main trial balance, maintained in IT system for consolidation. Though the Company has control at the time of incorporation of the Investment Trial Balance in the Main Trial Balance, it may not suffice, hence Investment Software should be merged with the main IT system.



क्र.सं.	निर्देश	उत्तर	S. No.	DIRECTIONS	ANSWER
2.	क्या किसी वर्तमान ऋण पर कोई पुनर्गठन अथवा ऋण शोधन के लिए कंपनी द्वारा ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण कंपनी द्वारा प्रदान किए गए ऋण/ ब्याज आदि के छूट/ बही खाते में गणना किए जाने के मामलों हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को दर्शाया जा सकता है। क्या इस प्रकार के मामलों को उचित रूप से दर्शाया गया है? (यदि ऋणदाता सरकारी कंपनी है, तब इस प्रकार के निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होंगे।	लागू नहीं, क्योंकि कंपनी द्वारा किसी प्रकार का ऋण प्राप्त नहीं किया गया है एवं किसी अन्य कंपनी को किसी प्रकार का ऋण प्रदान नहीं किया है।	2.	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver / write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a Government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender company).	Not Applicable as the Company has not borrowed any money nor it has lent any money to other company
3.	क्या केंद्रीय / राजस्व एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशी / प्राप्य का उनके कार्यकाल एवं शर्तों के अनुसार सही उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची तैयार करें।	हां, केंद्र सरकार की एजेंसी अर्थात् पहली बार एम एस ई निर्यातकों की क्षमता निर्माण (सी बी एफ टी ई) से प्राप्त धनराशि का उसके नियम एवं शर्तों के अनुसार उचित गणना/उपयोग किया गया था।	3.	Whether funds (grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from Central/State Government or its agencies were properly accounted for/used as per its term and conditions? List the cases of deviation.	Yes, Funds received from Central Government Agency i.e Capacity Building of First Time MSE Exporters (CBFTE), were properly accounted for/used as per its terms and conditions.



कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम निम्नानुसार कंपनी के लेखों के वित्तीय विवरणों पर वित्तीय प्रभाव एवं कृत कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं :-:

With respect to additional directions issued by Comptroller and Auditor General of India U/S 143(5) of the Companies Act, 2013, based on our audit, we report hereunder on the action taken and the financial impact on the accounts of the financial statements of the Company:

क्र.सं.	अतिरिक्त निर्देश	उत्तर															
1.	भौतिक / डीमैट रूप से उपलब्ध सी जी एस / एस जी एस / बॉन्ड्स / डिबेंचर आदि के संबंध में स्वामित्वों की संख्या तथा इनमें से उन मामलों की संख्या, जो कंपनी के लेखा बहियों में दर्शाई राशि से मेल नहीं खाती हो, का सत्यापन किया जाए तथा यदि कोई विसंगति पाई जाए, तो उसे रिपोर्ट किया जाए।	सी जी एस / एस जी एस में सभी निवेश आर बी आई एस जी एल खाते में किए गए हैं एवं उनका रिकॉर्ड के साथ सत्यापन किया गया है तथा किसी प्रकार की विसंगति नहीं पाई गई है। सी जी एस की दो प्रतिभूतियों को द्वितीयक बाज़ार परिचालन तथा ट्रेप्स परिचालनों के लिए सी सी आई एल के पास रखा गया है एवं केन्द्र सरकार की एक प्रतिभूति को नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज के पास इक्विटी परिचालन के लिए मार्जिन की आवश्यकता के रूप में रखा गया है जिसके लिए हमारे द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए हैं। बॉन्ड्स / डिबेंचरों को आई सी आई बैंक (संरक्षक) के पास डीमैट रूप में रखा गया है। सभी प्रतिभूतियों को अंतर्निहित अभिलेखों के साथ सत्यापित किया गया है तथा किसी प्रकार की विसंगति नहीं पाई गई है। <table border="1"> <thead> <tr> <th>प्रतिभूति का प्रकार</th><th>डीमैट प्रारूप में स्वामित्व अधिकारों की संख्या</th><th>भौतिक प्रारूप में स्वामित्व अधिकारों की संख्या</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>केंद्र सरकार प्रतिभूति</td><td>42</td><td>शून्य</td></tr> <tr> <td>राज्य सरकार प्रतिभूति</td><td>517</td><td>शून्य</td></tr> <tr> <td>बॉन्ड, डिबेंचर एवं अन्य प्रतिभूतियाँ</td><td>195</td><td>शून्य</td></tr> <tr> <td>इक्विटी शेयर</td><td>56</td><td>शून्य</td></tr> </tbody> </table>	प्रतिभूति का प्रकार	डीमैट प्रारूप में स्वामित्व अधिकारों की संख्या	भौतिक प्रारूप में स्वामित्व अधिकारों की संख्या	केंद्र सरकार प्रतिभूति	42	शून्य	राज्य सरकार प्रतिभूति	517	शून्य	बॉन्ड, डिबेंचर एवं अन्य प्रतिभूतियाँ	195	शून्य	इक्विटी शेयर	56	शून्य
प्रतिभूति का प्रकार	डीमैट प्रारूप में स्वामित्व अधिकारों की संख्या	भौतिक प्रारूप में स्वामित्व अधिकारों की संख्या															
केंद्र सरकार प्रतिभूति	42	शून्य															
राज्य सरकार प्रतिभूति	517	शून्य															
बॉन्ड, डिबेंचर एवं अन्य प्रतिभूतियाँ	195	शून्य															
इक्विटी शेयर	56	शून्य															

S. No.	ADDITIONAL DIRECTIONS	ANSWER															
1.	Number of titles of ownership in respect of CGS/SGS/Bonds/ Debentures etc. available in physical/ DEMAT form and out of these number of cases which are not in agreement with the respective amounts shown in the Company's books of accounts may be verified and discrepancy found may be suitably reported.	All the investments in CGS/SGS are held with RBISGL Account and have been verified with records and no discrepancies have been found. Two Central Government Securities have been kept with CCIL for secondary market operations of Government Securities and TREPS operations & further one Central Government Security is kept with National Stock Exchange towards margin requirement against equity operations, for which we have obtained the necessary certificates. Bonds/Debentures are held in DEMAT account with the ICICI Bank (custodian). All securities have been verified with the underlying records and no discrepancies have been found. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type of security</th><th>No. titles in DEMAT Form</th><th>No. of titles in Physical Form</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Central Govt Securities</td><td>42</td><td>Nil</td></tr> <tr> <td>State Govt Securities</td><td>517</td><td>Nil</td></tr> <tr> <td>Bonds, debentures and other securities</td><td>195</td><td>Nil</td></tr> <tr> <td>Equity Shares</td><td>56</td><td>Nil</td></tr> </tbody> </table>	Type of security	No. titles in DEMAT Form	No. of titles in Physical Form	Central Govt Securities	42	Nil	State Govt Securities	517	Nil	Bonds, debentures and other securities	195	Nil	Equity Shares	56	Nil
Type of security	No. titles in DEMAT Form	No. of titles in Physical Form															
Central Govt Securities	42	Nil															
State Govt Securities	517	Nil															
Bonds, debentures and other securities	195	Nil															
Equity Shares	56	Nil															



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

2.	क्या निवेश पॉलिसी मौजूद है एवं इसमें निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करने के लिए तंत्र शामिल है एवं क्या स्टॉप लॉस सीमाएं निर्धारित हैं? यदि हाँ, तो क्या इसका पालन किया गया? यदि अस्तित्व में नहीं है अथवा इसका अनुपालन नहीं किया गया है, तो विवरण प्रदान किया जा सकता है।	कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, कंपनी के पास निदेशक मण्डल से अनुमोदित निवेश पॉलिसी, एस ओ पी एवं नीति उपलब्ध है, जिसमें निवेश पोर्टफोलियो के समीक्षा का तंत्र भी शामिल है। प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर कंपनी का सम्पूर्ण निवेश पोर्टफोलियो एच टी एम (हेल्ड टू मैच्योरिटी)/ ए एफ़ एस (बिक्री के लिए उपलब्ध) श्रेणी का है। कंपनी के पास ट्रेडिंग पोर्टफोलियो नहीं है। तदनुसार, कंपनी के पास हानि को रोकने की पॉलिसी/ हानि को रोकने की सीमा उपलब्ध नहीं हैं।	2.	Whether Investment Policy exists and includes mechanism to review investment portfolios and also whether stop loss limits are prescribed? If yes, whether it was adhered to? If not in existence or not adhered to, details may be given.	As informed by the Management of the Company, the Company is having the Board approved Investment policy, SOP and Strategy which includes mechanism to review investment portfolio. Further, as informed by the Company, the Company does not have a trading portfolio. Company's entire Investment Portfolio is under HTM (Held-to-Maturity)/AFS (Available-for-Sale) category. Accordingly, Company is not having stop loss policy / stop loss limits.
----	--	--	----	---	--

कृते के बी डी एस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 323288E

(दशरथ कुमार सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं. 060030

स्थान: मुंबई
दिनांक: 16/05/2024

यूडीआईएन:
24060030BKENE5295

कृते एम. एल. पुरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002312N

(राजेश चंद गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 095584

स्थान: मुंबई
दिनांक: 16/05/2024

यूडीआईएन:
24095584BKCQOE8930

for KBDS & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration
No. 323288E

(Dashrath Kumar Singh)
Partner
Membership No. 060030

Place: Mumbai
Date: 16/05/2024

UDIN:
24060030BKENE5295

for M.L. Puri & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No.
002312N

(Rajesh Chand Gupta)
Partner
Membership No. 095584

Place: Mumbai
Date: 16/05/2024

UDIN:
24095584BKCQOE8930



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

के बी डी एस एंड कंपनी सनदी लेखाकार बी-405, जुपिटर चौथा क्रॉस लेन, लोखंडवाला, अंधेरी पश्चिम मुंबई – 400053	एम.एल. पुरी एंड कंपनी सनदी लेखाकार 904 योगा, गुलमोहर क्रॉस रोड नंबर 12 जुहू सर्कल के पास, जुहू मुंबई - 400049	KBDS & Co. Chartered Accountants B-405, Jupiter 4th Cross Lane, Lokhandwala, Andheri West, Mumbai – 400053	M.L. Puri & Co. Chartered Accountants 904 Yoga, Gulmohar Cross Road No. 12 Near Juhu circle, Juhu, Mumbai - 400049
---	---	---	--

स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र

(दिनांक 16 मई 2024 की हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अंश बनाने वाले "अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अधीन पैरा (ख) में संदर्भित)

प्रति,

ईसीजीसी लिमिटेड के सदस्य,

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- यह प्रमाण पत्र ईसीजीसी लिमिटेड ("कंपनी") मुंबई के दिनांक 31.03.2024 तक के वित्तीय विवरणों के संबंध में विनियमों के विनियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) के विनियमों 2002, के अधीन अनुसूची ग के पैराग्राफ 3 एवं 4 के प्रावधानों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है।

प्रबंधन का दायित्व

- कंपनी का निदेशक मण्डल कंपनी अधिनियम 2013, बीमा अधिनियम 1938 यथा संशोधित बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 एवं बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों एवं लेखा परीक्षा के रिपोर्ट की तैयारी) विनियम 2002 ("विनियम") एवं बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश / परिपत्रों, जिसमें लेखा खातों की तैयारी एवं रखरखाव तथा प्रबंधन रिपोर्ट शामिल है, के प्रावधानों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार है। इसमें उपरोक्त उल्लिखित अनुसार अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आकड़ों को एकत्र करना एवं सत्यापित करना एवं उनकी रूपरेखा का निर्धारण करना, आंतरिक नियंत्रणों को कार्यान्वित करना आदि शामिल है।

लेखा परीक्षक का दायित्व

- विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक आश्वासन प्राप्त कर खातों एवं रिकॉर्डों की जांच एवं लेखा परीक्षा के आधार पर राय बनाना कि कंपनी द्वारा विनियमों के विनियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले विनियमों की अनुसूची ग के पैरा 3 व 4 में उल्लिखित मदों का पूर्ण अनुपालन किया गया है अथवा नहीं।
- हमारे द्वारा दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के तत्काल समाप्ति पर कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की गई है एवं हमारे द्वारा दिनांक 16 मई 2024 को हमारी लेखा परीक्षा

INDEPENDENT AUDITORS' CERTIFICATE

(Referred to in paragraph (b) under "Report on other legal and regulatory requirements" forming part of our Independent Auditors' Report dated 16th May, 2024)

To,

The Members of ECGC Limited,

Report on other legal and regulatory requirements

- This certificate is issued to comply with the provisions of paragraphs 3 and 4 of Schedule C to the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, read with regulation 3 of the Regulations in respect of financial statements as at 31.03.2024, of ECGC Ltd. ("the Company"), Mumbai.

Management Responsibility

- The Company's Board of Directors is responsible for complying with the provisions of Companies Act, 2013, Insurance Act, 1938 as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 ("the Regulations") and orders/circulars issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) which includes the preparation and maintenance of books of accounts and the Management Report. This includes collecting, collating and validating data and designing, implementing and monitoring of Internal Controls suitable for ensuring compliance as aforesaid.

Auditors' Responsibility

- Pursuant to the requirements of the Regulations, it is our responsibility to obtain reasonable assurance and form an opinion based on our audit and examination of books and records as to whether the Company has complied with the matters contained in paragraphs 3 and 4 of Schedule C of the Regulations read with Regulation 3 of the Regulations.
- We audited the financial statements of the Company as of and financial year ended March 31, 2024 on



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

रिपोर्ट के जरिए असंशोधित लेखा परीक्षा राय व्यक्त की गई है। हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के मानकों एवं भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी अन्य प्राधिकृत निर्देशों के अनुसार ही इन वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षा की गई है। उन मानकों के अनुसार ही इस आश्वासन के साथ कि संबंधित वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण तथ्यों की त्रुटिपूर्ण प्रस्तुति अथवा त्रुटिपूर्ण निष्पादन नहीं किया गया है, के लिए हमारे द्वारा लेखा परीक्षा की योजना बनाएं जाएं एवं उसे कार्यान्वित किया जाए। हमारे द्वारा हमारी लेखा परीक्षा की योजना एवं निष्पादन उन संव्यवहारों के लिए नहीं किया गया है, जिसमें तृतीय पक्ष का कोई संभावित पक्ष का हित निहित हो।

5. आई सी ए आई द्वारा जारी विशेष उद्देश्यों के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्टें एवं प्रमाणपत्रों पर दिशानिर्देश टिप्पण के अनुकरण में हमारे द्वारा अपनी जांच पूर्ण की गई है। दिशा निर्देशों टिप्पण में यह अनिवार्य होता है कि हमारे द्वारा आई सी ए आई द्वारा जारी आचार संहिता की अपेक्षाओं के अनुरूप अन्य आचार नीति का स्वतंत्र रूप से अनुकरण किया जाए।
6. हमारे द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण (एस क्यू सी) - 1 के मानकों की लागू संगत अपेक्षाओं का पूर्ण अनुपालन किया गया है, किसी भी फर्म के लिए गुणवत्ता नियंत्रण वह पद्धति होती है जिसके जरिए लेखा परीक्षा एवं ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी एवं अन्य आश्वासन एवं संबंधित सेवा सहभागिताओं को पूर्ण किया जाए।

राय

7. दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए हमें प्रदान जानकारी एवं स्पष्टिकरणों के आधार पर एवं हमारे उत्तम ज्ञान एवं विश्वास एवं ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा तैयार लेखा खातों एवं अन्य रिकॉर्डों के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि:
- क) हमारे द्वारा दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न प्रबंधन रिपोर्ट की समीक्षा की गई एवं हमारी समीक्षा के आधार पर, प्रबंधन रिपोर्टें एवं स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है।
- ख) प्रबंधन प्रतिवेदनों पर एवं अनुपालन के लिए प्राधिकृत कंपनी के अधिकारियों द्वारा निदेशक मण्डल को प्रस्तुत अनुपालन प्रमाणपत्रों के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जो आई आर डी ए आई द्वारा निर्धारित पंजीकरण निबंधनों एवं शर्तों के अनुकरण में नहीं हो।
- ग) हमारे द्वारा नकद शेष (सिवाय उन शाखाओं के जहां, लेखा परीक्षा संबंधित शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है एवं संबंधित नकद शेष का सत्यापन संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है

which we issued an unmodified audit opinion vide our audit report dated May 16, 2024. Our audits of these financial statements were conducted in accordance with the Standards on Auditing and other applicable authoritative pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. Our audits were not planned and performed in connection with any transactions to identify matters that may be of potential interest to third parties.

5. We conducted our examination in accordance with the Guidance Note on Audit Reports and Certificates for Special Purposes issued by the ICAI. The Guidance note requires that we comply with the independence and other ethical requirements of the Code of Ethics issued by the ICAI.
6. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standards on Quality Control (SQC)-1, Quality control for Firms that performs audits and reviews of Historical Financial Information and Other Assurance and Related service engagements.

Opinion

7. In accordance with the information and explanations given to us and to the best of our knowledge and belief and based on our examination of the books of accounts and other records maintained by the ECGC Ltd., for the year ended March 31, 2024, we certify that:
- a) We have reviewed the Management Report attached to the financial statements for the year ended March 31, 2024 and on the basis of our review, there are no apparent mistakes or material inconsistencies between the Management Report and the standalone financial statements.
- b) Based on management representations and compliance certificates submitted to the Board of Directors by the officers of the Company charged with compliance and the same being noted by the Board, nothing has come to our attention that causes to believe that the Company has not complied with the terms and conditions of the registration stipulated by IRDA.
- c) We have verified the cash balances (except of the branches where audits were conducted by the concerned branch auditors and the cash balances were verified by the concerned auditors and securities relating to the loans and investments made by the company by actual inspection or by production of



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

तथा उन शाखाओं, जहाँ की लेखा परीक्षा पूर्ण नहीं की गई हो एवं कंपनी द्वारा किए गए ऋणों व निवेशों की वास्तविक निरीक्षणों अथवा कंपनी द्वारा नियुक्त संरक्षक एवं / अथवा निक्षेप भागीदार अथवा अन्य दस्तावेजी प्रमाण पत्र / पुष्टिकरणों के प्रमाणों को सत्यापित किया गया है।

घ) हमें प्रदान की गई सर्वोत्तम जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर, बीमा अधिनियम एवं उसके विनियमों के प्रावधानों के अनुकरण पर निवेशों का मूल्यांकन किया गया है।

ङ) हमें प्रदान की गई सर्वोत्तम जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार कंपनी किसी न्यास की न्यासी नहीं है; एवं

च) कंपनी द्वारा पिछले तुलन पत्र के अनुसार मदों की प्रकृति के आधार पर शेयरधारकों एवं पॉलिसी धारकों की निधियों को वर्गीकृत किया गया है एवं तदनुसार आय को राजस्व खाते व लाभ व हानि खाते में वर्गीकृत किया गया है। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 11(1बी) के अनुसार शेयरधारकों एवं पॉलिसीधारकों से संबंधित अलग अलग खाते नहीं हैं एवं शाखाओं में इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है, अतः उपलब्ध रिकॉर्डों के अनुसार निधियों के उपयोग का सत्यापन नहीं किया गया है। लेखा खातों के सत्यापन के आधार पर एवं हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के आधार पर एवं उपलब्ध रिकॉर्डों के आधार पर हमें ऐसे कोई मामले नहीं दिखे, जहाँ पॉलिसी धारकों की आस्तियों के किसी भी अंश का, पॉलिसी धारकों की निधियों के उपयोग एवं निवेश के संबंध में बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के विपरीत प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपयोग किया गया हो।

certificates/confirmations received from the Custodian and/or Depository Participants appointed by the company or the other documentary evidences).

d) To the best of the information and explanation given to us and as per the representation made by the Company, Investments have been valued in accordance with the provisions of the Insurance Act and its regulations;

e) To the best of the information and explanation given to us and as per the representation made by the Company, the Company is not a trustee of any trust; and

f) The Company has bifurcated shareholders' funds and policyholders' funds based on the nature of items as per the last Balance Sheet and accordingly the income has been segregated in Revenue Account and Profit and Loss Account. Since no separate accounts relating to shareholders and policyholders have been maintained in terms of Section 11(1B) of the Insurance Act, 1938 and since such information is not available at the branches, the application of the funds is therefore not verifiable from the available records. Based on the verification of the books of the account and based on the information and explanation given to us and on a review of the available records, we have not come across with the cases where any part of the assets of the policyholders' funds have been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 relating to the application and investments of the policyholders' funds.

कृते के बी डी एस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 323288E

(दशरथ कुमार सिंह)
भागीदार
सदस्यता संख्या 060030

स्थान : मुंबई
दिनांक: 16/05/2024

यूडीआईएन:
24060030BKENE5295

एम.एल. पुरी एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002312N

(राजेश चंद गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता संख्या 095584

स्थान : मुंबई
दिनांक: 16/05/2024

यूडीआईएन:
24095584BKCQOE8930

for KBDS & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No.
323288E

(Dashrath Kumar Singh)
Partner
Membership No. 060030

Place: Mumbai
Date: 16/05/2024

UDIN:
24060030BKENE5295

for M.L. Puri & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No.
002312N

(Rajesh Chand Gupta)
Partner
Membership No. 095584

Place: Mumbai
Date: 16/05/2024

UDIN:
24095584BKCQOE8930



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

के बी डी एस एंड कंपनी सनदी लेखाकार बी-405, जुपिटर चौथा क्रॉस लेन, लोखंडवाला, अंधेरी पश्चिम मुंबई – 400053	एम.एल. पुरी एंड कंपनी सनदी लेखाकार 904 योगा, गुलमोहर क्रॉस रोड नंबर 12 जुहू सर्कल के पास, जुहू मुंबई - 400049	KBDS & Co. Chartered Accountants B-405, Jupiter 4th Cross Lane, Lokhandwala, Andheri West, Mumbai – 400053	M.L. Puri & Co. Chartered Accountants 904 Yoga, Gulmohar Cross Road No. 12 Near Juhu circle, Juhu, Mumbai - 400049
---	---	---	--

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए "अनुलग्नक-क" कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमारे द्वारा **ईसीजीसी लिमिटेड** ("कंपनी") के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का दिनांक 31 मार्च, 2024 तक लेखा परीक्षा की गई है, जिसमें उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा शामिल है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आई सी ए आई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षा पर जारी मार्गदर्शन टिप्पण के अनुसार कंपनी का प्रबंधन आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को देखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी है।

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत आवश्यकतानुसार इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन व रखरखाव, जिसमें अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध एवं कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के साथ ही कंपनी की पॉलिसियाँ का पालन करने, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी तथा त्रुटियों को चिन्हित किए जाने एवं रोकथाम करने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी के लिए प्रभावी रूप से शामिल हैं।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में राय व्यक्त किया जाना है। हमारे द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पण ("दिशानिर्देश लेख") एवं आई सी ए आई द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित माने जाने वाले लेखा परीक्षण जो, कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण पर लागू एवं आई सी ए आई द्वारा जारी मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया है। उन मानकों एवं मार्गदर्शन टिप्पण की आवश्यकता के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करने, योजना बनाने एवं तथा इस प्रकार के नियंत्रण सभी तथ्यात्मक रूप से प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं अथवा

"Annexure-A" to the Independent Auditors' Report Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls of **ECGC Limited** ("the Company"), as of March 31, 2024 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI').

These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal



नहीं, इस संदर्भ में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखा परीक्षा किए जाने की वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया एवं बनाए रखा गया था।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग एवं उनके परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को वित्तीय रिपोर्टिंग, जोखिम का मूल्यांकन करना कि कोई तथ्यात्मक कमी तो नहीं है एवं मूल्यांकित जोखिम के आधार पर डिजाइन एवं परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण एवं मूल्यांकन किया जाना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर, निर्भर करती हैं, जिसमें धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों के तथ्यों के गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता एवं आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों एवं प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो:-

- (1) अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में, ये उचित प्रकार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन एवं निपटान को सटीक तथा निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं।
- (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेन-देन को वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार अनुमोदन प्रदान किए जाने हेतु दर्ज किया जाता है एवं कंपनी की प्राप्ति तथा व्यय कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं एवं;
- (3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान के बारे में समय पर चिन्हित किया जाना अथवा रोकथाम, जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है, पर उचित आश्वासन प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं

financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:-

- (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;
- (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company and;
- (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial



ई सी जी सी लिमिटेड **ECGC Limited**
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

के कारण, नियंत्रण की मिलीभगत अथवा अनुचित प्रबंधन की संभावना सहित, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण तथ्यात्मक त्रुटियाँ हो सकती हैं एवं जिन्हें चिह्नित नहीं किया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है अथवा यह कि नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन की प्रभावशीलता पृथक हो सकती है।

अन्य मामले

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक प्रदत्त परंतु रिपोर्ट नहीं किए गए दावों (आई बी एन आर) एवं प्रदत्त परंतु पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए (आई बी एन ई आर) दावों तथा प्रीमियम की न्यूनता के संबंध में देयता का बीमांकिक मूल्यांकन कंपनी के नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रमाणित है एवं दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित अनुसार हमारे द्वारा इस पर विश्वास किया गया है। तदनुसार, पूर्व बीमांकिक मूल्यांकन के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मूल्यांकन एवं सटीकता पर प्रबंधन के आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी राय शामिल नहीं है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास तथ्यात्मक रूप से सभी वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण, आई सी ए आई द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वित्तीय रिपोर्ट की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पण में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के आधार पर दिनांक 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रूप से प्रचालित की जा रही थी।

controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Other Matter

The actuarial valuation of liability in respect of Claims Incurred but not Reported (IBNR), Incurred But Not Enough Reported (IBNER) and Premium Deficiency as at March 31, 2024 is as certified by the Company's Appointed Actuary and has been relied upon by us as mentioned in our audit report on the financial statements for the year ended on March 31, 2024. Accordingly, our opinion on the internal financial controls over financial reporting does not include reporting on the operating effectiveness of the management's internal controls over the valuation and accuracy of the aforesaid actuarial valuation.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2024, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the ICAI.

कृते के बी डी एस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 323288E

(दशरथ कुमार सिंह)
भागीदार
सदस्यता संख्या 060030

स्थान : मुंबई
दिनांक: 16/05/2024

यूडीआईएन:
24060030BKENE5295

एम.एल. पुरी एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002312N

(राजेश चंद गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता संख्या 095584

स्थान : मुंबई
दिनांक: 16/05/2024

यूडीआईएन:
24095584BKCOE8930

for KBDS & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No.
323288E

(Dashrath Kumar Singh)
Partner
Membership No. 060030

Place: Mumbai
Date: 16/05/2024

UDIN:
24060030BKENE5295

for M.L. Puri & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No.
002312N

(Rajesh Chand Gupta)
Partner
Membership No. 095584

Place: Mumbai
Date: 16/05/2024

UDIN:
24095584BKCOE8930



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

सेवा तंत्र / SERVICE NETWORK

पता / Address	दूरभाष / Tel.	ईमेल / E-mail
पंजीकृत कार्यालय REGISTERED OFFICE ईसीजीसी भवन, सीटीएस नंबर 393, 393/1 से 45, एम.वी. रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई-400069 ECGC Bhawan, CTS No.393,393/1 to 45, M.V Road, Andheri East, Mumbai - 400069	(022) 66590500 / 0510	webmaster@ecgc.in
विपणन विभाग MARKETING DEPARTMENT ईसीजीसी भवन, सीटीएस नंबर 393, 393/1 से 45, एम.वी. रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई-400069 ECGC Bhawan, CTS No.393,393/1 to 45, M.V Road, Andheri East, Mumbai - 400069	(022) 66590500 / 0510	marketing@ecgc.in
नरीमन पॉइंट शाखा, मुंबई NARIMAN POINT BRANCH, MUMBAI दलामल हाउस, दूसरी मंजिल, जे.बी. मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021 Dalamal House, 2nd Floor, J.B. Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021	(022) 66138800	narimanpoint@ecgc.in
बांद्रा शाखा, मुंबई BANDRA BRANCH, MUMBAI द मेट्रोपॉलिटन, 7 वीं मंजिल, प्लॉट नंबर सी -26 / 27, ई ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400 051 The Metropolitan, 7th Floor, Plot No. C-26/27, E Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	(022) 6144 8110 / 8181	bandra@ecgc.in
नई दिल्ली NEW DELHI BRANCH एनबीसीसी प्लेस, दक्षिण टावर, चौथी मंजिल, प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली - 110 003 NBCC Place, South Tower, 4th Floor, Pragati Vihar, Bhishma Pitamah Marg, New Delhi - 110 003	(011) 49284011	newdelhi@ecgc.in
पश्चिमी क्षेत्र / WESTERN REGION		
पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय WESTERN REGIONAL OFFICE 506, टाउन सेंटर I, मित्तल इंडस्ट्रियल इस्टेट के निकट, मरोल, अंधेरी पूर्व, मुंबई - 400 051 506, Town Centre I, Next to Mittal Indl. Estate, Marol, Andheri East, Mumbai-400059	(022) 28597614/ 0907/3856	wro@ecgc.in
ठाणे शाखा THANE BRANCH कुसुमंजलि, पहली मंजिल, गोखले रोड, नौपाड़ा, ठाणे (पश्चिम)- 400 602 Kusumanjali, 1st Floor, Gokhale Road, Naupada, Thane (West) - 400 602	(022) 25347807	thane@ecgc.in



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

पता / Address	दूरभाष / Tel.	ईमेल / E-mail
अहमदाबाद शाखा AHMEDABAD BRANCH नागिन्दास चैम्बर्स, प्रथम तल, उस्मानपुरा, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380 014 Nagindas Chambers, 1st Floor, Usmanpura, Ashram Road, Ahmedabad - 380 014	(079) 27544932	ahmedabad@ecgc.in
पुणे शाखा PUNE BRANCH वास्तु चेंबर्स, पहली मंजिल, 1202/39, शिरोले रोड, शिवाजी नगर, पुणे - 411 004 Vastu Chambers, 1st Floor, 1202/39, Shirole Road, Shivaji Nagar, Pune - 411 004	(020) 29950241/0226	pune@ecgc.in
इंदौर शाखा INDORE BRANCH 408, चौथी मंजिल, सिटी सेंटर, 570, एम जी रोड, इंदौर - 452 001 408, 4th Floor, Citi Centre, 570, M. G. Road, Indore - 452 001	(0731) 2544215	indore@ecgc.in
राजकोट शाखा RAJKOT BRANCH निर्मल - दूसरी मंजिल, रामकृष्ण नगर कॉर्नर, स्वामी विवेकानंद मार्ग, नगर आयुक्त के बंगले के सामने, राजकोट - 360 001 Nirmal - 2nd Floor, Ramkrishna Nagar Corner, Swami Vivekanand Marg, Opp. Municipal Commissioner's Bungalow, Rajkot - 360 001	(0281) 2465162/ 169	rajkot@ecgc.in
वडोदरा शाखा VADODARA BRANCH 504, कॉनकोर्ड, 6 वीं मंजिल, आर सी दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा - 390 007 504, Concord, 6th Floor, R.C. Dutt Road, Alkapuri, Vadodara - 390 007	(0265) 2353304/ 4728	vadodara@ecgc.in
नागपुर शाखा NAGPUR BRANCH प्लॉट नं. 317, दूसरी मंजिल, एम.जी. हाउस के बगल में, आर एन टैगोर मार्ग, सिविल लाइंस, नागपुर - 440 001 Plot No.317, 2nd Floor, Beside M.G. House, R N Tagore Marg, Civil Lines, Nagpur - 440 001	(0712) 2550504	nagpur@ecgc.in
सूरत शाखा SURAT BRANCH 503, 21 सेंचुरी बिज़ सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बगल में, रिंग रोड, सूरत- 395 002 503, 21st Century Biz. Centre, Next to World Trade Centre, Ring Road, Surat - 395 002	(0261) 2364074	surat@ecgc.in



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

पता / Address	दूरभाष / Tel.	ईमेल / E-mail
गिफ्ट सिटी शाखा GIFT CITY BRANCH आईएफएससी बीमा कार्यालय, इकाई सं-304, तीसरा तल, हीरानन्दानी सिग्नेचर बिल्डिंग, ब्लॉक 13बी, ज़ोन 1, गांधीनगर- 382 355 IFSC Insurance Office, Unit No. 304, 3rd Floor, Hiranandani Signature Building, Block 13 B, Zone 1, Gandhinagar-382 355	(079) 27545446 / 9051610949	giftcityiio@ecgc.in
पूर्वी क्षेत्र / EASTERN REGION		
पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय EASTERN REGIONAL OFFICE एसी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9 वीं मंजिल, 1, शेक्सपियर सरानी, कोलकाता - 700 071 AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071	(033) 40884999	ero@ecgc.in
कोलकाता शाखा KOLKATA BRANCH एसी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9 वीं मंजिल, 1, शेक्सपियर सरानी, कोलकाता - 700 071 AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071	(033) 40884999	kolkata@ecgc.in
वाराणसी शाखा VARANASI BRANCH पीसीएफ प्लाजा, वाणिज्यिक परिसर, तीसरी मंजिल, यूनिट नंबर 1, नदेसर, वाराणसी - 221 002 PCF Plaza, Commercial Complex, 3rd Floor, Unit No.1, Nadesar, Varanasi - 221 002	(0542) 2507864	varanasi@ecgc.in
भुवनेश्वर शाखा BHUBANESHWAR BRANCH प्लॉट नंबर 611, तीसरी मंजिल, साहिद नगर, भुवनेश्वर - 751 007 Plot No. 611, 3rd Floor, Saheed Nagar, Bhubaneswar - 751 007	(0674) 2547772	bhubaneswar@ecgc.in
रायपुर शाखा RAIPUR BRANCH तीसरी मंजिल, उद्योग भवन परिसर, रिंग रोड नंबर 1, तेलीबांधा, रायपुर - 492 006 3rd Floor, Udyog Bhawan Parisar, Ring Road No. 1, Teibandha, Raipur - 492 006	(0771) 4918826/28	raipur@ecgc.in
गुवाहाटी उप कार्यालय GUWAHATI SUB-OFFICE रूम नं 304, तीसरी मंजिल, ट्यूलिप टॉवर, चांदमारी, गुवाहाटी - 781003 Room No. 304, 3rd Floor, Tulip Tower, Chandmari, Guwahati - 781003	09681845169	guwahati@ecgc.in



दक्षिणी क्षेत्र / SOUTHERN REGION		
पता / Address	दूरभाष / Tel.	ईमेल / E-mail
दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय – II SOUTHERN REGIONAL OFFICE रहेजा टावर्स, 11वीं मंज़िल, वेस्ट विंग, 26 एम.जी.रोड, बेंगलूरु- 560 001 Raheja Towers, 11th Floor, West Wing, 26, M.G. Road, Bengaluru - 560 001	(080) 25591139/ 82575	sro@ecgc.in
बेंगलूरु शाखा BANGALORE BRANCH रहेजा टावर्स, 11वीं मंज़िल, ईस्ट विंग, 26 एम.जी.रोड, बेंगलूरु- 560 001 Raheja Towers, 11th Floor, East Wing, 26, M.G. Road, Bengaluru - 560 001	(080) 25596025 / 25583995 /25580612	bangalore@ecgc.in
कोची शाखा KOCHI BRANCH एचडीएफसी हाउस, दूसरी मंज़िल, रविपुरम जंक्शन, एम.जी.रोड, एर्नाकुलम, कोची-682 015 HDFC House, 2nd Floor, Ravi Puram Junction, M.G. Road, Ernakulam, Kochi - 682 015	(0484) 2359437/ 57	kochi@ecgc.in
कोल्लम शाखा KOLLAM BRANCH सेवेंथ डे चर्च के पास, रेसीडेंसी रोड, कड़प्पकड़ा, कोल्लम- 691 008 Near Seventh Day Church, Residency Road, Kadappakada, Kollam - 691 008	(0474) 2748715	kollam@ecgc.in
हैदराबाद शाखा HYDERABAD BRANCH हाका भवन, दूसरी मंज़िल, पब्लिक गार्डन्स के सामने, हैदराबाद - 500 004 HACA Bhawan, 2nd Floor, Opp. Public Gardens, Hyderabad - 500 004	(040) 23234334/ 40833	hyderabad@ecgc.in
विशाखापत्तनम शाखा VISHAKHAPATNAM BRANCH प्रथम तल, शंकर प्लाज़ा, शंकर मठम के सामने, शंकरमठम रोड, द्वारकानगर, विशाखापत्तनम-530 016 1st Floor, Shankar Plaza, Opp Shankar Mattam Temple, Shankar Matham Road, Dwarkanagar, Vishakhapatnam - 530 016	(0891) 2748653/ 54	visakhapatnam@ecgc.in
गुंटूर शाखा GUNTUR BRANCH कृष्णा प्लाज़ा, दूसरी मंज़िल, 26-21-22, नागारम पालेम, जी.टी.रोड, गुंटूर-522 004 Krishna Plaza, 2nd Floor, 26-21-22, Nagaram Palem, G T Road, Guntur - 522 004	(0863) 2337096	guntur@ecgc.in
मंगलूर शाखा MANGALORE BRANCH 1ली मंज़िल, एस्सेल टॉवर्स, बंट्स हॉस्टल सर्कल, मंगलूर – 575 003. 1st floor, Essel Tower, Bunts Hostel Circle, Mangalore - 575003	(0824) 2444288/289, 8341626980	mangalore@ecgc.in



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

पता / Address	दूरभाष / Tel.	ईमेल / E-mail
चेन्नई शाखा CHENNAI BRANCH ओवरसीज टावर, तीसरी मंजिल, 756-एल, माउंट रोड, चेन्नई - 600 002 Overseas Towers, 3rd Floor, L-756- Anna Salai, Chennai – 600002	(044) 42284488-99	chennai@ecgc.in
चेन्नई दक्षिण शाखा CHENNAI SOUTH BRANCH 15, पहली मंजिल, सरयू पार्क, दूसरी मेन रोड, नई कालोनी, क्रॉम्पेट, चेन्नई--600 044 15, First Floor, Sarayu park, 2nd Main Road, New Colony, Chrompet, Chennai -600 044	(044) 4796 4141 / 4796 4142 / 4796 4143	chennaisouth@ecgc.in
कोयम्बटूर शाखा COIMBATORE BRANCH चेन्नई प्लाज़ा, दूसरी मंजिल, 1090 त्रिची रोड, कोयम्बटूर-641 018 Cheran Plaza, 2nd Floor, 1090 Trichy Road, Coimbatore - 641 018	(0422) 2304775/ 6/ 9	coimbatore@ecgc.in
मदुरै शाखा MADURAI BRANCH प्रथम तल, 69 पी.टी राजन सलाई, चोक्किकुलम, केंद्रीय विद्यालय, मदुरै- 625002 First Floor, 69 P.T. Rajan Salai, Chokkikulam, Opp. To Kendriya Vidyalaya, Madurai - 625002	(0452) 2525521/ 0340	madurai@ecgc.in
सेलम शाखा SALEM BRANCH शांति प्लाज़ा, तीसरा तल, 1/5, वृन्दावन रोड, पोन्नूस्वामी गौंडर तिरुमना के सामने, मंडपम फेयर लैंड्स, सेलम – 636 004 Shanthi Plaza, 3rd Floor, 1/5, Brindavan Road, Opp.Ponnusamy Gounder Thirumana - Mandapam, Fair Lands, Salem, - 636 004	(0427) 2442275	salem@ecgc.in
तिरुपुर शाखा TIRUPUR BRANCH 346/347 के आर ई टावर, पहली मंजिल, कुमारन रोड, तिरुपुर -641601 346/347 KRE Towers, 1st Floor, Kumaran Road, Tirupur -641601	(0421) 4401111	tirupur@ecgc.in
तूतिकोरिन शाखा TUTICORIN BRANCH 209/ए- 1, वी ई रोड(पहला तल), बैंक ऑफ बड़ौदा के उपर, सुगम होटल के समीप, तूतीकोरिन- 628 003 209/A-1 ,V E Road, (First Floor) Bank of Baroda Upstairs, Near Sugam Hotel, Tuticorin 628 003.	(0461) 2324351	tuticorin@ecgc.in
करूर शाखा KARUR BRANCH तीसरी मंजिल, केवीआर कॉम्प्लेक्स, 80 फीट रोड, सेंगुंथपुरम, करूर-639 002 3rd Floor, KVR Complex, 80 Feet Road, Sengunthapuram, Karur - 639 002	(04324) 233911/ 244910	karur@ecgc.in



उत्तरी क्षेत्र / NORTHERN REGION		
पता / Address	दूरभाष / Tel.	ईमेल / E-mail
उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय NORTHERN REGIONAL OFFICE ब्लॉक 3, प्लेट ए, चौथी मंजिल, एनबीसीसी वाणिज्यिक परिसर, पूर्वी किदवाई नगर, नई दिल्ली - 110 023 Block 3, Plate A, 4th Floor, NBCC Commercial Complex, East Kidwai Nagar, New Delhi- 110 023	(011) 24346900	nro@ecgc.in
पश्चिम दिल्ली शाखा WEST DELHI BRANCH 305 - 306, के एल जे टावर(पूर्व), 3री मंजिल, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली- 110 034 305 - 306, KLJ Tower (North), 3rd Floor, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110 034	(011) 45638142 / 43 / 44	west.delhi@ecgc.in
गुरुग्राम शाखा GURUGRAM BRANCH प्लॉट नं. 470, उद्योग विहार, फेज़ 5, गुरुग्राम, हरियाणा- 122 016 Plot No. 470, Udyog Vihar, Phase 5, Gurugram, Haryana - 122 016	(0124) 4300603/04	gurgaon@ecgc.in
लुधियाना शाखा LUDHIANA BRANCH 92, सूर्यकिरण कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, दि मॉल रोड, पी.ओ. बॉक्स नं. 281, लुधियाना-141 001 92, Suryakiran Complex, 2nd Floor, The Mall Road, P.O. Box No. 281, Ludhiana - 141 001	(0161) 2441082/ 2405684	ludhiana@ecgc.in
जालंधर शाखा JALANDHAR BRANCH ऑफिस सं-1, भूतल, मिडलैंड फाइनेंशियल सेंटर, आईसीआईसीआई बैंक के समीप, 21-22 जी.टी. रोड, जालंधर, पंजाब-144001 Office No.1, Ground Floor, Midland Financial Centre, Adjoining ICICI Bank, 21-22 G.T. Road, Jalandhar, Punjab-144 001	(0181) 2233235	jalandhar@ecgc.in
कानपुर शाखा KANPUR BRANCH 14/147, स्काई लार्क कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, चुन्नीगंज, कानपुर - 208 001 14/147, Sky Lark Complex, 3rd Floor, Chunniganj, Kanpur - 208 001	(0512) 2535855	kanpur@ecgc.in
मुरादाबाद शाखा MORADABAD BRANCH पंडित शंकरदत्त शर्मा मार्ग, सिविल लाइंस, मुरादाबाद - 244 001 Pundit Shankar Dutt Sharma Marg, Civil Lines, Moradabad - 244 001	(0591) 2415476/ 2435395	moradabad@ecgc.in



ई सी जी सी लिमिटेड ECGC Limited
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

पता / Address	दूरभाष / Tel.	ईमेल / E-mail
जयपुर शाखा JAIPUR BRANCH दूसरी मंज़िल आनंद भवन, संसार चंद्र रोड, जयपुर-302001 2nd Floor, Anand Bhavan, Sansar Chandra Road, Jaipur- 302 001	(0141) 2367292	jaipur@ecgc.in
आगरा शाखा AGRA BRANCH 4/एस-109/एस-211, दूसरी मंज़िल, कॉर्पोरेट पार्क अशोक कॉस्मोस मॉल के पीछे, संजय प्लेस, आगरा-282002 (उ.प्र.) 4/S-109/S-211, 2nd Floor, Corporate Park, Behind Ashok Cosmos Mall, Sanjay Place, Agra-282 002 (U.P.)	(0562) 2520035	agra@ecgc.in
पानीपत शाखा PANIPAT BRANCH मलिक प्लाज़ा, 1ली मंज़िल, संजय चौक के पास, जी.टी. रोड, पानीपत-132 103 Malik Plaza, 1st Floor, Near Sanjay Chowk, G.T. Road, Panipat - 132 103	(0180) 2634933/ 3139	panipat@ecgc.in
जोधपुर शाखा JODHPUR BRANCH 178, नारायणम, दूसरी मंज़िल, अपर चोपसनी रोड, बॉम्बे मोटर सर्किल के समीप, जोधपुर-342 003 178, Narayanam, 2nd Floor, Upper Chopasani Road, Near Bombay Motor Circle, Jodhpur - 342 003	(0291) 2770302/ 03	jodhpur@ecgc.in
चंडीगढ़ शाखा CHANDIGARH BRANCH W1-I, टॉवर-ए, पहली मंज़िल, गोदरेज एटर्निया, प्लॉट नंबर -70, औद्योगिक क्षेत्र चरण -1, चंडीगढ़-160002 Godrej Eternia, 1st Floor, W1-I, Tower-A, Plot no. 70, Industrial Area, Phase-1, Chandigarh-160002	(0172) 418 7730 / 418 7731 / 418 7732 / 418 7733	chandigarh@ecgc.in
नोएडा शाखा NOIDA BRANCH 1121, 11वां तल, वर्ल्ड ट्रेड टावर, सी- 1, सेक्टर 16, नोएडा, उ.प्र.- 201 301 1121, 11th Floor, World Trade Tower (WTT), C-1, Sector 16, Noida, UP - 201 301	(0120) 4249186	noida@ecgc.in
फरीदाबाद शाखा FARIDABAD BRANCH एससीओ- 149 दूसरी मंज़िल, सेक्टर-21-सी, फरीदाबाद, हरियाणा-121 001 SCO-149, 2nd Floor, Sector-21-C, Faridabad, Haryana - 121 001	(0129) 4315114/115/ 116/ 117	faridabad@ecgc.in
श्रीनगर शाखा SRINAGAR BRANCH दूसरा तल, जे.के. बैंक बिल्डिंग, सफ़ीना प्लाज़ा के निकट, हरि सिंह हाई स्ट्रीट, श्रीनगर- 190 001 2nd Floor, JK Bank Building, Near Safina Plaza, Hari Singh High Street, Srinagar - 190 001	0194-2477947	srinagar@ecgc.in



ई सी जी सी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

ECGC Limited

(A Government of India Enterprise)

पंजीकृत कार्यालय: ईसीजीसी भवन, सीटीएस नं. 393, 393/1 से 45,
एम. वी. रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400069, महाराष्ट्र, भारत
वेबसाइट: www.ecgc.in

Regd. Office: ECGC Bhawan, CTS No. 393, 393/1 to 45,
M.V. Road, Andheri (East), Mumbai - 400069, Maharashtra, India.
Website: www.ecgc.in

IRDAI Regn. No. 124 | CIN No. U74999MH1957GOI010918

✉ @ecgclimited

📺 ECGC LTD

📱 ECGC LTD Mumbai

आप निर्यात पर ध्यान केन्द्रित करें, हम जोखिम से रक्षा प्रदान करेंगे। You focus on exports. We cover the risks.